रिपोर्ट रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
प्रतिवेदन

31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

वाणिज्यिक
उत्तर प्रदेश सरकार

http://cagindia.org/states/uttarpradesh/2001

विषय-सूची

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
अध्याय-I : सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन	1	1
प्रस्तावना	1.1	1
कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यूज)	1.2	2
कार्यविहीन पी एस यूज	1.3	9
सांविधिक निगमों के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति	1.4	14
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण पुनर्संरचना तथा विनिवेश	1.5	15
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के परिणाम	1.6	15
पी एस यूज की बन्दी हेतु संस्तुति	1.7	18
लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट पैराग्राफों तथा समीक्षाओं पर अनुक्रिया	1.8	19
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति	1.9	19
619–बी कम्पनियाँ	1.10	20
अध्याय–II सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षाऐं	2	21
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड		
ऊर्जा मीटरों की अधिप्राप्ति, कार्य सम्पादन तथा मरम्मत	2अ	21
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
ताप विद्युत केन्द्रों में सामग्री प्रबन्धन	2ब	47
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड		
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड की कार्य पद्धति	2स	75

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ
अध्याय – III सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षाएं	**3**	91
उत्तर प्रदेश वन निगम		
उत्तर प्रदेश वन निगम की कार्य पद्धति	3अ	91
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद		
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की कार्य पद्धति	3ब	116
अध्याय –IV विविध रोचक विषय	**4**	**141**
सरकारी कम्पनियां	4अ	141
सांविधिक निगम	4ब	169
परिशिष्ट	**संख्या**	**पृष्ठ**
सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2001 को प्रदत्त पूँजी, बजट बर्हिगमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शाती विवरणी	1	179
सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम को दर्शाती विवरणी	2	191
प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पद बिलम्बन अनुमन्य किया गया और वर्ष के दौरान ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन और प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूति को मार्च 2001 के समाप्ति पर दर्शाती हुई विवरणी	3	203
सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति	4	207
सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम	5	211
सांविधिक निगमों के परिचालनात्मक कार्यसम्पादन	6	215
विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन (आई आर)	7	218
विभागवार ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतिक्षित हैं	8	219
अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619–बी के अन्तर्गत कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं समेकित परिणाम	9	220

विवरण	संख्या	पृष्ठ
उन कम्पनियों, जिनके व्यवसाय विगत 5 वर्षों से 5 करोड़ रूपये से कम था तथा जिनके लेखे प्रमाणित थे, के व्यवसाय को दर्शाती विवरणी	10	221
कम्पनियाँ, जो लगातार 5 वर्षों से घाटा दे रही हैं, जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी	10 अ	222
निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब	11	223
निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण एच टी और एल टी मीटरों की उच्च लागत पर अधिप्राप्ति	12	224
तीन फेज इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटरों की आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश	13	225
घंटा प्रतिदिन, जिसमें ऊर्जा का उपयोग किया गया, की वार्षिक औसत संख्या	14	226
इलेक्ट्रानिक मीटर की चुम्बकीय शील्डिंग का प्रभाव	15	227
'सिक्योर' मीटर की स्थापना के बाद अंकित किये गये उपभोग में कमी	16	229
दोषपूर्ण मीटरों को न बदला जाना	17	231
पूर्ववर्ती तिथियों से स्थायी विच्छेदन	18	232
चेक मीटरों के रूप में नये मीटर न स्थापित करने के कारण राजस्व की हानि	19	233
उपभोक्ता परिसरों में मीटरों की बारम्बार असफलता	20	236
विभिन्न क्षमताओं वाले सी टी की स्थापना	21	237
मीटरों की वर्ष–वार मरम्मत	22	238
मीटरों की विभागीय मरम्मत की अधिक लागत	23	239
कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उपभोग	24	240
संचालन और अनुरक्षण व्यय	25	242
कम्पनी की 31 मार्च 2001 तक के पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति	26	243
कम्पनी के 31 मार्च 2001 तक के पाँच वर्षों के कार्यचालन परिणाम	27	244
विभिन्न कार्यों के अन्तर्गत बचत	28	245
तकनीकी स्वीकृति से अधिक/ के बिना कार्यों पर अतिरिक्त व्यय	29	246
आंशिक रूप से निर्मित भवनों पर निधियों का अवरोधन	30	247

विवरण	संख्या	पृष्ठ
पुलिस आवास निगम लिमिटेड के विभिन्न खण्डों द्वारा वर्ष 1996–97 से 2000–2001 (जनवरी 2001 तक) निर्माण सामग्रियों (पत्थर–बजरी, मोटी बालू, महीन बालू आदि) का क्रय तथा उस पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर का भुगतान	31	248
1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम की वित्तीय स्थिति	32	251
1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्य चालन परिणाम	33	252
सी सी एफ आयतन के सापेक्ष उत्पादन में गिरावट	34	253
1999–2000 तक के पाँच के वर्षों के वन निगम में चारकोल का उत्पादन	35	255
1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम में चिरान इमारती लकड़ी का उत्पादन	36	256
1999 तक के पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम के रेणूकूट एवं दुध्धी खण्डों में तेंदू पत्ते के संग्रहण हेतू गोदामों को किराये पर लिया जाना	37	258
1998–99 एवं 1999–2000 के दौरान आधार मूल्य का पुनर्मुल्यांकन नहीं होने के कारण हानि	38	259
उत्पाद वर्ष 1995–96 में आधार मूल्य को विलम्ब से स्थापित करने के कारण हानि	39	260
26.02.1998 को विलम्ब से किये गये, आधार मूल्य का पुनर्मुल्यांकन के कारण अक्टूबर 1997 से फरवरी 1998 के मध्य बिक्री से हानि	40	261
तीन विक्रय खण्डों मे आधार मूल्य से कम पर नीलामी करने के कारण हानि	41	262
कम दरों पर बिक्री के कारण राजस्व की हानि	42	263
1999–2000 तक के तीन वर्षों के दौरान मासिक उत्पादन और आवंटन/उठान	43	264
खैर, यूक्लिप्टस एवं मृदुकाष्ठ के आवंटन/उठान में विलम्ब के कारण वहन लागत	44	267

विवरण	संख्या	पृष्ठ
शासन के मंत्री/सचिव को दिये गये वाहनों के चालन एवं रख–रखाव पर व्यय	45	268
परिषद की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम		
परिषद के कार्यचालन परिणामों एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी	46	269
बेटरमेंट शुल्क का वसूला न जाना	47	271
भूमि अधिग्रहण किये बिना क्षतिपूर्ति का भुगतान	48	272
अतिरिक्त क्षतिपूर्ति का भुगतान	49	273
अनुपयोजित विकसित भूमि की स्थिति	50	274
जनवरी 2001 तक विकसित एवं निर्मित सम्पत्तियां	51	275
जनवरी 2001 के अंत पर अनिस्तारित परिसम्पत्तियां	52	276

प्राक्कथन

सरकारी वाणिज्यिक संस्थान जिनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगम, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. इस प्रतिवदेन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है तथा यह समय–समय पर यथा संशोधित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी ए जी) (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा परिणामों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार में सम्मिलित किया गया है।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखा परीक्षा सी ए जी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम जो एक निबंधित संस्था है, की लेखा परीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम तथा उत्तर प्रदेश वन निगम जो सांविधिक निगम है, के सम्बन्ध में सी ए जी एकमात्र लेखा परीक्षक है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में सी ए जी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों की सूची में से निगम द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ–साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में सी ए जी को उसके परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के साथ–साथ उनके लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न करने का अधिकार है।

5. इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2000–2001 के दौरान की गई लेखा परीक्षा में संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही जानकारी में आ गये थे परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की गई थी। 2000–2001 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों पर विहंगावलोकन

31 मार्च 2001 को, राज्य में 98 सरकारी कम्पनियों तथा सात सांविधिक निगमों सहित 105 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू) थे जो पिछले वर्ष भी उतने ही थे। 98 सरकारी कम्पनियों में से 54 सरकारी कम्पनियाँ कार्यरत थीं जबकि 44 सरकारी कम्पनियाँ कार्यविहीन थीं। सभी सात सांविधिक निगम कार्यरत निगम थे। कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों की संख्या वर्ष के दौरान 41 से 44 तक बढ़ गई थी। इसके अतिरिक्त, पाँच कम्पनियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–बी के अन्तर्गत आती हैं, जिसमें से तीन 31 मार्च 2001 को अकार्यरत थीं।

कार्यरत पी एस यू में कुल निवेश 31 मार्च 2000 के 17049.05 करोड़ रूपये से घटकर 31 मार्च 2001 को 14736.88 करोड़ रूपये हो गया था। कार्यविहीन पी एस यू में कुल निवेश उसी अवधि के दौरान 260.00 करोड़ रूपये से बढ़ कर 854.41 करोड़ रूपये हो गया था।

कार्यरत पी एस यू को वितरित किये गये अनुदानों, ऋण एवं पूँजी के रूप में बजट सहायता, 1999–2000 के 743.23 करोड़ रूपये से बढ़ कर 2000–2001 में 5630.74 करोड़ रूपये हो गयी थी। राज्य सरकार ने 2000–2001 के दौरान पाँच कार्यविहीन कम्पनियों को 106.53 करोड़ रूपये का ऋण निर्मुक्त किया। राज्य सरकार ने 2000–2001 के दौरान कुल 604.65 करोड़ रूपये (कार्यरत पी एस यू को 582.65 करोड़ रूपये तथा कार्यविहीन पी एस यू को 22.00 करोड़ रूपये) के ऋणों की प्रत्याभूति दी। सभी पी एस यू को राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत दिये गये बकाया ऋणों की कुल राशि 31 मार्च 2000 के 1564.72 करोड़ रूपये से बढ़ कर 31 मार्च 2001 को 2624.47 करोड़ रूपये हो गई थी।

एक कार्यरत सरकारी कम्पनी ने वर्ष 2000–2001 के अपने लेखे को अन्तिम रूप दे दिया था। शेष 53 कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितम्बर 2001 को, एक वर्ष से 15 वर्षों तक की आरेखित अवधियों से बकाये में थे। सभी 44 कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों के लेखे 30 सितम्बर 2001 को, एक वर्ष से 27 वर्षों तक की आरेखित अवधियों से बकाये में थे।

नवीनतम पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार, 22 कार्यरत पी एस यू (19 सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगम) ने कुल 60.64 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया। वर्ष के दौरान, किसी भी पी एस यू ने लाभांश घोषित नहीं किया। इसके विरूद्ध, 36 कार्यरत पी एस यू (33 सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगम) ने नवीनतम पूर्ण किये लेखों के अनुसार कुल 459.19 करोड़ रूपये की हानि उठाई। हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 21 कम्पनियों की कुल हानियाँ 1471.55 करोड़ रूपये की थी जो उनकी 783.13 करोड़ रूपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थी। हानि उठाने वाले तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों की संचित हानियाँ कुल 1033.19 करोड़ रूपये की थी जो उनकी 421.37 करोड़ रूपये की कुल

प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थी।

21 कार्यरत सरकारी कम्पनियों का निजी व्यापार, उनके अस्तित्व में आने के पाँच वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी, नवीनतम पूर्ण किये गये लेखों के पूर्व के पाँच वर्षों के प्रत्येक वर्ष में 5 करोड़ रूपये से कम रहा है। पुनः, सात कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ, अपने नवीनतम पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार पाँच लगातार वर्षों से हानियाँ उठाती रहीं थीं जिससे निवल परिसम्पत्तियाँ नकारात्मक हो गई। इस कारण से सरकार को या तो इन 28 सरकारी कम्पनियों के कार्य सम्पादन में सुधार लाना चाहिये अन्यथा उनकी बन्दी पर विचार करना चाहिए।

(प्रस्तर 1.1, 1.2, 1.3, एवं 1.7)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षाएं

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

2अ. ऊर्जा मीटरों की अधिप्राप्ति, कार्य सम्पादन तथा मरम्मत

- *इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 26(2) के अर्न्तगत, कम्पनी को विद्युत आपूर्ति के प्रत्येक बिन्दु पर ऊर्जा मीटरों का अधिष्ठापन और अवस्थापन करना आवश्यक है। निविदाओं के अन्तिमीकरण और मीटरों की अधिप्राप्ति के लिये आदेश देने में देरी की गई जो न केवल मीटरों की आवश्यकता के दौरान उनके अनुपलब्धता में प्रमाणित हुई बल्कि उसने मूल्यों में गिरती प्रवृत्ति के लाभ से भी वंचित रखा। मीटरों की अधिप्राप्ति में कमी, सीधी (मीटरविहीन) आपूर्ति एवं क्षतिग्रस्त/दोषपूर्ण मीटरों को न बदले जाने का कारण भी बनी।*

{प्रस्तर 2अ.1, 2अ.3.1.1, 2.अ.3.2 एवं 2अ.4.ख(i)}

- *त्रुटिपूर्ण और क्षतिग्रस्त मीटरों का न बदला जाना उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाने में सहायक था क्योंकि ऐसे प्रकरणों में मीटर पाठन बन्द होने की तिथि को, स्थायी विच्छेदन के प्रकरणों को अन्तिम रूप देने हेतु, अस्थाई विच्छेदन की तिथि के रूप में मान लिया गया था। तद्नुसार, एक वर्ष से अधिक 18 वर्षों तक के राजस्व बकाये के 7.04 करोड़ रूपये को, नमूना जाँच के दौरान देखे गये 1402 स्थाई विच्छेदन प्रकरणों में, माफ कर दिया गया था।*

{प्रस्तर 2अ.5 (घ) (iii)}

- *संदिग्ध कदाचारों के कारण उपभोक्ताओं के परिसर में मीटरों के बारम्बार खराब होने के परिणामस्वरूप 2.38 करोड़ रूपये का अवप्रभारण/राजस्व की हानि हुई।*

{प्रस्तर 2अ.5 (छ) (i से iii)}

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

2ब. ताप विद्युत गृहों में सामग्री प्रबन्धन

- पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के निगमीकरण हो जाने पर ताप विद्युत गृहों ओबरा (ए एवं बी), पनकी, आनपारा, पारीच्छा एवं हरदुआगंज जिसकी मार्च 2001 के अन्त पर स्थापित क्षमता 4124 मेगावाट थी, को 14 जनवरी 2000 को निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था। दोषपूर्ण क्रय पद्धति, सामग्री की विलम्बित व्यवस्था तथा सामग्री के अधिक उपभोग के कारण, कम्पनी एक सक्षम सामग्री प्रबन्धन एवं भण्डार नियंत्रण प्रणाली प्रारम्भ करने में असफल रही।

(प्रस्तर 2ब.1, 2ब.4.1.2, 2ब.4.1.4, 2ब.5.2.2. से 2ब.5.5)

13.27 करोड़ रूपये की सामग्री 5 से 10 वर्षो की अवधि के लिए अप्रयुक्त पड़ी रही। उसी प्रकार 3.87 करोड़ रूपये की मूल्य की निष्प्रयोज्य एवं स्क्रेप सामग्रियां अनिस्तारित पड़ी रही।

(प्रस्तर 2ब.6.2 एवं 2ब.9)

2स. उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

- कम्पनी की स्थापना 27 मार्च 1987 को पुलिस विभाग के लाभ हेतु गृह निर्माण और अन्य योजनाओं के निष्पादन के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी। मुख्यतः निधि की उपलब्धता के बावजूद क्षमताओं के अधोउपयोग, प्रथमतः तकनीकी स्वीकृति के जारी के बिना कार्य निष्पादन की अक्षम पद्धति एवं समय–सारणी व संरचना कार्यो पर व्यय पर अनुश्रवण की कमी के कारण, कम्पनी अपने ईष्टम स्तर क्षमता को पाने में असफल रही।

{प्रस्तर 2स.1, 2स.5.2, 2स.6.1 एवं 2स.7.2(i)}

- कम्पनी ने 1999–2000 तक के सभी चार वर्षो के दौरान गिरती स्थिति को प्रदर्शित किया है जो 2000–2001 के दौरान किये गये कार्य की कम मात्रा के कारण 1.09 करोड़ रूपये की महत्वपूर्ण हानि में परिवर्तित हो गई। सरकार से प्राप्त अग्रिमों ने भी, 97.47 करोड़ रूपये मूल्य के पूर्ण किये गये कार्यो से सम्बन्धित लेखों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण 1996–97 के पश्चात 78.7 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित की है।

(प्रस्तर 2स.5.1)

3. सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षाएं

3अ. उत्तर प्रदेश वन निगम

- नवम्बर 1974 में स्थापित उत्तर प्रदेश वन निगम मुख्यतः वृक्षों के गिराये जाने/निस्तारण, तेंदू पत्ते एवं जड़ी बूटी के संग्रहरण तथा राज्य के तराई क्षेत्रों में कृषि कार्यों में कार्यरत था। निगम का संचालन, इमारती लकड़ी के उत्पादन में गिरावट, चिरान लकड़ी की कम प्राप्ति, कृषि कार्यों में कम उपज, तेंदू पत्ते का वर्षा प्रभावित उत्पादन तथा इमारती लकड़ी की बिक्री के आधार पर मूल्यों का विलम्बित संशोधन/संशोधन न किये जाने के कारण, राजस्व की हानि के अतिरिक्त निधियों के अपर्याप्त नियंत्रण के प्रकरणों के कारण प्रभावित रहा।

{प्रस्तर 3अ.6.1.1(क)(i)एवं(ग), 3अ.6.1.2, 3अ.6.1.3(क), 3अ.7.1(i)एवं 3अ.10}

- निगम ने 1998–99 और 1999–2000 के दौरान 2.52 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि उठाई क्योंकि आधार मूल्यों की वृद्धि का प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार, 1995–96 हेतु आधार मूल्यों में वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने में असाधारण विलम्ब के कारण 7.57 करोड़ रुपये की हानि हुई।

{प्रस्तर 3अ.7.1(i)}

3ब. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की स्थापना, आवास समस्या को हल करने के लिए नवनिर्मित भवनों एवं विकसित भूखण्डों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने सम्बन्धी राज्य एवं केन्द्र सरकार की नीतियों को लागू करने के उद्देश्य से अप्रैल 1966 में की गयी थी। परिषद की कार्य पद्धति वित्तीय स्रोतों के उचित प्रबन्धन में असफलता के रूप में परिलक्षित हुई जिसके कारण धन के विलम्बित अन्तरण तथा दावों की वसूली न होने से हानि हुई।

(प्रस्तर 3ब.1, 3ब.2, 3ब.8.1.3 एवं 3ब.8.1.4)

- परिषद ने वित्तीय कार्य–कलापों में उपलब्ध निधियों का कु–प्रबन्ध दृष्टिगत हुआ। परिषद 6.50 करोड़ रूपये की सावधि जमा को परिपक्वता पर अपने बैंक से भुनाने में असफल रहा। पहले की सावधि जमा को नकदीकरण हेतु प्रस्तुत करने के स्थान पर, परिषद ने इसके विरूद्ध ऋण ले लिया और 2.36 करोड़ रूपये की हानि उठायी।

(प्रस्तर 3ब.8.1.1)

- भूमि अधिग्रहण की गतिविधियाँ कमियों से प्रभावित थीं जिसमें लक्ष्यों के प्राप्त न होने के अतिरिक्त अधिक परिहार्य भुगतान और निष्फल व्यय सम्मिलित थे जिसके कारण

23.03 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3ब.9)

- मार्च 2001 के अन्त में 42.80 करोड़ रूपये के मूल्य की विकसित भूमि अनुपयोजित पड़ी थी। विकसित कालोनियों की जन सुविधायें स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित नहीं की जा सकीं, जिससे उनके रख–रखाव पर 14.32 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय हुआ।

{प्रस्तर 3ब.10.1(क)एवं(ख)}

4. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रोचक विषय

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

- उन अभिकर्त्ताओं, जिनके अनुबन्ध समाप्त हो गये, के विरूद्ध समय से क्षतिपूर्ति आरोपण करने में कम्पनी की असफलता 2.08 करोड़ रूपये की हानि में परिणामित हुई।

(प्रस्तर 4अ.6)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

- दर के गलत उपयोग एवं 1.44 करोड़ रूपये के न्यूनतम प्रभार के कम बिल के कारण उपभोक्ताओं को कम बिल किया गया है।

(प्रस्तर 4अ.9)

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की सहायक कम्पनी)

- उपभोक्ता को बिना विलम्ब भुगतान अधिभार के मासिक बिलों को किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी गई, जिसके कारण उपभोक्ता को 2.80 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ मिला।

(प्रस्तर 4अ.22)

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

- बैंकों की जाली पत्रों एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण के वितरण के परिणामस्वरूप 4.44 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 4ब.3)

- बन्धककर्ता एवं स्वामित्व विलेख की पहचान की सत्यता के बिना ऋण के वितरण से 0.99 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 4ब.5)

उत्तर प्रदेश जल निगम

- निर्माण परियोजना जो कि 1.13 करोड़ रूपये की लागत पर पूर्ण होनी थी, 2.34 करोड़ रूपये के व्यय के पश्चात् भी अपूर्ण पड़ी थी।

(प्रस्तर 4ब.8)

अध्याय–1

1. सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2001 को राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन 98 सरकारी कम्पनियाँ (54 कार्यरत कम्पनियाँ एवं 44 कार्य विहीन कम्पनियाँ)[1] तथा सात सांविधिक निगम (कार्यरत निगम) थे जबकि 31 मार्च 2000 को 98 सरकारी कम्पनियाँ (57 कार्यरत कम्पनियाँ एवं 41 कार्य विहीन कम्पनियाँ) तथा सात सांविधिक निगम (कार्यरत निगम) थे। सरकारी कम्पनियों (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) के लेखों की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा की जाती है। यह लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्राविधानों के अनुसार सी ए जी द्वारा सम्पादित की जाने वाली अनुपूरक लेखा परीक्षा के भी आधीन हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्थायें नीचे प्रदर्शित की गई है:

क्रम संख्या	निगम का नाम	सी ए जी द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार	लेखा परीक्षा व्यवस्था
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखापरीक्षा
2.	उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	शासपत्रित लेखाकारों तथा अनुपूरक लेखा परीक्षा सी ए जी द्वारा
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	राज्य भण्डारागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	तदैव
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3)	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1)	तदैव
6.	उत्तर प्रदेश वन निगम	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19(3)	वन निगम अधिनियम में संशोधन प्रतीक्षित है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा भी लेखा परीक्षा की जा रही है।
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	तदैव	सी ए जी द्वारा एक मात्र लेखापरीक्षा

1. कार्य विहीन कम्पनियाँ/निगम वे हैं जो परिसमापन/बन्दी/संविलय आदि की प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं।

1.2 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यूज)

1.2.1. कार्यरत पी एस यूज में निवेश

31 मार्च 2001 को 61 कार्यरत पी एस यूज (54 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगम) में कुल निवेश 14736.88 करोड़ रुपये (अंशपूँजी:7205.56 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण[2] :7037.74 करोड़ रुपये एवं अंश पूँजी आवेदन राशि: 493.58 करोड़ रुपये) था जबकि 31 मार्च 2000 को 64 कार्यरत पी एस यूज (57 सरकारी कम्पनियाँ एवं सात सांविधिक निगम) में कुल निवेश 17049.05 करोड़ रुपये (अंशपूँजी:4715.36 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण: 11953.81 करोड़ रुपये एवं अंश पूँजी आवेदन राशि: 379.88 करोड़ रुपये) का था। कार्यरत पी एस यूज में निवेश का विश्लेषण अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

1.2.1.1 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

31 मार्च 2001 को 54 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश 12896.87 करोड़ रुपये (अंश पूँजी:6773.03 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण: 5712.33 करोड़ रुपये; अंशपूँजी आवेदन राशि: 411.51 करोड़ रुपये) था जबकि 31 मार्च 2000 को 57 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश 14979.82 करोड़ रुपये (अंशपूँजी: 4282.62 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण: 10394.39 करोड़ रुपये; अंशपूँजी आवेदन राशि: 302.81 करोड़ रुपये) का था।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में अंशपूँजी तथा ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–1 में दिया गया है।

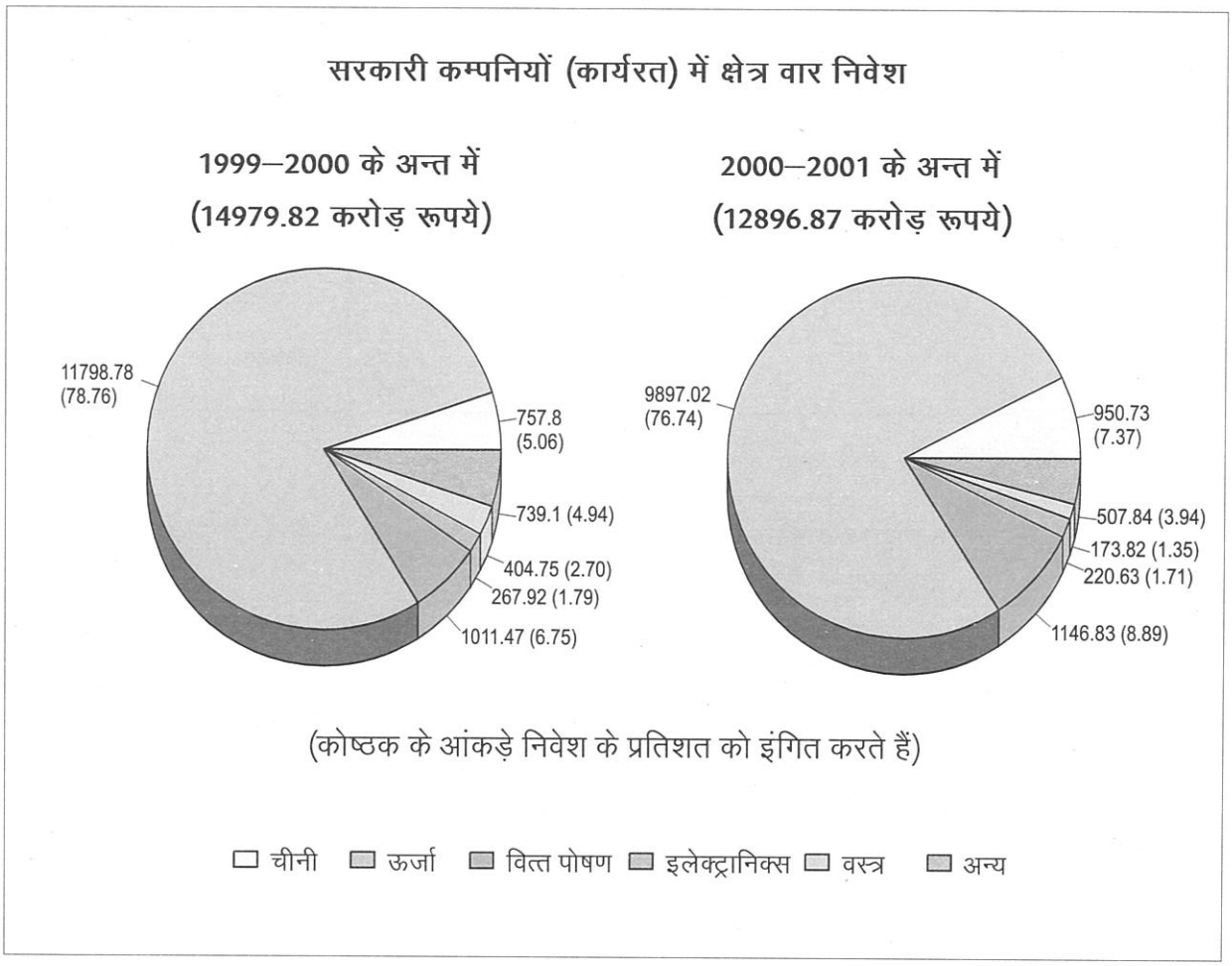
पूर्व वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में निवेश मुख्यत: विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में ऋण के पुनर्भुगतान के कारण घट गया था।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों में क्षेत्र–वार निवेश

31 मार्च 2001 को कार्यरत सरकारी कम्पनियों के कुल निवेश में अंशपूँजी और ऋण, 31 मार्च 2000 के 30.61 प्रतिशत तथा 69.39 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: 55.71 प्रतिशत तथा 44.29 प्रतिशत था।

31 मार्च 2000 और 31 मार्च 2001 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और उसके प्रतिशत (अंशपूँजी और दीर्घावधि ऋण) पाई चार्ट में अगले पृष्ठ पर दिये गये है:

2. प्रस्तर 1.2.1,1.2.1.1 एवं 1.2.1.2 में वर्णित दीर्घावधि ऋणों में उस पर देय और संचित ब्याज सम्मिलित नहीं है।



विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्रों के दीर्घावधि ऋण में महत्वपूर्ण ह्रास के कारण, 2000–2001 में ऋण अंशपूँजी अनुपात 1999–2000 के 2.27:1 से 0.80:1 तक घट गया।

1.2.1.2 कार्यरत सांविधिक निगम

सात कार्यरत सांविधिक निगमों में कुल निवेश मार्च 2000 तथा मार्च 2001 के अन्त में निम्नवत था:

(करोड़ रुपये में)

निगम का नाम	1999-2000		2000-2001	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	321.57	88.41	321.37	104.13
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	100.00 (74.86)	1283.49	100.00 (79.86)	1019.82
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	11.16 (2.21)	1.08	11.16 (2.21)	10.00

निगम का नाम	1999-2000		2000-2001	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-	19.64	-	54.00
उत्तर प्रदेश जल निगम	-	131.02	-	123.31
उत्तर प्रदेश वन निगम	-	32.58	-	12.50
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	3.20	-	1.65
योग	**432.73 (77.07)**	**1559.42**	**432.53 (82.07)**	**1325.41**

(कोष्ठक के आंकड़े अंशदान आवेदन राशि को इंगित करते हैं)

कार्यरत सांविधिक निगमों में अंशपूँजी और ऋणों के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–1 में दिया गया है।

1.2.2 बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूति, देयों की माफी एवं ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट–1 व 4 में दिये गये हैं।

कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं कार्यरत सांविधिक निगमों को 2000–2001 तक के तीन वर्षों में राज्य सरकार से बजट बहिर्गमन (अंश पूँजी और ऋण के रूप में) तथा अनुदान/उपदान नीचे दिये गये हैं।

(राशिः करोड़ रुपये में)

	1998-99				1999-2000				2000-2001			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
बजट से अंश पूँजी बहिर्गमन	7	26.48	2	7.14	4	3.06	2	36.46	12	2936.40	1	5.00
बजट से दिये गये ऋण	12	112.23	4	1149.49	12	215.68	2	1.17	13	2162.64	3	22.50
अनुदान/उपदान												
(i) परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/योजनाओं को	-	-	3	3.01	5	75.80	1	404.55	6	63.65	2	435.08[3]
(ii) अन्य उपदान	2	80.62	1	133.92	4	4.78	1	1.73	2	5.47	-	-
(iii) कुल उपदान	2	80.62	4	136.93	9	80.58	2	406.28	8	69.12	2	435.08
कुल बर्हिगमन	**17[4]**	**219.33**	**8[4]**	**1293.56**	**20[4]**	**299.32**	**5[4]**	**443.91**	**22[4]**	**5168.16**	**4[4]**	**462.58**

[3] 0.30 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

[4] कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या को इंगित करता है जिन्हें सरकार से सम्बन्धित वर्षों में अंशपूँजी, अनुदान तथा उपदान सके रूप में बजट का सहयोग प्राप्त हुआ।

वर्ष 2000–2001 के दौरान, सरकार ने नौ कार्यरत कम्पनियों (544.34 करोड़ रुपये) तथा तीन कार्यरत सांविधिक निगमों (38.31 करोड़ रुपये) द्वारा लिये गये कुल 582.65 करोड़ रुपये के ऋणों की प्रत्याभूति दी। वर्षान्त में 11 कार्यरत सरकारी कम्पनियों (1591.16 करोड़ रुपये) तथा पाँच कार्यरत सांविधिक निगमों (833.15 करोड़ रुपये) के विरूद्ध 2424.31 करोड़ रुपये की राशि की प्रत्याभूति बकाया थी। सरकार ने 2000–2001 के दौरान दो कम्पनियों के ऋण पुनर्भुगतान पर स्थगन प्रदान करते हुये 18.01 करोड़ रुपये का त्याग कर दिया। सरकार ने वर्ष के दौरान दो कम्पनियों (34.01 करोड़ रुपये) तथा एक निगम (41.25 करोड़ रुपये) में 75.26 करोड़ रुपये की राशि के अपने ऋण को अंशपूँजी में भी परिवर्तित कर दिया। अन्य राज्यों से विपरीत, सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से कोई प्रत्याभूति कमीशन प्रभारित नहीं किया जाता है।

1.2.3 कार्यरत पी एस यूज द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कम्पनी के लेखों को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619, तथा 619–बी सपठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से छः माह के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ माह के अन्दर विधायिका के सम्मुख भी प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखों को सम्बन्धित अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार पूर्ण किया, लेखा परीक्षित किया तथा विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है।

तथापि, जैसा कि परिशिष्ट–2 से देखा जा सकता है, 54 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में केवल एक कार्यरत कम्पनी ने तथा सात कार्यरत सांविधिक निगमों में से किसी भी निगम ने वर्ष 2000–2001 के अपने लेखों को संकल्पित अवधि के अन्दर अन्तिम रूप नहीं दिया। अक्टूबर 2000 से सितम्बर 2001 तक की अवधि के दौरान, 27 कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने पूर्व वर्षो के 27 लेखों को अन्तिम रूप दिया। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान तीन कार्यरत सांविधिक निगमों ने पूर्व वर्षों के तीन लेखों को अन्तिम रूप दिया।

30 सितम्बर 2001 को 53 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात सांविधिक निगमों के लेखे एक वर्ष से 15 वर्षो तक की अवधियों से बकाये में थे जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

क्रम सं0	वर्ष जबसे लेखे बकाया हैं	वर्षों की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	कार्यरत कम्पनियों/निगमों की संख्या		परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या का संदर्भ	
			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1986-87	15	1		30	
2.	1987-88	14	1		33	
3.	1989-90	12	1		29	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	1990-91	11	2		22,47	
5.	1991-92	10	2		13,48	
6	1993-94	8	2		9,52	
7	1994-95	7	2		10,19	
8.	1995-96	6	2	1	27,28	5
9.	1996-97	5	4	1	2,18,32,34	7
10.	1997-98	4	6		11,14,26,37,53,54	
11.	1998-99	3	3		36,49,50	
12.	1999-2000	2	9	2	6,12,23, 38,41,42, 43, 44,51	4,6
13.	2000-2001	1	18	3	3,4,5,7,8,15,16,17,20 21,24,25, 31,35,39, 40, 45,46	1,2,3

प्रशासकीय विभागों को यह देखना और सुनिश्चित करना होता है कि पी एस यूज द्वारा लेखें निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिये गये हैं और अंगीकार कर लिये गये हैं। यद्यपि, सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों और सरकारी कर्मचारियों को लेखा परीक्षा द्वारा अपूर्ण लेखों के बकाये के बारे में त्रैमासिक रूप से जानकारी दी गई थी, सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये और परिणामस्वरूप इन पी एस यूज में किये गये निवेशों को लेखापरीक्षा में आंकलित नहीं किया जा सका।

1.2.4 कार्यरत पी एस यूज की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार कार्यरत पी एस यूज (सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ठ–2 में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्यरत सांविधिक निगमों के अद्यतन तीन वर्षो के पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों को दर्शाते हुए विवरण क्रमशः परिशिष्ट–4 व 5 में दिये गये हैं।

52 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सात कार्यरत सांविधिक निगमों के अद्यतन पूर्ण किये लेखों के अनुसार 33 कम्पनियों और तीन निगमों ने क्रमशः 272.80 करोड़ रुपये और 186.39 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई। इसी प्रकार 19 कम्पनियों और तीन निगमों ने क्रमशः 17.47 करोड़ रुपये और 43.17 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया। दो[5] कम्पनियों ने आरम्भ से ही लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया तथा एक निगम[6] ने लेखे प्रस्तुत ही नहीं किये।

5 परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या ए–43 एवं 44।

6 परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या बी–7।

1.2.4.1 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

1.2.4.1.1 लाभार्जन वाली कार्यरत कम्पनियाँ और लाभांश

एक कार्यरत सरकारी कम्पनी (परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या ए–4) ने 2000–2001 के अपने लेखे को सितम्बर 2001 तक अन्तिम रूप दे दिया था और 0.02 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया परन्तु लाभांश घोषित नहीं किया। सरकार ने पी एस यूज के लिये कोई लाभांश नीति नहीं तैयार की है।

इसी प्रकार, 27 कार्यरत सरकारी कम्पनियों जिन्होंने सितम्बर 2001 तक अपने पिछले वर्षो के लेखों को अन्तिम रूप दे दिया था, में से 12 कम्पनियों ने कुल 12.35 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया और केवल नौ[7] कम्पनियों ने दो या दो से अधिक वर्षो से लगातार लाभ अर्जित किया।

1.2.4.1.2 हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

33 हानि उठाने वाली कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से 21 कम्पनियों की कुल संचित हानियाँ 1471.55 करोड़ रुपये की थी, जो उनकी 783.13 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से बढ़ गई थी।

खराब उपलब्धियों और प्रदत्त पूँजी के पूर्ण क्षरण के बावजूद, राज्य सरकार इन कम्पनियों को पूँजी अंशदान, ऋणों की अतिरिक्त प्रदत्ति, ऋणों का अंशपूँजी/उपदान में परिवर्तन आदि के रूप में वित्तीय सहयोग प्रदान करती रही। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 2000–2001 के दौरान 12 कम्पनियों को अंशपूँजी, ऋणों की अतिरिक्त प्रदत्ति, उपदान तथा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन के द्वारा उपलब्ध कराया गया ऐसा वित्तीय सहयोग 356.67 करोड़ रुपये का था।

1.2.4.2 कार्यरत सांविधिक निगम

1.2.4.2.1 लाभार्जन वाले सांविधिक निगम तथा लाभांश

किसी भी कार्यरत सांविधिक निगम ने सितम्बर 2001 तक 2000–2001 के लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया था।

छः कार्यरत सांविधिक निगमों जिन्होंने सितम्बर 2001 तक अपने पिछले वर्षो के लेखों को अन्तिम रूप दे दिया था, में से तीन निगमों ने कुल 43.17 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया और केवल दो निगमों ने दो या अधिक वर्षों तक लगातार लाभार्जन किया।

7 परिशिष्ट–2 की क्रम संख्या ए–1,6,8,23,25,28,35,45 एवं 54।

1.2.4.2.2 हानि उठाने वाले सांविधिक निगम

तीन हानि उठाने वाले कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों में संचित हानियाँ कुल 1033.19 करोड़ रुपये की थीं जो उनकी 421.37 करोड़ रुपये की कुल प्रदत्त पूँजी से अधिक हो गई थीं।

शोचनीय कार्य सम्पादन तथा प्रदत्त पूँजी के पूर्ण क्षरण के बावजूद, राज्य सरकार इन निगमों को पूँजी अंशदान, ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन, उपदान आदि के रूप में वित्तीय सहयोग प्रदान करती रही। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 2000–2001 के दौरान दो निगमों को अंशपूँजी, ऋण, उपदान और ऋणों को अंशपूँजी में परिवर्तन के रूप में उपलब्ध कराया गया ऐसा वित्तीय सहयोग 46.25 करोड़ रुपये का था।

1.2.4.2.3 कार्यरत सांविधिक निगमों का कार्यचालन सम्पादन

कार्यरत सांविधिक निगमों का कार्यचालन सम्पादन परिशिष्ट–6 में दिया गया है

जिससे निम्न तथ्य उजागर होते हैं।

(i) जबकि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नियंत्रित अपने वाहनों की संख्या 1997–98 की तुलना में 1999–2000 में 11.2 प्रतिशत तक गिर गई थी, उसी अवधि में नियंत्रित किराये की बसों की औसत संख्या 61.6 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। यह किराये की बसों पर वृद्धिगत आश्रय को प्रदर्शित करता है। अधिभोग अनुपात भी 1997–98 के 64 से 1999–2000 में 61 तक गिर गया था।

(ii) वसूली हेतु अतिदेय राशि 1997–98 के 541.64 करोड़ रुपये (मूलधनः 164.60 करोड़ रुपये तथा ब्याजः 377.04 करोड़ रुपये) से 1999–2000 में 935.04 करोड़ रुपये (मूलधनः 242.68 करोड़ रुपये तथा ब्याजः 692.36 करोड़ रुपये) तक लगातार बढ़ता रहा है (72.63 प्रतिशत) जो निगम (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम) द्वारा खराब अनुसरण को इंगित करता है।

(iii) इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा ऋण का वितरण 1997–98 के 268.89 करोड़ रुपये (1300 प्रकरण) से 1999–2000 में 69.65 करोड़ रुपये (237 प्रकरण) तक घट गया जो राज्य के औद्योगिक विकास में बाधक था।

1.2.5 नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ

अद्यतन पूर्ण किये गये (सितम्बर 2001 तक) लेखों के अनुसार, 52 कार्यरत कम्पनियों में नियोजित पूँजी[8] की गणना 2575.30 करोड़ रुपये की गई तथा उस पर कुल प्रतिलाभ[9] 2.12 करोड़ रुपये

8 नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) और कार्य शील पूँजी का प्रतिनिधित्व करती है, उन वित्तपोषक कम्पनियों और निगमों को छोड़कर जहाँ यह प्रदत्त पूँजी, मुक्त आरक्षित निधि, बॉण्ड, निक्षेप तथा ऋणों (पुनर्वित्तपोषण सहित) के कुल पूर्व शेष और अधिशेष के औसत, का प्रतिनिधित्व करती है।

9 नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ की गणना हेतु ऋण निधि पर ब्याज शुद्ध लाभ में जोड़ा/शुद्ध हानि से घटाया गया है जैसा कि लाभ/हानि खाते में दर्शाया गया है।

की राशि का था जो पूर्व वर्ष (सितम्बर 2000 तक पूर्ण किये गये लेखे) के 4.10 करोड़ रुपये (0.19 प्रतिशत) के कुल प्रतिलाभ की तुलना में 0.082 प्रतिशत है। इसी प्रकार, कार्यरत सांविधिक निगमों के प्रकरण में अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों (सितम्बर 2001 तक) के अनुसार नियोजित पूँजी और उस पर कुल प्रतिलाभ, पूर्व वर्ष (सितम्बर 2000 तक पूर्ण किये गये लेखे) के 142.54 करोड़ रुपये (2.61 प्रतिशत) के कुल प्रतिलाभ की तुलना में क्रमशः 5820.88 करोड़ रुपये तथा 113.11 करोड़ रुपये (1.94 प्रतिशत) आगणित किया गया। कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के प्रकरण में नियोजित पूँजी और नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ के विवरण परिशिष्ट–2 में दिये गये हैं।

1.3 कार्य विहीन पी एस यूज

1.3.1 कार्य विहीन पी एस यूज में निवेश

31 मार्च 2001 को 44 कार्यविहीन पी एस यूज (44 कार्यविहीन सरकारी कम्पनियाँ) में कुल निवेश, 31 मार्च 2000 के 41 कार्यविहीन पी एस यूज (41 कार्यविहीन सरकारी कम्पनियाँ) के 264.00 करोड़ रुपये (अंशपूँजी:102.36 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋणः160.38 करोड़ रुपये तथा अंशदान आवेदन राशिः1.26 करोड़ रुपये) के कुल निवेश की तुलना में 854.41 करोड़ रुपये (अंश पूँजी:389.74 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋणः 416.79 करोड़ रुपये तथा अंशदान आवेदन राशिः 47.88 करोड़ रुपये) थी।

कार्यविहीन पी एस यूज का वर्गीकरण निम्नानुसार थाः

(राशिः करोड़ रुपयें में)

क्रम सं0	कार्यविहीन कम्पनियों की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	निगमों की संख्या	निवेश			
				कम्पनी		निगम	
				अंशपूँजी	दीर्घावधि ऋण	अंशपूँजी[10]	दीर्घावधि ऋण
(i)	परिसमापनाधीन	12	-	15.86	11.04	-	-
(ii)	बन्दी के आधीन	-	-	-	-	-	-
(iii)	संविलयन के आधीन	2	-	0.44	2.09	-	-
(iv)	अन्य[11]	30	-	421.32	403.66	-	-
	योग	**44**	**-**	**437.62**	**416.79**	**-**	**-**

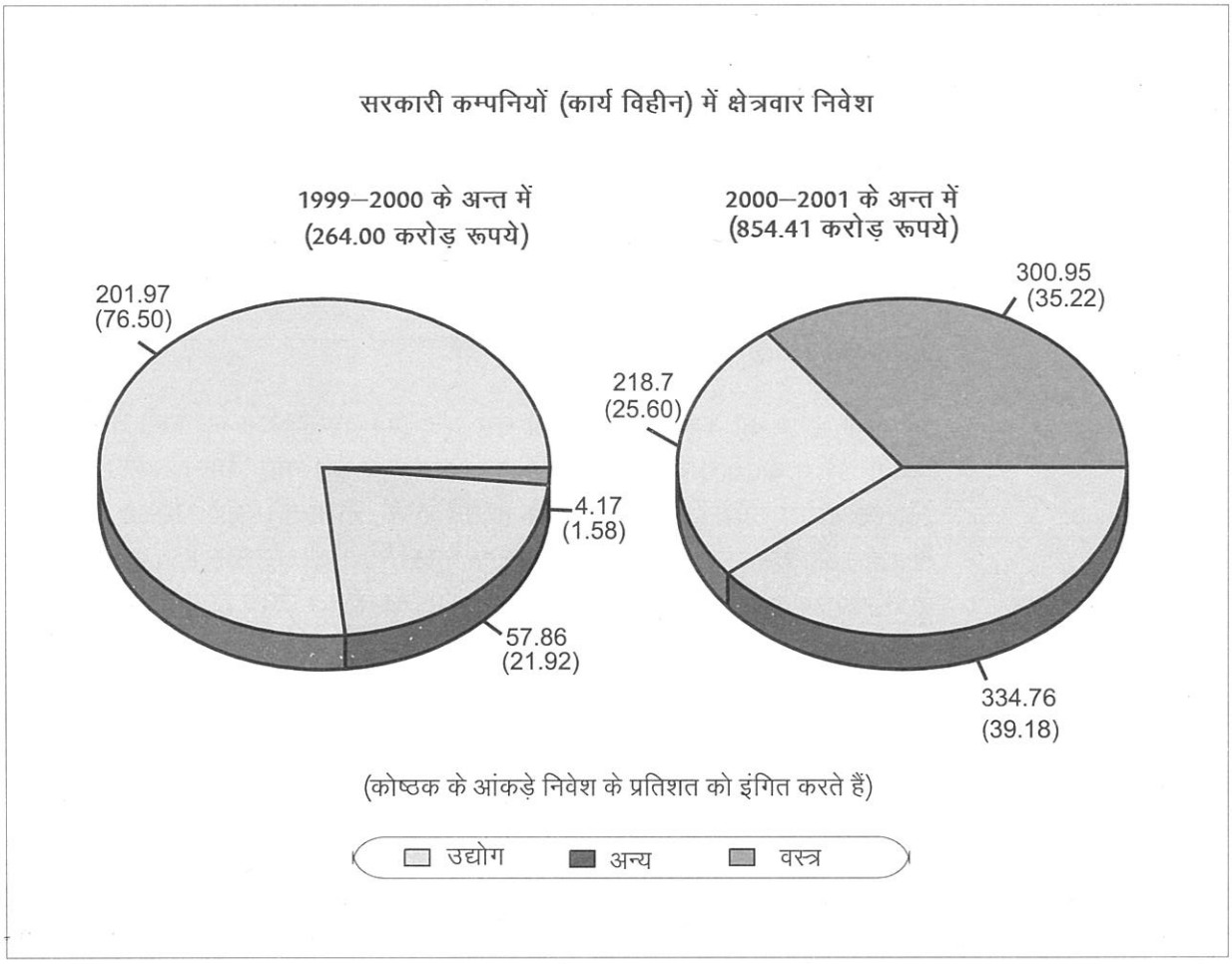
उपरोक्त कार्यविहीन पी एस यूज में से 12 सरकारी कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अन्तर्गत 1 से 26 वर्षो से परिसमापनाधीन अथवा बन्दी के अन्तर्गत थीं और इन कम्पनियों में 26.90 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण निवेश सन्निहित था। उनके त्वरित परिसमापन

10 अन्य में दर्शित कम्पनियों की अंशपूँजी में 47.88 करोड़ रुपये की अंश प्रार्थना धन भी शामिल है।

11 बन्द एवं कार्यविहीन कम्पनियाँ

अथवा पुनर्जीवन हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2001 और 2000 के अन्त में विभिन्न क्षेत्रों में अंशपूँजी और दीर्घावधि ऋणों में निवेश और उनके प्रतिशत को निम्न पाइ चार्टों में इंगित किया गया है:



1.3.2 बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी तथा ऋणों का अंशपूँजी में परिवर्तन

राज्य सरकार द्वारा कार्यविहीन पी एस यूज को बजट बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, निर्गत प्रत्याभूतियों, बकाये की माफी तथा ऋणों के अंशपूँजी में परिवर्तन के विवरण परिशिष्ट–1 एवं 3 में दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने 2000–2001 के दौरान पाँच[12] कार्यविहीन कम्पनियों को 106.53 करोड़ रुपये का बजट सहयोग (ऋण) प्रदान किया।

12 परिशिष्ट–1 की क्रम संख्या बी–6,15,22,29,एवं 43

1.3.3 कार्य विहीन पी एस यूज पर कुल स्थापन व्यय

कार्यविहीन पी एस यूज के 2000–2001 तक के पिछले तीन वर्षो के दौरान कुल स्थापन व्यय के वर्ष–वार विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं:

(राशिः करोड़ रुपये में)

	पी एस यूज की संख्या[13]	कुल स्थापन व्यय	वित्त पोषण				
			निवेश/ परिसम्पत्तियों का निस्तारण	निजी पार्टियों से ऋण	सरकार द्वारा		अन्य
					ऋण	अनुदान	
सरकारी कम्पनियॉ							
1998-99	4	13.57	0.07		-	-	13.50
1999-2000	4	24.18	11.73	33	-	-	12.45
2000-2001	4	0.99	0.92		-	-	0.07

1.3.4 कार्यविहीन पी एस यूज द्वारा लेखों का अन्तिमीकरण

30 सितम्बर 2001 को 44 कार्यविहीन कम्पनियों के लेखे 1 से 27 वर्षो तक की अवधि से बकाये में थे जैसा कि परिशिष्ट–2 से देखा जा सकता है।

1.3.5 कार्य विहीन पी एस यूज की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार कार्यविहीन सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम परिशिष्ट–2 में दिये गये हैं।

अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार कार्यविहीन पी एस यूज की प्रदत्त पूँजी, निवल पूँजी, नकद हानि/नकद लाभ तथा संचित हानि/संचित लाभ के वर्ष–वार विवरण नीचे दिये गये हैं:

(राशिःकरोड़ रुपये में)

अ. कार्य विहीन कम्पनियॉ	वर्ष	प्रदत्त पूँजी	निवल पूँजी	नकद हानि (–) / नकद लाभ	संचित हानि (-) /संचित लाभ (+)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	1993-94	2.73	(-)0.03	(+)0.05	(-)2.76
2. उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टिकल्चर प्रोड्यूस ऐण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	1984-85	1.91	(-)0.65	(-)0.40	(-)2.55
3.मोहम्मदाबाद पुलिस टेनरी लिमिटेड	1976-77	0.06	(+)0.01	(-)0.0001	(-)0.04
4. उत्तर प्रदेश प्लांट प्रोटेक्शन एप्लायन्सेज लिमिटेड	1974-75	0.009	(+)0.0009	(-)0.002	(-)0.008
5. आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	1991-92	7.50	(-)57.33	(+)0.93	(-)64.83

13 44 कार्यविहीन कम्पनियों में से केवल 4 कम्पनियों ने स्थापन व्यय के विवरण उपलब्ध कराये हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1998-99	1.93	(+)1.93	(-)5.17	(-)39.54
7.नार्दन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी)	1990-91	0.0007	(-)0.005	निर्माणाधीन	-
8.उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	1992-93	5.38	(-)1.93	(-)0.71	(-)7.31
9.दि टर्पेन्टाइन सब्सीडियरी कम्पनी लिमिटेड (दि इण्डियन टर्पेन्टाइन ऐण्ड रोसिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1977-78	0.16	0.16	(-)0.02	-
10.दि इण्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड	1973-74	0.03	(+)0.03	(+)0.03	-
11.कान्टिनेन्टल फ्लोट ग्लास लिमिटेड	1995-96	46.00	(+)41.86	निर्माणाधीन	-
12.उत्तर प्रदेश एब्स्काट लिमिटेड	1975-76	0.05	(+)0.05	(-)0.02	-
13.उत्तर प्रदेश टायर्स ऐण्ड ट्यूब्स लिमिटेड	1992-93	1.83	(-)8.13	(-)1.95	(-)9.96
14.यू पी ए आई लिमिटेड	1988-89	0.17	(+)0.10	(-)0.005	(-)0.05
15.कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1989-90	0.18	(+)0.17	(-)0.02	(-)0.02
16.उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	आरम्भ से ही लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।				
17.उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	आरम्भ से ही लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।				
18.टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1993-94	3.35	(+)0.05	(-)0.94	(-)3.29
19.उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1997-98	160.79	(-)19.22	(+)4.70	(-)180.56
20.अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1979-80	0.03	(-)0.009	(-)0.007	(-)0.03
21.कुमाऊँ टेलीविजन लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1996-97	1.00	(-)2.11	(-)0.32	(-)3.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	आरम्भ से ही लेखों को अन्तिम रूप न ही दिया गया				
	-	0.05	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
23. उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1989-90	0.26	(+)0.09	(+)0.06	(-)0.17
24.भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की सहायक कम्पनी)	1994-95	3.76	(-)6.20	(-)1.66	(-)11.96
25.हैंडलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बिजनौर)लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1988-89	0.02	(+)0.93	(-)0.08	(+)0.91
26.उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1996-97	56.40	(+)48.19	(-)5.53	(-)8.22
27.विंध्याचल एब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1987-88	0.00002	(-)0.11	(-)0.12	(-)0.11
28. उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1991-92	1.23	(-)0.06	(-)0.07	(-)1.29
29.उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1.15	(+)0.07	(-)0.11	(-)1.08
30.बुंदेलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1986-87	0.02	(+)0.01	(-)0.0001	(-)0.007
31.इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1983-84	0.67	(+)0.56	(+)0.24	(-)0.11
32.बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1984-85	1.25	(+)0.35	(-)0.66	(-)0.90
33.लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1981-82	0.50	(+)0.51	(+)0.06	(+)0.01
34.आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1986-87	1.00	(+)0.67	(+)0.14	(-)0.33
35.गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1.22	(+)0.04	(+)0.06	(-)1.18
36.मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेउ	1994-95	1.00	(+)0.22	(-)0.01	(-)0.78
37.वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	0.70	(+)0.44	(+)0.16	(-)0.26
38.मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	0.25	(+)0.03	(-)0.10	(-)0.22
39.गण्डक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	1976-77	0.46	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
40.तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1982-83	0.45	(+)0.45	(-)0.04	(+)0.005

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41.उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1995-96	68.28	(-)357.71	(-)47.75	(-)425.99
42.उत्तर प्रदेश कार्बन ऐण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1996-97	0.01	(+)0.0008	(+)0.0004	(-)0.001
43.उत्तर प्रदेश कार्बाइड ऐण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1992-93	6.59	(-)28.74	(-)5.82	(-)35.32
44. उत्तर प्रदेश चलचित्रनिगम लिमिटेड	1997-98	8.18	(-)0.63	(-)0.06	(-)8.81
योग		**386.55972**	**96.7617** **(-) 482.864**	**6.4304** **(-) 71.5742**	**0.925** **(-) 810.796**

(टिप्पणी : निवल अचल परिसम्पत्तियाँ, नकद हानि/नकद लाभ तथा संचित हानि/आगणित संचित लाभ अन्तिम सत्यापित लेखों के अनुसार हैं। 44 कार्यविहीन पी एस यूज ने अपने लेखों को 1 से 27 वर्षों से अन्तिम रूप नहीं दिया जैसा कि परिशिष्ट–2 में इंगित किया गया है।)

1.4 सांविधिक निगमों के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका में प्रस्तुत किए जाने की स्थिति

निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखों पर भारत के नियत्रंक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत किए गए पश्थक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (एस ए आर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने की स्थिति को इंगित करती है:

क्रम सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जब तक के एस ए आर विधायिका में प्रस्तुत किये गये	वर्ष जिनके एस ए आर विधायिका में प्रस्तुत नहीं किये गये		
			एस ए आर का वर्ष	सरकार को निर्गत किये जाने की तिथि	विधायिका में प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1993-94	1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99	08.11.1996 20.01.1998 10.09.1999 12.01.2000 11.10.2001	सूचना प्रतीक्षित है।
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1992-93	1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99	07.07.1995 18.04.1996 28.08.1998 17.12.1999 27.07.2000 20.10.2001	सूचना प्रतीक्षित है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	1997-98	1998-99 1999-2000	27.07.2000 29.05.2001	सूचना प्रतीक्षित है
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम[14]	--	1997-98	17.08.2000	सूचना प्रतीक्षित है
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-------[15]	1990-91 1991-92 1992-93 1993-94	23.02.1998 23.02.1998 27.02.1998 19.08.1999	सूचना प्रतीक्षित है।
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-------[14]	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99	21.10.1997 18.02.1999 03.07.2000 19.09.2001	सूचना प्रतीक्षित है
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम[16]	--	--	--	--

1.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण, पुनर्संरचना तथा[17] तथा विनिवेश

सरकार द्वारा बनाई गई (जून 1994) पी एस यूज के निजीकरण/विनिवेश की नीति में, सामाजिक उपादेयता और जन कल्याण का कार्य करने वाले उपक्रमों को छोड़ कर अन्य सभी उपक्रमों जिनकी वार्षिक हानि 10 करोड़ रुपये से अधिक थी तथा जिनका निवल मूल्य आधा या आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका था, की समीक्षा का प्राविधान था। परिसम्पत्तियों और देयताओं के मूल्यांकन का आधार और विभिन्न पद्धतियों, उपक्रमों के चयन आदि का विस्तश्त विवरण देते हुये एक व्यापक नीति का निर्धारण सरकार को अभी भी करना है।

निजीकरण/विनिवेश/बी आई एफ आर को संदर्भित किये जाने वाले प्रकरणों की समीक्षा करने तथा निर्णय लेने एवं अन्य विकल्पों जैसे आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देने आदि की संस्तुति करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ई सी) का गठन किया गया (दिसम्बर 1995)। ई सी की संस्तुतियों को लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। सरकार ने सूचित किया (मई 2000) कि ई सी की संस्तुतियों पर राज्य विनिवेश आयोग का गठन किया जा चुका है।

1.6 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के परिणाम

अक्टूबर 2000 से सितम्बर 2001 के दौरान, समीक्षा हेतु 36 सरकारी कम्पनियों (24 कार्यरत और 12 कार्यविहीन) तथा तीन सांविधिक निगमों (कार्यरत) का चयन किया गया। पी एस यूज की समीक्षा के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियों का कुल प्रभाव अनुवर्ती पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिया गया है:

14 लेखा परीक्षा 1997–98 से सौंपी गई थी।

15 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से सम्बन्धित 1990–91 से पूर्व तथा उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित 1995–96 से पूर्व की सूचना सरकार से प्रतीक्षित है।

16 लेखा परीक्षा 1997–98 से सौंपी गई। लेखे अब तक प्राप्त नहीं हुये।

17 पुर्नसंरचना में पी एस यूज का संविलय तथा बन्दी सम्मिलित है।

विवरण	लेखों की संख्या				लाख रूपये में			
	सरकारी कम्पनियॉ		सांविधिक बिनगम		सरकारी कम्पनियॉ		सांविधिक निगम	
	कार्यरत	कार्यविही न	कार्यरत	कार्यविहीन	कार्यरत	कार्यविहीन	कार्यरत	कार्यविही न
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i) लाभ में कमी	5	-			1641.55	-		
(ii) लाभ में वृद्धि	2	-			79.99			
(iii) हानि में वृद्धि	12	3	3		2323.33	63.85	18050.25	
(iv) हानि में कमी	-	1	1		-	1.93	173.68	
(v) महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न करना	16	1	2		4235.98	10.73	24525.24	
(vi) वर्गीकरण की त्रुटियॉ	9	1	3		2340.65	5.64	11729.35	

उपरोक्त कुल कम्पनियों और निगमों के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान देखी गई कुछ मुख्य त्रुटियाँ और चूकों की चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित पाई गई त्रुटियाँ एवं चूकें

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड (1994–95)

रोप वे परियोजना का वाणिज्यिक कार्य चालन 31 मार्च 1994 से आरम्भ किया गया परन्तु इसे पूँजीकश्त नहीं किया गया यद्यपि निदेशक मण्डल ने लेखों के अनुमोदन से पूर्व ही परिसम्पत्तियों के पूँजीकरण का निर्णय ले लिया था (5 मार्च 1999)। इसके परिणामस्वरूप, सकल अचल परिसम्पत्तियाँ 1447.67 लाख रुपये तक कम प्रदर्शित की गई; पूँजीगत प्रगतिगत कार्यो को 617. 75 लाख रुपये तक, ऋण एवं अग्रिमों को 829.92 लाख रुपये तक अधिक बताया गया तथा मूल्य ह्रास को 434.30 लाख रुपये तक कम प्रदर्शित किया गया।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटैड (1999–2000)

ग्रेच्युटी के प्राविधान (864.83 लाख रुपये) तथा संचित हानि दोनों को, ग्रेच्युटी के प्राविधान के वास्तविक मूल्यांकन में संकल्पित, वर्ष हेतु 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का प्राविधान न किये जाने के कारण, 74.50 लाख रुपये तक कम प्रदर्शित किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (1998–99)

- अचल परिसम्पत्तियों (232.26 लाख रुपये) का, सामान्य सुविधा केन्द्र, फतेहपुर, जायस तथा बस्ती के भवनों पर मूल्य ह्रास का प्राविधान (वर्तमान वर्ष के 7.09 लाख रुपये सहित) न किये जाने के कारण 23.72 लाख रुपये तक का अधिक प्रदर्शन किया गया, परिणामस्वरूप वर्ष की हानि को 7.09 लाख रुपये तक तथा संचित हानि को 23.72 लाख रुपये तक कम बताया गया।

- उच्च आवशति केन्द्र, आगरा की अचल परिसम्पत्तियों को, मूल्य ह्रास का प्राविधान न किये जाने से (वर्तमान वर्ष के 1.92 लाख रुपये सहित) 43.64 लाख रुपये तक अधिक प्रदर्शित किया गया, परिणामस्वरूप वर्ष की हानि को 1.92 लाख रुपये तक तथा संचित हानि को 43.64 लाख रुपये तक कम बताया गया।

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड (1992–93)

विविध देनदारों (83.35 लाख रुपये) को अधिक तथा वर्ष की हानि को 17.63 लाख रुपये तक, निदेशक मण्डल द्वारा अपलिखित राशि को सम्मिलित किये जाने के कारण, कम बताया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (1995–96)

चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम में, कम्पनी द्वारा 1994–95 के दौरान कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड को दिये गये ऋण पर, जिसे निदेशक मण्डल द्वारा माफ कर दिया गया था (मार्च 1996), प्रभारित 57.78 लाख रुपये का ब्याज सम्मिलित था और इसलिये अशोध्य था। इसके परिणामस्वरूप, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम का अधिक प्रदर्शन तथा संचित हानि को 57.78 लाख रुपये तक कम बताया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड (1995–96)

रिसीवरशिप के अन्तर्गत फैक्टरियों को दिये गये ऋणों पर संचित और देय ब्याज के विरूद्ध अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों का प्राविधान न किये जाने के कारण, ऋण एवं अग्रिम को 89.99 लाख रुपये तक अधिक तथा वर्ष की 9.02 लाख रुपये की हानि सहित संचित हानि को 89.99 लाख रुपये तक कम बताया गया।

1.6.2 सांविधिक निगमों से सम्बन्धित पाई गई त्रुटियाँ एवं चूकें

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (1998–99)

- वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन जो 01.01.1996 से 31.12.1998 के दौरान सेवा निवश्त हुये, का संशोधन किया गया। तथापि, उस अवधि के बकाये के रूप में इस मद में 563.16

लाख रुपये का प्राविधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, संचित हानि 563.16 लाख रुपये तक कम प्रदर्शित की गई।

- 1990–91 से 1992–93 के दौरान बिक्री कर को समय से न जमा किये जाने के कारण 26.38 लाख रुपये राशि के दण्ड ब्याज हेतु दायित्व का प्राविधान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप संचित हानि और दायित्व 26.38 लाख रुपये तक कम प्रदर्शित की गई।

1.6.3 पी एस यूज के वित्तीय मामलों में सतत् अनियमिततायें एवं प्रणाली दोष

सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड

सरकारी अनुदानों से किये गये सावधि जमा पर 1996–97 (6.94 लाख रुपये) तथा 1997–98 (2.28 लाख रुपये) के दौरान अर्जित 9.22 लाख रुपये की राशि के ब्याज को, वर्ष 1996–97 के कम्पनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणी के बावजूद सरकार को देयता के रूप में प्रदर्शित किये जाने के स्थान पर जैसा कि सरकार के दिनाँक 4 दिसम्बर 1993 के आदेशों के अनुसार अपेक्षित था, कम्पनी की आय के रूप में दिखाया जाना जारी था। इसके परिणामस्वरूप देयता और वर्ष की 2.28 लाख रुपये की हानि सहित संचित हानि 9.22 लाख रुपये तक कम प्रदर्शित की गई।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

1979–80 से 1991–92 के दौरान पूर्ण हुये 96 अति पुराने कार्यो के विरूद्ध वसूली योग्य अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण (342.05 लाख रुपये) का प्राविधान न किये जाने, 128 लागत युक्त निक्षेप कार्यो पर किया गया अतिरिक्त व्यय (568.74 लाख रुपये) एवं 10 से 17 वर्ष पूर्व पूर्ण हुये क्रमशः चार निविदा कार्यो (76.50 लाख रुपये) के कारण तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी के 1997–98 तथा 1998–99 के वर्षो के लेखों पर टिप्पणी किये जाने के बावजूद, विविध देनदार (3919.29 लाख रुपये) तथा संचित हानि (970.16 लाख रुपये) दोनों को 987.29 लाख रुपये तक अधिक प्रदर्शित किया गया।

1.7 पी एस यूज की बन्दी हेतु संस्तुति

अपने अस्तित्व में आने के पाँच वर्षो बाद भी, 21 सरकारी कम्पनियों (परिशिष्ट–10) की कुल बिक्री (बिक्री एवं अन्य आय), अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों से पूर्ववर्ती पाँच वर्षो में से प्रत्येक में 5 करोड़ रुपये से कम रही है। इसी प्रकार, सात कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ (परिशिष्ट–10अ) पाँच लगातार वर्षो तक हानि उठाती रहीं थीं (अद्यतन पूर्ण किये गये लेखों के अनुसार) जिससे निवल अचल परिसम्पत्तियाँ ऋणात्मक हो गई। क्षीण कुल बिक्री और लगातार हानियों के कारण, सरकार को उपरोक्त 28 सरकारी कम्पनियों के कार्य सम्पादन में या तो सुधार करना चाहिये या

उनके बन्दीकरण पर विचार करना चाहिये।

1.8 लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट पैराग्राफों तथा समीक्षाओं पर अनुक्रिया

लेखा परीक्षण के दौरान पाई गई और मौके पर समाधान न की गई लेखा परीक्षा आपत्तियों को लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से पी एस यूज के प्रमुख और राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाता है। पी एस यूज के प्रमुखों को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर छः सप्ताहों के अन्दर सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्रस्तुत करने होते हैं। 107 पी एस यूज से सम्बन्धित मार्च 2001 तक के लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों ने उजागर किया कि सितम्बर 2001 के अन्त तक 3076 लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 11428 प्रस्तर अनिस्तारित पड़े थे।

इनमें से 3510 प्रस्तरों से युक्त 1076 लेखा परीक्षण निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर पाँच वर्षो से अधिक समय से नहीं दिये गये थे। 30 सितम्बर 2001 को बकाया लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभाग–वार विवरण परिशिष्ट–7 में दिया गया है।

इसी प्रकार, ड्राफ्ट पैराग्राफों और पी एस यूज की कार्यप्रणाली पर समीक्षाओं को अर्धशासकीय रूप से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर उन पर उनकी टिप्पणियों तथा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि हेतु अग्रसारित किया जाता है। तथापि, यह देखा गया कि जुलाई 2000 से जून 2001 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रसारित 58 ड्राफ्ट पैराग्राफ तथा पाँच ड्राफ्ट समीक्षाओं, जैसा कि परिशिष्ट–8 में विवरण दिया गया है, के उत्तर अब तक नहीं दिये गये हैं।

यह संस्तुत किया जाता है कि (क) सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि उन कर्मचारियों के विरूद्ध जो निर्धारित समय सारणी के अनुसार लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट पैराग्राफों/समीक्षाओं के उत्तर भेजने में असफल रहे, कोई कार्यवाही किये जाने की कार्यविधि विद्यमान हो, (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अति भुगतान की एक समयबद्ध सारणी के अन्दर वसूली करने हेतु कार्यवाही किया जाना तथा (ग) लेखा परीक्षा आपत्तियों पर अनुक्रिया देने की पद्यति का पुनर्उद्धार किया जाना चाहिए।

1.9 सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर चर्चा की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित कुल समीक्षायें एवं प्रस्तर		चर्चा हेतु लम्बित समीक्षाओं एवं प्रस्तरों की संख्या	
	समीक्षा	प्रस्तर	समीक्षा	प्रस्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1976-77	2	53	--	4
1977-78	5	28	--	3
1979-80	6	59	--	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1980-81	6	30	--	1
1981-82	4	73	2	39
1982-83	5	50	3	16
1983-84	4	60	3	4
1984-85	2	14	1	7
1985-86	6	22	6	9
1986-87	3	28	2	13
1987-88	8	23	6	8
1988-89	5	22	3	10
1989-90	6	14	1	7
1990-91	6	21	4	19
1991-92	4	38	4	35
1992-93	5	33	3	26
1993-94	5	31	5	23
1994-95	5	41	5	23
1995-96	7	39	6	26
1996-97	8	40	8	20
1997-98	5	67	5	63
1998-99	5	26	5	26
1999-2000	4	41	4	41

1.10 619–बी कम्पनियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–बी के अन्तर्गत पाँच कम्पनियाँ आती थीं जिनमें से तीन कार्यविहीन थीं। परिशिष्ट–9 इन कम्पनियों के, उनके अद्यतन उपलब्ध लेखों पर आधारित प्रदत्त पूँजी, अंशदान, ऋण एवं अनुदान के माध्यम से निवेश तथा संक्षिप्त कार्यचालन परिणामों के विवरण को इंगित करता है।

अध्याय–II

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

2अ. ऊर्जा मीटरों की अधिप्राप्ति, कार्य सम्पादन तथा मरम्मत

मुख्य अंश

इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1910 की धारा 26(2) के अर्न्तगत, कम्पनी को विद्युत आपूर्ति के प्रत्येक बिन्दु पर ऊर्जा मीटरों का अधिष्ठापन और अवस्थापन करना आवश्यक है ।

(प्रस्तर 2अ.1)

निविदाओं के विलम्बित अन्तिमीकरण और मीटरों के मूल्य में कमी का लाभ उठाने में असफलता के परिणामस्वरूप, मीटरों की अधिप्राप्ति में 4.32 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

(प्रस्तर 2 अ.3.1.1 एवं 2अ.3.2)

मार्च 1999 और मार्च 2000 के अन्त पर भण्डार में क्रमशः 1.07 लाख एवं 1.08 लाख मीटरों की उपलब्धता के बावजूद उपभोक्ता परिसरों में 8.69 लाख से 9.29 लाख तक आरेखित संख्या में त्रुटिपूर्ण/क्षतिग्रस्त मीटरों को नहीं बदला गया। ऐसे प्रकरणों में उपभोक्ताओं के बिल, तदर्थ आधार पर या तो न्यूनतम प्रभार या विद्युत की निर्धारित की गई यूनिटों हेतु तैयार किये गये। उपभोक्ताओं को सीधी (मीटर विहीन) आपूर्ति भी दी गई जिसके परिणामस्वरूप 3.55 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

{प्रस्तर 2अ.4(ख) एवं 2अ.4(ख)(i)}

त्रुटिपूर्ण और क्षतिग्रस्त मीटरों का न बदला जाना उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाने में सहायक था क्योंकि ऐसे प्रकरणों में मीटर पाठन बन्द होने की तिथि को, स्थायी विच्छेदन के प्रकरणों को अन्तिम रूप देने हेतु, अस्थाई विच्छेदन की तिथि के रूप में मान लिया गया था। तदनुसार, एक वर्ष से अधिक 18 वर्षों तक के राजस्व बकाये के 7.04 करोड़ रुपये को, नमूना जाँच के दौरान देखे गये 1402 स्थाई विच्छेदन प्रकरणों में, माफ कर दिया गया था।

{प्रस्तर 2अ.5 (घ) (iii)}

23007 क्षतिग्रस्त मीटरों के 1.22 करोड़ रुपये के मूल्य की वसूली उनके बदले जाने से पूर्व सम्बन्धित उपभोक्ताओं से नहीं की गई जैसा कि राजस्व नियमावली के प्रस्तर 5.22 की शर्तों के अनुसार आवश्यक था।

{प्रस्तर 2अ.5 (च) (iv)}

त्रुटिपूर्ण/क्षतिग्रस्त मीटरों की नियमित और उचित रूप से जाँच नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 3.30 करोड़ रुपये का अवप्रभारण/राजस्व की हानि हुई।

{प्रस्तर 2अ.5 (च) (v से x)}

संदिग्ध कदाचारों के कारण उपभोक्ताओं के परिसर में मीटरों के बारम्बार खराब होने के परिणामस्वरूप 2.38 करोड़ रुपये का अवप्रभारण/राजस्व की हानि हुई।

{प्रस्तर 2अ.5 (छ) (i से iii)}

भारी उपभोक्ताओं के प्रकरण में, मीटरों में पाठ्यांकित होने वाली विद्युत की वोल्टेज और मात्रा को नियंत्रित करने हेतु आपूर्ति लाइनों पर यथोचित क्षमता के करंट ट्रान्सफार्मर (सी टी) और पोटेन्शियल ट्रान्सफार्मर (पी टी) के अधिष्ठापन अपेक्षित थे। एक नमूना जाँच ने सी टी और पी टी में दोषों और उन पर आधारित गुणक कारक में त्रुटियों को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप 1.33 करोड़ रुपये के राजस्व का अवप्रभारण हुआ।

{प्रस्तर 2अ.5 (ज) (i से vi)}

ऊर्जा मीटरों की मरम्मत की प्रगति और उस पर किये गये व्यय पर नियन्त्रण की कमी के परिणामस्वरूप अप्रैल 1996 से सितम्बर 2000 के दौरान 6 परीक्षण खण्डों में 0.41 करोड़ रुपये तक का अत्याधिक अनुरक्षण एवं मरम्मत व्यय किया गया और सितम्बर 2000 के अन्त पर मरम्मत की प्रतीक्षा में 37101 त्रुटिपूर्ण मीटरों का एकत्रीकरण हुआ।

{प्रस्तर 2अ.6(क) एवं (ख)}

2अ.1 प्रस्तावना

विक्रीत ऊर्जा की मात्रा के निर्धारण हेतु कम्पनी (पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद) द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 26(2) के अनुसार विक्रीत ऊर्जा को मापने हेतु उपभोक्ता को आपूर्तित ऊर्जा के प्रत्येक बिन्दु पर सही ऊर्जा मीटर संस्थापित करना तथा अवस्थित किया जाना है। सितम्बर 2000 के अन्त में 46.87 लाख मीटरीकृत उपभोक्ता थे जबकि ऊर्जा की कृषि एवं ग्रामीण आपूर्ति हेतु 37.91 लाख बिना मीटर वाले उपभोक्ता थे।

2अ.2 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

ऊर्जा मीटरों की अधिप्राप्ति, सम्पादन तथा मरम्मत की प्रणाली में कमियों पर एक समीक्षा 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में प्रदर्शित हुई जिसके सम्बन्ध में राज्य की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की संस्तुतियां प्रतीक्षित हैं (मई 2001)।

इस प्रतिवेदन में ऊर्जा मीटरों की अधिप्राप्ति, सम्पादन तथा मरम्मत की प्रणाली में कमियॉं सम्मिलित हैं जो नवम्बर 2000 से अप्रैल 2001 के दौरान 200 में से 24 इकाइयों के 1996–97 से 2000–2001 की अवधि के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में देखी गई।

2अ.3 अधिप्राप्ति

ऊर्जा मीटरों का क्रय केन्द्रीय रूप से मुख्य महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध) के सम्पूर्ण प्रभार के अधीन विद्युत भण्डार क्रय मण्डल (ई एस पी सी)–II (विश्व बैंक ऋण द्वारा वित्त पोषित) तथा विद्युत भण्डार क्रय मण्डल–III (अन्य स्रोतों से वित्त पोषित) द्वारा कार्पोरेट भण्डार क्रय समिति (सी एस पी सी) के अनुमोदन पर किया जाता है। क्रय किए गए मीटर विद्युत परीक्षण खण्डों (वि प ख) को निर्गमित करने हेतु, जो इन्हें अपनी प्रयोगशालाओं में परीक्षणोपरान्त उपभोक्ताओं के परिसर पर संस्थापित करते हैं, 13 विद्युत भण्डार खण्डों पर भण्डारित किए जाते हैं। अभिलिखित पाठन के आधार पर विद्युत बीजक सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्डों (वि वि ख)द्वारा निर्गमित किए जाते हैं।

प्रतिवर्ष मीटरों की आवश्यकता का निर्धारण कम्पनी द्वारा नये संयोजनों की प्राक्कलित संख्या बदले जाने वाले खराब/दोषपूर्ण मीटरों की संख्या तथा भूतकाल में मीटरों के औसत उपभोग के आधार पर किया जाता है। ई एस पी सी–II और III द्वारा मीटरों की आपूर्ति हेतु आदेश सी एस पी सी द्वारा निविदाओं के अनुमोदनोपरान्त दिए गए।

लेखा परीक्षा की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि निविदाओं को विलम्ब से अंतिम रूप देने, अतिरिक्त व्यय, गैर प्रतिस्पर्धी निविदाओं के विरूद्ध क्रय आदि जैसा कि नीचे चर्चित है, द्वारा मीटरों की अधिप्राप्ति की प्रणाली दूषित हुई।

2अ.3.1 निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब

मीटरों के क्रय हेतु निविदाओं को निविदा प्रपत्रों में निर्दिष्ट वैधता अवधि के समाप्त होने के पूर्व अंतिम रूप दिया जाना तथा क्रयादेश दिया जाना वांछित है। परिशिष्ट–11 की तालिका निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने तथा क्रयादेश देने में विलम्ब को दर्शाती है।

वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से 4 से 45 माह की देरी के पश्चात क्रय आदेश दिए गए

तालिका से स्पष्ट होगा कि क्रयादेश वैधता अवधि के समाप्त होने की तिथि से 4 से 45 माह की देरी से दिए गए। इससे न केवल अधिप्राप्ति मे कमी बल्कि मीटरों की उच्च लागत पर अधिप्राप्ति की गई, जैसा आगे बताया गया है:

2अ.3.1.1 निविदाओं के विलम्ब से अंतिम रूप दिए जाने के कारण उच्च लागत पर अधिप्राप्ति

(क) अगस्त 1994 में एच टी (हाई टेन्शन) तथा एल टी (लो टेन्शन) इलेक्ट्रानिक मीटरों की आपूर्ति हेतु प्राप्त निविदाएं स्वीकृति हेतु फरवरी 1995 तक वैध थी। तथापि जैसा कि परिशिष्ट–12 में वर्णित है ई एस पी सी– III द्वारा आदेश जून 1995 से फरवरी 1996 के दौरान दिए गए।

कमतर दरों की उपलब्धता के बावजूद उच्च दरों पर आदेश दिए जाने से 0.46 करोड़ रुपये की उच्च अधिप्राप्ति लागत हुई

मई 1995 में अर्थात इन आदेशों को दिए जाने के पूर्व नयी निविदाएं आमंतित्रत की गई थीं जिनके विरूद्ध कमतर दरें प्राप्त की गई थीं। पूर्ववर्ती निविदाओं को निरस्त करने के स्थान पर अगस्त 1994 में प्राप्त निविदाओं को प्रति मीटर 20580 रुपये से 22000 रुपये के एक्स–वर्क्स दर पर जून 1995 से फरवरी 1996के दौरान आदेश दिए गए। इसके कारण ई एस डी सी–I की निविदा में प्राप्त 16322 रुपये की दरों से तुलना करने पर 45.55 लाख रुपये की उच्च लागत पर मीटर की अधिप्राप्ति की गई। इस सम्बन्ध में यह भी कहना है कि गुजरात राज्य विद्युत परिषद ने 1995–96 में एच टी इलेक्ट्रानिक्स मीटरों का क्रय ड्यूक आर्निक्स लिमिटेड, हैदराबाद तथा डाटा प्रो इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, पुणे से क्रमशः 13635 रुपये तथा 13050 रुपये प्रति मीटर की दर पर किया था। कम्पनी ने फर्म द्वारा अन्य सावर्जनिक क्षेत्र के निकायों/विद्युत परिषदों को उद्धृत की गई कमतर दरों (एक्स–वर्क्स कीमत) को प्राप्त करने हेतु रक्षक उपबन्ध अपने क्रयादेशों में शामिल न करके अपने हितों की सुरक्षा नहीं की।

क्रयादेशों को विलम्ब से दिए जाने से 0.36 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ

(ख) वर्ष 1994–95 के लिए वांछित 10–20 एम्पियर (50000), 50–100 एम्पियर (3000) तथा सी टी (करेन्ट परिवर्तक) चालित एल टी (1500) के 54500 तीन फेज चार तार इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटरों की आपूर्ति हेतु सितम्बर 1993 में प्राप्त निविदाएं फरवरी 1994 तक वैध थी। सी एस पी सी के अक्टूबर 1995 तथा अक्टूबर 1996 के निर्णय के आधार पर एक्स–वर्क्स दरों पर आदेश दिए गए जैसा परिशिष्ट–13 में वर्णित है। वैधता अवधि में निविदाओं को स्वीकार करने में विफलता को देखते हुए कम्पनी को इन निविदाओं को निरस्त कर देना चाहिए था और कमतर बाजारी दरों का लाभ पाने हेतु नई निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए थी। तथापि, यह नहीं किया गया और निविदाओं की वैधता की तिथि समाप्त होने के 22 से 45 माह के बाद क्रयादेश दिए गए और मीटर वस्तुतः अप्रैल 1996 से मार्च 1998 के दौरान आपूर्तित किए गए जबकि क्रयादेशों की शर्तों के अनुसार कीमत परिवर्तन के कारण उक्त श्रेणी की प्रति मीटर 858 रुपये से 887 रुपये, 1049 रुपये से 1054 रुपये तथा 911 रुपये से 916 रुपये की बढ़ी हुई दरें लागू थी। नियत मूल्य परिवर्तन फार्मूला कच्चे माल तथा मजदूरी की कीमतों से सम्बन्धित था। इस प्रकार क्रयादेशों को देरी से दिए जाने के कारण न केवल 1994–95 में मीटरों की अनुपलब्धता और मूल्य परिवर्तन के द्वारा 36.11 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ बल्कि कम्पनी मीटरों की कीमतों में गिरती प्रवृत्ति के लाभ से वंचित रही (उसी क्षमता के मीटर की 680 रुपये प्रति मीटर की दर नवम्बर 1999 में प्राप्त की गई)। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लिखित करना है कि गुजरात राज्य विद्युत परिषद में 1997–98 में 10 एम्पियर, 30 एम्पियर, 50 एम्पियर तथा 100 एम्पियर के तीन फेज इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटर क्रमशः 710 रुपये, 787 रुपये, 870 रुपये तथा 925 रुपये की दर पर क्रय किए थे जो ऊपरलिखित 858 रुपये से 1054 रुपये की दरों से कमतर थे।

2अ.3.1.2 अधिप्राप्ति में कमी

निम्न तालिका 1996–97 से 1999–2000 के दौरान मीटरों की आवश्यकता तथा उनकी वास्तविक अधिप्राप्ति की स्थिति दर्शाती है:

वर्ष	आवश्यकता	आदि शेष सम्मिलित करते हुए वास्तविक अधिप्राप्ति	कमी
	(मीटरों की) संख्या लाख में		
1996-97	7.70	3.03	2.09
1997-98		2.58	
1998-99	9.36	3.95	5.41
1999-2000	7.36	4.00	3.36

अधिप्राप्ति में कमी के कारण अमीटरीकृत आपूर्ति की अवमुक्ति तथा खराब/दोषपूर्ण मीटरों को नहीं बदला जा सका जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चित है।

2अ.3.2 कीमतों में कमी के लाभ को प्राप्त करने में विफलता

कमतर दरों की उपलब्धता के बावजूद 0.39 करोड़ रुपये राशि के कीमत परिवर्तन दावे अनुमन्य किए गए

(क) मई 1996 में प्राप्त निविदाओं के आधार पर जो प्रारम्भिक रूप से नवम्बर 1996 तक वैध थी, 1.50 लाख एकल फेज दो तार (5–20 एम्पियर) इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटरों की आपूर्ति हेतु 323 रुपये से 329 रुपये प्रति की दर पर, जो 1 मार्च 1996 के आधारभूत कीमत वाले ईमा 18 फार्मूला के अनुसार परिवर्तनीय थी, चार फर्मो को जुलाई–अगस्त 1997 में 4.38 करोड़ रूपए मूल्य के आदेश दिए गए। मीटरों की कीमतों में गिरती प्रवृत्ति तथा फरवरी 1998 तक केवल 93,800 मीटरों की वास्तविक आपूर्ति के बावजूद भारी क्रय के कारण छूट प्राप्त करने के लिये फर्मो से वार्तालाप करने के स्थान पर आदेशित मात्रा को मार्च 1998 में 1.50 लाख मीटरों से 3.40 लाख मीटरों तक बढ़ा दिया गया। चारों फर्मो द्वारा जुलाई से सितम्बर 1998 के दौरान 3.40 लाख मीटर में से 90800 मीटर आपूर्तित किये गये, यद्यपि ई एस पी सी–III को उसकी प्रकार के मीटरों हेतु जून 1998 में जारी निविदा के उत्तर में 294 रुपये से 299 रुपये की कमतर दरें प्राप्त हो चुकी थीं (जुलाई 1998)। चारों फर्मो को 90800 मीटरों की आपूर्ति के लिये कीमत परिवर्तन फार्मूला के आधार पर 332 रुपये से 338 रुपये की संशोधित दरें भी नवम्बर 1998 से अप्रैल 1999 के दौरान अनुमन्य की गईं। अगस्त 1997 में 323 रुपये प्रति मीटर की दर पर 30000 मीटर हेतु एक क्रय आदेश निर्गत किया गया, तथापि अनापूर्ति के कारण आदेश निरस्त करना पड़ा और तत्पश्चात् इस मात्रा हेतु नवम्बर 1998 में 294 रुपये से 297 रुपये प्रति मीटर की दरों पर नये आदेश दिये गये। इस प्रकार, संशोधित दरों पर 90800 मीटर के क्रय से 38.75 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

आदेशित मात्रा को घटाये न जाने के कारण कम्पनी 0.20 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रही

(ख) जनवरी 1997 में प्राप्त निविदाओं के आधार पर जुलाई 1997 में सिक्योर मीटर्स लि0, उदयपुर को 2500 इलेक्ट्रॉनिक (11 के वी) तथा 300 इलेक्ट्रॉनिक (33 के वी) मीटरों की आपूर्ति हेतु 12191.41 रुपये प्रति मीटर की संगणित दर पर 2.91 करोड़ रुपये मूल्य का एक आदेश दिया गया, जिसकी आपूर्ति समय–सारणी 1200 मीटरों हेतु 13 सितम्बर 1997 तक तथा 1600 मीटरों

18 इंडियन इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन

हेतु 13 नवम्बर 1997 तक थी। सम्पूर्ण मात्रा अक्टूबर एवं नवम्बर 1997 में आपूर्तित की गई। आदेश की शर्तो में नियत मात्रा में किसी सीमा तक वृद्धि या कमी करने का प्रावधान था। इस तथ्य के बावजूद कि एक अन्य निविदा सूचना के जवाब में 17 जुलाई 1997 को खुली निविदा में प्रति मीटर कमतर दरें (10942.35 रुपये संगणित दर) प्राप्त हो गई थी, कम्पनी द्वारा मात्रा को घटाने हेतु इन शर्तो को कार्यान्वित नहीं किया गया । यदि 2800 मीटरों की आदेशित मात्रा को 13 सितम्बर 1997 तक आपूर्ति किए जाने वाले 1200 मीटरों तक घटा दिया जाता तो, 10942.35 रुपये की कमतर दर पर शेष 1600 मीटरों की अधिप्राप्ति से 19.98 लाख रुपये की बचत हो जाती।

(ग) 1998–99 की आवश्यकता पूरी करने हेतु एकल फेज दो तार (5–20) एम्पियर के 5 लाख इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटरों की आपूर्ति हेतु जून 1998 में अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित की गयीं। तथापि, दिसम्बर 1998 में आठ फर्मो को 294 रुपये से 310 रुपये प्रति की दर से 5 लाख मीटरों की आपूर्ति हेतु 14.80 करोड़ रुपये मूल्य के जारी क्रयादेशों में 3.95 लाख मीटरों के सम्बन्ध में आपूर्ति समय–सारणी अप्रैल से दिसम्बर 1999 (अर्थात 1999–2000) थी।

कीमतों में कमी से लाभ प्राप्त करने में विफलता से 0.18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ

इस बीच, वर्ष 1999–2000 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उक्त श्रेणी के 3.17 लाख मीटरों की आपूर्ति हेतु अप्रैल 1998 की एक अन्य निविदा सूचना के जवाब में जिसके खुलने की तिथि मई 1998 से सितम्बर 1999 के दौरान दस बार बढ़ाई गई, 269 रुपये से 281 रुपये प्रति मीटर की कमतर दरें सितम्बर 1999 में प्राप्त हो गई थी । तथापि, दिसम्बर 1998 में उच्च दरों पर प्रेषित आदेशों के अंतर्गत मीटर क्रय किए जाते रहे, यद्यपि, सितम्बर 1999 के अन्त में भण्डार संगठन के स्टाक में 1.78 लाख ऐसे मीटर पड़े थे। ई एस पी सी III ने अक्टूबर 1999 में दो फर्मो से 86000 मीटरों की लम्बित आपूर्ति को दिसम्बर 1998 के आदेश में दी गई दरों तथा सितम्बर 1999 में निविदित दरों में से कमतर दरों पर पूरा करने के लिए कहा था। ये फर्में सहमत नही हुईं और 86800 मीटर दोनों फर्मो से दिसम्बर 1998 के आदेश में नियत दरों पर सितम्बर 1999 के बाद क्रय किए गए । इस कारण सितम्बर 1999 में निविदित कमतर दरों की तुलना करने पर 18.05 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(घ) एक फेज दो तार (5–20 एम्पियर) इलेक्ट्रानिक मीटरों की आपूर्ति हेतु अप्रैल 1998 की निविदा सूचना के उत्तर में जुलाई 1998 में प्राप्त निविदाओं के आधार पर सात फर्मो को 899.95 रुपये एफ ओ आर डेस्टिनेशन प्रति मीटर की दर पर 31000 मीटरों की आपूर्ति हेतु 2.42 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश जून 1999 में दिये गये। दिसम्बर 1999 से नवम्बर 2000 के दौरान आदेशित मात्रा को 11.07 करोड़ रुपये मूल्य के 123000 अतिरिक्त मीटरों से बढ़ा दिया गया, जिसके लिये आपूर्ति समय–सारणी को मार्च 2001 तक बढ़ाया गया। निविदा की तिथि के लगभग दो साल बाद आदेशित मात्रा में वृद्धि न केवल एकल प्रस्ताव आधार पर आदेश प्रेषित करने के समतुल्य है बल्कि इसने कम्पनी को इलेक्ट्रानिक सामानों में गिरती प्रवृत्ति के लाभ से वंचित रखा। इस सम्बन्ध आगे यह देखा गया कि केरल राज्य विद्युत परिषद ने 834 रुपये (सभी सम्मिलित) प्रति की दर पर एकल फेज इलेक्ट्रानिक मीटरों का क्रय किया था।

(ड.) 1998–99 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 10–20 एम्पियर (12000) तथा 30–60

एम्पियर (25000) के 37000 तीन फेज चार तार इलेक्ट्रानिक मीटरों की आपूर्ति हेतु निविदा सूचना के जवाब में 10–20 एम्पियर (30000) तथा 30–60 एम्पियर (12000) के 42000 मीटरों के लिए दो फर्मों को प्रत्येक श्रेणी के प्रति मीटर 6654 रुपये (भाड़ा, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर सहित) को निम्नतम संगणित दर पर आदेश दिए गए जैसा कि निम्न तालिका में उल्लिखित हैं :

क्र0 सं0	फर्म का नाम	आदेश का माह	मीटर की श्रेणी (एम्पियर)	आदेशित मात्र	आपूर्ति समय–सारणी		वास्तविक आपूर्ति	
					अवधि	संख्या	अवधि	संख्या
1.	सिक्योर मीटर्स लिमि0	दिसम्बर 1998	10-20	18000	फरवरी एवं मार्च 1999	12600	मार्च 1999	2700
			30-60	7200	सितम्बर से नवम्बर 1999	12600	अपैल 1999 से दिसम्बर 1999 मार्च 2000 जून 2000	8500 7000 7000
		जनवरी 2000	10-20	6000	सितम्बर 2000	4200	सितम्बर 2000 से	8400
			30-60	2400	अक्टूबर 2000	4200	दिसम्बर 2000	
	योग			**33600**		**33600**		**33600**
2.	ड्यूक आर्निवस लिमिटेड हैदराबाद	दिसम्बर 1998	10-20	6000	फरवरी 1999 से दिसम्बर 1999	8400	दिसम्बर 1999	1600
			30-60	2400				

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि दिसम्बर 1998 के आदेश के अंतर्गत 14000 मीटरों की आपूर्त्ति जब जनवरी 2000 में प्रतीक्षित थी, मीटरो की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति को देखते हुए इनकी चालू कीमतों को सुनिश्चित किए बिना 8400 मीटरों की अतिरिक्त मात्रा हेतु सितम्बर और अक्टूबर 2000 के आपूर्ति समय–सारणी सहित एक अन्य आदेश दिया गया ।

कीमतों में कमी के बावजूद विलम्बित तथा अतिरिक्त आपूर्तियों को स्वीकार करने से 2.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ

दरों में गिरने की प्रवृत्ति की पुष्टि अप्रैल 2000 में हो गयी थी जब ई एस पी सी – II लखनऊ द्वारा दिसम्बर 1999 में प्रसारित वैश्विक निविदा सूचना के उत्तर में एक चीनी फर्म द्वारा 3637 प्रति मीटर (उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर को अलग करते हुए) तथा चार स्वदेशी फर्मों द्वारा 3955 रुपये से 5203 रुपये (सिक्योर मीटर्स लि0 उदयपुर की 4832 रुपये की प्रस्तावित दर सम्मिलित करते हुए) की अन्य दरें प्रस्तावित की गई। नई निविदाएं आमंत्रित करने के कोई प्रयास नही किए गए और उपरोक्त संदर्भित चारों स्वदेशी फर्मों से वार्तालाप के बगैर ही उदयपुर फर्म से जून से दिसम्बर 2000 के दौरान 15400 मीटरों की आपूर्ति स्वीकार की गई। इस प्रकार, 4870 रुपये प्रति मीटर की निम्नतम संगणित दर (16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क, व्यापार कर तथा भाड़ा जो

स्वदेशी क्रय के मामले में भुगतान योग्य है, को सम्मिलित करते हुए) की तुलना में 6654 रुपये प्रति की दर पर 15400 मीटरों के क्रय से 2.74 करोड़ रुपये (लगभग) का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस सम्बन्ध में, यह आगे देखा गया कि कर्नाटक राज्य विद्युत परिषद ने 1999–2000 में लार्सन ऐन्ड टुब्रो लिमिटेड, बंगलौर से 2100 रुपये प्रति की एक्स–वर्क्स की दर पर तीन फेज इलेक्ट्रानिक मीटरों (10–40 एम्पियर) का क्रय किया था।

2 अ.3.3 वैश्विक निविदाओं के विरूद्ध मीटरों की अधिप्राप्ति

उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर रिफार्म परियोजना व्यय हेतु इण्डस्ट्रियल बैंक फार रिकंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेन्ट से 150 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण से वित्त पोषित होने वाले 7.85 लाख इलेक्ट्रानिक मीटरों के संस्थापन की कम्पनी की परियोजना के अधीन मार्च–अप्रैल 2000 के दौरान प्राप्त विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर एक चीनी फर्म (163.33 करोड़ रुपये) तथा एक स्वेदशी फर्म (10.10 करोड़ रुपये) को 5.41 लाख एकल फेज तथा 3.15 लाख तीन फेज इलेक्ट्रानिक मीटरों के क्रय के लिए 173.43 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश दिए गए।

इस सम्बन्ध में, लेखा परीक्षा में निम्न बिन्दु देखे गए :

(क) कम्पनी के निदेशक मण्डल ने तीन फेज चार तार मीटरों की आपूर्ति हेतु चीनी फर्म का प्रस्ताव उनके सैम्पल मीटरों में कुछ तकनीकी तथा गुणात्मक कमियों के आधार पर अनुमोदित नहीं किया था। तथापि, इसे विश्व बैंक द्वारा इस आधार पर उपेक्षित कर दिया गया कि कम्पनी सैम्पल मीटरों में कमियों को दूर करने के उपरान्त निर्धारित तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार मीटरों की आपूर्ति हेतु सहमत हो गयी थी।

(ख) ई एस पी सी–III , जिसने निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि0 से मई 1999 में चीनी फर्म द्वारा उन्हें आपूर्तित एकल फेज इलेक्ट्रानिक मीटरों के सम्पादन पर विचार विमर्श किया था, ने पाया कि फर्म द्वारा आपूर्तित ट्राइवेक्टर मीटर सहित सभी ऊर्जा मीटर शक्तिशाली वाहय चुम्बकों से रोके जा सकते थे या उनकी क्रिया को बुरी तरह प्रभावित किया जा सकता था, उनके एकल फेज इलेक्ट्रानिक मीटरों में एल सी डी/एल ई सी प्रदर्शन वही था और इसलिए विद्युत अनापूर्ति की दशा में मीटर पढ़ना सम्भव नहीं होगा, तथा ए सी द्वारा उर्जीकृत एक रिंग चुम्बक की सहायता से एकल फेज इलेक्ट्रानिक मीटरों के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल काउन्टर को किसी दिशा में चलाया जा सकता था। इन मामले को विश्व बैंक को संदर्भित नही किया गया।

उपरोक्त मीटरों की वास्तविक आपूर्ति अब भी प्रतीक्षित थी (अप्रैल 2001) और इसलिए क्षेत्र में उनके संस्थापन एवं सम्पादन की स्थिति उपलब्ध नही थी।

2 अ.4 मीटरों का परीक्षण एवं संस्थापन

इलेक्ट्रो–मेकैनिकल तथा इलेक्ट्रानिक मीटरों का निर्माण क्रमशः मानक विशिष्टीकरण (आई एस एस):, 1977 के 722/ 1990 के 13010 एवं आई एस एस : 1993 के 13779 के अनुसार किया जाना था। उपभोक्ताओं के परिसर पर संस्थापन को पूर्व मीटरों को निर्माता को फैक्टरी तथा

विभागीय प्रयोगशालाओं में इन विशिष्टियों के अनुसार उनकी अनुरुपता को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षित किया जाना था। लेखा परीक्षा की नमूना जाँच में उद्घाटित किया कि न तो ये मीटर उपयुक्त रुप से परीक्षित किए गए न संस्थापित किए गए बल्कि भण्डार में पड़े रहे जैसा कि नीचे उल्लिखित है :

(क) विभागीय प्रयोगशालाओं में संस्थापन पूर्व परीक्षण हेतु आवश्यक जाँच उपस्करों का कैलिब्रेशन न किया जाना

जाँच उपस्करों का कैलीब्रेशन न किए जाने से उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ हुआ

हाइडिल मैनुअल आफ आर्डर्स के प्रस्तर 372(2) के अनुसार सभी नए मीटर वि प ख की प्रयोगशालाओं में परीक्षित तथा केलिब्रेट किए जाने चाहिए । इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटरों का परीक्षण जाँच उपस्कर द्वारा किया गया जिनका कैलीब्रेशन नही किया गया था क्योंकि वि0 प0 ख0 के जाँच उपस्कर के कैलिब्रेशन की अंतिम तिथि दर्शाने वाला अभिलेख नहीं रखा जाता था (लेखा परीक्षा में नमूना में जाँचे गए आठ वि प ख में से केवल एक ही जाँच उपस्कर की कैलिब्रेशन की अंतिम तिथि बता सका) । इलेक्ट्रानिक मीटरों के मामले में संस्थापन पूर्व परीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी । इस प्रकार संस्थापना के पूर्व मीटरों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की गई। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु देखे गए :

(i) दिसम्बर 1999 में, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, नोएडा द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 21 इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटरों (उपभोक्तओं के परिसर पर संस्थापित) में से 18 मीटर 1 से 67 प्रतिशत तक धीमे तथा तीन मीटर 44 से 125 प्रतिशत तीव्र पाए गए। जहाँ तक इलेक्ट्रानिक मीटरों का सम्बन्ध है, इलेक्ट्रानिक मीटरों के 2.88 से 13 प्रतिशत तक धीमे होने का उल्लेख 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के प्रस्तर 4 अ.25 मे किया गया है।

(ii) भोलानाथ इन्टरनेशनल लि0, भदोही (140 बी एच पी) के परिसर पर संस्थापित मीटर अगस्त 1999 में अक्वा चेक मीटर से जाँच किए जाने पर 29 प्रतिशत धीमा पाया गया, लेकिन 1.12 लाख रुपये राशि का निर्धारण इस आधार पर नहीं किया गया कि चेक मीटर के अनुसार मीटर बाद में (जून 2000) सही पाया गया। इस प्रकार जाँच उपस्कर की शुद्धता संदेहात्मक थी।

(iii) इसी प्रकार, रामसुन्दर कोल्ड स्टोरेज, भदोही के परिसर पर संस्थापित मीटर दिसम्बर 1998 में अक्वा चेक मीटर द्वारा जाँच किए जाने पर 32 प्रतिशत धीमा पाया गया। तथापि, इस कारण से दिसम्बर 1998 में निर्गत 1.10 लाख रुपये का पूरक बिल मार्च 1999 में 0.56 लाख रुपये से इस आधार पर संशोधित किया गया कि एक चेक मीटर के निष्कर्ष के आधार पर मीटर केवल 6.34 प्रतिशत धीमा पाया गया। इसने भी जाँच उपस्कर की शुद्धता पर संदेह उठाया।

उपरोक्त उदाहरण दर्शाते हैं कि कम्पनी अपने स्वयं के जाँच उपस्कर पर भरोसा नहीं कर रही है और इसके आधार पर उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान कर रही है।

(ख) भण्डार में उपलब्ध मीटरों को संस्थापित न किया जाना

नीचे की तालिका मीटरों की उपलब्धता एवं उपयोग की स्थिति दर्शाती है :

वर्ष	उपलब्ध	संस्थापित	अंतशेष
	(मीटर लाख में)		
1996-97	3.03	1.97	1.06
1997-98	2.58	2.00	0.58
1998-99	3.95	2.88	1.07
1999-2000	4.00	2.92	1.08

इस प्रकार, प्रत्येक वर्ष के अंत में मीटरों के भारी अंतिम शेष से न केवल उपभोक्ताओं को सीधी (अमीटरीकृत) आपूर्ति दी गई बल्कि खराब/क्षतिग्रस्त मीटरों को सेवायोग्य मीटरों से बदला नहीं गया जिनकी संख्या मार्च 1999 तथा मार्च 2000 के अन्त में क्रमशः 8.69 लाख तथा 9.29 लाख थी। इस सम्बन्ध में एक नमूना जाँच ने उद्घाटित किया कि वि.वि.ख.(नगरीय),मेयोहाल,इलाहाबाद वि वि ख (II)मिर्जापुर, वि वि ख –I अलीगढ़, वि वि ख कानपुर तथा वि वि ख, कसया में 7471 उपभोक्ताओं जिसमें घरेलू बत्ती पंखा (7004), वाणिज्यिक बत्ती एवं पंखा (326) तथा लघु एवं मध्यम पावर (141) श्रेणी के उपभोक्ता सम्मिलित हैं, को सीधे (अमीटरीकृत) संयोजन दिए गए। मीटरों की संस्थापना न होने से राजस्व की हानि हुई जैसा कि निम्न प्रकरणों में नमूना जाँच में देखा गया।

मीटरो की संस्थापना न किये जाने तथा परिणामस्वरूप अमीटरीकृत संयोजनों को अवमुक्त करने से 3.55 करोड़ रुपये का अल्प प्रभारण हुआ

(i) सार्वजनिक लैम्पों को लागू कम्पनी की दर अनुसूची (एल एम वी–3) सम दर का (विभिन्न क्षमताओं के प्रति प्रकाश बिन्दु) तथा मीटरीकृत आपूर्ति की दशा में यूनिट दर का प्रावधान करती है। ऊर्जा लेखन के उद्देश्य से आंकलित की गई सार्वजनिक लैम्प को विक्रीत ऊर्जा की मात्रा, मीटरों के न लगने के कारण राजस्व निर्धारण में अत्याधिक कमी को दर्शाती है जो निम्न संयोजनों के मामले में 3.55 करोड़ रुपये था:

वि.वि.ख.का नाम	उपभोक्ता का नाम	वर्ष	यूनिट दर आधार पर ऊर्जा प्रभार		सम दर पर बिल की गई राशि (लाख रूपये में)	अन्तर (लाख रूपये में)
			निर्धारित उपभोग (यूनिट लाख में)	राशि (लाख रूपये में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वि.वि.ख (नगरीय) I मेरठ	नगर निगम मेरठ	1998-99	30.11	62.37	49.17	13.20
		1999-00	26.53	67.12	64.06	3.06
		2000-01 (9/2000 तक)	17.96	48.84	34.26	14.58
वि.वि.ख. प्रतापगढ	नगर पालिका कुण्डा तथा प्रतापगढ़	1997-98	16.62	33.75	8.58	25.17
		1998-99	32.33	70.32	9.02	61.30
		1999-00	56.23	142.26	10.98	131.28
		2000-01 (9/2000 तक)	12.11	31.19	5.85	25.34

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वि.वि.ख. फिरोजाबाद	नगर पालिका टुंडला तथा फिरोजाबाद	1999-00	23.35	59.28	11.40	47.88
		2000-01 (9/2000 तक)	14.95	40.41	6.95	33.46
	योग		**230.19**	**555.54**	**200.27**	**355.27**

2अ. 5 मीटरों का सम्पादन

केन्द्र सरकार की जनवरी 1992 की अधिसूचना के अनुसार ऊर्जा मीटरों का जीवन 15 वर्ष है। तथापि, इलेक्ट्रानिक मीटरों के लिए कम्पनी के क्रय आदेश उनका जीवन 20 वर्ष मानते हैं। हाइडिल मैनुअल आफ आडर्स, के प्रस्तर 372 (1) के अनुसार प्रत्येक मीटर का हिस्ट्री कार्ड रखा जाना है। लेखा परीक्षा में जाँचे गए आठ वि पा ख में से किसी में हिस्ट्री कार्ड नहीं रखे गए। इस प्रकार मीटरों के सम्पादन का उचित रूप से अनुश्रवण नही किया गया।

लेखा परीक्षा में जाँचे गए 14 वि वि ख के मामले में 1996–97 से 1999–2000 के दौरान प्रतिदिन ऊर्जा उपयोग के आठ घंटों की औसत अवधि के विरूद्ध घरेलू बत्ती एवं पंखा, वाणिज्यिक बत्ती एवं पंखा, लघु एवं मध्यम शक्ति तथा बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में अभिलिखित ऊर्जा के आधार पर ऊर्जा के उपयोग का स्तर (वर्ष में अभिलिखित ऊर्जा की मात्रा को कुल भार 365 दिनों से विभाजित) प्रतिदिन आठ घंटों की औसत अवधि से बहुत कम था जो परिशिष्ट–14 में दर्शाया गया है। निम्न औसत उपभोग के कारणों का विश्लेषण कम्पनी द्वारा नहीं किया गया। लेखा परीक्षा की नमूना जॉच ने उद्घाटित किया कि मीटरों के असंतोषजनक सम्पादन के कारण ऊर्जा के वास्तविक उपभोग का अभिलेखन नहीं किया गया और ऐसे मामलों मे उपभोक्ता या तो न्यूनतम प्रभार या ऊर्जा के निर्धारित उपभोग के आधार पर बिल किए गए। मीटरों का असंतोषजनक सम्पादन न केवल प्रेषण पूर्व उचित स्वीकार्यता जाँच तथा संस्थापना पूर्व जॉच की कमी के कारण था जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर 2 अ.4 (क से ख) में उल्लिखित है, बल्कि मीटरों के डिजाइन/निर्माण कमियों, गारण्टी अवधि में मीटरों की विफलता, मीटरों में अत्यधिक खराबी तथा दोषों, संस्थापनोपरान्त अप्रभावी जाँच, उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटरों की बारम्बार विफलता तथा धारा परिवर्तक[19] (सी टी) एवं विभव परिवर्तक[20] (पी टी) में खराबी आदि के कारण भी था, जैसा कि अनुगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

(क) मीटरों में डिजाइन/निर्माणात्मक कमियाँ

इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटर

एक अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा अध्ययन में 86 प्रतिशत इलेक्ट्रो–मेकैनिकल मीटर धीमे पाये गये

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, नोएडा की एक आख्या (दिसम्बर 1999) के अनुसार इलेक्ट्रो–मेकैनिकल मीटर अपनी उच्च प्रवेशमार्गी धारा के कारण बहुत निम्न भार पर

19 करेन्ट ट्रार्सफार्मर (सी.टी.) कमतर करेन्ट को उच्चतर करेन्ट (एम्पियर में) तथा विपरीत दिशा में परिवर्तित करने का एक विद्युत उपकरण है।

20 पोटेन्शियल ट्रार्सफार्मर (पी.टी.) एक ऐसा विद्युत संयंत्र है जो कि कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज तथा विपरीत दिशा में परिवर्तित करता है।

नहीं चलते हैं। इन मीटरों की शुद्धता सीमा से परे बाधित हो जाती है, वे एक निश्चित अवधि पश्चात् धीमे हो जाते है और उनका डायल यातायात में धूल एवं चोट के कारण बढ़ जाता है और खराब हो जाता है। कम्पनी की इलेक्ट्रानिक मीटरों की संस्थापना की परियोजना ने गतिशील हिस्सों तथा यांत्रिक काउन्टर के कारण इन मीटरों की बारम्बार विफलता, उनके ऊर्जा उपभोग के अशुद्ध अभिलेखन तथा एकल फेज मीटरों (बत्ती एवं पंखा)में न्यूट्रल तार को छेड़–छाड़ एवं तोड़ कर उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की चोरी को भी इंगित किया। यह खराब मीटरों की अत्यधिक संख्या में फलित हुआ (जैसा अनुगामी प्रस्तर 2अ.5(ग) में उल्लिखित है) और ऐसे मीटरों में से 86 प्रतिशत अस्वाभाविक रूप से धीमे पाए गए (जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर 2 अ.4(क)(i) में उल्लिखित है) जिससे राजस्व हानि (धनराशि अनिश्चित) हुई।

इलेक्ट्रानिक मीटर

सिक्योर मेक के इलेक्ट्रानिक मीटर कई डिजाइन/निर्माणात्मक कमियों से ग्रस्त पाए गए

इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटरों के मामले में पायी गई उपरोक्त समस्याओं पर विजय पाने हेतु कम्पनी ने सिक्योर मीटर्स लिमिटेड उदयपुर से विभिन्न क्षमता के 40440 इलेक्ट्रानिक मीटर (99210 इलेक्ट्रानिक मीटरों में से) क्रय किए। तथापि सिक्योर मेक के इलेक्ट्रानिक मीटर निम्नांकित डिजाइन/निर्माणात्मक कमियों से ग्रसित पाए गए :

(i) उच्च चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव

उरई तथा हमीरपुर में संस्थापित ऐसे मीटरों में प्रदर्शन (डिस्पले) न दर्शाने की खराबी एवं क्षति के आधार पर मुख्य अभियन्ता (वितरण–मध्य क्षेत्र) लखनऊ द्वारा वर्ष 1997–98 में आपूर्तित सिक्योर मीटरों की गुणवत्ता संदिग्ध बताई गई (अप्रैल 1998)। बाद में, फर्म द्वारा हरियाणा राज्य विद्युत परिषद (ह रा वि प)को आपूर्तित इलेक्ट्रानिक मीटरों के खराब सम्पादन के विषय में मई 1999 में संपुष्टि में समाचार पत्र की मार्च 1999 की रिपोर्ट के आधार पर फर्म द्वारा कम्पनी को आपूर्तित एल टी तथा एच टी इलेक्ट्रानिक मीटरों की मई 1999 में जाँच की गई और प्रदर्शन तथा मेमोरी में अभिलेखन बन्द होना पाया गया जब इसकी प्रदर्शन खिड़की के दाहिनी तरफ एक स्थायी चुम्बक या विद्युत चुम्बक रख दिया गया। ई एस पी सी–III द्वारा फर्म से, तद्नुसार, अधिकतम अक्टूबर 1999 तक प्रत्येक मीटर के ऊपर अच्छी तरह फिक्स किये गए चुम्बकीय शील्ड कवर निःशुल्क प्रदान करने को कहा गया (जून 1999)। अगस्त 1995 से दिसम्बर 1998 के दौरान प्रेषित आदेशों के अंतर्गत फर्म द्वारा आपूर्ति 39440 इलेक्ट्रानिक मीटरों की चुम्बकीय शील्डिंग की स्थिति ई एस पी सी– III के पास उपलब्ध नहीं थी।

अगस्त 1999 के सी,ई,(एम.एम.) के निर्देशों के बावजूद इस कारण से होने वाली राजस्व हानि को बचाने के लिए उपभोग की गई ऊर्जा के आवश्यक निर्धारण हेतु आवधिक उपभोग की तुलना नहीं की गई। लेखा परीक्षा की नमूना जाँच ने उद्घाटित किया कि 10 उपभोक्ताओं के प्रकरण में सिक्योर इलेक्ट्रानिक मीटरों ने चुम्बकीय शील्डिग के बाद नवम्बर 1999 से मई 2000 के दौरान उच्च उपभोग का अभिलेखन किया। इसने इंगित किया कि चुम्बकीय शील्डिग के पहले ऊर्जा का निम्न उपभोग अभिलिखित किया गया जिससे परिशिष्ट–15 के अनुसार 77.79 लाख रूपए की हानि हुई।

(II) तीन फेज चार तार इलेक्ट्रानिक मीटरों में न्यूट्रल तार का दुरुपयोग

सिक्योर मेक के तीन फेज चार तार इलेक्ट्रानिक मीटर रूके पाए गए थे, जब मीटरों के भार पक्ष वाले न्यूट्रल तार में किसी इलेक्ट्रानिक उपकरण द्वारा कृत्रिम सिगनल्स पेबस्त कर दिए गए। तद्नुसार सदस्य (वितरण) ने क्षेत्रीय इकाइयों को चौथा (न्यूट्रल) तार हटाकर उपरोक्त मीटरों को तीन फेज तीन तारों सहित प्रयोग हेतु अगस्त 1999 में निर्देश दिये। अक्टूबर 1998 से दिसम्बर 1998 के दौरान दिए गए आदेशों के बदले फर्म द्वारा आपूर्तित 27000 तीन फेज चार तार इलेक्ट्रानिक मीटरों से न्यूट्रल तार हटाए जाने की स्थिति ई एस पी सी–III के पास केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं थी। न्यूट्रल तार हटाए जाने के बाद भी मीटरों में पीछे छोड़े गए छेद के जरिए इनमें धीमा चलने हेतु हस्तक्षेप किया जा सकता था, जैसा कि मुख्य अभियन्ता (वितरण–पश्चिम), मेरठ द्वारा जुलाई 2000 में देखा गया।

लेखा परीक्षा की नमूना जाँच ने दर्शाया कि पूजा ग्लास वर्क्स, फिरोजाबाद (भार:78 के वी ए) तथा अजीत कोल्ड स्टोरेज, अलीगढ़ (भार:120 के वी ए) के परिसर पर संस्थापित सिक्योर मेक के तीन फेज चार तार इलेक्ट्रानिक मीटरों ने क्रमशः सितम्बर 1999 तथा अक्टूबर 1999 में न्यूट्रल तार हटाए जाने के बाद उच्च उपभोग का अभिलेखन किया। इसने न्यूट्रल तार हटाए जाने के पहले कमतर अभिलिखित उपभोग के कारण 6.14 लाख रुपये की राजस्व हानियों को इंगित किया।

(III) सिक्योर मीटर में अन्य कमियॉ

मुख्य अभियन्ता (वितरण–पश्चिम), मेरठ की इस आशय की आख्या (जुलाई 1999), कि सिक्योर मीटरों की संस्थापना से शुरूआत में अभिलिखित उपभोग मे वृद्धि हुई थी परन्तु बाद में उपभोग प्रवृत्ति गिरनी शुरू हो गई, के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता के परिसर पर ऐसे मीटरों की संस्थापना से अभिलिखित उपभोग में सम्पूर्ण सुधार नहीं हुआ। नमूना जाँच ने उद्घाटित किया कि परिशिष्ट–16 में दिए गए उपभोक्तावार विवरण के अनुसार 13 उपभोक्ताओं के परिसर में मार्च 1998 से सितम्बर 2000 के दौरान सिक्योर मीटरों की संस्थापना के पूर्व अभिलिखित उपभोग के स्तर की तुलना में, सिक्योर मीटर की संस्थापना के पश्चात् अभिलिखित उपभोग 1.29 करोड़ यूनिटों (मूल्यः 2.51 करोड़ रुपये) तक घट गया था।

इस प्रकार सिक्योर मेक इलेक्ट्रानिक मीटरों की संस्थापना ऊर्जा की चोरी को बचाने के इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही जो 1996–97 में 31 से 36 प्रतिशत से, 1999–2000 में 37 से 56 प्रतिशत तक हुई लाइन हानियों की बढ़ती प्रवृत्ति से स्पष्ट है।

डिजाइन/निर्माणात्मक कमियों वाले सिक्योर मीटरो की अधिप्राप्ति के कारणों के उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जाँच नही की गई।

(ख) गारण्टी अवधि में मीटरों की विफलता

सम्बन्धित क्रयादेशों की शर्तो के अधीन मीटरों के सम्पादन की गारण्टी आपूर्ति की तिथि से 18

मीटरों के हिस्ट्री कार्डों का रख–रखाव न किये जाने से गारण्टी अवधि में मीटरों की विफलता पर नियन्त्रण की कमी रही

माह या संस्थापना की तिथि से 12 माह जो भी पहले हो, की अवधि तक है। हिस्ट्री कार्डो के अभाव में, मीटरों की गारन्टी अवधि में विफलता को सुनिश्चित नही किया जा सका और इसलिए ऐसे मीटरों की मरम्मत तथा बदलाव कम्पनी के खर्च पर किया गया। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु देखे गए :

(i) जून 1996 से नवम्बर 2000 के दौरान सात वि.प.ख. /वि.वि.ख. में 196 एकल फेज मीटर तथा 206 बहुल फेज मीटर मूल्य 3.38 लाख रू0 अपनी संस्थापना के एक वर्ष में विफल हो गए। सम्बन्धित खण्ड द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकी। यह भी देखा गया कि ई एस पी सी–III द्वारा वि.प.ख. से सम्पादन आख्या प्राप्त किए बिना ही आपूर्तिकत्ताओं को समय–समय पर प्रतिभूति जमा को अवमुक्त कर दिया गया।

(ii) प्रत्येक माह प्रत्येक मेक के मीटरों की संख्या के साथ ही प्रत्येक मेक के खराब मीटरो की संख्या दर्शाने वाली एक कम्प्यूटर आख्या प्राप्त की जाती है। लेखा परीक्षा में नमूना जाँच वाले 14 वि.वि.ख. में से केवल चार वि.वि.ख. की कम्प्यूटर रिपोर्ट में 5608 मीटर जो सितम्बर 2000 के अन्त में दोषपूर्ण घोषित कर दिए गए थे, मे से केवल 2369 मीटरों के सम्बन्ध में मेक वार दोष पूर्ण मीटरों की आंशिक स्थिति शामिल थी। यद्यपि इन आख्याओं ने दर्शाया कि विभिन्न मेक के खराब मीटरों का प्रतिशत 2.1 से 9.1 के बीच रहा, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

भूतकाल में आपूर्तित मीटरो का सम्पादन संतोषजनक न होने के बावजूद कम्पनी ने दो फर्मो से मीटर खरीदना जारी रखा

(iii) वर्ष 1993–94 के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के प्रस्तर 3.4.5(ख) में हरियाणा मीटर्स(इंडिया)लि0,नोएडा और मीटर्स इंडिया लिमिटेड, गाजियाबाद द्वारा आपूर्तित 30896 एकल फेज (मूल्य: 6.31लाख रुपये) एवं 1375 तीन फेज (मूल्य:4.13 लाख रुपये) दोषपूर्ण मीटरों के मरम्मत/बदलाव न किए जाने का उल्लेख किया गया था। इन दो फर्मो द्वारा इन मीटरों की मरम्मत/बदलाव को सुनिश्चित लिए बगैर ई एस पी सी–III ने एक्यूरेट मीटर्स लि0, नोएडा (पूर्व में हरियाणा मीटर्स लि0) से 5.25 लाख इलेक्ट्रो मेकैनिकल मीटर्स तथा माडर्न इन्स्ट्रूमेन्टस लि0,गाजियाबाद (पूर्व में मीटर्स इंडिया लि0,गाजियबाद) से 3.61 लाख मीटरों का क्रय 1995–96 से 1999–2000 के दौरान किया।

(ग) मीटरों में अत्यधिक दोष/खराबियां

14 से 23 प्रतिशत मीटरों के मामले में मीटर पाठन नहीं लिया गया जबकि 10 से 30 प्रतिशत के बीच मीटर दोषपूर्ण थे

कम्पनी के मुख्यालय पर संकलित कम्प्यूटर बिलिंग सार प्रतिवेदन में घरेलू बत्ती एवं पंखा, वाणिज्यिक बत्ती एवं पंखा तथा लघु एवं मध्यम शक्ति के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में पाठयांकन नहीं (एन आर) एवं पहुंच नही (एन ए) वाले मीटरों को छोड़कर मीटरों की एक बड़ी संख्या को दोषपूर्ण सूचित (आई डी एफ), दोषपूर्ण प्रतीत (ए डी एफ) तथा त्रुटिपूर्ण पाठ्यांको सहित (आर डी एफ), इंगित किया गया। मार्च 1999, मार्च 2000 तथा सितम्बर 2000 के अन्त में (पूर्ववर्ती अवधि के विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए) ऐसे दोषपूर्ण मीटरों की संख्या, तथा कुल मीटरों का उनका प्रतिशत आगे दिया गया है:

	31 मार्च 1999			31 मार्च 2000			30 सितम्बर 2000		
	घरेलू बत्ती पंखा	वाणिज्यिक बत्ती पंखा	लघु मध्यम	घरेलू बत्ती पंखा	वाणिज्यिक बत्ती पंखा	लघु मध्यम	घरेलू बत्ती पंखा	वाणिज्यिक बत्ती पंखा	लघु मध्यम
					(मीटर लाख में)				
(क) कुल मीटर[21]	34.29	6.85	2.08	35.19	6.98	1.40	34.05	6.48	1.37
(ख) एन आर/एन ए	7.39	1.40	0.29	7.95	1.41	0.25	7.66	1.35	0.23
(ग) (क) से (ख) का प्रतिशत	21.55	20.44	13.94	22.59	20.20	17.86	22.50	20.83	16.79
(घ) एन आर/एन ए को छोड़कर मीटर	26.90	5.45	1.79	27.24	5.57	1.15	26.39	5.13	1.14
(ड.)आई डी एफ/ए डी एफ/आर डी एफ	7.38	1.13	0.18	7.97	1.16	0.16	7.87	1.00	0.14
(च) (घ) से (ड.) का प्रतिशत	27.43	20.73	10.06	29.26	20.83	13.91	29.82	19.49	12.28

इस प्रकार जब कि 13.94 से 22.59 प्रतिशत मीटरों के मामलें में मीटर पाठ्यांकन नहीं अभिलिखित किया गया, कुल दोषपूर्ण मीटर 10.06 से 29.82 प्रतिशत थे जो 1998–99 तथा 1999–2000 में हरियाणा राज्य विद्युत परिषद में 3.95 से 7.88 प्रतिशत दोषपूर्ण मीटरों की तुलना में बहुत अधिक थे। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को उनके संविदागत भार जो सामान्यतः वास्तविक जुड़े भार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, के आधार पर निर्धारित ऊर्जा की यूनिटों के लिए बिल किया गया । निषेधात्मक, दण्डात्मक तथा उपचारात्मक उपाय करने हेतु कम्पनी द्वारा दोषपूर्ण मीटरों की उच्च प्रतिशतता के कारणों की जाँच नहीं की गई।

(घ) दोषपूर्ण मीटरों का बदला न जाना

खराब मीटर बिना बदले 20 वर्ष तक पड़े रहे

(i) जैसा कि कम्पनी की कामर्शियल एवं रेवेन्यु मैनुअल के प्रस्तर 5.9 में विनिर्दिष्ट है, दोषपूर्ण/खराब मीटरों को जितना शीघ्र संभव हो, अधिक से अधिक से तीन माह की अवधि में बदल दिया जाना है। लेखा परीक्षा में नमूना जाँच किए गए 14 वि. वि. ख. के सम्बन्ध में कम्प्यूटर रिर्पोट (नं.8) ने प्रकट किया कि दोषपूर्ण/खराब मीटर घरेलू बत्ती एवं पंखा के मामले में 6 माह से अधिक एवं 20 वर्षो तक तथा वाणिज्यिक बत्ती एवं पंखा तथा लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ताओं के मामले में तीन माह से अधिक तथा 10 वर्षो तक नहीं बदले गए जैसा परिशिष्ट–17 में इंगित है।

इस प्रकार, 57583 तथा 7909 दोषपूर्ण मीटर, जो घरेलू बत्ती तथा पंखा उपभोक्ताओं के परिसर पर छः माह से अधिक तथा वाणिज्यिक बत्ती एवं पंखा तथा लघु एवं मध्यम शाक्ति उपभोक्ताओं पर तीन माह से अधिक संस्थापित रहे, कुल दोषपूर्ण मीटरों (81407 एवं 11309) का क्रमशः 70.73 प्रतिशत तथा 69.94 प्रतिशत थे। दोषपूर्ण/खराब मीटरों को शीघ्रता से न बदले जाने के

21 स्पाट बिलिंग के अन्तर्गत आने वाले संयोजनों को छोड़कर

कारणों का विश्लेषण कम्पनी द्वारा नहीं किया गया। ऐसे मामलों में विद्युत बीजक या तो न्यूनतम प्रभार के लिए या तदर्थ आधार पर जारी किए गए।

(ii) लेखा परीक्षा ने प्रकट किया कि अप्रैल 1997 से जुलाई 2000 तथा अप्रैल 1999 से जुलाई 2000 के दौरान क्रमशः वि.वि.ख. फिरोजाबाद (दस) तथा वि.वि.ख. अलीगढ़ (चार) में दोषपूर्ण मीटर रखने वाले 14 लघु एवं मध्यम शक्ति उपभोक्ता ऐसे मामलों में बिलिंग हेतु अक्टूबर 1996 में कम्पनी द्वारा निर्धारित 145 यूनिट प्रति बी एच पी प्रतिमाह के स्थान पर या तो न्यूनतम प्रभार या तदर्थ आधार पर बिल किए गए। इससे वि.वि.ख. फिरोजाबाद (5.23 लाख रुपये) तथा वि.वि.ख.I अलीगढ़ (1.23 लाख रुपये) द्वारा 6.46 लाख रुपये का कम प्रभारण किया गया।

मीटर के खराब होने की तिथि को अस्थायी विच्छेदन की तिथि मान लिये जाने के कारण 7.04 करोड़ रुपये के राजस्व बकाये की माफी की गई

(iii) कई दोषपूर्ण मीटर लम्बी अवधि तक एन आर, एन ए, आई डी एफ, ए डी एफ व आर डी एफ के अंतर्गत श्रेणीबद्ध रहे ऐसे मामलों में देयों के भुगतान न होने की दशा में अस्थायी विच्छेदन की तिथि को कम्प्यूटर में भरा जाना है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में कम्प्यूटर बिलिंग अस्थायी विच्छेदन की तिथि से छः माह तक ही सीमित रह जाती है और यदि ऐसे मामले अस्थायी विच्छेदन की तिथि से स्थायी विच्छेदन में परिवर्तित हो जाते है, तो केवल छः माह के राजस्व बकाया को ही माफ करने की आवश्यकता होती है। तथापि, दोषपूर्ण मीटरों के मामले में अस्थायी विच्छेदन की तिथि कम्प्यूटर में भरी नही गई। यह उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान करने का एक माध्यम बना क्योंकि इनमें से किसी कारण से (एन ए, एन आर, आई डी एफ, ए डी एफ, तथा आर डी एफ) मीटर पाठन बन्द होने की तिथि को ही अस्थायी विच्छेदन की तिथि मान लिया गया था और स्थायी विच्छेदन मामलों को निर्णीत करते समय अस्थायी विच्छेदन तथा स्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान बिल की गई सम्पूर्ण धनराशि को माफ कर दिया गया। इससे पूर्ववर्ती परिषद के मई 1997 के परिपत्र का भी उल्लंघन हुआ जिसमें वास्तविक स्थायी विच्छेदन की तिथि तक विद्युत प्रभार की वसूली का प्रावधान है। 14 वि.वि.ख. की लेखा परीक्षा की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि कम्प्यूटर डाटा में अस्थायी विच्छेदन की तिथि नहीं भरी गई और इस वि.वि.ख. में 1 से 18 वर्ष की अवधि के कुल 7.04 करोड़ रुपये के राजस्व बकाए को माफ करते हुए 1402 स्थायी विच्छेदन के मामलों को, पूर्ववर्ती प्रभाव से उस तिथि से, जब से एन ए/एन आर और आई डी एफ/ए डी एफ/आर डी एफ के कारण उपभोग को अभिलिखित नहीं किया गया, अस्थायी विच्छेदन की तिथि मानकर अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जैसा कि परिशिष्ट–18 में इंगित है।

(च) संस्थापनोपरान्त निष्प्रभावी जाँच

आठ वि.पा.ख. तथा 14 वि.वि.ख. के अभिलेखों की जाँच ने प्रकट किया कि 1996–97 से सितम्बर 2000 की अवधि के दौरान, 90688 दोषपूर्ण एवं खराब मीटर उपभोक्ताओं के परिसर से उतारे गए जबकि सितम्बर 2000 के अन्त में 92716 दोषपूर्ण मीटर उपभोक्ताओं के परिसर पर संस्थापित पड़े रहै। इस सम्बन्ध में देखी गई चूकें अग्रवत थीं:

(i) कम्पनी के वाणिज्यिक एवं राजस्व मैनुअल के प्रस्तर 5.1 के अनुसार 6 के वी ए, 6 के वी ए से ऊपर व 100 के वी ए तक, तथा 100 के वी ए से ऊपर के संविदागत भार वाले उपभोक्ता के परिसर के सभी मीटरों की परीक्षण, जाँच एवं विनियमन वि.प.ख. द्वारा क्रमशः 5 वर्ष, दो वर्ष तथा एक साल में कम से कम एक बार की जानी चाहिए। उक्त मैनुअल के प्रस्तर 5.2 की शर्तो के अनुसार मीटरों के निरीक्षण एवं जाँच का अभिलेख रखा जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि लेखा परीक्षा में जाँच किए गए 8 वि.प.ख. तथा 14 वि.प.ख. में से किसी ने भी इन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया और जैसा कि आगे के प्रस्तर 2अ.6(क) में उल्लिखित है, बड़ी संख्या में दोषपूर्ण मीटरों का सुधार/बदलाव नही किया गया।

(ii) मैनुअल के प्रस्तर 7.1 के अनुसार दोषपूर्ण मीटरों के मामलों में चेक मीटरों की स्थापना द्वारा तथा जाम एवं जले मीटरों के मामलों में पिछले उपभोग के आधार पर ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। मैनुअल के प्रस्तर 5.15 एवं 5.16 के अन्तर्गत वि.प.ख. को चेक मीटर लगाने हेतु संदर्भित मामलों को तथा वि.प.ख. से प्राप्त जाँच निष्कर्षो के अभिलेखन हेतु पृथक पंजिकाओं को रखा जाना है। नमूना में जाँच किए गए 14 वि.वि.ख. में से किसी ने भी वांछित पंजिकाएं नहीं रखी जिसके फलस्वरूप वि.वि.ख. द्वारा स्थापित चेक मीटरों की संख्या तथा वि.वि.ख. द्वारा किए गए निर्धारण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(iii) जहां तक इलेक्ट्रानिक मीटरों की संस्थापनोपरान्त जाँच का सम्बन्ध है, इलेक्ट्रानिक मीटरों की आपूर्ति हेतु आदेशों में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा मीटर संस्थापना की तिथि के 12 माह की अवधि तक प्रतिमाह मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेन्ट (एम आर आई) द्वारा मीटर के इलेक्ट्रानिक आंकड़े को डाउन लोड करने तथा उनके प्रिंट आउट दिए जाने का प्राविधान था। इसके उपरान्त यह विभाग द्वारा इस उददेश्य से क्रय किये गये कामन मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेंट (सी एम आर आई) द्वारा किया जाना था। यह देखा गया कि एम आर आई आख्या यदि सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्राप्त हुई, के निष्कर्षो को वि.पा.ख. द्वारा वि.वि.ख. को नियमित रूप से नहीं भेजा गया जबकि विभागीय सी एम आर आई के मामले में प्रिंट आउट इस सम्बन्ध में आवश्यक सुविधाओं के अभाव के आधार पर प्राप्य नहीं थे।

क्षतिग्रस्त मीटरों की लागत 1.22 करोड़ रुपये उनके बदले जाने के पूर्व उपभोक्ताओं से वसूली नहीं गई

(iv) मैनुअल के प्रस्तर 5.22 के अनुसार, सम्बन्धित उपभोक्ता को खराब मीटर की लागत इसके बदले जाने के पूर्व, जमा की जानी है, और यदि प्रयोगशाला में जाँच में पोटेन्शियल क्वायल खराब पाया जाता है तो, उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी धनराशि को अगले विद्युत बीजक में क्रेडिट किया जाता है। तथापि, 1.22 करोड़ रुपये (लगभग) के 23007 खराब मीटरों के बदले जाने के पूर्व कोई भी राशि वसूली नहीं गई।

(v) उतारे गए दोषपूर्ण मीटरों में उनके बदले जाने के पूर्व की अशुद्धता की सीमा सुनिश्चित नही की गई जिसके परिणामस्वरूप मैनुअल के प्रस्तर 7.1 की शर्तो के अधीन कम से कम पिछले छः माह का राजस्व निर्धारण नहीं किया जा सका।

14 वि.वि.ख. की नमूना जॉच ने प्रकट किया कि मई 1997 से अक्टूबर 2000 के दौरान उतारे गए मीटरों के स्थान पर संस्थापित नए मीटरों में 41 उपभोक्ताओं के मामले में ऊर्जा का उच्चतर उपभोग अभिलिखित हुआ पर अभिलिखित उच्चतर उपभोग के आधार पर ऊर्जा के वास्तविक

उपभोग का निर्धारण नहीं किया गया। इससे कम्पनी परिशिष्ट–19 में दिए गए विवरणों के अनुसार 1.58 करोड़ रूपए के संभावित राजस्व से वंचित रही।

चेक मीटर के निष्कर्षो के अनुसार विद्युत बिलो का पुनरीक्षण किये जाने से 0.07 करोड़ रुपये का कम निर्धारण हुआ

(vi) 1800 के वी ए के संविदागत भार रखने वाले में मोतीलाल स्टील्स लिमिटेड, झाँसी (रोलिंग मिल्स) के परिसर पर संस्थापित सिक्योर मेक का विद्यमान इलेक्ट्रानिक मीटर (सं0 यू पी ई 3439) 28 दिसम्बर 1998 को संस्थापित सिक्योर मेक के चेक मीटर (सं0 यू पी ई 203) के निष्कर्ष आधार पर 69.2 प्रतिशत धीमा पाया गया। दिसम्बर 1998 में 0.91 लाख यूनिटों के अभिलिखित उपभोग को तदनुसार 2.95 लाख यूनिटों में संशोधित कर दिया गया। तथापि, नवम्बर 1998 तथा अक्टूबर 1998 में 1.13 लाख तथा 2.54 लाख यूनिटों को 3.68 लाख तथा 8.25 लाख यूनिटों से संशोधित नहीं किया गया और 132 के वी उपकेन्द्र से निकलने वाले सम्मिलित पोषक से बाहर भेजी गई ऊर्जा की मात्रा के आधार पर क्रमशः 2.39 लाख और 2.54 लाख यूनिटों के लिए उपभोक्ता को बिल किया गया जिससे 7.28 लाख रुपये का कम निर्धारण हुआ। अभिलिखित यूनिटों के संशोधन हेतु दो विभिन्न मापदण्डों का प्रयोग न्यायोचित नहीं है और अक्टूबर तथा नवम्बर 1998 के माह की अभिलिखित यूनिटों के संशोधन हेतु केवल दिसम्बर 1998 में प्रयुक्त चेक मीटर के आधार को लिया जाना चाहिए था।

(vii) 5100 के वी ए का संविदागत भार रखने वाली शिवांगी स्टील लि0, झाँसी (इन्डक्शन फरनेस) के सम्बन्ध में 24 फरवरी 1999 से 5 अप्रैल 1999 की अवधि के मीटर पाठ्यांकन प्रपत्र मे पोटेंशियल परिवर्तक के बी फेज को दोषपूर्ण इंगित किया गया। विद्यमान मीटर (सं0 यू पी ई–3471) को एक दूसरे इलेक्ट्रानिक मीटर (सं0 यू पी ई 3439) से बदले जाने से सम्बंधित दिनाँक 19.04.1999 के सीलिंग प्रमाणपत्र में टिप्पणी थी कि 6 अप्रैल 1999 से विद्युत आपूर्ति सीधी (डाइरेक्ट) दी गयी थी। इस प्रकार पुराने मीटर ने 5 अप्रैल 1999 तक के उपभोग को अभिलिखित किया और उपभोक्ता को 24 फरवरी 1999 से 5 अप्रैल 1999 के दौरान अभिलिखित 31.33 लाख यूनिटों के लिए बिल किया जाना था जिसके बदले उपभोक्त वि.वि.ख.–II झाँसी द्वारा 33 के वी के मिश्रित पोषक से भेजी गई ऊर्जा के आधार पर 25.12 लाख यूनिटों के लिए बिल किया गया जो वास्तविक उपभोग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है क्योंकि 1998–99 में लाइन हानियाँ 38.2 प्रतिशत थीं। इस प्रकार उपभोक्ता को 6.21 लाख कम बिल की गई यूनिटों के लिए 6.46 लाख रूपए तक कम प्रभारित किया गया।

पुनः, मार्च 1999 में वास्तविक अधिकतम मांग 8440 के वी ए अभिलिखित की गई। तथापि, मीटर में दोषों के आधार पर 5100 के वी ए के मांग प्रभार हेतु उपभोक्ता को बिल किया गया जिससे 46.76 लाख रुपये के मांग प्रभारों की कम वसूली हुई। कम्पनी द्वारा एम आर आई आख्या के सन्दर्भ में अभिलिखित मांग में त्रुटियों की प्रकृति एवं सीमा का परीक्षण नहीं किया गया।

अभिखिलित माँग का बिल न किये जाने से 0.57 करोड़ रुपये का कम प्रभारण हुआ

(viii) 2000 के वी ए संविदागत भार रखने वाले जगदम्बा मेलेबिल्स लि0 झाँसी (इन्डक्शन फरनेस) के परिसर पर 29 जून 1998 तथा 10 मार्च 1999 को तथा 1800 के वी ए भार रखने वाले मोतीलाल स्टील्स लि0, झाँसी (रोलिंग मिल्स) के परिसर पर 6 अप्रैल 1999 को प्रारम्भिक क्यूमुलेटिव माँग शून्य पर सिक्योर मेक इलेक्ट्रानिक मीटर संस्थापित किए गए। तीनों मीटरों में 25 अगस्त 1998, 5 अप्रैल 1999 तथा 22 जून 1999 को अभिलिखित क्यूमुलेटिव माँग के आधार

पर उपभोक्ता क्रमशः जुलाई तथा अगस्त 1998 हेतु 6030 के वी ए, मार्च 1999 हेतु 4350 के वी ए तथा अप्रैल एवं मई 1999 हेतु 3630 के वी ए की वास्तविक अधिकतम् मांग के लिए बिल योग्य थे। तथापि, वि. वि.ख.II झाँसी द्वारा उपभोक्ताओं को क्रमशः 4330 के वी ए, 2010 के वी ए तथा 3575 के वी ए के लिए बिल जारी किए गए। इससे 57.19 लाख रुपये के मांग प्रभार के कम बिल जारी हुये। खण्डीय अधिकारी का कथन (जून 2000) था कि उक्त क्यूमुलेटिव मांग में उन्हीं मीटरों में अन्य उपभोक्ताओं जहाँ ये मीटर पहले ही संस्थापित थे, की अभिलिखित वास्तविक मांग सम्मिलित थी। पिछले उपभोक्ताओं के मामलों में अभिलिखित एवं बिल की गई मांग के समर्थन में कोई विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्य लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ix) 2100 के वी ए (मार्च 1999 से 1400 के वी ए तक घटा दिया गया) के संविदागत भार वाले स्वदेशी कॉटन मिल, नैनी (इलाहाबाद) के परिसर पर संस्थापित मीटर जुलाई 1997 तथा जुलाई 1998 में दोषपूर्ण घोषित किए गए थे। अप्रैल 1998 में मीटर बाक्स की सील टूटी पाई गयी तथा जुलाई 1998, नवम्बर 1999 व अक्टूबर 2000 में पी टी तथा सी टी भी दोषपूर्ण घोषित किये गये। उपभोक्ता को 27 अप्रैल से 26 जुलाई 1998 के दौरान मीटर में अभिलिखित ऊर्जा उपभोग के लिए उपकेन्द्र पर संस्थापित मीटर में 17 जुलाई 1998 से 16 नवम्बर 1999 के दौरान पाठन के अनुसार बाहर भेजी गई ऊर्जा के आधार पर बिल किया गया।

दोषपूर्ण मीटर को 19 माह तक न बदले जाने से 0.50 करोड़ रुपये का कम प्रभारण हुआ

27.04.98 से 16.11.99 तक की लम्बी अवधि तक दूसरा सही मीटर संस्थापित न किए जाने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। दोषपूर्ण मीटरों के मामले में निर्धारण विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम, 1984 के प्रस्तर 20(iii)(ए) के अनुसार पिछले तीन लगातार महीनो के औसत उपभोग के आधार पर किया जाना है। तद्नुसार, उपभोक्ता फरवरी 1998 से अप्रैल 1998 के दौरान औसत 7657 यूनिट प्रतिदिन के आधार पर 27.04.1998 से 16.11.1999 तक (569 दिन) में 43.57 लाख यूनिटों के लिए बिल किए जाने योग्य था जिसके बदले उपभोक्ता 26.28 लाख यूनिटों के लिए बिल किया गया। इससे 27.04.1998 से 16.11.1999 के दौरान 17.29 लाख कम बिल की गई यूनिटों के कारण 49.96 लाख रुपये का कम प्रभारण हुआ।

(x) भारी उच्च शक्ति उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची के अनुसार यदि पावर फैक्टर (के डब्ल्यू एच[22] का के वी ए एच[23] से अनुपात) 0.85 से नीचे पाया जाता है, उसमें निर्धारित दरों पर निम्न पावर फैक्टर प्रभार लगाया जाना है। 2500 के वी ए के संविदागत भार वाले बाल्स एन्ड सिलपेब्स लि0 (यूनिट–II), झाँसी के परिसर पर संस्थापित मीटर ने 0.29 का निम्न पावर फैक्टर (के डब्ल्यू एच 406800/के वी ए एच 1412950) अभिलिखित किया परन्तु इसकी अनदेखी की गयी और मई 2000 में 4.35 लाख रुपये का निम्न पावर फैक्टर अधिभार उपभोक्ता से इस आधार पर नहीं वसूल किया गया कि मीटर का के वी ए एच हिस्सा दोषपूर्ण था। कम्पनी द्वारा एम आर आई आख्या के संदर्भ में के वी ए एच पाठन में त्रुटियों की प्रकृति एवं सीमा का परीक्षण नहीं किया गया।

22 के डब्ल्यू एच किलोवाट घण्टा के लिए है।

23 के वी ए एच किलो वोल्ट एम्पियर घण्टा के लिए है।

(छ) सन्देहात्मक कदाचरण के कारण उपभोक्ता के परिसर पर मीटरो की बारम्बार विफलता

नमूना जाँच ने प्रकट किया कि 10 उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटरों का बदलाव बारम्बार हुआ जैसा कि परिशिष्ट–20 में उल्लिखित है।

न तो एम आर आई आख्या के माध्यम से मीटरों की बारम्बार विफलता के कारणों तथा राजस्व की परिणामी हानि की छानबीन करने के लिए कोई जाँच की गई और न ही विफल मीटरों की कीमत सम्बंधित आपूर्तिकर्त्ताओं से या उपभोक्ताओं से वसूल की गई। नमूना जाँच ने निम्न बिन्दुओं को उद्घाटित किया।

(i) वाणिज्यिक एवं राजस्व मैनुअल के प्रस्तर 7.1(सी) के अनुसार दोषपूर्ण मीटरों की शुद्धता की जाँच एक चेक मीटर की संस्थापना करके की जानी है और तद्नुसार उपभुक्त ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है।

शिवांगी स्टील लि0, झाँसी के बिलिंग सम्बन्धी अभिलेख की नमूना जाँच ने उद्घाटित किया कि पी टी, मई 1997, दिसम्बर 1997, नवम्बर 1998, अप्रैल 1999 तथा जनवरी 2000 में दोषपूर्ण/खराब घोषित की गईं और बदली गईं, सितम्बर 1997 से अप्रैल 1999 के दौरान मीटर नौ बार दोषपूर्ण/खराब घोषित किए गए और बदले गए, 150/1 एम्पियर का करेन्ट ट्रांसफार्मर (सी टी) जुलाई 1998 में 50/1 एम्पियर की सी टी द्वारा बदला गया जो फरवरी 1999 में भी 150/1 एम्पियर के सी टी द्वारा बदला गया। तथापि, उपभोक्ता के परिसर पर चेक मीटर की संस्थापना नहीं की गई।

चेक मीटर की संस्थापना न किये जाने से 1.61 करोड़ रुपये की हानि हुई

इलेक्ट्रो–मेकैनिकल मीटरों में अभिलिखित उपभोग के आधार पर उपभोक्ता को वि.वि.ख.II, झाँसी द्वारा मार्च 1997 से अप्रैल 1998 के दौरान 60.22 लाख यूनिटों (4.30 लाख यूनिट प्रतिमाह) के लिए बिल किया गया, जबकि इलेक्ट्रानिक मीटरों ने उसी संविदागत भार पर ऊर्जा की 94.32 लाख यूनिटों (11.79 लाख यूनिट प्रति माह) का जुलाई 1998 के फरवरी 1999 के दौरान अभिलेखन किया। इसने, मार्च 1997 से अप्रैल 1998 की अवधि के दौरान कम बिल की गयी 1.05 करोड़ यूनिट के लिये 7.49 लाख यूनिट प्रति माह पर 3.08 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1.61 करोड़ रुपये (50 प्रतिशत विकास छूट को अनुमन्य करते हुए) के राजस्व की हानि को इंगित किया।

दोषपूर्ण मीटर की पुनः संस्थापना से 0.43 करोड़ रुपये की हानि हुई

एल एण्ड जी मेक (इलेक्ट्रो–मेकैनिकल) मीटर को मार्च 1998 में सिक्योर मेक के एक इलेक्ट्रानिक मीटर द्वारा बदला गया। इलेक्ट्रॉनिक मीटर ने मीटर पाठन का प्रदर्शन नहीं किया और 2 मई 1998 को पहले वाले (इलेक्ट्रो–मेकैनिकल) मीटर से बदल दिया गया। इलेक्ट्रो–मेकैनिकल मीटर ने 27 मार्च 1998 से 2 मई से 29 जून 1998 के दौरान पूर्व में निर्धारण की गई 44944 यूनिट प्रति दिन तथा 29 जून 1998 को एक दूसरे इलेक्ट्रानिक मीटर की संस्थापना के पश्चात 29 जून 1998 से 25 जुलाई 1998 के दौरान अभिलिखित 38782 यूनिट प्रति दिन के विरूद्ध 2 मई 1998 से 29 जून 1998 के दौरान 14144 यूनिट प्रतिदिन का उपभोग अभिलिखित किया। इस प्रकार, एल एण्ड जी मेक इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटर के पुनर्संस्थापन से, जो पूर्व में रूकी हुई अवस्था में बदल दिया गया था, 14144 यूनिट प्रति दिन के निम्न उपभोग का अभिलेखन हुआ और जिससे

38782 यूनिट प्रतिदिन की तुलना में 2 मई से 29 जून 1998 (58 दिन) के दौरान कम बिल की गई 14.29 लाख यूनिटों के लिए 43.10 लाख रुपये की हानि हुई।

(ii) जय जगदम्बा मेलेबिल्स लिमिटेड, झाँसी के परिसर पर 29 जून 1998 को संस्थापित सिक्योर मेक इलेक्ट्रानिक मीटर में नवम्बर 1998 से फरवरी 1999 की अवधि में ऊर्जा की निम्न इकाइयाँ अभिलिखित की गई :

माह	के डब्लू एच	के वी ए एच	पावर फैक्टर (के डब्ल्यू एच/के वी ए एच)	मॉग (के वी ए)			
	(यूनिट लाख में)			काउन्ट्स संख्या	क्यूमुलेटिव यूनिटों पर आधारित	मासिक यूनिटों पर आधारित	बिल की गई
नवम्बर 1998	9.48	8.68	1.09	n 09	1980	1980	1980
दिसम्बर 1998	7.91	16.92	0.47	n 37	126220	5530	2000
जनवरी 1999	9.19	13.44	0.68	n 71	84130	10220	2000
फरवरी 1999	8.81	9.08	0.97	n 91	36510	4030	2000

मीटर का के डब्लू एच हिस्सा सही माना गया और उपभोक्ता को तद्नुसार वि.वि.ख.–II, झाँसी द्वारा बिल किया गया। तथापि, के वी ए तथा के वी ए एच हिस्से दोषपूर्ण माने गए जिसके कारण पावर फैक्टर 0.85 से नीचे गिरने के कारण (दिसम्बर 1998 तथा जनवरी 1999) 11.28 लाख रुपये निम्न पावर फैक्टर अधिभार नही बिल किया जा सका। मीटर के त्रुटिपूर्ण व्यवहार के कारणों ने उपभोक्ता द्वारा कदाचरण की गन्ध का आभास कराया जिसकी एम आर आई आख्याओं के सन्दर्भ में कोई विश्लेषण नहीं किया गया।

इलेक्ट्रानिक मीटरों के लगातार विफल होने के कारण 0.22 करोड़ रुपये का कम प्रभारण हुआ

(iii) जनवरी से अक्टूबर 1999 के केवल 10 माह की अवधि में शिवांगी फेरस प्रा0लि0, उरई के परिसर पर सिक्योर मेक के आठ इलेक्ट्रानिक मीटर पाठन का प्रदर्शन न होने के आधार पर बदले गए। सी टी तथा पी टी भी मार्च 1999, मई 1999, जुलाई 1999, सितम्बर 1999, तथा अक्टूबर 1999 में दोषपूर्ण/खराब पायी गई। न तो मीटरो की सी टी तथा पी टी की गुणवत्ता की जाँच की गई और न ऊर्जा के वास्तविक उपभोग के अभिलेखन से बचने के लिए उपभोक्ता द्वारा अपनाए गए गलत साधनों, यदि कोई हो, की संभावना की जाँच की गई। एम आर आई आख्या के निष्कर्ष भी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।

उपभोक्ता को पिछले वर्ष में उसी अवधि के दौरान अभिलिखित उपभोग पर आधारित बिल योग्य 16.12 लाख यूनिटों के लिए उपभोक्ता की गलती के कारण क्षतिग्रस्त आठ मीटरों तथा सी टी/पी टी की लागत को शामिल न करके 22.36 लाख रुपये कम प्रभारित किया गया।

(ज) करेन्ट ट्रांसफार्मर तथा पोटेन्शियल ट्रांसफार्मर में दोष

उपभोक्ताओं को उच्च विभव पर ऊर्जा की आपूर्ति के मामले में उपभोक्ताओं के संविदागत भार तथा आपूर्ति के विभव पर आधारित उपयुक्त क्षमता के धारा परिवर्तक (सी टी) तथा पोटेन्शियल

परिवर्तक (पी टी) ऊर्जा मीटरों के साथ संस्थापित किए जाते हैं। चूंकि ऐसे मीटरों के माध्यम से ऊर्जा कमतर विभव पर गुजरती है, इसलिए मीटर पर अभिलिखित ऊर्जा की इकाइयों को सम्बन्धित उपभोक्ता को वास्तविक रूप से आपूर्तित ऊर्जा की मात्रा को जानने हेतु सी टी तथा पी टी की क्षमताओं पर आधारित गुणांक से गुणित कर दिया जाता है। लेखा परीक्षा की नमूना जॉच ने सी टी/पी टी में दोष तथा गुणांको में अशुद्धता के मामलों को उद्घाटित किया जो राजस्व के अल्प प्रभारण में फलित हुआ जैसा नीचे उल्लिखित है:

सी.टी.तथा पी.टी.में दोषो के लिए निर्धारण न किये जाने से 0.15 करोड़ रुपये का कम निर्धारण हुआ

(i) विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) विनियम, 1984 के प्रस्तर 20(iii)(ए) के अनुसार मीटर में दोषों के मामले में निर्धारण पिछले तीन क्रमागत माह के औसत उपभोग के आधार पर किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसा निर्धारण वि.वि.ख. (नगरीय) II, वाराणसी द्वारा सी टी तथा पी टी में दोषों के मामले में, नहीं किया गया जिससे 15.23 लाख रुपये का कम प्रभारण हुआ जैसा कि नीचे उल्लेखित है:

उपभोक्ता का नाम	संविदागत भार/ आपूर्ति का विभव	दोषों की प्रकृति	निर्धारण की अवधि	निर्धारण का आधार	बिल योग्य यूनिट (लाख में)	बिल की गई यूनिट (लाख रूपये में)	अल्प प्रभारित धनराशि (लाख रूपये में)
ताज होटल, वाराणसी (मालिक, बनारस होटल प्रा0लि0)	800 के वी ए/ 11 के वी	जैसा कि सीलिंग प्रमाण पत्र सं0 87 दिनांकित 05.02.98में उल्लेख टी (एच टी साइड) का बी फेज फ्यूज जल गया था।	01.12.97 से 05.02. 98 तक (66 दिन)	9/97 से 11/97के दौरान 6120 यूनिट प्रतिदिन	4.04	1.66	9.53
होटल क्लार्क्स प्रा0लि0, वाराणसी	800 के वी ए/ 11 के वी	मीटर 9/97 में रूक गया और सी टी तथा पी टी टर्मिनल पर आक्सीकरण हुआ जिसके लिए निर्धारण की आवश्यकता थी जैसा कि 01.12.97 के मीटर पाठ्यांकन प्रपत्र तथा सीलिंग प्रमाण पत्र सं0 3/64 दि0 11. 12.97 में उल्लिखित था।	30.08.97 से 02.01. 98 तक (125 दिन)	6/97 से 8/97 के दौरान 5727 यूनिट प्रतिदिन	7.16	5.72	5.70
योग							**15.23**

(ii) 976 के वी ए के संविदागत भार वाले दरशन ऑयल मिल, अलीगढ़ के परिसर पर 28 सितम्बर 1998 को मीटर के बदलने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण–पत्र ने लाइन सी टी की क्षमता 60/4.8 एम्पियर इंगित किया। इस प्रकार, गुणांक 12.5 निकला जबकि अभिलिखित उपभोग की गणना 60/5 एम्पियर की क्षमता के सी टी के आधार पर (गुणांक 12)की गई। इससे अक्टूबर 1998 से दिसम्बर 2000 की दौरान कम बिल की गई 1.48 लाख यूनिटों तथा 200.45 के वी ए मांग के लिए 5.99 लाख रुपये का कम प्राभारण हुआ।

(iii) सी टी एवं पी टी मीटरिंग प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है और इसलिए कम्पनी द्वारा यथोचित रूप से जॉच की गई स्टैन्डर्ड मेक की विभागीय सी टी तथा पी टी संस्थापित की जानी चाहिए। नमूना जॉच ने उद्घाटित किया कि छः उपभोक्ताओं द्वारा उपलब्ध की गई पी टी उनके परिसर पर संस्थापित थी।

उपभोक्ता की अपनी पी टी की संस्थापना से 0.53 करोड़ रुपये की हानि हुई

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच ने उद्घाटित किया कि डायमण्ड सीमेन्ट फैक्टरी, झाँसी (संविदागत भारः 5530 के वी ए) के परिसर पर संस्थापित सभी तीनों विभागीय पी टी 21 जुलाई 1999 को खराब हो गई और उपभोक्ता को 21 से 28 जुलाई 1999 के दौरान सीधी आपूर्ति दी गई। खराब पी टी को उपभोक्ता की पी टी से 28 जुलाई 1999 को बदल दिया गया और अभिलिखित उपभोग, 21 से 28 जुलाई 1999 (सीधी आपूर्ति) के दौरान निर्धारित 71006 यूनिट प्रतिदिन तथा पूर्व में 1 से 21 जुलाई 1999 के दौरान अभिलिखित 69130 यूनिट प्रतिदिन के विरूद्ध 28 जुलाई 1999 से 27 अगस्त 1999 के दौरान 42387 यूनिट तक गिर गया। इस प्रकार, उपभोक्ता की पी टी की संस्थापना से पूर्व में अभिलिखित 69130 यूनिट प्रतिदिन की तुलना करने पर 28 जुलाई से 27 अगस्त 1999 के दौरान 53.22 लाख रुपये की हानि हुई। तथापि, उपभोक्ता की पी टी पर संस्थापना के पश्चात कम अभिलिखित उपभोग के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा कोई जाँच नहीं की गई।

अनुपयुक्त क्षमताओं की सी. टी. तथा पी. टी. के संस्थापन से 0.11 करोड़ रुपये की हानि हुई

(iv) सी टी तथा पी टी, उपभोक्ता के परिसर पर लम्बी अवधि तक संस्थापित पड़ी रहीं और मीटर बदले जाने पर भी नहीं बदली गई। वि.वि.ख., कसया (दस) तथा वि.वि.ख., प्रतापगढ़ (तीन)में 13 उपभोक्ताओं के परिसर पर संस्थापित लाईन सी टी उनके संविदागत भार के अनुसार एक रूप अनुपात वाली नहीं थी (विवरण परिशिष्ट–21 में दिए गए हैं)। लेखा परीक्षा के प्रश्न के उत्तर में (फरवरी 2001), वि.वि.ख., कसया ने कहा है कि मौजूदा सी टी को बदलने के लिए निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। नमूना जाँच ने उद्घाटित किया कि मधु रोलर एण्ड फलोरमिल, अलीगढ़, पशुपति कास्टिंग (प्रा) लि0, अलीगढ़ तथा ओ बी टी लि0, भदोही के मामलों में अप्रैल 1997 से मई 2000 के दौरान मौजूदा सी टी तथा पी टी को विभिन्न क्षमताओं वाली सी टी और पी टी से बदलने पर अभिलिखित उपभोग ने वृद्धि को अंकित किया। बढ़े हुए उपभोग की तुलना में, केवल पिछले छः माह में ही अभिलिखित कम उपभोग के कारण 11.36 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

2 अ. 6 मीटरों की मरम्मत

मीटर, विभाग द्वारा मरम्मत किए जाते है। लेखा परीक्षा की नमूना जाँच ने मरम्मत कार्य की प्रगति तथा उस पर हुए व्यय पर नियंत्रण की कमी को उद्घाटित किया जैसा कि नीचे चर्चित है :

(क) मरम्मत कार्य की प्रगति पर नियंत्रण का अभाव

विभिन्न वि.पा.ख. की न तो मरम्मत क्षमता और न ही वर्षवार मीटरों की मरम्मत के लक्ष्य निर्धारित किए गए। नमूना जॉच के अंतर्गत आठ वि.पा.ख. कै मामले में 1996–97 से 2000–2001 (सितम्बर 2000 तक) के दौरान मरम्मत किए गए (एस पी) तथा बहुल फेज (पी पी) मीटरों की वर्षवार स्थिति तथा सितम्बर 2000 के अन्त में मरम्मत बिना पड़े रहे ऐसे मीटरों की संख्या को परिशिष्ट–22 की तालिका दर्शाती है।

दोषपूर्ण मीटरों की मरम्मत न किये जाने से ऐसे मीटरो का भारी स्टॉक एकत्र हो गया

तालिका से स्पष्ट होगा कि प्रत्येक वि.प.ख. द्वारा प्रतिवर्ष मरम्मत किए गए मीटरों की संख्या 5 से 4163 के बीच रही जो कुछ वि.प.ख. द्वारा मीटरों की मरम्मत के कार्य के प्रति ध्यान दिये जाने के

पूर्ण अभाव को प्रदर्शित करती है। इससे 37101 मरम्मत हेतु दोषपूर्ण मीटरों का स्टाक एकत्र हो गया। जो आठ वि.पा.ख. के द्वारा अप्रैल 1996 से सितम्बर 2000 के दौरान कुल मरम्मत किए गए मीटरों की संख्या (46197) का 80.3 प्रतिशत था। इसमें वि.न.पा.ख., मुरादाबाद तथा वि.न.पा.ख., इलाहाबाद के क्रमशः 10924 तथा 19464 दोषपूर्ण मीटर सम्मिलित हैं। मरम्मत किए गए तथा मरम्मत के लिए प्रतीक्षारत दोषपूर्ण मीटरों के सम्पूर्ण स्टाक की स्थिति कम्पनी के मुख्यालय पर केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं थी। दोषपूर्ण मीटरों की शीघ्रता से मरम्मत के लिए उपयुक्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है विशेषकर जब कम्पनी नए संयोजन देने के लिए तथा खराब/दोषपूर्ण मीटरों को बदलने के लिए आवश्यक सेवायोग्य मीटरों की कमी का सामना कर रही है।

(ख) विभागीय मरम्मत की अत्याधिक लागत

न तो मरम्मत लागत का कोई मानक निर्धारित किया गया न उसके लिए कोई प्राक्कलन बनाया गया। मीटरों की मरम्मत पर किए गए सभी खर्चों को मीटरिंग उपकरणों के मरम्मत तथा रख–रखाव के अतंर्गत सम्मिलित किया गया जिसमें मरम्मत के अयोग्य मीटरों से निकाले गए तथा मीटरों की मरम्मत के लिए प्रयोग किए जाने वाले सेवा योग्य पुर्जो की लागत/मूल्य सम्मिलित नहीं है।

1996–97 से 2000–2001 (सितम्बर 2000 तक) के दौरान किए गए एम एण्ड आर पर खर्चों की स्थिति परिशिष्ट–23 में इंगित की गई है।

परिशिष्ट से देखा जा सकेगा कि मरम्मत किए गए प्रति मीटर का मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय न केवल विभिन्न वि.पा.ख. में वरन् प्रत्येक वि.प.ख. में वर्ष दर वर्ष काफी असमान है। यह 99 रुपये से 46777 रुपये प्रति मरम्मत किये गये मीटर के बीच रहा। ऐसा मरम्मत व रख–रखाव व्ययो पर नियंत्रण के अभाव तथा वि.प.ख.द्वारा कम संख्या में मीटरों की मरम्मत के कारण है।

(ग) क्षतिग्रस्त/जले हुए मीटरों का निस्तारण न होना

क्षतिग्रस्त मीटरो के सेवायोग्य पुर्जो का हिसाब नही रखा गया

1996–97 से 2000–2001 (सितम्बर 2000 तक) के दौरान 12207 खराब/जले मीटर निष्प्रयोज्य घोषित किए गए और स्क्रैप के रूप में भण्डार संगठन को स्थानान्तरित किए गए जबकि ऐसे 21957 मीटर सितम्बर 2000 के अन्त तक आठ वि.पा.ख. में पड़े थे। इन मीटरों के सेवा योग्य पुर्जो का हिसाब नहीं रखा गया जिसके कारण क्रय दिखाये गये स्पेयर पार्ट्स के स्थान पर उनका छलपूर्ण प्रयोग से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

निष्कर्ष

ऊर्जा मीटरों की अधिप्राप्ति के लिए निविदाओं के अंतिम रूप दिए जाने तथा आदेश निर्गत करने में देरी हुई जिससे न केवल आवश्यकता के समय मीटरों की अनुपलब्धता रही बल्कि कम्पनी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की कीमतो में गिरती प्रवृत्ति का लाभ उठाने से वंचित रही। मीटरों की अधिप्राप्ति में कमी से ऊर्जा की सीधी (अमीटरीकृत)आपूर्ति की गयी तथा दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मीटर बदले नही जा सके।

मीटरों की उनके वितरण तथा संस्थापना से पूर्व उचित रूप से जाँच नही की गई, मीटरों के हिस्ट्री कार्ड नहीं रखे गए, निर्धारित अन्तरालों पर दोषपूर्ण मीटरों की शुद्धता नहीं जाँची गई, दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त मीटर शीघ्रता से बदले नहीं गए तथा मीटरों के कार्य सम्पादन का अनुश्रवण नहीं किया गया जिससे उपभोक्ताओं से राजस्व का कम प्रभारण हुआ।

उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटरों की बारम्बार विफलता, जो संदेहात्मक कदाचरण के कारण थी, की जाँच ऊर्जा की चोरी की सीमा तथा उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए नही की गई।

मीटरों की मरम्मत के लिए न तो वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किए गए, न ही मरम्मत लागत के लिये कोई मानक/प्राक्कलन बनाया गया जिससे न केवल मरम्मत के लिए प्रतीक्षारत खराब मीटरों का एकत्रीकरण, वरन् मीटरों के रख–रखाव तथा मरम्मत पर अत्याधिक व्यय भी हुआ।

कम्पनी को ऊर्जा मीटरों का क्रय, परीक्षण, संस्थापन, जाँच, प्रतिस्थापन तथा मरम्मत की प्रक्रिया को परिष्कृत करना चाहिए।

उपरोक्त प्रकरण, प्रबन्धन और सरकार को जून 2001 में सूचित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2001)।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

2.ब ताप विद्युत केन्द्रों में सामग्री प्रबन्धन

मुख्य अंश

भूतपूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के निगमीकरण हो जाने पर सभी ताप विद्युत गृहों यथा ओबरा, पनकी, आनपारा, पारीक्षा एवं हरदुआगंज जिनकी संस्थापित क्षमता 4124 मेगावाट थी, को 14 जनवरी 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया था।

(प्रस्तर 2ब.1)

एक थोक क्रेता होने पर भी लुब्रीकेण्ट एवं आयातित बियरिंगों का क्रय बिना खुली निविदा के स्थान पर बगैर किसी छूट के अधिकतम फुटकर मूल्य पर एक कोटेशन के आधार पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप 2.41 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय करना पड़ा।

{प्रस्तर 2ब.4.1.1(क) एवं (ख)}

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यू पी आर वी यू एन एल) में सभी ताप विद्युत गृहों (टी पी एस) की सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने व मूल्यों में उच्चतर मितव्ययता को प्रभावी करने के लिए केन्द्रीय क्रय पद्धति का विकास नहीं किया गया।

{प्रस्तर 2ब.4.1.2(ख)}

स्पेयर एवं स्थानापन्न उपकरण बी सी पी की मरम्मत/जीर्णोद्धार यथा समय पर कराने में असफल रहने के कारण, आनपारा टी पी एस की इकाई संख्या–5 (500 मेगावाट) 14 दिन तक पूर्ण भार पर नहीं चल सकी जिसके परिणामस्वरूप 74.63 मेगा यूनिट कम उत्पादन के कारण 10.22 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

{प्रस्तर 2ब.4.1.4(क)}

भण्डार में अनिवार्य स्पेयर्स की कमी के कारण आनपारा टी पी एस की इकाई संख्या–2 (210 मेगावाट) का जीर्णोद्धार 45 दिन विलम्बित हुआ, परिणामस्वरूप 189 मेगा यूनिट कम विद्युत उत्पादन से 25.89 करोड़ रुपये मूल्य की हानि उठानी पड़ी।

{प्रस्तर 2ब.4.1.4(ख)}

प्राप्त खपत मानकों/गारण्टीड प्रचालन घण्टों को अनुरक्षित रख पाने में असफल रहने के कारण टी पी एस ने वर्ष 2000–2001 तक के पाँच वर्षों के दौरान 10.22 करोड़ रुपये की भण्डार सामग्रियों की अधिक खपत की।

{प्रस्तर 2ब.5.1(क)(ख)(ग),2ब.5.2 से 2ब.5.5}

13.27 करोड़ रुपये की सामग्री 5 से 10 वर्षों की अवधि के लिए अप्रयुक्त पड़ी रही। उसी प्रकार 3.87 करोड़ रुपये की मूल्य की निष्प्रयोज्य एवं स्क्रेप सामग्रियां अनिस्तारित पड़ी रहीं।

(प्रस्तर 2ब.6.2 एवं 2ब.9)

2ब.1 प्रस्तावना

'सामग्री प्रबन्धन' सामग्री प्रापण की योजना, क्रय एवं उपयोग के लिए एक समेकित प्रयास है। इसका उद्देश्य सामग्री लागत एवं इन्वेन्ट्री नियंत्रण एवं न्यूनतम भण्डारण लागत पर सामग्री की आवश्यक मात्रा एवं गुणवत्ता के प्रवाह की एकरूपता को उचित समय पर बनाये रखना है। भूतपूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यू पी एस ई बी) के निगमीकरण हो जाने पर ओबरा ('ए' एवं 'बी' टी पी एस), पनकी, आनपारा, परीक्षा एवं हरदुआगंज के ताप विद्युत गृहों(टी पी एस)जिनकी कुल संस्थापित क्षमता 31 मार्च 2001 के अन्त में 4124 मेगावाट थी, को 14 जनवरी 2000 से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यू पी आर वी यू एन एल) को हस्तांतरण हो गया। इन ताप विद्युत गृहों के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक सामग्री में मशीनरी स्पेयर्स, उपकरण एवं परिचालन भण्डार सामग्री मुख्य मदें हैं। वर्ष 1996–97 से 2000–2001 की अवधि के दौरान प्राप्त की गयी सामग्री (कोयला एवं तेल को छोड़कर) का औसत मूल्य कुल परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय का 28.38 प्रतिशत तक था।

2ब.2 संगठनात्मक ढ़ाँचा

यू पी आर वी यू एन एल के अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक में एक मुख्य अधिशासी की हैसियत से विद्युत गृहों के सम्पूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधिकार निहित हैं जिनके साथ सामग्री प्रबन्धन एवं भण्डार नियंत्रण जुड़े हैं।

प्रत्येक टी पी एस के क्रियाकलापों का प्रबन्धन मुख्य महाप्रबन्धकों द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता आनपारा एवं ओबरा टी पी एस में महाप्रबन्धक (प्रशासन),महाप्रबन्धक (परिचालन) द्वारा एवं अन्य टी पी एस में उप महाप्रबन्धकों द्वारा की जाती है।

2ब.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में ओबरा, हरदुआगंज, पनकी टी पी एस में भण्डार नियंत्रण

से सम्बन्धित विषयों पर समीक्षा प्रतिवेदित की गयी थी। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में समीक्षा पर विचार–विमर्श अभी तक नहीं हुआ है (मई 2001)।

वर्तमान समीक्षा, दिसम्बर 2000 से अप्रैल 2001 की अवधि के दौरान की गयी, जिसमें चार ताप विद्युत गृहों यथा ओबरा 'ए', ओबरा 'बी', पनकी एवं आनपारा (ओ एण्ड एम) के वर्ष 2000–2001 तक के पाँच वर्षों की अविध के दौरान सामग्री के प्रापण–ईंधन (कोयला एवं तेल) को छोड़कर, खपत एवं उपभोग, भण्डार नियंत्रण, आपूर्तिकर्त्ताओं को दिये अग्रिमों, स्क्रेप के निस्तारण एवं सामग्री के लेखाकरण आदि को समाहित किया गया है। लेखा परीक्षा प्रेक्षण पर अनुवर्ती प्रस्तरों में विचार किया गया है।

2ब.4 क्रय प्रक्रिया एवं सामग्री का अम्बार

विविध क्रय समितियों यथा–निगम निविदा समिति (1.50 करोड़ रुपये से ऊपर), निदेशक निविदा समिति (50.00 लाख रुपये के ऊपर से 1.50 करोड़ रुपये तक) एवं परियोजना निविदा समिति (50.00 लाख रुपये तक) से अनुमोदन प्राप्त करके टी पी एस स्तर पर निविदायें/कोटेशन प्राप्त कर सामग्री क्रय करके आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

चारों ताप विद्युत गृहों ने 1996–97 से 2000–2001 तक की अवधि के दौरान 1755.82 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री क्रय (प्राप्त) की। प्रत्येक टी पी एस के पास एक स्टोर डिवीजन है जहाँ पर भण्डार एवं स्पेयर्स की प्रत्येक मद की प्राप्ति एवं माप पहले लेखा बद्ध होती है एवं प्रारम्भिक रूप में तब तक अम्बार रहता है जब तक उपभोक्ता डिवीजन को निर्गत नहीं कर दिया जाता है।

2ब.4.1 सामग्रियों की अधिप्राप्ति

ताप विद्युत केन्द्रों के द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 351.16 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री (कोयला एवं तेल को छोड़कर) की खरीद की जाती है। प्रत्येक टी पी एस में सामग्री की आवश्यकता का आंकलन विगत वर्ष की खपत के आधार पर किया जाता है एवं मुख्य महाप्रबन्धक से उस पर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, इसे टी पी एस के केन्द्रीय क्रय डिवीजन के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पर सामान्य मदों की सभी माँगों को पूरा करने के लिए कार्यवाही करने के पूर्व एक साथ सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपातकालीन क्रय भी उपभोक्ता डिवीजन द्वारा सम्बन्धित क्रय समिति का वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया जाता है।

विवेकपूर्ण क्रय नीति के हिसाब से सभी टी पी एस के लिए सामान्य उपयोग की वस्तुओं का क्रय, न केवल दरों की भिन्नता को रोकने के लिए अपितु विशाल क्रय के लाभ को प्राप्त करने के लिए भी, केन्द्रीय रूप में किया जाना चाहिए। तथापि यू पी आर वी यू एन एल ने सभी टी पी एस की सामूहिक माँग को पूरा करने के लिए कोई केन्द्रीय क्रय नीति विकसित नहीं की है। निम्न के सम्बन्ध में क्रय की पद्धति भी दोषपूर्ण पायी गयी है :

i) विभिन्न टी पी एस में विविध सामग्री/स्पेयर्स के लिए न्यूनतम, अधिकतम एवं पुनः क्रय करने के स्तरों को न तो सुनिश्चित किया गया है और न ही निर्धारित किया गया है।

ii) आर्थिक स्तर पर क्रय मात्रा को व्युत्पन्न नहीं किया गया है।

iii) विक्रेताओं के चयन की पद्धति का प्रचलन नहीं है तथा अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ताओं को भी पंजीकृत नहीं कराया गया है।

iv) विविध स्पेयर्स के गारण्टीड प्रचालन घण्टों को क्रय आदेश में नियत/सम्मिलित नहीं किया गया है एवं जहाँ पर परिलब्ध सन्तोषजनक स्थिति से कम है, वहाँ पर आनुपातिक आधार पर धनराशि की वसूली की धारा (पैरा) को भी प्रभावी नहीं किया गया है।

(i) बिना वार्ता के एकमात्र कोटेशन के आधार पर क्रय (ii) दोषपूर्ण क्रय नीति इत्यादि (iii) अनिवार्य स्पेयर्स के क्रय में अनियमितताओं (iv) सामग्री की व्यवस्था में विलम्ब आदि के कारण दिये गये क्रयादेशों से उत्पन्न हुये परिहार्य अतिरिक्त व्यय के प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

2ब.4.1.1 एक मात्र कोटेशन पर क्रय

(क) लुब्रीकेंट की अधिप्राप्ति

सितम्बर 2000 के पूर्व, टी पी एस ओबरा 'ए' अपनी लुब्रीकेन्ट/ग्रीस की अर्द्धवार्षिक आवश्यकताओं की आपूर्ति भारतीय तेल निगम (आई ओ सी) लिमिटेड से, आपूर्ति के समय लागू उनकी मूल्य सूची पर एक मात्र कोटेशन (दर) के आधार पर करता था। जून 1996 से अक्टूबर 1999 की अवधि के दौरान आई.ओ.सी. को विभिन्न प्रकार के लुब्रीकेन्ट, ग्रीस आदि हेतु 5.28 करोड़ रुपये मूल्य के 15 क्रय आदेश दिये गये। इस तथ्य के बावजूद कि यू पी आर वी यू एन एल, एक थोक क्रेता है, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की आयल मार्केटिंग कम्पनियों (ओ एम सी) से दरें प्राप्त करने के कोई प्रयास नहीं किये।

प्रथम बार ओबरा टी पी एस 'ए' ने (सितम्बर 2000 में) लुब्रीकेण्ट (मूल्य 49.69 लाख रुपये का आई ओ सी से) का क्रय खुली निविदा के माध्यम से किया था जिसमें आई ओ सी द्वारा दी गई दरें उनकी सूची में दिये मूल्य से बहुत निम्नतर पाई गयीं। सभी मदों पर छूट की तुलनात्मक औसत दरें 28.31 प्रतिशत पायी गयी तथा सही अर्थ में भी मूल्य विगत वर्ष की तुलना में कम थे।

दरें प्राप्त न करने से परियोजना को 2.10 करोड़ रुपये की छूट से वंचित रहना पड़ा

इस प्रकार, अन्य आयल कम्पनियों से दरें प्राप्त करने में असफल रहने से, जून 1996 से अक्टूबर 1999 की अवधि के दौरान 5.28 करोड़ रुपये के लुब्रीकेन्ट के क्रय पर, औसत छूट 28.31 प्रतिशत की दर से गणना करने पर, 1.49 करोड़ रुपये की छूट प्राप्त करने से परियोजना प्रबन्धन को वंचित रहना पड़ा।

इसी प्रकार, आनपारा टी पी एस, जो आई ओ सी से एकमात्र कोटेशन के आधार पर लुब्रीकेन्ट, ग्रीस आदि का क्रय कर रहा था, ने (मई 1999) में खुली निविदायें आमंत्रित की थी जिसमें एच पी सी एल द्वारा प्रस्तावित दरें न्यूनतम थी जिसके परिणामस्वरूप परियोजना प्रबन्धन आई ओ सी लिमिटेड की उनकी मूल्य सूची पर 16.5 प्रतिशत की छूट पाने में सफल रहा। अनुवर्ती क्रय में भी आई ओ सी ने 16.5 प्रतिशत एवं 18.5 प्रतिशत के बीच छूट प्रदान की। इस प्रकार पूर्व वर्षों में

तुलनात्मक दरों के प्राप्त करने के प्रयासों में कमी के कारण आनपारा टी पी एस जुलाई 1996 से सितम्बर 1999 के दौरान जारी 10 क्रय आदेशों के विरूद्ध 3.67 करोड़ रुपये के लुब्रीकेण्ट एवं ग्रीस आदि के क्रय पर 60.63 लाख रुपये (16.5 प्रतिशत की दर से) की छूट के लाभ को प्राप्त नहीं कर सका।

प्रबन्धन ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (सितम्बर–2001) कि वर्ष 2000 में जब अन्य उत्पादकों ने यू पी आर वी यू एन एल के मुख्यालय पर अपनी दरें प्रस्तुत कीं तब सी एम डी ने निर्माताओं से लुब्रीकेण्ट का क्रय सीमित कोटेशन के आधार पर करने का निर्देश दिया।

उत्तर, कम्पनी द्वारा कोटेशनों (दरों) के प्राप्त करने में एवं आयल एवं लुब्रीकेण्ट की उत्पादक कम्पनियों से पूर्व वर्षो में तुलनात्मक दरें प्राप्त करने में असफल रहने की ओर इंगित करता है। क्योंकि लुब्रीकेन्ट 1994 से मुक्त उत्पाद है।

(ख) बियरिंगों का क्रय

दर संविदा एस के एफ के एकल निविदा पर अंतिम की गयी

आयातित क्रिटीकल बियरिंगों की आपूर्ति के लिए, एस के एफ बियरिंग इंडिया लिमिटेड (एस के एफ इंडिया) द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को सीधे प्रस्तुत एकमात्र आफर पर यू पी आर वी यू एन एल की थर्मल डिजाइन एण्ड इंजीनियरिंग (टी डी ई) विंग ने एस के एफ इंडिया के साथ 3 मई 1999 से प्रभावी एक अनुबंध एक वर्ष के लिए निष्पादित किया था। बियरिंग की दरें 1998 की मूल्य सूची के आधार पर रुपयों में थी। क्वालिटी मिल्स स्टोर, मुम्बई (प्रमाणित आयातक) की नियुक्ति एस के एफ इंडिया ने अपने एवज में अनुबंध निष्पादन (यथा बियरिंगों की आपूर्ति करने एवं उसके विरूद्ध भुगतान प्राप्त करने आदि) करने के लिए की थी।

आयातित बियरिंगों के क्रय में 0.32 करोड़ रूपए की छूट नहीं प्राप्त की जा सकी

संपरीक्षा संवीक्षा ने प्रदर्शित किया कि अनुबंध के उपबन्ध–3 के प्राविधान के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता को टी डी ई द्वारा स्वीकृत मूल्यों के सापेक्ष निम्नतर मूल्य प्राप्त होते है (एस के एफ इंडिया द्वारा) तो निम्नतर मूल्य यू पी आर वी यू एन एल पर भी लागू होंगे। जहाँ हिन्डाल्को इण्डस्ट्रीज रेनूकूट, सोनभद्र द्वारा अपने अनुबंध के सापेक्ष आयातित बियरिंगों पर एस के एफ इंडिया की 1998 की मूल्य सूची पर 32 प्रतिशत की छूट प्राप्त की गयी थी, वहाँ पर यू पी आर वी यू एन एल द्वारा एस के एफ इंडिया के मूल्यों पर कोई छूट प्राप्त नहीं की गयी। वास्तविकता के संज्ञान में आने के बाद (जून 2000) सी एम डी, यू पी आर वी यू एन एल ने आदेश दिये (7 जुलाई 2000) कि अनुमन्य छूट (32 प्रतिशत) की वसूली को प्रभावी किया जाये परन्तु एस के एफ, इंडिया ने किसी छूट को देने से मना कर दिया।

छूट के सम्बन्ध में अस्पष्ट प्राविधान वाले एकमात्र कोटेशन के आधार पर आपूर्ति आदेश देने के परिणामस्वरूप, (अनुबंध के उपबन्ध–3 के अधीन विशेषतः जब किसी विशेष मेक के बियरिंगों के प्रयोग की कोई बाध्यता नहीं थी) टी पी एस द्वारा किये गये। बियरिंगों के क्रय – ओबरा 'ए' (21.64 लाख रुपये), ओबरा 'बी' (14.57 लाख रुपये), पनकी (27.78 लाख रुपये) एवं आनपारा (35.58 लाख रुपये) 31.86 लाख रुपये की छूट के लाभ को प्राप्त नहीं किया जा सका।

पुनः, मई 1999 के पूर्व, यू पी आर वी यू एन एल के टी पी एस द्वारा विभिन्न मेक के क्रिटीकल

बीयरिंगों का क्रय लागत एवं दक्षता के आधार पर खुली निविदा के माध्यम से किया जाता था। इसके पश्चात, यू पी आर वी यू एन एल ने विभिन्न मेक की बीयरिंगों का क्रय खुली निविदा के माध्यम से करने का पुनः निर्णय किया। अतः, एस के एफ इंडिया के साथ किया गया यह करार कम्पनी के वित्तीय हित में उत्तम नहीं था।

(ग) पी आई वी चैनों के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

पी आई वी चेनों के एकल निविदा पर क्रय के कारण 0.06 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय किया गया

ओबरा टी पी एस द्वारा जुलाई 1996 से मई 1999 के दौरान बिना खुली निविदा आमंत्रित किये 5 क्रय आदेशों के सापेक्ष 152 (अदद्) पी आई वी चैनों का क्रय, ब्रिटैक्स इण्डस्ट्रीज, मुम्बई एवं के. एल. इंजीनियरिंग से उनके मूल्य 11900.00 रुपये (8 अदद्), 10200.00 रुपये (122 अदद्), 16000.00 रुपये (22 अदद्) प्रति चेन के हिसाब से किया गया था।

उसी फर्म, ब्रिटैक्स इण्डस्ट्रीज, मुम्बई ने काउण्टर आफर (जुलाई 2000) को स्वीकारते हुए 7263.75 रुपये प्रति चैन (अपनी आफर की दर 9979.75 रुपये के विरूद्ध), जो स्टैन्डर्ड मैटीरियल्स, मुम्बई द्वारा आफर की गयी निम्नतम निविदा दर थी, की दर पर पी आई वी चैनों की आपूर्ति की थी। अस्तु, खुली निविदा आमंत्रित किये बिना चेनों की खरीद के परिणामस्वरूप परियोजना प्रबन्धन तुलनात्मक दरों के लाभ को प्राप्त नहीं कर सका तथा 152 अदद् चेनों की खरीद पर 6.11 लाख रुपये का परिहार्य व्यय कर दिया।

उत्तर में (सितम्बर 2001) प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया कि जुलाई 2000 में जब खुली निविदायें आमंत्रित की गयी थी तो ब्रिटैक्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई द्वारा अपने व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखने के लिए दरों को कम कर दिया गया था।

अतः, निविदा आंमंत्रित किये बिना चेनों को क्रय करने के कारण कम्पनी को हानि हुई।

2 ब. 4.1.2. दोषपूर्ण क्रय–प्रक्रिया

(क) हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

वर्ष 1997 के लिए हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड (एच सी एल) की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ओबरा टी पी एस द्वारा कनौडिया कैमिकल्स, रेनुकूट एवं बिहार कास्टिक्स, बिहार को 1200 मी0 टन एवं 350 मी0 टन एच सी एल की आपूर्ति के लिए 2340.00 रुपये प्रति मी0 टन से (दिसम्बर 1996/जनवरी 1997 में) आदेश दिये गये थे। दरें 31.12.1997 तक स्थिर थीं एवं प्रेषती डिवीजन द्वारा समय–समय पर दिये इण्डेण्टों के आधार पर आपूर्ति करनी थी। इस सत्यता के बावजूद कि क्रय आदेश की अवधि 31.12.1997 को समाप्त होनी है, टी पी एस ओबरा द्वारा नई निविदायें प्राप्त कर 1998–99 के लिए दरों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए कोई कार्यवाही अग्रिम में नहीं की गयी। तथापि, तुरन्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि त्वरित आधार पर 3 माह (जनवरी से मार्च 1998) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित इन्क्वारी के विरूद्ध 300 मी0 टन एच सी एल क्रय कर लिया जाये। बिहार कास्टिक, बिहार ने दिसम्बर 1997 में दर 1489.70 रुपये प्रति मी0 टन उद्धृत की थी जिसके सापेक्ष आदेश जनवरी 1998 में

300 मी0 टन की आपूर्ति के लिए दिया गया था। तत्पश्चात् 03.12.98 को खोली गई खुली निविदा के आधार पर कनौडिया कैमिकल्स, रेनुकूट (1000 मी0 टन) एवं बिहार कास्टिक्स, बिहार (600 मी0 टन) को क्रमशः 2476.11 रुपये एवं 2476.46 रुपये प्रति मी0 टन की दरों पर क्रय आदेश अप्रैल 1998 से मार्च 1999 तक एक वर्ष की अवधि के लिए दिये गये थे।

क्रय प्रक्रिया के देर से प्रारम्भ होने के कारण 0.16 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय करना पड़ा

इस प्रकार, वर्ष 1998–99 के लिए क्रयों के अंतिमीकरण में विलम्ब के कारण दिसम्बर 1997 की दरों की तुलना में 66.24 प्रतिशत तक दरों में वृद्धि हो गयी। परिणामस्वरूप 1998–99 के दौरान 1600 मी0 टन एच सी एल के क्रय पर 15.78 लाख रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा। जनवरी 1998 की तुलना में अप्रैल 1998 में दरों में हुई असाधारण वृद्धि के कारणों का प्रबन्धन के द्वारा न तो कोई विश्लेषण किया गया और न ही आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ उसी आपूर्तिकर्त्ता की पूर्व की दरों के आधार पर दरें कम करने के लिए कोई वार्ता की गई।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2001) कि अल्पकालिक निविदा के विरूद्ध प्राप्त दरें निम्नतर थीं तथा बाजार दरों को प्रदर्शित नहीं कर रही थीं। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि निविदा प्रक्रिया को प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण टी पी एस निम्नतर दरों के लाभ का उपयोग नहीं कर पाया। वह वार्ता करके फरवरी 1998 में प्राप्त दरों को दिसम्बर 1997 की दरों के स्तर तक लाने में भी असफल रही।

(ख) केन्द्रीय क्रय पद्धति का अभाव

कास्टिक सोडा फ्लेक्स का क्रय

टी पी एस के मध्य समन्वय की कमी के कारण 0.14 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा

टी पी एस में स्टीम के उत्पादन के लिए खनिज रहित (डी एम) पानी का उपयोग किया जाता है। खनिज रहित पानी के उत्पादन के लिए कास्टिक सोडा मुख्य अवयव होता है। टी पी एस ओबरा 'ए' एवं 'बी' द्वारा कास्टिक सोडा लाई (48 प्रतिशत सान्द्रित) की खरीद करता है जबकि पनकी टी पी एस द्वारा कास्टिक सोडा फ्लेक (100 प्रतिशत सान्द्रित) का क्रय किया जाता है। 48 प्रतिशत सान्द्रित कास्टिक सोडा की लागत 100 प्रतिशत सान्द्रित कास्टिक सोडा के लिए प्राप्त दर पर समानुपातिक आधार पर निकाल कर निश्चित की जाती थी।

दिसम्बर 1994 एवं फरवरी 1995 के दौरान, पनकी टी पी एस ने 190 मी0 टन कास्टिक सोडा की अधिप्राप्ति विजय कुमार गौरी शंकर, कानपुर (140 मी0 टन) एवं कनौडिया कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज़, रेनूकूट (50 मी0 टन) से मूल्यांकित दर 22,260 रुपये प्रति मी0 टन से की थी जबकि उसी अवधि के दौरान टी पी एस ओबरा ने 100 प्रतिशत सान्द्रित कास्टिक सोडा का क्रय कनौडिया कैमिकल्स से 17,475 रुपये प्रति मी0 टन की दर से किया था। रेनूकूट से पनकी तक के परिवहन प्रभारों के अन्तरमूल्य को भारित करने के बाद पनकी टी पी एस की दर की गणना करने पर मूल्यांकित दर 17,573 रुपये प्रति मी0 टन थी। इसके परिणामस्वरूप 8.91 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

पुनः, यह पाया गया कि अप्रैल 1996 में पनकी टी पी एस ने एक अन्य क्रय आदेश विजय कुमार गौरी शंकर, कानपुर को 160 मी0 टन कास्टिक सोडा फ्लेक 21000.00 रुपये प्रति मी0 टन की

मूल्यांकित दर पर दिया था, जबकि टी पी एस ओबरा ने उसी फर्म को 100 मी0 टन कास्टिक सोडा लाई (48 प्रतिशत सान्द्रित) की आपूर्ति के लिए मूल्यांकित दर 8542.90 रुपये प्रति मी0 टन का क्रय आदेश दिया था (23.04.1996)। 100 प्रतिशत सान्द्रित कास्टिक सोडा की मूल्यांकित दर 17797.70 रुपये प्रति मी0 टन निकाली गयी जो कि उस मूल्यांकित दर (21000 रुपये प्रति मी0 टन) से 3203.30 रुपये प्रति मी0 टन से कम थी, जिस पर पनकी टी पी एस ने 160 मी0 टन कास्टिक सोडा क्रय किया था। इस प्रकार टी पी एस पनकी द्वारा अपनी समकक्ष इकाइयों से समन्वय रखे बिना 160 मी0 टन सोडा की अधिप्राप्ति करने के परिणामस्वरूप 5.12 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया गया।कम्पनी की इकाईयाँ अपनी आवश्यकता की पूर्ति अलग–अलग रूप में अभी भी कर रही हैं।

केन्द्रीय क्रय–प्रणाली के न होने एवं टी पी एस में आपस में सूचना के समन्वय के अभाव के कारण उसी फर्म से उसी अवधि के दौरान 350 मी0 टन कास्टिक सोडा फ्लेक की अधिप्राप्ति पर टी पी एस पनकी द्वारा 14.03 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2001) कि कास्टिक सोडा फ्लेक एवं कास्टिक सोडा लाई भिन्न हैं तथा उनकी दरों की तुलना ऐसे में नहीं की जा सकती। उत्तर समर्थनीय नहीं है क्योंकि टी पी एस ओबरा द्वारा कास्टिक सोडा लाई (48 प्रतिशत सान्द्रित) की दरों की गणना कास्टिक सोडा फ्लेक (100 प्रतिशत सान्द्रित) के लिए प्राप्त दरों को आधार मानकर आनुपातिक आधार पर निकाल कर की गयी थी।

2 ब.4.1.3 अनिवार्य पुर्जों का क्रय

(क) हाईड्रौलिक कपलिंग के स्पेयर्स की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

टरबाईन मेंटीनेन्स डिवीजन, ओबरा द्वारा प्रस्तुत माँग के आधार पर 220 मेगावाट इकाई के ब्वायलर फीड पम्प में प्रयुक्त होने वाले हाईड्रौलिक कपलिंग टाईप आर–16 के स्पेयर्स की आपूर्ति के लिए अधिशाषी अभियंता, सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट डिवीजन–IV ने सीधे वायथ इंडिया, हैदराबाद (वायथ टर्बो, जर्मनी की सहयोगी) जो कि अनिवार्य स्पेयर के आपूर्तिकर्त्ता है, से अपनी दरें भेजने को कहा था (दिसम्बर 1996)। उत्तर में फर्म द्वारा प्रस्तुत (मार्च 1997) की गयी दरें निम्नवत थीं:

मदें	मात्रा (संख्या में)	दर (रूपये में)	धनराशि (रूपये में)
सेकण्डरी शाफ्ट	2	3,72,165	7,44,330
डिस्ट्रीब्यूशन हाउसिंग	1	4,89,015	4,89,015
स्कूप ट्यूब	1	87,610	87,610
योग			**13,20,955**

मूल्य ऐक्स वर्क्स, हैदराबाद थे एवं वैधानिक शुल्क तथा भाड़ा प्रभारों को नियमानुसार अतिरिक्त लगाया जाना था। फर्म ने प्रपत्र 'बी' की सामान्य शर्त से हटकर आपूर्ति आदेश के कुल मूल्य की

30 प्रतिशत धनराशि ब्याज रहित अग्रिम के रूप में माँगी थी जिसे अंततः अनुमोदित नहीं किया गया। अस्तु आपूर्ति आदेश वैध अवधि में नहीं दिया जा सका।

यह देखा गया कि फर्म ने पुनः ओबरा 'बी' टी पी एस की इन्क्वारी दिनांक 27.3.1998 के उत्तर में उन्हीं मदों के लिए नई दरें 18.93 लाख रुपये (43.30 प्रतिशत अधिक) उन्हीं शर्तों, 30 प्रतिशत ब्याज रहित अग्रिम, के साथ दीं (दिसम्बर 1998)। अनुवर्ती प्रस्ताव के विचलन (डेविऐशन) उपबन्ध के अन्तर्गत 30 प्रतिशत ब्याज रहित अग्रिम की माँग को परिषद द्वारा अप्रैल 1999 में अनुमोदित कर दिया।

इस प्रकार मार्च 1997 में प्राप्त दरों पर क्रय का अंतिमीकरण न करने के कारण कम्पनी को 6.91 लाख रुपये (उत्पाद शुल्क एवं विक्रय कर सहित) का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

प्रबन्धन ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रपत्र 'बी' की सामान्य शर्त से विचलन की शक्तियाँ केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति एवं सदस्य भण्डार क्रय समिति में ही निहित थी जिनको मूल निर्माता द्वारा वैधता अवधि के विस्तार के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका। उत्तर लेखा परीक्षा के विचारों के अभिमत को उजागर करता है कि प्रपत्र 'बी' के विचलन की सहमति में विलम्बित अनुमोदन के कारण स्पेयर्स के क्रय पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

2ब.4.1.4 सामग्रियों की व्यवस्था में विलम्ब

सामग्री की सामयिक प्राप्ति ही सामग्री प्रबंधन का मूल है। ऐसे सभी अनिवार्य स्पेयर्स को भण्डार में सदैव रिजर्व में रखना चाहिए जिन स्पेयर्स की जरूरत से भारी विद्युत उत्पादन हानि से बचा जा सके। पुनः, उपकरणों की स्थानापन्न व्यवस्था यदि प्रणाली में प्राविधानित हो तो उसे जारी रखना चाहिए एवं किसी निर्माण कार्य को क्रियान्वित करने के पूर्व, आवश्यक स्पेसिफिकेशन/डिजाइन की वांछित सामग्री को समय पर प्राप्त करना चाहिए जिससे किसी अतिरिक्त लागत/आवर्ती व्यय से बचा जा सके। इस संबंध में लेखा परीक्षा के संज्ञान में आई अनियमितताओं/चूक का विवरण निम्नवत है:

(क) स्थानापन्न बायलर सरकुलेशन पम्पों की मरम्मत में विलम्ब के कारण विद्युत उत्पादन हानि

आनपारा टी पी एस की इकाई संख्या–5 (2 x 500 मेगावाट) में तीन नम्बर ब्वायलर सर्कुलेशन पम्पों (बी सी पी) ए, बी एवं सी की स्थापना की गयी थी। इकाई को 100 प्रतिशत पी एल एफ पर चलाने के लिए दो पम्पों को एक समय में चलाना था तथा तीसरे को स्थानापन्न के रूप में रखना था। इसके अलावा एक अतिरिक्त स्पेयर बी सी पी भी दीर्घकाल से क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़ा था।

स्थानापन्न बी सी पी को चालू अवस्था में न रखने के कारण 10.22 करोड़ रूपए के विद्युत उत्पादन की हानि हुई

संपरीक्षा में यह देखा गया कि जुलाई 2000 तक इकाई संख्या–5 (2 x 500 मेगावाट) पूर्ण भार पर बी सी पी–5 'ए' एवं 5 बी सहित रही थी। अगस्त 2000 में बी सी पी–5 बी दोषपूर्ण हो गया और इसलिये पूर्ण भार उठाने में असमर्थ हो गया। बी सी पी–5 सी (स्थानापन्न व्यवस्था के रूप में तन्त्र के साथ उपलब्ध) को फिर सेवा में लिया गया जिससे इकाई को पूर्ण भार पर चलाया जा सके।

दोनों बी सी पी (बी सी पी–5 'बी' एवं स्पेयर बी सी पी) की मरम्मत/जीर्णोद्धार को फरवरी 2001 तक पूरा नहीं कराया जा सका था। दिनांक 20/21 फरवरी 2001 को बी सी पी–5 'ए' भी खराब हो गया। इस प्रकार इकाई के परिचालन के लिए केवल बी सी पी–5 'सी' शेष बचा। अतः, इकाई संख्या–5 (500 मेगावाट) का भार कम करके 280 मेगावाट (अधिकतम भार जिस पर इकाई एक बी सी पी के साथ चल सकती थी) कर दिया गया, जो 6/7 मार्च 2001 तक रहा। क्षतिग्रस्त बी सी पी को बदलने के लिए 07.03.2001 को इकाई की पूर्ण बंदी की गयी तथा इकाई पूर्णभार के समतुल्य केवल 12/13 मार्च 2001 से ही चल सकी।

इस प्रकार स्पेयर बी सी पी की समय से मरम्मत कराने में उदासीनता के कारण बी सी पी–5 'बी' का उचित समय के अन्दर बदलाव/जीर्णोद्धार नहीं किया जा सका। अस्तु, स्थानापन्न एवं स्पेयर बी सी पी रखने की व्यवस्था असफल हो गयी तथा इकाई पूर्ण भार पर 14 दिन तक नहीं चल सकी। परिणामस्वरूप 74.63 मेगा यूनिट कम विद्युत उत्पादन से 10.22 करोड़ रुपये मूल्य की हानि उठानी पड़ी।

उत्तर में यह बताया गया (सितम्बर 2001) कि बी सी पी की मरम्मत का कार्य इसलिए विलम्बित हो गया क्योंकि योजनानुसार स्पेयर बी सी पी की मरम्मत का कार्य, जुलाई 2001 में निर्धारित इकाई संख्या–5 के जीर्णोद्धार के समय करने की थी। उत्तर मान्य नही है क्योंकि प्रबन्धन अच्छी तरह जानता था कि अगस्त 2000 से इकाई बिना किसी स्थानापन्न व्यवस्था के चल रही थी। बी सी पी में किसी पुनः क्षति के कारण इकाई की बंदी/इकाई को घटे भार पर चलाना पड़ेगा। इसके बाद भी बी सी पी की मरम्मत करवाने के लिए समय से कोई प्रयास नही किये गये।

(ख) अनिवार्य पुर्जों की कमी के कारण विद्युत उत्पादन हानि

भण्डार में अनिवार्य पुर्जो की कमी के कारण 25.89 करोड़ रूपए मूल्य के विद्युत उत्पादन की हानि

आनपारा (ओ एण्ड एम) टी पी एस की इकाई संख्या–2 (3 x 210 मेगावाट) का पूँजीगत जीर्णोद्धार का कार्य, आटोमेटिक टरबाईन रनर अप सिस्टम (ए टी आर एस) के असफल हो जाने के कारण दिनांक 6 मई 1999 को ट्रिपिंग हो जाने के बाद, प्रारम्भ किया गया था। टर्बो जनरेटर एवं एयर प्रीहीटर के जीर्णोद्धार का कार्य बी एच ई एल, वाराणसी को 1.10 करोड़ रुपये की लागत पर प्रदान किया गया था एवं कार्य प्रारम्भ की तिथि (25.05.99) से 40 दिन के अन्दर पूर्ण करना निर्धारित हुआ था। तथापि, इकाई में अनिवार्य स्पेयर (टी जी बियरिंग संख्या–2, मूल्य 28.90 लाख रुपये) एच पी रोटर ग्लैण्ड फिन्स (मूल्य 0.42 लाख रुपये)एवं फालोअप पिस्टन स्प्रिंग (मूल्य 0.90 लाख रुपये) के उपलब्ध न होने के कारण कार्य 45 दिनों तक विलम्बित हुआ। अतः क्षतिग्रस्त टी जी बियरिंगों को मरम्मत के लिए बी एच ई एल, हरिद्वार को भेजा गया जो कि 10.06.99 तक मरम्मत होना था किन्तु यह मरम्मत के बाद वास्तव में 18.07.99 को प्राप्त हुई थी जिससे 38 दिनों का विलम्ब हुआ। पुनः, अन्य स्पेयर्स की व्यवस्था के कारण 7 दिनों का और विलम्ब हुआ। इकाई, सिन्क्रोनाईजेसन की निर्धारित तिथि 03.07.1999 के विरूद्ध, दिनांक 17.08.1999 को सिन्क्रोनाइज्ड हो सकी जिसके परिणाम स्वरूप 189 मेगा यूनिट विद्युत उत्पादन कम होने से 25.89 करोड़ रुपये मूल्य की हानि हुई जिसकी गणना 83.37 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फैक्टर पर 1.37 रुपये प्रति यूनिट के मूल्य से की गयी है।

प्रबन्धन ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2001) कि अनिवार्य स्पेयर्स के साथ अन्य स्पेयर्स भी उपलब्ध नहीं थे। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्रबन्धन जीर्णोद्धार में विलम्ब/इकाई की बन्दी को कम करने के लिए सभी अनिवार्य एवं अन्य स्पेयर्स को भण्डार में रखने में असफल रहा।

(ग) ऐश–स्लरी पाईप लाइनों के बदलने पर अतिरिक्त व्यय

आनपारा टी पी एस की इकाईयों (3 x 210 मेगावाट) से निष्कासित राख का निपटान चार ऐश–स्लरी पाइप लाइनों के माध्यम से किया जा रहा था जिनका निर्माण ऐश पम्प हाउस से अस्थाई ऐश पाण्ड के बीच निर्मित 350 एम एम व्यास के पाइप से किया गया था। ए टी पी एस (ऐश पम्प हाउस) से पाइप लाइनों को स्थाई राख के तालाब के ठीक पहले एक अन्य स्थान पर निर्मित सैडिल डैम से जोड़ना था।

ऐश–स्लरी पाइप लाइनों के पुनर्स्थापन में 0.68 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

तद्नुसार, 350 एम एम व्यास वाली ऐश–स्लरी पाइप लाइनों का निर्माण कार्य आनपारा 'बी' टी पी एस की निर्माण इकाई द्वारा मैग्जीन गेट (ऐश पम्प हाउस से सैडल पम्प हाउस के बीच एक बिन्दु) से सैडल डैम तक पूर्ण किया गया था। परन्तु मैग्जीन गेट से पहले तक अर्थात पम्प हाउस से मैग्जीन गेट तक के एश–स्लरी पाइप लाइनों (4 अदद)के स्थानान्तरण/निर्माण की उचित योजना उनके समयबद्ध स्थापना के लिए नहीं बनाई गई । इस बीच अप्रैल 2000 में यह बताया गया कि अस्थाई ऐश पाण्ड लगभग पूरी तरह भर गया था तथा जून 2000 तक अपनी क्षमता तक पूर्णतः भर जायेगा। इसलिए पम्प हाउस से मैग्जीन गेट तक पाइप लाइनों के बदलने/निर्माण का कार्य आनपारा 'ए' टी पी एस द्वारा कराया गया तथा कार्य का निष्पादन उच्चतर स्पेसिफिकेशन के 350 एम एम के व्यास के पाइपों के स्थान पर 450 एम एम के उपयोग से किया गया जिनको आनपारा 'बी' (2 x 500 मेगावाट) से उधार लिया गया था। उच्चतर स्पेशिफिकेशन के ऐश पाइप (7000 मीटर) के उपयोग के साथ 350 एम एम पाईप (1558 मीटर) के बारम्बार उपयोग से 12.66 लाख रुपये मूल्य के बड़ी संख्या में रिड्यूसर/ऐक्सपेण्डर एवं अन्य स्पेयर्स का प्रयोग किया गया।

इस प्रकार, अनुपयुक्त योजना के कारण उच्चतर स्पेसिफिकेशन के 7000 मीटर पाइप लाइनों के बदलने पर 67.61 लाख रुपये का परिहार्य व्यय अप्रैल 2000 में किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि इन पाईप लाइनों के निर्माण का कार्य भूमि के मुक्ति न होने एवं मुख्यालय द्वारा फण्ड जारी न करने के कारण पूर्ण नहीं हो सका तथा ऐसे में आनपारा 'बी' टी पी एस में पड़ी पाइप लाइनों का प्रयोग किया गया। उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्योंकि भूमि की मुक्ति एवं फण्ड की उपलब्धता भूतपूर्व यू पी एस ई बी द्वारा स्वयं सुनिश्चित की जानी थी। पुनः, आनपारा 'बी' टी पी एस में पड़े उच्चतर व्यास एवं मोटाई के पाइपों का उपयोग उनकी पाइप लाइनों के मरम्मत एवं रख–रखाव में करना था।

2ब.4.1.5 व्यापार कर का परिहार्य भुगतान

1 जून 1994 से प्रभावी उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम,1948 (अधिसूचना संख्या–एस टी–II. 1624/XI दिनांक 21.05.1994) में व्यवस्था थी कि कोई व्यापारी जो अपने को इस अधिनियम

की धारा–4 बी की उपधारा (2) के अधीन पंजीकृत करायेगा, व्यापार कर की रियायती दर 2.5 प्रतिशत (25 प्रतिशत अधिभार सहित) का लाभ प्राप्त कर सकेगा बशर्ते कि उनके द्वारा क्रय की गयी अधिसूचित वस्तुओं का उपयोग राज्य के अन्दर अपने विनिर्माण में किया जाता है तथा वह प्रपत्र–3 बी में वस्तुओं के आपूर्तिकर्त्ताओं को एक घोषणा जारी करता है कि अधिनियम के आधीन यह वैध मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र है।

1.29 करोड़ रूपए की रियायती दर के व्यापार कर का लाभ नहीं लिया गया

तथापि, संपरीक्षा के संज्ञान में यह आया कि पनकी टी पी एस ने अपने को व्यापार कर अधिनियम की धारा–4 बी के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं कराया तथा कर के रियायती दर का लाभ नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1995–96 से 1999–2000 तक की अवधि के दौरान 1.29 करोड़ रुपये के व्यापार कर का परिहार्य भुगतान किया गया जिसकी गणना निम्नवत की गयी है:

(लाख रुपये में)

क्रय की अवधि	सामग्री का विवरण	सामग्री का मूल्य	अधिभार सहित 5 प्रतिशत की दर से भुगतान की गयी व्यापार की धनराशि	अधिभार सहित 2.5 प्रतिशत की दर से प्रपत्र–3 बी के अधीन भुगतान योग्य व्यापार कर की धनराशि	व्यापार कर का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान
सितम्बर. 95 से सितम्बर 2000	लुब्रीकेन्ट	215.68	10.78	5.39	5.39
फरवरी 95 से अप्रैल 1999 तक	कैमिक्ल्स	112.51	5.63	2.81	2.81
अप्रैल 95 से नवम्बर 2000 तक	एल डी ओ	4307.75	215.39	107.70	107.70
जनवरी 99 से दिसम्बर 2000 तक	स्पेयर्स एण्ड कंज्यूमेबिल्स	513.95	25.70	12.85	12.85
योग		**5149.89**	**257.50**	**128.75**	**128.75**

उत्तर (सितम्बर 2001) में प्रबन्धन ने बताया कि बिक्री कर विभाग ने धारा–4 बी के अंतर्गत पंजीकरण की प्रार्थना (22.02.1996), यह कहकर कि इस प्रकरण में धारा–4 बी लागू नहीं होती, इसलिए पंजीकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता, अस्वीकृत कर दी (26.02.1996)। प्रकरण, जब लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किया गया, बिक्री कर विभाग के साथ पुनः उठाया गया तथा पंजीकरण 11.07.2001 को प्राप्त किया गया। यह, प्रकरण को बिक्री कर विभाग के साथ उठाने में, प्रबन्धन की लापरवाही को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

2ब.5 सामग्रियों की खपत

सामग्रियों की खपत में मितव्ययता प्राप्त करने के लिए समग्र एवं मदवार खपत की जाँच समय–समय पर खपत पैटर्न जानने के लिए करना चाहिए तथा अधिक खपत के मामले में प्रबन्धन द्वारा प्रतिकारी कार्यवाही की जानी चाहिए। स्टोर्स/स्पेयर्स की खपत तथा अन्य खपत योग्य सामग्री के लिए मानकों का निर्धारण कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है।

निम्न तालिका,1996–97 से 2000–2001 तक की अवधि के दौरान प्रति मेगावाट संस्थापित

क्षमता के विरूद्ध उत्पादन इकाईयों के परिचालन तथा रखरखाव में उपयोग किये गये भण्डार तथा स्पेयर्स के खपत पैटर्न को इंगित करती है:

ताप विद्युत गृह का नाम संस्थापित/प्रयुक्त क्षमता	वर्ष	स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत (करोड़ रूपये में)	संस्थापित/प्रयुक्त क्षमता के विरूद्ध स्टोर्स एवं स्पेयर्स की प्रति मेगावाट खपत (लाख रूपये में)
टी पी एस ओबरा 'ए' (550 मेगावाट)	1996-97	7.09	1.29
	1997-98	14.20	2.58
	1998-99	12.34	2.24
	1999-00	9.46	1.72
	2000-01 (अनन्तिम)	13.05	2.37
टी पी एस ओबरा 'बी' (1000 मेगावाट)	1996-97	24.90	2.49
	1997-98	23.36	2.34
	1998-99	21.08	2.11
	1999-00	28.57	2.86
	2000-01 (अनन्तिम)	24.98	2.49
टी पी एस पनकी 1996–97 तक (252 मेगावाट) 1997–98 से (220 मेगावाट)	1996-97	7.23	2.86
	1997-98	9.33	4.24
	1998-99	11.20	5.00
	1999-00	10.34	4.70
	2000-01 (अनन्तिम)	12.59	5.72
टी पी एस आनपरा (ओ एण्ड एम) (1630 मेगावाट)	1996-97	25.18	1.54
	1997-98	35.60	2.18
	1998-99	42.21	2.58
	1999-00	46.29	2.83
	2000-01 (अनन्तिम)	60.80	3.73

यह उपरोक्त से देखा जा सकता है कि 1996–97 से 2000–2001 के दौरान प्रति मेगा वाट स्थापित/उपयोगित क्षमता के विरूद्ध स्टोर एवं स्पेयर की खपत में भिन्नता व्यापक थी एवं 1.29 लाख रुपये से 5.72 लाख रुपये के मध्य थी। विभिन्न ताप विद्युत गृहों में सामग्री खपत के सम्बन्ध में निम्न विसंगतियाँ देखी गईं:

(i) विविध खपत योग्य स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए न तो मानक निर्धारित किये गये और न ही सामग्रियों की खपत में व्यापक भिन्नताओं का विश्लेषण किया गया है जिन पर अनुवर्ती प्रस्तरों 2ब.5.1(क),(ख), 2ब.5.2, 2ब.5.3 एवं 2ब.5.5 में उल्लेख किया गया है।

(ii) खपत योग्य स्पेयर्स की दक्षता/ वीअर रेट को अभिलेखित आंकलित नहीं किया गया है जिससे स्पेयर्स की खराब क्षमता/अधिक खपत के मामलों में आपूर्तिकर्ताओं से आनुपातिक आधार पर कटौती को प्रभावी किया जा सके जिसका अनुवर्ती प्रस्तर 2ब.5.1(ख) में उल्लेख किया गया है।

(iii) जहाँ कहीं पर टी पी एस के द्वारा अन्य स्पेशिफिकेशन/मेक की सामग्रियों का प्रयोग

किया गया है, स्पेयर्स की मितव्ययता सम्भावता आधारित लागत एवं दक्षता के विश्लेषण सुनिश्चित नही किये गये थे। उन पर अनुवर्ती प्रस्तर 2ब.5.4 में उल्लेख किया गया है।

(iv) उपकरण/संयंत्र जिनका सामग्रियों की खपत पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, उनका उचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया गया है जिन पर अनुवर्ती प्रस्तर 2ब.5.6 में उल्लेख किया गया है।

मानकों के अभाव में कुछ मदों की वास्तविक खपत का पूर्व प्राप्त खपत, गारण्टीड प्रचालन घण्टे/वीअर रेट आदि से 2000–2001 तक के पांच वर्षों की अवधि की समीक्षा की गयी है। समीक्षा के परिणामों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में विचार–विमर्श किया गया है।

2ब.5.1 ग्राइडिंग मीडिया की अधिक खपत

कोयला आधारित टी पी एस में स्टील बाल्स/ग्राइंडिंग रोल्स (जी आर्स) की खपत योग्य स्पेयर के रूप में निरन्तर आवश्यकता होती है जिनका प्रयोग ग्राइंडिंग मीडिया के रूप में विद्युत गृहों में कोयले की पिसाई में बाल/बाउल मिल्स में किया जाता है। स्टील बाल्स/जी–आर्स की खपत पिसाई किये कोयले की गुणवत्ता एवं मात्रा, मिल्स की स्थिति एवं बाल्स/जी–आर्स की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है।

स्टील बाल्स/जी–आर्स की खपत का एक विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि पिसे कोयले की गुणवत्ता में सुधार के बाद भी स्टील बाल्स की खपत में भिन्नता व्यापक रही। स्टील बाल्स/जी–आर्स की खपत पद्धति पर लेखा परीक्षा उपलब्धियाँ नीचे दी गयी हैं:

(क) फोर्ज्ड स्टील बाल्स

निम्न सारणी, स्टील बाल्स खपत की कुल मात्रा, वीअर दर(प्रति मी0 टन कोयले की पिसाई के विरूद्ध स्टील बाल्स की खपत ग्राम में) एवं स्टील बाल्स की अधिक खपत को टी पी एस आनपारा एवं पनकी में 1996–97 से 2000–2001 की अवधि के लिए प्रदर्शित करती है :–

वर्ष	आनपारा (2 x 500 मेगावाट) टी पी एस				पनकी (2 x 110 मेगावाट) टी पी एस			
	कोयला की खपत (मी0टन)	फोर्ज्ड स्टील बाल्स की खपत (मी0टन)	वीअर रेट (ग्रा/मी0 टन)	फोर्ज्ड स्टील बाल्स की अधिक खपत (मी0टन)	कोयले की खपत (मी0टन)	फोर्ज्ड स्टील बाल्स की खपत (मी0टन)	वीअर रेट (ग्रा0/मी0 टन)	फोर्ज्ड स्टील बाल्स की अधिक खपत (मी0टन)
1996-97	4905169	1845.081	376	--	757408	211.855	280	--
1997-98	4940375	2029.261	411	172.913	716330	288.855	403	88.108
1998-99	4676766	2976.629	636	1215.959	645334	194.350	301	13.552
1999-00	5416383	2666.573	492	628.300	682003	291.210	427	100.254
2000-01	4349984 (2/2001 तक)	1806.004 (2/2001 तक)	415	169.649 (11/2000 तक)	526630	295.195	561	147.898
योग				**2186.821**				**349.812**

5.79 करोड़ रूपए के ग्राइन्डिंग मीडिया फोर्ज्ड स्टील बाल्स आवश्यकता से अधिक प्रयोग हुए

यद्यपि, कम्पनी द्वारा खपत मानक निर्धारित नही किये गये थे, तथापि, जैसा कि प्लाण्ट निर्माता (मितसुई एण्ड कम्पनी, जापान) ने सिफारिश की थी कि यह 200 ग्राम/ प्रति मी0 टन कोयला पिसाई का होगा। यह उपरोक्त सारिणी से देखा जा सकता है कि वीअर दर में व्यापक भिन्नता थी तथा आनपारा एवं पनकी टी पी एस में क्रमशः 376 से 636 ग्राम एवं 280 से 561 ग्राम के बीच आरेखित रही।

आनपारा (376 ग्राम) एवं पनकी (280 ग्राम) के न्यूनतम वीअर रेट को आधार मानते हुये एवं स्टील बाल्स की अधिक खपत से, स्क्रेप के मूल्य को घटाने के बाद, 2536.633 मी0 टन (आनपारा में 2186.821 मी0 टन एवं पनकी में 349.812 मी0 टन) मूल्य 5.79 करोड़ रुपये (आनपारा में 5.11 करोड़ रुपये एवं पनकी में 0.68 करोड़ रुपये) की शुद्ध अधिक खपत 1996–97 से 2000–2001 की अवधि में हुई। सुधारात्मक कार्यवाही के विचार से अत्यधिक खपत के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि प्लाण्ट निर्माता द्वारा दिया गया, 200 ग्राम प्रति मी0 टन कोयला पिसाई का मानक, कोयला की गुणवत्ता में भिन्नता, कोयला में राख के अवयव, कोयले के भौतिक गुण, कोयला यार्ड में कोयला के दीर्घकाल तक पड़े रहने के कारण एवं बाल मिल्स की भौतिक संरचना के कारण पूर्ण रूप से सम्भव नहीं था। वर्ष 1996–97 की प्राप्त खपत के आधार पर अधिक खपत की गणना न्यायसंगत (उचित) नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबन्धन का यह तर्क, कि निर्माता द्वारा दिया गया मानक सम्भव नहीं है, केवल एक तत्पश्चात् विचार है क्योंकि एक इकाई ने निर्माता द्वारा दिये गये मानक को लगभग प्राप्त कर लिया था।

(ख) क्रोम स्टील बाल्स

ओबरा टी पी एस ने क्रोम हार्ड स्टील बाल्स की खपत को जाँच/प्रत्याभूति स्तर पर नियंत्रण नहीं किया जिससे 2.11 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ

ओबरा 'ए' टी पी एस द्वारा खरीदे एवं उपयोग किये गये हार्ड स्टील बाल्स का प्रयोग कोयला की पिसाई में ग्राइंडिंग मीडिया के रूप में किया जाता है।

क्रोम हार्ड स्टील बाल्स के आपूर्तिकर्त्ता ने वीअर रेट 50 ग्राम प्रति मी0 टन कोयले की पिसाई की गारण्टी दी थी। यद्यपि जुलाई 1995 तक दिये क्रय आदेशों में आनुपातिक कटौती के उपबन्ध का प्राविधान किया गया था परन्तु इसे कभी भी ऐसे मामलों में लागू नहीं किया गया था जिनमें वास्तविक वीअर रेट गारण्टीड रेट से अधिक थी। जुलाई 1995 में गारण्टीड वीअर रेट का यह उपबन्ध निविदा विशिष्टियों से ही इस बहाने से निकाल दिया कि प्रयुक्ता खण्ड को वीअर रेट की गणना करने मे परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि बाल मिल्स में प्रयोग होने वाले बाल्स के मिश्रण होने, विभिन्न क्रय आदेशों के विरूद्ध आपूर्ति होने, व्यक्तिगत क्रय आदेशों के विरूद्ध पर्याप्त मात्रा में बाल्स के उपलब्ध न होने कारण होती है। फिर भी अन्य परिषदों जैसे एम पी ई बी में वीअर रेट के सापेक्ष गारण्टी उपबन्ध एवं अधिक वीअर रेट के मामलों में आनुपातिक कटौती अभी भी लागू है।

संपरीक्षा में यह संज्ञान में आया कि गारण्टीड वीअर रेट (50 ग्राम/प्रति मी0 टन) जिसे ए आई ए मेगोटीक्स लि0 एवं आर जी इस्पात आदि आपूर्तिकर्त्ताओं ने दी थी उसे बाद में टी पी एस के अनुरोध पर हटा लिया गया था।

ओबरा 'ए' टी पी एस ने न तो जाँचे गये वीअर रेट के स्तर 52 से 53 ग्राम/प्रति मी0 टन पर स्टील वाल्स की खपत को नियंत्रित किया और न ही आनुपातिक कटौती के उपबन्ध को लागू किया। स्टील बाल्स का वीअर रेट 1996–97 से 2000–2001 के दौरान 85 ग्राम एवं 453 ग्राम के बीच था जिसके परिणामस्वरूप गारण्टीड वीअर रेट 50 ग्राम/प्रति मी0 टन को आधार मानकर स्टील बाल्स की अधिक खपत वजन 787.467 मी0 टन, मूल्य 2.11 करोड़ रुपये की हुई जिसकी गणना 26800.48 रुपये प्रति मी0 टन से की गयी है।

प्रबन्धन ने बताया कि (सितम्बर 2001) कि अधिक खपत का कारण मिलों में पिसे कोयले की गैर निकासी एवं मिल में कोयला का न आना था, जिसके परिणामस्वरूप बाल्स आपस मे एक दूसरे से टकराते थे। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि सामयिक एवं उचित सुधारात्मक कार्यवाही द्वारा खपत कम की जा सकती थी।

(ग) ग्राइंडिंग रोल्स (जी–आर्स)

जी–आर्स का क्रय बी एच ई एल एवं अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं से भी किया जाता है। इन रोलों का समान्य जीवन काल, जैसा टी पी एस द्वारा निर्धारित किया गया, 3500 चलित घण्टे है। तथापि, रोलों की खपत पिसाई किये गये कोयले की गुणवत्ता, बाउल मिल्स की स्थिति, उपयोगित रोलों की गुणवत्ता एवं एयर प्रीहीटर की उचित कार्यदक्षता पर भी निर्भर करती है।

ग्राइन्डिंग रोल्स अपनी सामान्य जीवन नहीं चले, परिणामस्वरूप 0.09 करोड़ रूपए का अधिक उपयोग हुआ

अभिलेखों की समीक्षा यह प्रकट करती है कि वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान जी–आर्स के 60 सेटों (180 संख्या में) में से 28 सेट (84 संख्या में) रोल अपना सामान्य जीवन काल 3500 चलित घण्टों को प्राप्त नहीं कर सके। इन रोलों के वास्तविक चलित घण्टे 221856 थे जबकि सामान्य जीवन काल 294000 घण्टे था। परिणामस्वरूप 72144 चलित घण्टे कम प्राप्ति रही जो 20 नये रोलों के बराबर थी। इस प्रकार, 3500 चलित घण्टे के सामान्य जीवन काल के प्राप्त न करने के कारण टी पी एस ने 20 अदद जी–आर्स मूल्य 8.82 लाख रुपये, 44075 रुपये प्रति रोल की दर से अधिक खपत पर परिहार्य व्यय कर दिया। प्रबन्धन द्वारा अधिक खपत के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि केवल एक जी–आर्स के सेट को छोड़कर शेष जी–आर्स ने सामान्य जीवन काल न्यूनतम गारण्टीड चलित घण्टे 2500 घण्टे दिया है। पुनः, यह बताया गया कि जी–आर्स की दक्षता में भिन्नता प्राथमिक एयर प्रेसर की समस्या के कारण थी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अधिक खपत की गणना जी–आर्स का सामान्य जीवन काल (3500 घण्टे) जैसा कि टी पी एस द्वारा निर्धारित था, को आधार मानकर की गयी है।

2ब.5.2 स्टील आरमर प्लेटों की अधिक खपत

स्टील आरमर प्लेटों की फिटिंग बाल मिल के ड्रम में पेरी–फेरी के अन्दर किया जाता है तथा यह कोयले की पिसाई के लिए एक स्टील लेयर फार्म करती है। स्टील प्लेटों की खपत पिसे कोयले की गुणवत्ता, परिचालन पैरामीटर्स एवं बाल मिल्स की स्थिति पर निर्भर करती है। क्षति के प्रकरणों में इनका बदलना आवश्यक है जिससे लुब्रीकेटिंग ऑयल रिम गीयर की पद्धति में कोयले का प्रवेश रोका जा सके साथ ही साथ काउण्टर शाफ्ट पिनिअन के कटाव को भी बचाया जा सके।

आरमर प्लेटों की अधिक खपत से 0.26 करोड़ रूपए की हानि हुई

संपरीक्षा में यह देखा गया कि 7170 नम्बर स्टील आरमर प्लेटें वजन 361.926 मी0 टन पनकी टी पी एस की बाल मिल में वर्ष 1996–97 से जनवरी 2001 तक निर्गत हुई थी जिंनमें से 228.391 मी0 टन प्लेटें कोयले की पिसाई में खपत हुई थी जबकि 133.535 मी0 टन (36.9 प्रतिशत) स्क्रेप के रूप में बची थी। इसकी खपत, स्क्रेप की प्राप्ति, पिसे कोयले की मात्रा, प्रति मी0 टन कोयले की पिसाई के सापेक्ष खपत का वर्ष–वार विवरण एवं वर्ष 1996–97 में प्राप्त वास्तविक न्यूनतम खपत के संदर्भ में अधिक खपत का विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है:

वर्ष	स्टील आरमर प्लेट की निर्गत मात्र (मी0टन)	प्राप्त स्क्रेप (कुल निर्गत के सापेक्ष स्क्रेप का प्रतिशत) (मी0 टन)	शुद्ध खपत (मी0 टन)	कोयला जो पीसा गया (मी0 टन)	प्रति मी0टन कोयले की पिसाई के सापेक्ष खपत (किग्रा.)	अधिक खपत (मी0 टन)
1996-97	28.565	1.465 (5.1प्रतिशत)	27.100	757.408	36	--
1997-98	107.340	28.200 (26.3 प्रतिशत)	79.140	716.330	110	53.008
1998-99	70.342	19.060 (27.1प्रतिशत)	51.282	645.334	79	27.749
1999-00	79.563	36.710 (46.1 प्रतिशत)	42.853	682.003	63	18.414
2000-01 (1/2001तक)	76.116	48.100 (63.31 प्रतिशत)	28.016	526.330	53	8.948
योग	**361.926**	**133.535 (36.9 प्रतिशत)**	**228.391**			**108.119**

यह उपरोक्त से देखा जा सकता है कि प्रति मी0 टन कोयले की पिसाई के सापेक्ष स्टील आरमर प्लेट की वास्तविक खपत में भिन्नता व्यापक थी तथा 36 कि0ग्रा0 एवं 110 कि0ग्रा0 के बीच आरेखित थी। प्रति मी0 टन पिसे कोयले के सापेक्ष प्राप्त 36 कि0ग्रा0 की खपत, जो वर्ष 1996–97 में प्राप्त हुई थी, को आधार मानकर अधिक खपत की गणना करने पर मात्रा 108.119 मी0 टन आयी जिसका मूल्य 26.22 लाख रुपये (24,250 रुपये प्रति मी0 टन की औसत दर से गणना करने पर) आया। अधिक खपत के कारणों का विश्लेषण प्रबन्धन द्वारा नही किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि वर्ष 1996–97 की खपत को अनुवर्ती वर्षों की अधिक खपत के लिए आधार मानना उचित नहीं है क्योकि अनुवर्ती वर्षो में इकाईयों का पूँजीगत जीर्णोद्धार

किया गया तथा जीर्णोद्धार के दौरान स्टील आरमर प्लेटें बदली गयी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिक खपत की गणना, बदली गयी आरमर प्लेटों की मात्रा को स्क्रेप के रूप में कम करने के बाद की गयी थी।

2ब.5.3 रिंग हैमरों की अधिक खपत

रिंग हैमरों की न्यूनतम प्राप्त खपत से अधिक खपत के फलस्वरूप 0.11 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय

कोयला हैंडलिंग प्लाण्ट के दोनों प्राइमरी एवं सेकण्डरी क्रशरों में टूथ रिंग हैमरों का प्रयोग क्रशिंग मीडिया के रूप में किया जाता है। आनपारा 'ए' टी पी एस (3 x 210 मेगावाट) में प्रयुक्त टूथ रिंग हैमरों, पिसे कोयले की मात्रा आदि, प्रति मी0 टन पिसे कोयले के सापेक्ष रिंग हैमरों की खपत, प्राप्त खपत के संदर्भ में अधिक खपत का वर्ष–वार विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्रयुक्त रिंग हैमर (किग्रा)	कोयले की मात्रा (मी0टन)	प्रति मी0टन कोयले के सापेक्ष रिंग हैमर की खपत (किग्रा)	अधिक खपत (किग्रा)	अधिक खपत की कुल मात्रा (किग्रा)
1996-97	11895	3291349	0.0036	0.0013	4278.75
1997-98	7137	3065332	0.0023	--	--
1998-99	12871	3068582	0.0042	0.0019	5830.30
1999-00	11895	2727257	0.0044	0.0021	5727.24
2000-01	16653	3212329	0.0052	0.0029	9315.75
योग					**25152.04**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रति मी0 टन कोयला पिसाई के विरूद्ध रिंग हैमर की खपत मे अन्तर व्यापक थे तथा 1997–98 में 0.0023 किग्रा एवं 2000–2001 में 0.0052 किग्रा के बीच आरेखित किये। वर्ष 1997–98 के दौरान प्राप्त खपत 0.0023 किग्रा/प्रति मी0 टन कोयला पिसाई को मानक के रूप मानकर अधिक खपत की मात्रा, 25152 किग्रा मूल्य 11.07 लाख रुपये (44.00 रुपये प्रति किग्रा की दर से) वर्ष 1996–97 से 2000–2001 के दौरान पायी गयी। प्रबन्ध द्वारा अधिक खपत के कारणों का विश्लेषण नही किया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि 1997–98 के दौरान भण्डार में पर्याप्त मात्रा में रिंग हैमर उपलब्ध नहीं थे जिसके कारण उन्हे बदला नहीं जा सका। परिणामस्वरूप इसने 1997–98 की खपत को कम कर दिया। पुनः, जब 1998–99 में रिंग हैमरों को बदला गया तो उन्होंने वर्ष 1998–99 की खपत को बढ़ा दिया। इसी प्रकार 2000–2001 की खपत में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि 2000–2001 में सभी रिंग हैमरों को नई से बदल दिया गया। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि रिंग हैमरों की खपत की गणना केवल बदले गये रिंग हैमरों की मात्रा के आधार पर नहीं की गयी बल्कि इसकी गणना उनके द्वारा वर्ष के दौरान कोयले की पिसाई की गयी मात्रा के अनुसार की गयी है।

2ब.5.4 कैमिकल्स (कास्टिक सोडा एवं हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड) की अधिक खपत

कैमिकल्स की खपत पानी की गुणवत्ता एवं वाटर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के रेजिन एक्सचेंजर की

1.36 करोड़ रूपए के कास्टिक सोडा एवं एच सी एल का अधिक प्रयोग

स्थिति पर निर्भर करती है। उत्पादित डी एम वाटर की मात्रा, प्रयुक्त कैमिकल्स (कास्टिक सोडा एवं एच सी एल), प्रति मी0 टन डी एम वाटर के सापेक्ष औसत खपत एवं प्रत्येक विद्युत गृहों में प्राप्त खपत के संदर्भ में अधिक खपत का वर्ष–वार विवरण संलग्नक–24 में दिया गया है। यू पी आर वी यू एन एल ने प्रत्येक विद्युत गृह के लिए क्षेत्र के कच्चे पानी एवं प्लाण्ट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कैमिकल्स की खपत के पुनरीक्षित मानक लागू नहीं किये गये। तथापि, प्रतिवेदित किया गया कि कैमिकल्स की खपत में भारी अन्तर है। प्रत्येक टी पी एस द्वारा प्राप्त निम्नतम औसत खपत को आधार मानकर कास्टिक सोडा की अधिक खपत निकालने पर मात्रा 1327.26 मी0 टन मूल्य 1.14 करोड़ रुपये, वर्ष 1996–97 से नवम्बर 2000 की अवधि में पायी गयी।

उसी प्रकार 1996–97 से नवम्बर 2000 की अवधि के दौरान एच सी एल की अधिक खपत की मात्रा 1115.99 मी0 टन मूल्य 22.86 लाख रुपये की पायी गयी। तथापि यू पी आर वी यू एन एल ने कैमिकल्स के व्यापक भिन्नताओं एवं अधिक खपत के कारण के विश्लेषण नही किये थे।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2001) कि ओबरा 'ए' टी पी एस का डी एम वाटर प्लाण्ट सबसे पुराना है। ओबरा 'बी' टी पी एस के प्लाण्ट के रेजिन्स का बदलाव (1991 में होना था) उसकी स्थापना (1976–77) से अब तक, वित्तीय आपदा के कारण, नही किया गया है। उत्तर इस आधार पर समर्थनीय नही है क्योंकि टी पी एस के परिचालन में डी एम वाटर प्लाण्ट का अनुरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं इस रास्ते में वित्तीय रूकावटें नहीं आनी चाहिए। पुनः, सम्बन्धित डी एम वाटर प्लाण्ट द्वारा प्राप्त खपत को आधार के रूप में ले कर अतिरिक्त खपत की गणना, एच सी एल एवं कास्टिक सोडा की खपत में अन्तर के विचार से, की गयी है।

2ब.5.5 गैस (हाइड्रोजन गैस) की अधिक खपत

जनरेटरों की सामान्य क्रियाशीलता के लिए जनरेटर के अन्दर गैस की मात्रा 3.5 किग्रा/घन सेमी. दबाव तक अनुरक्षित की जानी चाहिए तथा उसकी विशुद्धता 99 प्रतिशत स्तर तक होनी चाहिए। हाइड्रोजन गैस के मेकअप के लिए खपत प्रतिदिन प्रति इकाई, तकनीकी विवरणो के अनुसार, 1.5 घन मी. प्रति दिन प्रति इकाई थी। हाइड्रोजन गैस की खपत में मान्य सीमा के ऊपर वृद्धि के कारण थे (i) गैस कूलर अथवा स्टेटर बाइंडिंग में रिसाव जो गैस की आवश्यक मात्रा में कमी करती है एवं (ii) 400 से 500 एम एम के न्यूनतम स्तर, जिसके लिए वैक्यूम पम्प की व्यवस्था दी गयी है, पर वैक्यूम के अनुपयुक्त अनुरक्षण के कारण सील ऑयल का अधिक प्रवाह होना।

हाइड्रोजन गैस का उपभोग 1.5 घन मी0 मानक के विपरीत 30 से 53.9 घन मी0 रहा

संपरीक्षा में यह संज्ञान में आया कि प्रति इकाई प्रतिदिन 1.5 घन मी. हाइड्रोजन गैस के मानक के विरूद्ध, टी पी एस ने इसकी आवश्यकता 15 घन मी. (2.5 सिलेण्डर प्रतिदिन) प्रति इकाई माना। इसके बाद भी यह प्राप्त नही की गयी एवं वास्तविक खपत बहुत अधिक थी तथा 30 घन मी. एवं 53.9 घन मीटर प्रति दिन प्रति इकाई के बीच आरेखित थी जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रोजन गैस की अतिरिक्त खपत 136746 घन मी. मूल्य 49.21 लाख रुपये (36 रुपये प्रति घन मी. की दर से) 1996–97 से फरवरी 2001 की अवधि के दौरान, हुई। अधिक खपत के लिए कारण, जो संपरीक्षा के संज्ञान में आए वे, वैक्यूम को न्यूनतम आवश्यक स्तर पर न बनाये रखने के कारण सील आँयल के अधिक बहाव, था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि हाइड्रोजन गैस की अधिक खपत शैफ्ट सीलिंग की समस्या के कारण थी परन्तु इकाई को विद्युत उत्पादन के लिए चालू रखने का उद्देश्य किसी प्रकार की विद्युत उत्पादन हानि से बचाना था। यह पुनः, बताया गया कि बी एच ई एल द्वारा बताये गये खपत मानक 15 घन मी. के विरूद्ध संपरीक्षा द्वारा 1.5 घन मी. इंगित किया गया। उत्तर समर्थनीय नहीं है क्योंकि शैफ्ट सीलिंग की समस्या जिसके कारण हाइड्रोजन गैस की अधिक खपत बढ़ती है, एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान टी पी एस द्वारा समय–समय पर इकाई के जीर्णोद्धार के दौरान उसी समय किया जा सकता है। संपरीक्षा द्वारा लिए गये मानक आनपारा 'ए' टी पी एस की परिचालन नियमावली की तकनीकी विवरणी के अनुरूप है तथापि, हाइड्रोजन गैस की अतिरिक्त खपत की गणना बी एच ई एल द्वारा बताये गये मानकों के आधार पर की गयी है।

2ब.6 भण्डार नियंत्रण

यू पी आर वी यू एन एल ने विद्युत गृहों पर भण्डार की रिजर्व सीमाएँ निर्धारित नहीं की हैं जैसी कि अन्य विद्युत परिषदों द्वारा निर्धारित की गयी हैं। आन्ध्र विद्युत परिषद ने इन्वेन्ट्री भण्डारण सीमा किसी समय बिन्दु पर 3 माह की खपत से अधिक न रखने की, निर्धारित की है। इन्वेन्ट्री के ऊपर खराब नियंत्रण के कारण ही सामग्री का अधिक/असंतुलित भण्डारण हुआ। संपरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों पर विचार निम्नवत किया गया है:

2ब.6.1 अत्यधिक भण्डार संचयन

निम्न सारिणी वर्ष के दौरान खपत हुए स्पेयर्स को प्रदर्शित करती है एवं प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर, 2000–2001 तक के पाँच वर्षो के लिए भण्डार के अंतिम अवशेष माह की खपत के रूप मे दर्शायी गयी है:

टी पी एस/वर्ष	खपत (लाख रूपये में)	अवशेष भण्डार (लाख रूपये में)	अवशेष भण्डार मासिक खपत के अनुसार	अधिक भण्डार (माह में)	अधिक इन्वेंट्री (लाख रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ओबरा 'ए'					
1996-97	1742.39	1150.62	7.92	4.92	714.78
1997-98	3806.23	1273.85	4.02	1.02	323.22
1998-99	4619.18	1029.86	2.68	--	--
1999-00	4512.52	953.24	2.53	--	--
2000-01 (अनन्तिम)	4407.83	1927.06	5.25	2.25	361.32
ओबरा 'ब'					
1996-97	5331.20	4116.94	9.27	6.27	2784.60
1997-98	5335.67	4319.67	9.72	6.72	2986.44
1998-99	3936.28	4106.23	12.52	9.52	3122.31
1999-00	6572.42	4589.81	8.39	5.39	2948.64
2000-01 (अनन्तिम)	5265.11	4730.52	10.78	7.78	3066.95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पनकी					
1996-97	1863.31	1476.05	9.51	6.51	1010.42
1997-98	2299.04	1459.46	7.70	4.70	890.84
1998-99	2988.41	1465.63	5.89	2.89	719.13
1999-00	2651.94	1418.14	6.42	3.42	755.46
2000-01 (अनन्तिम)	2744.15	1023.85	4.47	1.47	336.70
आनपारा (ओ एण्ड एम)					
1996-97	6906.09	408.60	0.71	--	--
1997-98	15016.09	6377.76	5.09	2.09	2618.77
1998-99	26593.90	22861.09	10.32	7.32	16215.42
1999-00	11914.55	23318.29	23.49	20.49	20340.22
2000-01 (अनन्तिम)	20568.07	27827.76	16.23	13.23	22683.99
योग					**81879.21**

उपरोक्त से यह सुस्पष्ट है कि विभिन्न विद्युत गृहों पर भण्डारण की गयी इन्वेंन्ट्री, मासिक खपत के रूप में 0.71 एवं 23.49 माहों की बीच व्यापक रूप से आरेखित थी।

भण्डार के अत्यधिक संचयन से 147.38 करोड़ रूपए का ब्याज भार परिमाणित हुआ

आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा यथा निर्धारित भण्डार संग्रहण सीमा, तीन माहों की खपत, को आधार मानते हुए भण्डार में अधिक निवेश 3.23 से 7.15 करोड़ रुपये, 27.85 से 31.22 करोड़ रुपये , 3.37 से 10.10 करोड़ रुपये, एवं 26.19 से 226.84 करोड़ रुपये, के बीच क्रमशः ओबरा 'ए', ओबरा 'बी', पनकी एवं आनपारा (ओ एण्ड एम) में 1996–97 से 2000–2001 की अवधि के दौरान आरेखित रहा। अधिक भण्डारित इन्वेन्ट्री के मूल्य पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रभारों को लेखे में लेने पर ब्याज अवयव 147.38 करोड़ रुपये आया।

2ब.6.2 भण्डार का संयोजन

निम्न सारणी, 1999–2000 के अंत में यू पी आर वी यू एन एल के विभिन्न ताप विद्युत गृहों में रखी गयी इन्वेन्ट्री को श्रेणी–वार दर्शाती है:

(लाख रुपये में)

मदें	ओबरा 'ए'		ओबरा 'बी'		पनकी		आनपारा (ओ एण्ड एम)	
	अवशेष भण्डार	प्रतिशत	अवशेष भण्डार	प्रतिशत	अवशेष भण्डार	प्रतिशत	अवशेष भण्डार	प्रतिशत
लुब्रीकेंट	58.81	4.72	32.61	0.68	13.52	0.66	364.72	1.45
कैमिकल्स	2.91	0.23	22.17	0.46	15.15	0.73	13.18	0.05
उपभोज्य/डीजल	11.84	0.95	126.85	2.65	2.62	0.13	139.20	0.55
स्पेयर्स	953.24	76.48	4589.81	95.96	1418.14	68.88	23318.29	92.64
अन्य	219.68	17.62	11.79	0.25	609.47	29.60	1335.85	5.31
योग	**1246.48**	**100.00**	**4783.23**	**100.00**	**2058.90**	**100.00**	**25171.24**	**100.00**

यह उपरोक्त से देखा जा सकता है कि स्पेयर्स की इन्वेन्ट्री का प्रतिशत कुल इन्वेन्ट्री के 68.88 से 95.96 प्रतिशत के बीच आरेखित रहा। केन्द्रीय भण्डार खण्डों में विविध प्रकार की सामग्रियों के विशाल अम्बार लगे थे। यह पाया गया कि ए बी सी विश्लेषण नहीं किया गया है, इसके अतिरिक्त पुर्जो की पहचान गैर, धीमे एवं तेजी से प्रयोग में आने वाले, अनिवार्य एवं स्वैच्छिक स्पेयर्स के रूप में नहीं की गयी है।

13.27 करोड़ रूपए का भण्डार विगत पांच से दस वर्षों से प्रयोग से नहीं आया

अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि 1999–2000 की समाप्ति पर रखी गयी इन्वेन्ट्री में 13.27 करोड़ रुपये मूल्य की इन्वेन्ट्री (ओबरा 'ए': 6.91 करोड़ रुपये, ओबरा 'बी': 3.22 करोड़ रुपये, पनकी: 1.81 करोड़ रुपये एवं आनपारा (ओ एण्ड एम): 1.33 करोड़ रुपये) भी सम्मिलित है जो विगत 5 से 10 वर्षो से प्रयोग में नहीं आई। इन स्पेयर्स की उपयोगिता का विश्लेषण प्रबन्धन द्वारा वर्तमान समय तक नही किया गया है जिसके परिणामस्वरूप स्थिर प्रयोज्य स्पेयर्स की अवरूद्धता पर, 18 प्रतिशत वार्षिक दर से गणना करके निकाली गयी ब्याज की धनराशि 2.39 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष परिहार्य हानि हुई।

2ब.6.3 परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय का संयोजन

मरम्मत एवं रख–रखाव खर्च विगत पांच वर्षों में 16.54 प्रतिशत से 54.52 प्रतिशत रहा

परिशिष्ट–25 पर दी सारिणी 1996–97 से 1999–2001 की अवधि के प्रत्येक टी पी एस की विद्युत उत्पादन की स्थिति, कुल ओ एण्ड एम व्यय, अन्य ओ एण्ड एम व्यय (स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स की लागत, मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय), मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय का अन्य ओ एण्ड एम व्यय के सापेक्ष प्रतिशत को दर्शाती है।

वर्ष 1996–97 से 1999–2001 की अवधि के लिए चार टी पी एस की ओ एण्ड एम व्यय की एक समीक्षा दर्शाती है कि विद्युत उत्पादन प्रति मिलियन यूनिट (एम यू) के सापेक्ष व्यय की भिन्नता व्यापक थी तथा 4.38 लाख रुपये से 18.50 लाख रुपये तक आरेखित थी। पुनः, प्रति मिलिअन यूनिट उत्पादन के विरूद्ध स्टोर्स एवं स्पेयर्स पर व्यय भी भिन्न हो रहे थे तथा 0.21 लाख रुपये से 1.87 लाख रुपये तक आरेखित थे। कम्पनी ने इस सम्बन्ध में कोई मानक निर्धारित नहीं किये थे तथा जिसके परिणामस्वरूप कोई नियंत्रण ऐसे व्ययों पर लागू नहीं किया जा सका।

2ब.7 अप्रयुक्त सामग्री

स्टॉक अभिलेखों की समीक्षा दर्शाती है कि उचित योजना के अभाव में भारी मात्रा में सामग्रियाँ अप्रयुक्त पड़ी हुई थी तथा बिना किसी तुरन्त आवश्यकता के सामग्री का क्रय बहुत अग्रिम में कर लिया गया था। सामग्रियों/उपकरणों में व्यर्थ निवेश के प्रकरणों, विशेष उददे्श्यों के क्रय के प्रकरण जो संपरीक्षा में संज्ञान में आये, पर अनुवर्ती प्रस्तरों में विचार किया गया है।

(क) स्पेयर्स में निधियों का अवरोध

नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजना

ओबरा टी पी एस की आठ इकाईयों (1 x 50 मेगावाट, 2 x 100 मेगावाट एवं 5 x 200 मेगावाट)

के साथ–साथ कोल हैण्डलिंग प्लाण्ट एवं वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य एक पैकेज (4 जून 1997) के अधीन 126.60 करोड़ रुपये की लागत में प्रारम्भ किया गया था जिसके लिए संयुक्त वित्त पोषण पी एफ सी से 88.60 करोड़ रुपये के ऋण (16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर) के माध्यम से एवं 38.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था भूतपूर्व यू पी एस ई बी के द्वारा अपने स्रोतों से करनी थी। परियोजना को मार्च 2000 तक पूर्ण हो जाना था।

12.76 करोड़ रूपए के पुर्जे अप्रयुक्त रहे

अभिलेखों की समीक्षा, तथापि, प्रदर्शित करती है कि यद्यपि ऋण की सम्पूर्ण धनराशि (88.60 करोड़ रुपये) निर्धारित अवधि में ही प्राप्त हो गयी थी, किन्तु परियोजना दिसम्बर 2000 तक पूर्ण नही हो सकी थी क्योंकि भूतपूर्व यू पी एस ई बी 38.00 करोड़ रुपये के प्राविधान के विरूद्ध मात्र 4.85 करोड़ रुपये की निधि ही उपलब्ध करा सका, परिणामस्वरूप ऋण निधि के विरूद्ध क्रय किये गये स्पेयर्स/इक्यूपमेंट मूल्य 12.76 करोड़ रुपये (ओबरा 'बी' टी पी एस पर 10.95 करोड़ रुपये एवं ओबरा 'ए' टी पी एस पर 1.81 करोड़ रुपये) अप्रयुक्त पड़े थे जिन पर यू पी आर वी यू एन एल (भूतपूर्व यू पी एस ई बी) 2.04 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष, 16 प्रतिशत वार्षिक की दर से गणना करने पर, वित्तीय प्रभार वहन कर रहा है।

प्रबन्धन ने बताया कि स्पेयर्स का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि जो निधियाँ भूतपूर्व यू पी एस ई बी द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी उन्हें टी पी एस को उपलब्ध नही कराया गया तथा इकाई को बन्दी में नहीं लिया गया। उत्तर स्वयं में सम्परीक्षा के विचारों से सहमति प्रकट करता है कि ऋण निधियों से क्रय किये गये स्पेयर्स अप्रयुक्त रहे।

(ख) पनकी टी पी एस की बंद इकाईयॉ

पनकी टी पी एस (2 X 32 मेगावाट) न तो पुनः प्रारम्भ की गयी और न ही 2.13 करोड़ रूपए के पुर्जों का निस्तारण किया गया

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू पी पी सी बी) के आदेशों के अनुरूप जिलाधिकारी, कानपुर के आदेशों के अधीन, पनकी टी पी एस की इकाईयों (2 x 32 मेगावाट) में से एक इकाई वर्ष 1995 के दौरान बन्द करा दी गयी थी तथा दूसरी मार्च/अप्रैल 1997 में बंद हुई थी क्योंकि इन इकाइयों द्वारा यू पी पी सी बी द्वारा सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मैटर्स (एस पी एम) के लिए निर्धारित स्तर से अधिक का उत्सर्जन किया जा रहा था।

अभिलेखों की संवीक्षा प्रदर्शित करती है कि इकाई में 2.13 करोड़ रुपये मूल्य के स्पेयर्स का विशाल संचय किया गया था जो इकाईयों के बंद किए जाने के समय से टी पी एस में अप्रयुक्त पड़े है। निगम ने चार से छः वर्ष के असाधारण विलम्ब के बाद इन इकाईयों को बंद करने का निर्णय किया (अप्रैल 2001) जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की कुल हानि 1.53 करोड़ रुपये की उठानी पड़ी।

2ब.8 आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों को दिये अग्रिमों की वसूली/समायोजन न किया जाना

आपूर्ति आदेश/अनुबन्धों की शर्तें समय–समय पर आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान देने के लिए व्यवस्था देती हैं। इस तरह दिये गये अग्रिमों का समायोजन, जैसे और जब आपूर्त्ति/सेवायें प्राप्त/मिल जाये, कर लेना चाहिए। 31 मार्च 2000 को 32.15 करोड़ रुपये की धनराशि चार ताप विद्युत गृहों की पुस्तकों में बकाया दिखायी गयी है। इन अग्रिमों के पार्टीवार एवं वर्षवार विवरण अनुरक्षित नहीं किये गये हैं। इन अग्रिमों की वसूली की स्थिति की संवीक्षा

करने के लिए कोई प्रणाली नहीं बनायी गयी है ताकि ऐसे प्रकरणों में जहाँ दीर्घकाल से अग्रिम पड़े हुए है अनुश्रवण करके वहाँ निधियों के अवरोध के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि से बचा जा सके, जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों में विचार किया गया है:

1988 से 2000 के दौरान 171 क्रय आदेशों के विरूद्ध दिए गए 0.84 करोड़ रूपए के अग्रिम असमायोजित /बिना वसूली किए पड़े रहे

(i) वर्ष 1998–99 से 1999–2000 की अवधि के दौरान बी एच ई एल (त्रिची, हरिद्वार एवं वाराणसी) ने 57 अदद क्रय आदेश (मूल्य 3.85 करोड़ रुपये) के विरूद्ध किसी मद की आपूर्ति नहीं की एवं 114 अदद क्रय आदेशों के विरूद्ध कुछ मदों की आपूर्ति दी (अनापूर्तित मदों की लागत 3.25 करोड़ रुपये) जिनके लिए उनको दिये कुल अग्रिम 0.84 करोड़ रुपये (ओबरा 'बी' टी पी एस: 19.29 लाख रुपये, पनकी टी पी एस: 18.38 लाख रुपये, आनपारा 'ए' टी पी एस: 26.49 लाख रुपये एवं आनपारा 'बी' टी पी एस: 19.54 लाख रुपये) असमायोजित पड़े थे (मई 2000)।

अभिलेखों की संवीक्षा पुनः प्रदर्शित करती है कि आपूर्ति प्रारम्भ कराने के लिए न तो कोई ठोस प्रयास किये गये है और न ही दीर्घकाल से बकाया के समायोजन की कोई कार्यवाही की गयी है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को परिहार्य वित्तीय प्रभार धनराशि 15.07 लाख रुपये वार्षिक, गणना 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष से की गयी, वहन करना पड़ा।

(ii) आनपारा टी पी एस द्वारा एल डी ओ का प्रापण भारतीय तेल निगम से अग्रिम भुगतान के विरूद्ध किया जाता था। आंकलित मात्रा के विरूद्ध समय समय पर अग्रिमों का भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा प्रदर्शित करती है कि वर्ष 1993–94 से आई ओ सी के पास भारी विशाल अग्रिम, त्रैमासिक समाशोधन के अभाव मे अवशेष पड़े हुए थे जो छः वर्ष के अंतराल के बाद किया गया है।

1993–94 से 1998–99 की अवधि के दौरान के बकाया अग्रिमों की स्थिति का विवरण निम्न सारिणी में दिया गया है:

(लाख रुपये में)

अवधि	अग्रिम की धनराशि	प्रेषण	उत्तरोत्तर अवशेषों जिनपर ब्याज की गणना की गयी	ब्याज की अवधि (महीने)	18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की हानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1993-94	1361.34	1303.43	57.91	12	10.42
1994-95	1726.82	1706.53	78.20	12	14.08
1995-96	552.79	535.89	95.10	12	17.12
1996-97	665.04	610.24	148.30[24]	12	26.69
1997-98	844.41	846.01	148.30	12	26.69
1998-99	1529.90	1482.44	195.76	3	8.81
योग					**103.81**

24 1996–97 का प्रगामी शेष 149.90 लाख रुपये था, जबकि, अगले वर्ष का शेष कम था, यथा 148.30 लाख रुपये, ब्याज के परिकलन के लिये प्रयुक्त किया गया है।

आपूर्तियों के समय से समाशोधन न करने के कारण 1.04 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि

इस प्रकार भुगतानों एवं आपूर्तियों के समाशोधन में विलम्ब के कारण 57.91 लाख रुपये से 1.96 करोड़ रुपये की धनराशि 1993–94 से 1999–2000 (जून 2000 तक) अवरूद्ध पड़ी रही जिस पर यू पी आर वी यू एन एल को, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गणना करके निकाले गये, 1.04 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि जून 2001 में किये गये समाशोधन के परिणामस्वरूप अवशेष 29.54 लाख रुपये घटकर रह गये हैं। प्रबन्धन, तथापि, पूर्व वर्षों में विशाल अवशेषों के समाशोधन न कर पाने के औचित्य को स्पष्ट नहीं कर सका।

2ब.9 स्क्रेप का विशाल संचयन

संचयित स्क्रेप के निस्तारण की सामयिक संवीक्षा से कार्यशील पूँजी का संवर्धन मात्र ही नहीं होता है, अपितु स्थल खाली होता है एवं इंवेन्ट्री पर के दबाव को कम करता है। समय से निस्तारण स्क्रेप की गुणवत्ता ह्रास एवं मूल्य की गिरावट को रोकता है।

लेखा परीक्षा द्वारा चार ताप विद्युत गृहों में स्क्रेप के संचयन एवं निस्तारण पर की गयी एक समीक्षा दर्शाती है कि कई वर्षों से संचयित स्क्रेप, मूल्य 3.87 करोड़ रुपये (ओबरा 'ए': 1.41 करोड़ रुपये, ओबरा 'बी': 1.81 करोड़ रुपये, पनकी: 21.00 लाख रुपये एवं आनपारा (ओ एण्ड एम): 44.46 लाख रुपये) वर्ष 2000–2001 के अंत तक निस्तारित पड़ा हुआ था।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि स्क्रेप के भारी संचयन का कारण प्रक्रियात्मक विलम्ब एवं सामयिक निर्णयों को न लेना था। प्रतिवेदित प्रकरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

2बी.9.1 स्क्रेप के निस्तारण में विलम्ब

अनुमान से अधिक दरें प्राप्त होने के बावजूद 1.24 करोड़ रूपए के स्क्रैप अनिस्तारित रहे

स्क्रेप निस्तारण समिति के द्वारा स्क्रेप के चिन्हित कर देने के बाद, ओबरा टी पी एस द्वारा अपने स्क्रेप का निस्तारण एम एस टी सी के द्वारा सिफारिश की गयी दरों के आधार पर एवं परियोजना निविदा समिति (10.00 लाख रुपये तक)/यू पी एस ई बी के सदस्य भण्डार क्रय समिति (10.00 लाख रुपये से अधिक)/दिनांक 14.1.2000 से लागू यू पी आर वी यू एन एल की निगम क्रय समिति के अनुमोदन प्राप्त करके खुली निविदा द्वारा मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन (एम एस टी सी) के माध्यम से किया जाता रहा था।

लेखा परीक्षा में यह संज्ञान में आया कि परियोजना में 31.03.97 के पूर्व से पड़े स्क्रेप का निस्तारण एम एस टी सी से दरें प्राप्त होने के बाद भी नहीं किया गया। दरें जो प्राप्त हुई थीं, आगणित दरों (1.17 करोड़ रुपये) से उच्चतर थीं एवं मूल्यांकन 1.24 करोड़ रुपये पर किया गया था। एम एस पी सी/निगम निविदा समिति के द्वारा अनुमोदन न दिये जाने के कारण स्क्रेप का निस्तारणा नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप 1.24 करोड़ रुपये की सीमा तक कम्पनी का फण्ड विगत चार वर्षों से 31.03.2001 तक अवरूद्ध पड़ा है।

2ब.9.2 अप्रयोज्य डोजरों का निस्तारण न करना

ताप विद्युत गृहों में बुल्डोजरों का उपयोग कोयला यार्ड से ट्रैक हापर तक कोयले की ढुलाई के लिए किया जाता है। टी पी एस पनकी द्वारा दो बी ई एम एल मेक 150 एच पी बुल्डोजरों, प्रत्येक 8.00 लाख रुपये की लागत में 1968 एवं 1971 में क्रय किये गये थे, जो क्रमशः 1981 एवं 1986 से क्षतिग्रस्त स्थिति में पड़े थे। प्रबन्धन ने उनको असेवायोग्य घोषित किया था (05.08.95) तथा तीन माह के अन्दर उनके निस्तारण की संस्तुति की थी। प्रबन्धन द्वारा प्रत्येक की अनुमानित कीमत 0.60 लाख रुपये थी। तदनुसार उनके निस्तारण के लिए खुली निविदाएँ एम एस टी सी के माध्यम से आमंत्रित की गयी थीं।

उच्चतर दरें प्राप्त होने के बावजूद अलाभकारी डोजर विक्रय नहीं किए गए

एस पी एस मुम्बई के द्वारा दोनों डोजरों के लिए 13.42 लाख रुपये आफर किये गये थे परन्तु प्रबन्धन द्वारा निविदा खुलने की तिथि (28.08.1995) से लेकर आफर की वैधता अवधि 25.11.1995 तक स्वीकृति नहीं प्रदान की गई थी जिसके लिए अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं थे। दरों का अनुमोदन, तथापि एम एस टी सी को 21.12.1995 को सूचित किया गया जिसको फर्म द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अगले पॉच वर्षो के दौरान प्राप्त हुई दरें (1996 में 10.00 लाख रुपये, 1997 में 7.52 लाख रुपये) निम्नतर होने के कारण प्रबन्धन द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकीं।

इस प्रकार दरों की स्वीकृति विलम्ब से करने के कारण इन बुल्डोजरों को अत्यधिक लाभकारी दरों पर निस्तारण करने में प्रबन्धन असफल रहा। चूक का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था (मई 2001)।

इसी तरह आनपारा टी पी एस में तीन बुल्डोजर क्षतिग्रस्त स्थिति में, मितव्ययी मरम्मत के बाहर (बी ई आर), मई 1995 से नवम्बर 1997 तक पड़े थे। उनके मितव्ययी मरम्मत से बाहर हुए चार से छः वर्षो के बीत जाने के बाद भी निस्तारण के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि बोलीदाता द्वारा बुल्डोजरों को उठाने से जानबूझकर बचा गया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वैध अवधि में बोली स्वीकार करने में प्रक्रियात्मक विलम्ब ने बुल्डोजरों को उठाने से बचने का अवसर बोलीदाता को प्रदान किया।

2ब.10 भण्डार का भौतिक सत्यापन

भण्डार के अवशेष का लेखों के अनुसार एवं भौतिक सत्यापन के अनुसार, कभी भी समाशोधन नहीं किया गया

लेखानुसार एवं भौतिक सत्यापन के अनुसार टी पी एस–वार भण्डारों, स्पेयरों एवं लुब्रीकेन्ट के अवशेषों की स्थिति 31 मार्च 2000 को निम्नवत थीः

(लाख रुपये में)

टी पी एस का नाम	लेखानुसार अवशेष	भौतिक सत्यापन के अनुसार अवशेष	अन्तर (-) (2)-(3) (+) (3)-(2)
(1)	(2)	(3)	(4)
ओबरा (आर एण्ड एम)	3005.80	1296.00	(-) 1709.80
ओबरा 'ए'	1026.81	3200.00	(+) 2173.19
ओबरा 'बी'	4771.44	3426.00	(-) 1345.44
पनकी	1449.43	1568.00	(+) 118.57
आनपारा (ओ एण्ड एम)	23835.39	25908.58	(+) 2073.19

यह उपरोक्त से देखा जा सकता है कि लेखानुसार एवं भौतिक सत्यापनों के अनुसार भण्डारों के अवशेषों में विशाल अन्तर है। इन अन्तरों का कभी भी समाशोधन नहीं किया गया है क्योंकि मानीटरिंग अभिलेखों का अनुरक्षण/बंदी दीर्घकाल से नहीं किया जा रहा था। इससे लेखे में दर्शाये गये अवशेषों की विशुद्धता का अभिनिश्चय लेखा परीक्षा में नहीं किया गया।

पुनः, खण्डीय अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने खण्डों के भण्डारों का वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन करें। सभी भण्डारों की जॉच एवं गणना की जानी चाहिए। इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिनांक सहित हस्ताक्षर के अधीन जारी किया जाना चाहिए। भौतिक सत्यापन के बाद पायी गयी विसंगतियों को सत्यापन करने वाले अधिकारी द्वारा अधिशेष को प्राप्ति एवं कमी को निर्गत मानकर एक उपयुक्त टिप्पणी के साथ लिपिबद्ध करके निराकरण कर देना चाहिए। कमी के मूल्य को अंतिम रूप से भारित नहीं करना चाहिए बल्कि शीर्ष (22.830) "भण्डार कमियाँ लम्बित जाँच" में रखनी चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा तथापि प्रदर्शित करती है कि ओबरा (आर एण्ड एम) के लेखों के 31 मार्च 2000 के अंत पर ग्राउण्ड अवशेष पुस्तकीय अवशेष के सापेक्ष 17.10 करोड़ रुपये से कम थे। न तो कमी को शीर्ष "भण्डार कमी विचाराधीन जाँच" में भारित किया गया है और न ही टी पी एस द्वारा विशाल अन्तरों के कारणों का अभिनिश्चय किया गया तथा अवशेषों का अभिनिश्चय न होने के परिणामस्वरूप अवशेषों की विशुद्धता सम्परीक्षा में अभिनिश्चित नही की जा सकी (मई 2001)। अन्तरों के लिए उचित लेखों के अभाव में हेराफेरी/गबन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

एक दक्ष सामग्री प्रबन्धन एवं इन्वेन्ट्री नियंत्रण प्रणाली को आरम्भ करने में कम्पनी के असफल रहने के कारण थेः

- **दोषपूर्ण क्रय प्रक्रिया के फलस्वरूप उच्चतर दरों से सामग्री की अधिप्राप्ति;**
- **सामग्रियों की विलम्बित व्यवस्था के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन हानि;**
- **सामग्रियों की खपत के सम्बन्ध में किसी मानक के निर्धारित न होने के कारण अधिक खपत;**
- **न्यूनतम, अधिकतम एवं विभिन्न सामग्रियों के लिए पुनः क्रय स्तर निर्धारित नहीं किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप सामग्रियों का अत्यधिक असंतुलित भण्डारण किया गया एवं**
- **आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध दीर्घकाल से विशाल अवशेष अग्रिमों के कारण निगम को ब्याज की भारी हानि।**

कम्पनी को अपने सामग्री प्रबन्धन एवं इन्वेन्ट्री नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़/पुनर्जीवित करने हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको अपने स्वयं के लिए एक इन्वेन्ट्री नियंत्रण नियमावली तैयार करनी चाहिए एवं उसके प्राविधानों का क्रय में बेहतर मितव्ययता लाने के लिए, अतिसावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए।

इन प्रकरणों को कम्पनी एवं सरकार को जून 2001 में प्रतिवेदित किया गया था; सरकार के उत्तर प्रतीक्षित थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

2स. उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड की कार्य पद्धति

मुख्य अंश

कम्पनी की स्थापना 27 मार्च 1987 को पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लाभ हेतु गृह निर्माण और अन्य योजनाओं के निष्पादन के लिये 3.00 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी के साथ की गई थी।

(प्रस्तर 2स.1 एवं 2स.4)

कम्पनी ने 1999–2000 तक के सभी चार वर्षों के दौरान गिरती स्थिति को प्रदर्शित किया है जो 2000–2001 के दौरान किये गये कार्य की कम मात्रा के कारण 1.09 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण हानि में परिवर्तित हो गई। सरकार से प्राप्त अग्रिमों ने भी, 97.47 करोड़ रुपये मूल्य के पूर्ण किये गये कार्यों से सम्बन्धित लेखों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण 1996–97 के पश्चात 78.7 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदर्शित की है।

(प्रस्तर 2स.5.1)

कम्पनी ने नौवें वित्त आयोग के कार्यों के अन्तर्गत, स्वीकृत लागत से अधिक किये गये अतिरिक्त व्यय से सम्बन्धित दावों को, मानक आरेख से विचलन तथा अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन आदि के लिये पूर्व अनुमोदन प्राप्त न करने के कारण, स्वीकार करने में सरकार के इन्कार के कारण 1.10 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

{प्रस्तर 2स.5.2 एवं 2स.7.2(i)}

कम्पनी, कार्यों के निष्पादन हेतु पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद, 43.25 और 63.43 प्रतिशत के मध्य आरेखित निधियों का उपयोजन नहीं कर सकी।

(प्रस्तर 2स.6.1)

सरकारी निर्देशों के विपरीत, कम्पनी ने 147 कार्यों पर, बिना तकनीकी स्वीकृति (टी एस) निर्मुक्त किये (61 कार्य : 17.24 करोड़ रुपये) तथा टी एस की सीमा से अधिक व्यय (86कार्य : 3.81 करोड़ रुपये) करके 21.05 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय किया।

(प्रस्तर 2स.7.1)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना संरक्षित स्मारकों के समीप दो स्थानों पर भवनों के निर्माण के परिणामस्वरूप 0.32 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

{प्रस्तर 2स.7.1(घ)}

कृष्ण जन्म भूमि, मथुरा तथा पी सी भवन, रूद्रपुर एवं बरेली के कार्य के परिमाण में अनियमित रूप से कटौती किये जाने के परिणामस्वरूप निष्पादित कार्यों की स्वीकृत लागत से अधिक 0.52 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया गया।

{प्रस्तर 2स.7.1(च)एवं(छ)}

कम्पनी ने बिचौलिये आपूर्तिकर्त्ताओं को पत्थर चूरा, मोटी बालू और गंगा बालू की आपूर्तियों के विरूद्ध 0.54 करोड़ रुपये की राशि के व्यापार कर का अननुमत्य भुगतान किया।

(प्रस्तर 2स.8.2)

2स.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम (उपान) लिमिटेड का निगमन 27 मार्च 1987 को सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में पुलिस विभाग के कर्मचारियों के हित में आवासीय योजनाओं के प्रतिपादन तथा निष्पादन करने, उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग के लिये आवासीय एवं गैर–आवासीय व अन्य समकक्ष आवासों के सभी प्रकार के भवनों के लिये आरेख बनाने, निर्माण, अतिरिक्त निर्माण अथवा परिवर्तन सहित मरम्मत कार्य, रख–रखाव एवं अन्य सम्बन्धित कार्यो के उद्देश्य के साथ किया गया था।

वर्तमान में कम्पनी ने अपनी गतिविधियों को पुलिस विभाग के आवासीय एवं गैर–आवासीय भवनों के निर्माण तथा आगरा में अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अन्य निक्षेप कार्यो तक सीमित कर लिया है।

2स.2 संगठनात्मक ढांचा

31 मार्च 2001 को कम्पनी का प्रबन्धन एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (सी एम डी) तथा छः निदेशकों से युक्त एक निदेशक मण्डल में निहित है। सी एम डी, जो कम्पनी का कार्यकारी प्रमुख है, को निगम कार्यालय में एक महाप्रबन्धक (तकनीकी),महाप्रबन्धक (वित्त), एक कम्पनी सचिव तथा क्षेत्रीय इकाइयों के सात अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

2स.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

समीक्षा का सम्पादन अक्टूबर 2000 से मार्च 2001 के दौरान किया गया और कम्पनी के 31 मार्च 2001 तक के पाँच वर्षो के कार्य–कलापों को समाविष्ट किया गया एवं सभी सात निर्माण इकाइयों एवं निगम कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिनके परिणाम अनुवर्ती प्रस्तरों में प्रदर्शित किये गये हैं।

2स.4 पूँजी संरचना

31 मार्च 2001 को कम्पनी की अधिकृत अंश पूँजी, 1000 रुपये प्रत्येक के एक लाख इक्विटी शेयरों में विभक्त 10.00 करोड़ रुपये की थी। इसके समक्ष कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 3.00 करोड़ रुपये की थी जो उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्णतः अंशदानित थी।

2स.5 वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

2स.5.1 वित्तीय स्थिति

कम्पनी की 31 मार्च 2001 तक के पिछले पाँच वर्षो की वित्तीय स्थिति, जैसी कि परिशिष्ट–26 में दी गई है, वर्तमान देयता एवं प्रावधानों में 1996–97 के 112.86 करोड़ रुपये से 31 मार्च 2000 के अन्त में 201.86 करोड़ रुपये तक की वृद्धि (1996–97 से 78.68 प्रतिशत की वृद्धि) को इंगित करती है जो मुख्यतः सिविल कार्यो के निष्पादन हेतु सरकार से प्राप्त अग्रिमों में वृद्धि के कारण थी जिसे 97.47 करोड़ रुपये मूल्य के पूर्ण किये गये कार्यो से सम्बन्धित लेखों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण समायोजित नहीं किया गया था।

कुल देयताओं की तुलना में आरक्षित निधि तथा आधिक्य का प्रतिशत मार्च 2000 तक के पाँच वर्षो के दौरान 1996–97 के 2.64 से वर्ष 1999–2000 के अन्त में 2.00 तक गिर गया था।

2स.5.2 कार्यचालन परिणाम

कम्पनी के 31 मार्च 2001 तक के पाँच वर्षो के कार्यचालन परिणाम, जैसा कि परिशिष्ट–27 में संक्षिप्त किये गये हैं, निम्न तथ्यों को उजागर करते हैं:

- कम्पनी का 1998–99 और 1999–2000 के दौरान शुद्ध लाभ मुख्यतः क्रमशः 41.12 लाख रुपये और 44.31 लाख रुपये की ब्याज आय के कारण था। 2000–2001 की अवधि में कम्पनी ने, किये गये कार्यो के मूल्य में गिरावट तथा प्रशासनिक उपरिव्ययों में वृद्धि के कारण 1.09 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की हानि उठाई।

- कम्पनी ने 1998–99 और 1999–2000 के दौरान क्रमशः 12.99 लाख रुपये और 1.28 करोड़ रुपये की प्रचालन हानि उठाई जो मुख्यतः किये गये कार्यो के मूल्य में तीव्र ह्रास के कारण थी।

➢ कम्पनी को 1999–2000 के दौरान नौवें वित्त आयोग के अन्तर्गत किये गये कार्यो पर स्वीकृत लागत से अधिक किये गये अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति से सरकार की अस्वीकृति के कारण 1.10 करोड़ रुपये के निर्माण व्यय का अपलेखन करना पड़ा जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 2स.7.2(i) में चर्चा की गई है।

31 मार्च 2000 को कम्पनी का संचित लाभ (4.15 करोड़ रुपये) निम्न कारणों से था:

(i) वर्ष 1987–88 तथा 1993–94 के 1.04 करोड़ रुपये के आयकर एवं उस पर ब्याज जैसा कि आयकर प्राधिकारियों द्वारा माँग की गई थी और जिस की अपीलें न्यायाधिकरण/आयुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित थीं, का प्रावधान न किया जाना;

(ii) एक बी आई एफ आर कम्पनी, उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड से 12.23 लाख रुपये के पुराने वसूली न किये जा सकने वाले अग्रिम का प्रावधान न किया जाना; तथा

(iii) जून 1993 से सरकार के पास लम्बित, स्वीकृत लागत से अधिक किये गये अतिरिक्त व्यय का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण 3.07 करोड़ रुपये की संदेहास्पद वसूली जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 2स.7.2(ii) में चर्चा की गई है।

2स.6 लक्ष्यों एवं प्राप्ति के सम्मुख निधि प्रबन्धन

2स.6.1 निधि प्रबन्धन

कम्पनी, राज्य सरकार से निधियों की प्राप्ति, विभिन्न श्रेणी के भवनों के लिये लोक निर्माण विभाग की कुरसी क्षेत्र की दरों के आधार पर तैयार किये गये व पुलिस विभाग/सरकार द्वारा अनुमोदित किये गये प्रारम्भिक आंकलनों के आधार पर पुलिस विभाग के लिये आवासीय (आर)एवं गैर–आवासीय(एन आर) भवनो के निर्माण हेतु पुलिस मुख्यालय (पी एच क्यू), इलाहाबाद के माध्यम से करती है।

निम्न तालिका, 31 मार्च 2001 तक के पाँच वर्षो के दौरान किये गये कार्यो के मूल्य के समक्ष, कार्यो के निष्पादन हेतु कम्पनी के पास उपलब्ध निधियों की स्थिति को इंगित करती है।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल उपलब्ध निधि	किये गये कार्यो का मूल्य	वर्ष के अन्त में अनुपयोजित अवशेष	निधि की कुल उपलब्धता के समक्ष कृत कार्यो के मूल्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1996-97	14.51	23.35	37.86	21.49	16.37	56.75
1997-98	16.37	25.03	41.40	22.48	18.92	54.29
1998-99	18.92	26.97	45.89	16.78	29.11	36.57
1999-2000	29.11	33.21	62.32	31.46	30.86	50.48
2000-2001	30.86	0.20	31.06	13.13	17.93	42.27
योग		**108.76**	**218.53**			

उपलब्धता के बावजूद कम्पनी 43.25 और 63.43 प्रतिशत के मध्य आरेखित निधियों का उपयोजन नहीं कर पाई

उपरोक्त से यह दृष्टिगत होगा कि 31 मार्च 2001 तक के पिछले पाँच वर्षो के दौरान कम्पनी के पास उपलब्ध पर्याप्त निधियों के बावजूद वह कार्यो के निष्पादन के लिये उपलब्ध निधियों का केवल 36.57 से 56.75 प्रतिशत का ही उपयोग कर सकी।

इस सम्बन्ध में पाई गई चूकों/अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है:

- कम्पनी ने 1988–89 के दौरान पी एल ए से 2.01 करोड़ रुपये का आहरण किया और जिला सहकारी बैंक (जेड एस बी) में काल डिपाजिट के अन्तर्गत 61/60 दिनों की आमंत्रण सूचना हेतु 12 और 10.5 प्रतिशत पर जमा कर दिया।

- कार्य की समाप्ति पर, अन्तिम लेखों को तैयार किया जाना चाहिये और प्राप्त निधियों के विरूद्ध की गई बचत को या तो सरकार को वापस कर देना चाहिये अथवा सरकार के अनुमोदन से ही अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोजित करना चाहिये। नमूना जाँच में यह देखा गया कि फरवरी 1998 से दिसम्बर 2000 के मध्य अग्निशमन केन्द्रों पर गैर–आवासीय भवनों तथा अन्य आवासीय एवं गैर–आवासीय भवनों के निर्माण कार्य 1.46 करोड़ रुपये की बचत के साथ पूर्ण कर लिये गये थे, जैसा कि परिशिष्ट–28 में वर्णित है, जिसे सरकार को अब तक (मार्च 2001) वापस नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि कानपुर खण्ड ने लाटूश रोड अग्निशमन केन्द्र, कानपुर की 6.00 लाख रुपये की बचत को अतिरिक्त बैरक के निर्माण पर बिना सरकार के अनुमोदन के उपयोग कर लिया (दिसम्बर/जनवरी 2001)।

2स.6.2 लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

निम्न तालिका, 2000–2001 तक के पिछले पाँच वर्षो में कम्पनी द्वारा अपनी वार्षिक क्षमता के संदर्भ में नियत किये गये लक्ष्यों तथा उनके विरूद्ध किये गये कार्यो के मूल्य को इंगित करती है।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वार्षिक क्षमता	कम्पनी द्वारा नियत लक्ष्य		वर्ष के दौरान किये गये कार्यो (वी ओ डब्ल्यू डी) का मूल्य	किये गये कार्यो के मूल्य का निम्न से प्रतिशत		
		मूल बजट के अनुसार (सेन्टेज सहित)	संशोधित बजट के अनुसार (सेन्टेज सहित)		वार्षिक क्षमता	मूल बजट	संशोधित बजट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1996-97	30.00	21.62	20.27	21.49	71.62	99.40	106.02
1997-98	30.00	20.90	23.81	22.48	74.92	107.52	94.41
1998-99	30.00	24.75	17.00	16.78	55.95	67.82	98.74
1999-2000	30.00	25.00	26.54	31.46	104.87	125.84	118.53
2000-2001	30.00	29.17	-	13.13	43.76	45.00	-
योग				**105.34**			

- उपरोक्त से यह प्रत्यक्ष है कि कम्पनी ने 1999–2000 को छोड़कर पिछले पाँच वर्षो के दौरान निधियों की उपलब्धता के बावजूद वी ओ डब्ल्यू डी (30 करोड़ रुपये) के वार्षिक ईष्टतम स्तर को प्राप्त नहीं किया जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर 2 स.6.1 में इंगित किया गया है। कम्पनी द्वारा कार्यो के निष्पादन हेतु बनाये गये वार्षिक लक्ष्य, कम्पनी के आकार और क्षमता के साथ सममेय नहीं थे तथा कम्पनी की वार्षिक क्षमता (30.00 करोड़ रुपये) के 43.76 और 74.92 प्रतिशत के मध्य विचरित थे।

- 1998–99 और 1999–2000 के दौरान पुलिस विभाग से सम्बन्धित क्रमशः 92.00 करोड़ रुपये और 1.86 करोड़ रुपये के मूल्य के सिविल कार्य विभाग द्वारा अन्य अभिकरणों (राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, जल निगम आदि) को प्रदान किये गये थे जिससे न केवल कम्पनी की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा अपितु कम्पनी की स्थापना का विशेष प्रयोजन ही विलोप हो गया।

2.स.7 गतिविधियाँ

कम्पनी, सरकार से निधियों की प्राप्ति करती है और पुलिस विभाग के आवासीय तथा गैर–आवासीय भवनों के निर्माण कार्य को विभागीय निर्माण इकाई (डी सी यू) की प्रणाली पर हाथ में लेती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत कार्य, सेन्टेज सहित लागत आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य से लागत की गणना लोक निर्माण विभाग की दर–अनुसूची के 95 प्रतिशत पर की जाती है। इसने अपनी स्वयं की कार्य निष्पादन नियमावली को अन्तिम रूप नहीं दिया बल्कि सिविल कार्यो और अन्य विशिष्टियों के लिये उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड और लोक निर्माण विभाग की पद्धति का अनुसरण कर रही थी।

कम्पनी सरकार से निधियों तथा पुलिस विभाग से भूमि की प्राप्ति के पश्चात् पुलिस विभाग के लिये विभिन्न श्रेणियों के आवासीय तथा गैर–आवासीय भवनों के मानक आरेख तैयार करती है और पुलिस मुख्यालय (पी एच क्यू), इलाहाबाद से आरेख के अनुमोदन तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पुरातत्व विभाग से अनापत्ति के पश्चात् निर्माण कार्य को हाथ मे लेती है। विशिष्टि, आरेख, अतिरिक्त कार्य अथवा अन्य किसी परिवर्तन के प्रकरण में, कम्पनी को पी एच क्यू के माध्यम से सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है जिससे वह सरकार से अपेक्षित निधियाँ प्राप्त कर सके।

सरकार ने कम्पनी को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों को निर्मुक्त करते समय निधियों के उपयोजन और कार्यो पर व्यय किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जिसमें अन्यान्यों के साथ संकल्पित था; (i) कार्यो पर व्यय स्वीकृत लागत के अन्दर होना चाहिये; (ii) कार्य केवल अनुमोदित मानक आरेख के अनुसार ही निष्पादित किया जाना चाहिये; (iii) कोई भी कार्य आरम्भ और उसके विरूद्ध व्यय नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय; (iv) स्वीकृत राशि का उपयोजन किया जाना चाहिए और उसके विरूद्ध मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रस्तुति के अतिरिक्त उपयोजन प्रमाण–पत्र सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए; तथा (v) स्वीकृत राशि का आहरण किया जाना चाहिये और पी एच

क्यू के व्यक्तिगत लेजर खाता (पी एल ए) में रखा जाना चाहिये और पुनः तभी पी एल ए से आहरित करना चाहिये जब इसकी सउद्देश्य तत्काल आवश्यकता हो।

अभिलेखों की नमूना जाँच ने प्रबन्धन के पक्ष पर त्रुटियों को प्रकट किया जो कार्यो के निष्पादन हेतु नियमों तथा निधियों के उपयोजन और कार्यो के निष्पादन से सम्बन्धित सरकारी निर्देशों के पालन न करने के कारण हानि में परिणामित हुई, जैसा नीचे चर्चा की गई है:

2स.7.1 तकनीकी स्वीकृति (टी एस) से अधिक किया गया अनियमित व्यय

तकनीकी स्वीकृति से अधिक अनियमित व्यय किया गया

सरकारी निर्देशों के उल्लंघन में कम्पनी ने नवम्बर 2000 तक किये गये सिविल कार्यो के निष्पादन पर 21.05 करोड़ रुपये (जैसा परिशिष्ट– 29 में विवरण दिया गया) के अनियमित व्यय किये जैसा नीचे दिया गया है:

(i) सात इकाइयों के अभिलेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि 61 प्रकरणों में इकाइयों द्वारा कार्य सक्षम अधिकारी अर्थात् महाप्रबन्धक (तकनीकी) की तकनीकी स्वीकृति (टी एस) प्राप्त किये बिना ही आरम्भ कर दिया गया और नवम्बर 2000 तक 17.24 करोड़ रुपये निर्माण कार्य में व्यय कर दिया। टी एस के निर्मुक्त न होने तथा टी एस के बिना कार्यो के निष्पादन के कारण अभिलेखों पर नही थे।

(ii) 86 प्रकरणों में इकाइयों ने नवम्बर 2000 तक टी एस से अधिक 3.81 करोड़ रुपये का अधिक व्यय कर दिया जिसके लिये अभिलेखों पर कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था। तथापि, सरकार से अतिरिक्त व्यय के नियमितीकरण हेतु अतिरिक्त निधियों की निर्मुक्ति की सम्भावना बिल्कुल नगण्य थी।

प्रबन्धन ने बताया कि सरकारी स्वीकृति की एक मुश्त परिमाण में प्राप्ति तथा तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण टी एस के निर्गमन सम्भव नहीं थे। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि सरकारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था।

(iii) कम्पनी द्वारा 1995–97 के दौरान हाथ में लिये गये निम्नलिखित कार्य टी एस प्राप्त किये बिना तथा पर्याप्त निधियों की प्राप्ति के बिना ही आरम्भ कर दिये गये थे जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को या तो अपनी निधियों से व्यय करना पड़ा अथवा अन्य कार्यो के आशय से रखी निधियों से व्यय करना पड़ा।

(क) लखनऊ में तरण ताल का निर्माण

अपूर्ण कार्य के कारण अवरूद्ध हुई निधियों पर हानि

सरकार ने 35 बटालियन, पी ए सी, लखनऊ में तरण ताल के निर्माण हेतु 1.31 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की (मई 1995) और नवम्बर 1994 से मई 1995 के मध्य दो चरणों में 60 लाख रुपये अवमुक्त कर दिये। लखनऊ इकाई–II ने बिना आरेख बनाये और विस्तृत आंकलन (लगभग 1.85 करोड़ रुपये) तैयार किये और सरकार से स्वीकृत सम्पूर्ण निधियाँ प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया (जुलाई 1995) और 57.69 लाख रुपये की अपनी निधियों सहित मार्च

1996 तक 1.18 करोड़ रुपये का व्यय कर दिया। 26 प्रतिशत भौतिक प्रगति की उपलब्धि के पश्चात् निर्माण कार्य सरकार से निधियों की उपलब्धता न होने के कारण मार्च 1996 से बन्द कर दिया गया। इस प्रकार, इकाई ने प्राप्त की गई निधियों (60.00 लाख रुपये) के ऊपर अपनी स्वयं की निधि का निवेश करते हुये 57.69 लाख रुपये का व्यय कर दिया। कम्पनी ने मार्च 1996 से कार्य स्थल की सुरक्षा हेतु पहरेदारी पर कम्पनी को वापस न मिलने वाले 5.00 लाख रुपये का व्यय कर दिया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि मामले सरकार के स्तर पर देखे जा रहे थे और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

त्रुटियों के लिये कोई उत्तरदायित्व अब तक (सितम्बर 2001) नियत नहीं किया गया।

(ख) अम्बेडकर पुलिस चौकी का निर्माण

विस्तृत आंकलन के प्रस्तुतीकरण में असफलता से वित्तीय स्वीकृति व्यपगत होने के कारण हानि हुई

सरकार द्वारा कम्पनी को अम्बेडकर पार्क, गोमतीनगर, लखनऊ के समीप पुलिस चौकी के निर्माण का कार्य बिना अपनी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये हुये ही सौंपा गया (अप्रैल 1997)। तथापि, कम्पनी ने वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये 25 अप्रैल 1997 को 20.44 लाख रुपये का एक प्राथमिक आंकलन प्रस्तुत किया और निधियों की प्राप्ति की प्रतीक्षा किये बिना ही निर्माण आरम्भ कर दिया और 19.37 लाख रुपये का व्यय करने के पश्चात् कार्य पूर्ण कर दिया (जून 1997)। सरकार द्वारा 19.57 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति मार्च 1998 में प्रदान की गई परन्तु निष्पादित कार्यो के लिये विस्तृत आंकलन तथा टी एस के प्रस्तुत करने में कम्पनी की असफलता के कारण वित्तीय स्वीकृति व्यपगत हो गई और अब तक (मार्च 2001) निमुर्क्त नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की 19.37 लाख रुपये की निधि का अवरोधन हुआ तथा जुलाई 1997 से मार्च 2001 की अवधि में 8.71 लाख रुपये के ब्याज (12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर आगणित) की हानि हुई।

प्रबन्धन ने उत्तर में (सितम्बर 2001) विस्तृत आंकलन को प्रस्तुत न किये जाने का कोई कारण नहीं दिया।

(ग) भवनों का आंशिक निर्माण

परिशिष्ट–30 में वर्णित कार्य, 128 आवासीय भवनों और तीन गैर–आवासीय भवनों से सम्बन्धित, जहाँ पुलिस विभाग द्वारा भूमि विलम्ब से उपलब्ध कराई गई थी, निधियों की अवरूद्धता को इंगित करते हैं परन्तु कम्पनी ने आंकलन को संशोधित करने तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के स्थान पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया और निधियों के अभाव के कारण कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया क्योंकि सरकार ने संशोधित लागत के लिये स्वीकृति प्रदान नहीं की। इससे अपूर्ण भवनों पर सरकार की निधि (2.63 करोड़ रुपये) अवरूद्ध हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि सरकार से 1995 से पूर्व अवधि से सम्बन्धित संशोधित स्वीकृति के अनुमोदन की प्रतीक्षा करते हुये अनुवर्ती वर्षो के लिये संशोधित आंकलन पी एच क्यू

के समक्ष उनकी कार्य योजना में निधियों की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृति के निर्मुक्त होने से पूर्व ही आरम्भ कर दिये गये थे और पूरी सम्भावना है कि इन प्रकरणों में अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा।

(घ) पुरातत्व विभाग से अनापत्ति के बिना कार्य का आरम्भ

प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा भग्नावशेष अधिनियम 1959 का नियम 32 एक संरक्षित स्मारक के 200 मीटर के घेरे में किसी भी निर्माण कार्य को प्रतिबन्धित करता है। सरकार ने ताजगंज, आगरा में पुलिस स्टेशन तथा 50 व्यक्तियों के बैरक के निर्माण हेतु 41.24 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की (मार्च 1994)। चूंकि, पुलिस स्टेशन, ताजगंज का कार्य स्थल, राजपत्र अधिसूचना के अनुसार ताजमहल (एक संरक्षित स्मारक) के 200 मीटर के अन्दर था, कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य को आरम्भ करने से पूर्व पुरातत्व विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था।

यह देखा गया कि ताजगंज पुलिस स्टेशन का निर्माण कार्य जनवरी 1996 में आगरा इकाई द्वारा बिना टी एस एवं पुरातत्व विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त किये ही आरम्भ कर दिया गया था जिसका परिणाम हुआ कि 12.92 लाख रुपये का व्यय करने के पश्चात् निर्माण कार्य को रोक देना पड़ा (2 मई 1996) और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश (अगस्त 1996) के अनुपालन में अन्ततः तोड़ देना पड़ा। इससे समस्त व्यय बेकार हो गया।

संरक्षित स्मारक क्षेत्रों के अन्दर निर्माण पर बेकार व्यय

इसी प्रकार, सरकार ने चुनार के किले (एक संरक्षित स्मारक) के अन्दर जहाँ एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पहले से चल रहा था, श्रेणी–I आवास (12.48 लाख रुपये) तथा 100 व्यक्तियों के लिये बैरकों (40.37 लाख रुपये) के निर्माण के लिये 52.85 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की (मार्च 1996)। कार्य आरम्भ करने के लिये 52.85 लाख रुपये की टी एस जुलाई 1996 में निर्मुक्त की गई और वाराणसी इकाई ने पुरातत्व विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना बैरकों का निर्माण आरम्भ कर दिया (अगस्त 1996)। मार्च 1997 में बैरकों का निर्माण पुरातत्व विभाग की पहल पर रोक दिया गया और निर्माण के विरूद्ध 19.01 लाख रुपये का समस्त व्यय बेकार सिद्ध हुआ।

कम्पनी ने त्रुटियों के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई उत्तरदायित्व अब तक (सितम्बर 2001) नियत नहीं किया।

(ङ) कृष्ण जन्म भूमि, मथुरा में आवासीय भवनों का निर्माण

सरकार ने मार्च 1996 में कृष्ण जन्म भूमि, मथुरा में 69 श्रेणी–I, 77 श्रेणी– II तथा 69 श्रेणी– III के आवासों के निर्माण हेतु 391.67 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (मार्च 1996) जिसे सरकार द्वारा 4.45 करोड़ रुपये में इस शर्त के साथ संशोधित कर दिया कि कार्य, स्वीकृत लागत के अन्दर ही पूर्ण कर लिया जाएगा और किसी विचलन के प्रकरण में मामला सरकार को तत्काल संदर्भित किया जाएगा।

यह देखा गया कि आगरा इकाई ने 1996 में निर्माण कार्य टी एस प्राप्त किये बिना ही आरम्भ कर दिया और 4.45 करोड़ रुपये पर मूलतः स्वीकृत 69 श्रेणी–I, 77 श्रेणी–II तथा 69 श्रेणी– III के भवनों के विरूद्ध केवल 69 श्रेणी–I तथा 70 श्रेणी– II तथा 64 श्रेणी–III के आवासों को 4.43 करोड़ रुपये के व्यय पर पूर्ण किया।

आंशिक रूप से पूर्ण किये गये भवनो पर अनियमित व्यय

इस प्रकार, आगरा इकाई ने कार्य के परिमाण को अनियमित रूप से कम कर दिया तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना आंशिक रूप से पूर्ण किये गये शेष भवनों पर समस्त स्वीकृत निधि खर्च कर डाली जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण किये गये भवनों के विरूद्ध इसकी स्वीकृत लागत से ऊपर 40.59 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2001) कि संशोधित अनुमानित लागत की स्वीकृति की प्राप्ति पर शेष बचे कार्यो को पूर्ण कर दिया जाएगा। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समस्त परियोजना के आशय की निधियों को पहले ही खर्च किया जा चुका था। कार्य के परिमाण में अनियमित कटौती तथा आंशिक रूप से निर्मित भवनों पर 40.59 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय के लिये कोई उत्तरदायित्व अब तक (सितम्बर 2001) नियत नहीं किया गया।

(च) कार्य आरम्भ किये जाने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

46 बटालियन पी ए सी, रूद्रपुर और 47 बटालियन पी ए सी, बरेली में 200 व्यक्तियों की क्षमता की दो बैरकों के निर्माण हेतु सरकारी स्वीकृति और मार्च 1996 में 1.37 करोड़ रुपये की निधियों (68.36 लाख रुपये प्रत्येक) की निर्मुक्ति के विरूद्ध, कम्पनी ने दोनों स्थानों पर कार्यो के निष्पादन हेतु टी एस जून 1996 में निर्मुक्त किया। परन्तु रूद्रपुर और बरेली में निर्माण कार्य में टी एस की निर्मुक्ति की तिथि से 9 से 12 महीनों का विलम्ब हुआ और वे मार्च 1997 (रूद्रपुर) तथा जून 1997 (बरेली) में ही आरम्भ हो सके। 22.51 लाख रुपये की अवशेष अधिक निधियों का उपयोजन बैरकों के निर्माण पर किये गये अतिरिक्त व्यय का वहन करने में किया गया। रूद्रपुर (200 व्यक्तियों हेतु) एवं बरेली (100 व्यक्तियों हेतु) के कार्य मई और नवम्बर 1998 में क्रमशः 77.14 लाख रुपये एवं 37.07 लाख रुपये के व्यय पर पूर्ण किये गये जिसके परिणामस्वरूप कार्यो की स्वीकृत लागत से 11.67 लाख रुपये अधिक (रूद्रपुर 8.78 लाख रुपये तथा बरेली 2.89 लाख रुपये) का व्यय हुआ।

तथापि, अतिरिक्त व्यय के नियमितीकरण और बरेली में कार्य के पूर्ण होने के लिये कम्पनी द्वारा सरकार को अप्रैल 1997 में दोनों कार्यो के लिये 2.05 करोड़ रुपये का एक संशोधित आंकलन (फरवरी 1997 से प्रभावी लोक निर्माण विभाग को कुरसी क्षेत्र की दरों के संशोधन पर आधारित) प्रस्तुत किया गया जिसे सरकार द्वारा अब तक (सितम्बर 2001) अनुमोदित नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने त्रुटि के लिये कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया।

(छ) आंशिक रूप से पूर्ण किये गये भवन पर निधि का अनियमित विचलन

सरकार ने उत्तरकाशी में (अ) 8 श्रेणी–I एवं 4 श्रेणी–II के आवास के निर्माण हेतु 45.98 लाख

रुपये एवं (ब) पुलिस अधीक्षक के आवास के निर्माण हेतु 10.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की (दिसम्बर 1995)। सरकार ने प्रत्येक कार्य के लिये 10.00 लाख रुपये निर्मुक्त किये।

श्रेणी–I और श्रेणी–II के आवासों का निर्माण कार्य दिसम्बर 1995 में मुरादाबाद इकाई द्वारा टी एस प्राप्त किये बिना ही हाथ में ले लिया गया। नवम्बर 1998 में श्रेणी–I और श्रेणी–II के आवासों हेतु 38.77 लाख रुपये की टी एस को इस शर्त के साथ निर्मुक्त किया गया कि व्यय की मात्रा सरकार द्वारा निर्मुक्त राशि से अधिक नहीं होनी चाहिये। इकाई ने पहले ही श्रेणी–I और श्रेणी–II के निर्माण कार्य पर अन्य कार्यो से निधियों का विचलन करके (पुलिस अधीक्षक आवास से 9.63 लाख रुपये तथा स्वयं की बचत से 1.05 लाख रुपये) नवम्बर 1998 तक 20.68 लाख रुपये का व्यय कर डाला था। 20.68 लाख रुपये का निष्फल व्यय करते हुए तथा सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक आवास के निर्माण हेतु निर्मुक्त निधियों का दुर्विनियोग भी करते हुये, यह आवास अपूर्ण ही पड़े थे।

2स.7.2 स्वीकृत लागत से अधिक अनियमित व्यय

अभिलेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि कम्पनी ने सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के विरूद्ध अनुमोदित स्वीकृत लागत से 4.50 करोड़ रुपये अधिक का अनियमित अतिरिक्त व्यय किया जैसा नीचे चर्चा की गई है। तथापि, अधिकांश प्रकरणों में संशोधित आंकलन सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जा चुके थे जिन्हें या तो अस्वीकृत किया जा चुका था अथवा अब तक (सितम्बर 2001) अनुमोदित नहीं किया गया था।

(i) नौवें वित्त आयोग के कार्य

पुलिस विभाग के प्रशासनिक स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने नौवे वित्त आयोग के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर 3.82 करोड़ रुपये की आंकलित लागत पर कार्य के मार्च 1990 तक पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि सहित आवासीय (संख्या 624) तथा गैर–आवासीय (संख्या 5) भवनों के निर्माण की अपनी प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (नवम्बर 1989)।

स्वीकृति सीमा से अधिक खर्च को सरकार द्वारा अस्वीकृत करने के कारण हानि

अभिलेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि निर्माण कार्य का प्रारम्भ कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के पश्चात् अप्रैल 1990 में हुआ। कम्पनी, टी एस निर्मुक्त किये बिना ही कार्य निष्पादित करती चली गई तथा मानक आरेख से विचलित हो गई और सरकार से अतिरिक्त निधियों की निर्मुक्ति एवं मानक आरेख से विचलन व अतिरिक्त कार्य के लिये अनुमोदन को सुनिश्चित किये बिना स्वीकृत लागत से अधिक का व्यय कर दिया। अतः कम्पनी ने 3.82 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के विरूद्ध मार्च 1999 तक कार्य के पूर्ण होने पर 4.92 करोड़ रुपये का व्यय कर दिया जो स्वीकृत लागत से 1.10 करोड़ रुपये अधिक के अतिरिक्त व्यय में परिणामित हुआ। तथापि, कम्पनी ने लागत में संशोधन के लिये कारणों को बताते हुये 5.09 करोड़ रुपये का एक संशोधित आंकलन प्रस्तुत किया (मई 1995) और कम्पनी उपरोक्त कार्यो के लिये सरकार से अतिरिक्त निधियों की प्रत्याशा में स्वीकृत लागत से अधिक अतिरिक्त व्यय करती रही। सरकार ने अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति इस आधार पर अस्वीकार (जनवरी 2000) कर दी कि किया गया अतिरिक्त व्यय, मानक आरेख से विचलन, कार्य आरम्भ करने में विलम्ब, कार्यो का बिना टी एस प्राप्त किये

निष्पादन तथा मूल आंकलनों में प्रावधान न किये गये अतिरिक्त कार्यो के निष्पादन के कारण था जिसका उत्तरदायित्व स्वयं कम्पनी पर था। अन्ततः, कम्पनी को वर्ष 1999–2000 में 1.10 करोड़ रुपये का समस्त अतिरिक्त व्यय अपलिखित करना पड़ा। प्रंबधन द्वारा हानि के लिए कोई उत्तरदायित्व अब तक (सितम्बर 2001) नियत नहीं किया गया।

(ii) अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कार्य

शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी, कार्यो को निष्पादित करने और व्यय को स्वीकृत लागत तक सीमित रखने की अपेक्षित थी, जिसके लिये महाप्रबन्धक (तकनीकी) द्वारा इकाई प्रभारियों के साथ मासिक बैठकों तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से व्यय के ऊपर सघन प्रबोधन किये जाने की अपेक्षा की जाती थी जिसे करने में प्रबन्धन असफल रहा।

निम्न तालिका जून 1993 से पूर्व विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित किये गये कार्यो के विवरण को इंगित करती है जहाँ स्वीकृत लागत से 3.85 करोड़ रुपये अधिक का व्यय किया गया जिसे सरकार द्वारा अब तक (सितम्बर 2001) स्वीकृत नहीं किया गया।

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम	स्वीकृत लागत/प्राप्त निधि	किया गया व्यय	स्वीकृत लागत से अधिक व्यय
1989–90 की अवधि के नौवें वित्त आयोग के कार्य	3.82	4.60	0.78
1987–91 की अवधि के गृह निर्माण से सम्बन्धित कार्य	2.56	3.45	0.89
1991–92 की अवधि के पी ए सी हेतु प्रशासनिक एवं 100 व्यक्तियों की बैरक	3.00	4.72	1.72
1988–90 की अवधि के सातवें वित्त आयोग के कार्य	1.27	1.73	0.46
योग	**10.65**	**14.50**	**3.85**

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सरकार, नौवें वित्त आयोग के कार्यो से सम्बन्धित 78.55 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति पहले ही अस्वीकार कर चुकी थी। 3.07 करोड़ रुपये के शेष अतिरिक्त व्यय के लिये, सरकार का अनुमोदन जून 1993 से अब तक (सितम्बर 2001) प्रतीक्षित था।

कम्पनी द्वारा स्वीकृत लागत से अधिक का अतिरिक्त व्यय किये जाने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही अब तक (सितम्बर 2001) आरम्भ नहीं की गई।

2स.7.3 दोषपूर्ण कार्य पर हानि

दिसम्बर 1992 की सरकारी स्वीकृति के विरूद्ध, झाँसी मण्डल के अन्तर्गत बांदा जिले में कोतवाली देहात, चिल्ला तथा बरगढ के तीन पुलिस स्टेशनों पर 18.84 लाख रुपये प्रत्येक की लागत पर

आवास तथा बैरकों (सातः श्रेणी–II, दो श्रेणी–III तथा सात व्यक्तियों हेतु एक बैरक) के निर्माण की टी एस को पाइल नीवों पर निर्मुक्त किया गया था क्योंकि समस्त झांसी मण्डल, लोक निर्माण विभाग द्वारा काली कपास का भूमि क्षेत्र घोषित किया जा चुका था।

कम्पनी ने दोषपूर्ण कार्यों के पुनर्निर्माण पर 0.27 करोड़ रुपये की हानि उठाई

यह देखा गया कि भूमि (काली कपास की भूमि) की प्रकृति के विपरीत इकाई प्रभारी, कानपुर ने बरगढ़ आवास का नींव आरेख, भूमि के लिये उपयुक्त पाइल नींव के स्थान पर खुले आधार, जो जाँच सम्पन्न कराने के लिये नियुक्त किये गये निजी अभिकरण (गोमती कम्प्यूटर्स, लखनऊ) की भ्रमपूर्ण मिट्टी जाँच रिपोर्ट पर आधारित थी, पर बनाया गया। निर्माण कार्य खुले आधार पर अप्रैल 1993 में आरम्भ किया गया। 1994–95 के दौरान, कार्य 18.51 लाख रुपये की लागत पर पूर्ण किया गया परन्तु भवन, पुलिस विभाग को हस्तांतरित नहीं किये जा सके क्योंकि भवन में अनेक दरारें पैदा हो गई थी। और उन्हें, नियमित मरम्मत कार्यो के बावजूद नियन्त्रित नहीं किया जा सका। कम्पनी के अभियन्ताओं द्वारा 1999–2000 के दौरान किये गये एक निरीक्षण में यह घोषित किया गया कि भवन रहने के उद्देश्य से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

17 फरवरी 2000 को आहूत अपनी बैठक में निदेशक मण्डल ने देखा कि दरार युक्त भवन में रहना सुरक्षित नहीं था तथा समग्र भवन को कम्पनी की लागत पर 27.06 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पृथक रूप से पाइल नींव पर निर्मित करने के निर्देश दिये तथा मामले की छान–बीन करने एवं दोषपूर्ण निर्माण के लिये उत्तरदायित्व नियत करने के भी आदेश दिये।

कम्पनी के एक वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता द्वारा शीर्षित एक जाँच समिति ने देखा (सितम्बर 2000) कि गोमती कम्प्यूटर्स की मिट्टी जाँच रिपोर्ट भ्रमपूर्ण और मिट्टी की प्रकृति के विपरीत थी तथा दोषपूर्ण कार्य किये जाने के लिये सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता जिसने नींव का आरेख बनाया था, को उत्तरदायी ठहराया।

अतः अधिशाषी अभियन्ता के पक्ष पर लापरवाही के कारण पुलिस स्टेशन बरगढ के आवासों के निर्माण पर किया गया व्यय (18.51 लाख रुपये) न केवल निष्फल हो गया बल्कि कम्पनी को आवास/बैरक के पुनिर्माण पर किये जाने वाले 27.06 लाख रुपये के समस्त व्यय को वहन करने के लिये उत्तरदायी ठहराया गया।

बरगढ़ में दोषपूर्ण कार्य किये जाने के लिये उत्तरदायित्व नियत करने के बावजूद अब तक (सितम्बर 2001) कोई वसूली आरम्भ नहीं की गई।

2स.8 सामग्रियों की अधिप्राप्ति

कम्पनी ने अपनी स्वयं की कोई कार्य नियमावली तैयार नहीं की। कम्पनी ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यू पी आर एन एन) की क्रय पद्धति को अंगीकार किया जिसमें अन्यान्यों सहित मुख्यतः लागत नियन्त्रण हेतु एक अधिप्राप्ति समिति जैसे केन्द्रीय क्रय समिति (सी पी सी) का गठन तथा निक्षेप कार्यो के प्रकरण में 12.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक आरेखित लाभ की व्यवस्था संकल्पित थी।

तथापि, यह देखा गया कि क्रय पद्धति की आवश्यकताओं का अनुपालन 31 मार्च 2000 तक के चार वर्षो के दौरान निक्षेप कार्यो हेतु 59.43 करोड़ रुपये के क्रय किये जाने के समय नहीं किया गया था। भवन सामग्रियों की आपूर्ति के आदेश, आपूतिकर्त्ताओं से उद्धरणों अथवा पूछ–ताछ के आधार पर दिये गये थे। इस सम्बन्ध में निम्न प्रेक्षण उल्लेखनीय हैं।

2.स.8.1 रि–रोलिंग मिलों/डीलरों से इस्पात के अनावश्यक क्रय पर निधियों का अवरोधन

इस्पात की छड़ों की अनावश्यक अधिप्राप्ति के कारण निधि का अवरोधन

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि 1999–2000 के दौरान सी पी सी ने इस्पात के क्रय (750 मी टन) हेतु उद्धरण आमंत्रित किये (जून 1999)। दो रि–रोलर्स जैसे काशी विश्वनाथ स्टील्स (के वी एस), उधमसिंह नगर और विमल इण्डस्ट्रीज, ऋषिकेश सहित सात पार्टियों ने अपनी दरों को उद्घृत किया।

यद्यपि, वार्ता उपरान्त टिस्कों की मूल दरें उठान प्रभारों के 50 रुपये प्रति मी. टन को छोड़ कर के वी एस के समान थीं, सी पी सी ने प्राथमिक उत्पादकों से इस्पात की अधिप्राप्ति के स्थान पर विभिन्न मापों के 750 मी टन इस्पात की आपूर्ति हेतु के वी एस (525 मी टन) तथा टिस्को (220 मी टन) को आदेश प्रेषित कर दिये (अक्टूबर 1999)।

यह देखा गया कि कम्पनी ने के वी एस से 525 मी.टन स्टील की आदेशित मात्रा (कुल 1322.50 मी.टन में से) के विरूद्ध 1999–2000 के दौरान, वास्तविक आवश्यकता को सुनिश्चित किये बिना 1177.873 मी. टन इस्पात की छड़ों की अधिप्राप्ति कर ली जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2000 को 57.91 लाख रुपये मूल्य की 365.189 मी.टन इस्पात की छड़ें अनुपयोजित पड़ी थीं। कम्पनी ने 2000–2001 के दौरान इस्पात की छड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना 23.31 लाख रुपये मूल्य के 145.853 मी.टन इस्पात की पुनः अधिप्राप्ति की। 39.60 लाख रुपये मूल्य का 251.278 मी.टन इस्पात भण्डार में अब तक पड़ा था (मार्च 2001)। इस प्रकार, रि–रोलर (के वी एस) से इस्पात के अनावश्यक क्रय के कारण, कम्पनी की निधि (39.60 लाख रुपये) अवरूद्ध हो गई थी और कम्पनी ने अप्रैल 2000 से मार्च 2001 तक 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 6.34 लाख रुपये के ब्याज की हानि उठाई।

2स.8.2 बालू और पत्थर–बजरी/नदी बजरी का क्रय

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (यू पी टी टी) अधिनियम की धारा 3 ए ए ए में यू पी टी टी का भुगतान, बिक्री के प्रथम बिन्दु पर किये जाने का प्रावधान है। अतः एक खुदरा व्यापारी जिसने राज्य में निर्माता से सामान खरीदा था, अपने उपभोक्ता से यू पी टी टी का प्रभारण नहीं कर सकता क्योंकि निर्माता द्वारा एक बार आवश्यक यू पी टी टी पहले ही प्रभारित किया जा चुका था। इसी प्रकार, बिचौलिये को यू पी टी टी का कोई भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि वे न तो निर्माता हैं और न ही आयातकर्त्ता जैसा कि यू पी टी टी अधिनियम में परिभाषित है।

निर्माण सामग्री के क्रय पर उत्तरप्रदेश व्यापार कर का अननुमत्य भुगतान

तथापि, यह देखा गया कि क्रय समिति ने पत्थर–बजरी, मोटी बालू, बालू आदि की दरों के बारे में केवल बिचौलिये से उद्धरण अथवा जानकारी एकत्र की और संयुक्त दरों पर 5 से 7.5 प्रतिशत

की दरों से यू पी टी टी सहित एफ ओ आर स्थलो पर संयुक्त दरों को अन्तिम रूप दिया। इस प्रकार कम्पनी ने 2000–2001 तक के पाँच वर्षो के दौरान बिचौलियों को 53.99 लाख रुपये की राशि के यू पी टी टी (5 से 7.5 प्रतिशत) जैसा कि परिशिष्ट–31 में विवरण दिया है, का अननुमत्य भुगतान किया।

अननुमत्य भुगतान किये जाने के उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कोई उत्तरदायित्व अब तक (सितम्बर 2001) नियत नहीं किया गया।

निष्कर्ष

कम्पनी की स्थापना राज्य के पुलिस विभाग के आवासीय और गैर–आवासीय भवनों के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी। यह अपनी ईष्टतम स्तर की क्षमता को प्राप्त करने में निम्न कारणों से असफल रहीः

- **पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद क्षमता का निम्न उपयोजन;**
- **तकनीकी स्वीकृति को पहले निर्मुक्त किये बिना कार्यो के निष्पादन की दोषपूर्ण पद्धति; तथा**
- **समय सारणी एवं निर्माण कार्यो पर व्यय के अनुश्रवण में कमी;**

जिसके परिणामस्वरूप इसने अपने अनेकों कार्यो पर अनियमित एवं अतिरिक्त व्यय किया जिसे सरकार ने स्वीकृत/नियमितीकरण करने से अस्वीकार कर दिया।

कम्पनी को कार्यो का वित्तीय अनुसरण तथा कार्य के व्यय को स्वीकृत सीमा के अन्दर रखते हुये, कार्य निष्पादन की अपनी पद्धति की, सरकारी निर्देशों के अनुसरण, सभी प्रकरणों में कार्य के प्रारम्भ से पूर्व तकनीकी स्वीकृति के निर्गमन तथा कार्य को निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर पूर्ण किये जाने की दृष्टि से समीक्षा करने की आवश्यकता है।

प्रकरण, सरकार को सूचित किया गया (जून 2001); उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2001)।

अध्याय –III

सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षायें

उत्तर प्रदेश वन निगम

3 अ. उत्तर प्रदेश वन निगम की कार्य पद्धति

मुख्य अंश

नवम्बर 1974 में स्थापित उत्तर प्रदेश वन निगम मुख्यतः वृक्षों के गिराये जाने/निस्तारण, तेंदू पत्ते एवं जड़ी बूटी के संग्रहरण तथा राज्य के तराई क्षेत्रों में कृषि कार्यों में कार्यरत था।

(प्रस्तर 3 अ. 1)

जनवरी 1998 को निगम की नीति के अनुसार, उत्पादन नियन्त्रण के अभिप्राय से वृक्षों के ठोस आयतन पर विचार किया जाना चाहिऐ परन्तु इसका आगणन खण्ड स्तर पर नहीं किया जा रहा था सिवाय लौगिंग खण्ड, कोटद्वार के जहाँ ठोस आयतन की तुलना में वास्तविक उत्पादन में गिरावट 5.11 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 16686 घन मीटर की थी।

{प्रस्तर 3 अ. 6.1.1 (क) (i)}

1998–99 और 1999–2000 के दौरान वास्तविक उत्पादन में गिरावट 1.75 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 5960.9832 घन मीटर की थी।

{प्रस्तर 3 अ. 6.1.1 (क) (ii)}

चिराई इमारती लकड़ी की प्राप्ति के मानक निर्धारित नहीं किये गये थे। 1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान, 87.83 प्रतिशत की अधिकतम प्राप्ति के समक्ष, 13 लौगिंग खण्ड़ों में चिराई इमारती लकड़ी के उत्पादन में 44.90 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 68101.5859 घन मीटर की गिरावट थी।

{प्रस्तर 3 अ. 6.1.1 (ग)}

कृषि गतिविधियों में 1999–2000 तक कुल 10.60 करोड़ रुपये की संचित हानि थी जो प्रथमतः मानकों की तुलना में कम उपज तथा उत्पादन की उच्च लागत के कारण थी।

(प्रस्तर 3 अ. 6.1.2)

निगम ने 1998–99 और 1999–2000 के दौरान 2.52 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि उठाई क्योंकि आधार मूल्यों की वृद्धि का प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार, 1995–96 हेतु आधार मूल्यों में वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने में असाधारण विलम्ब के कारण 7.57 करोड़ रुपये की हानि हुई।

{प्रस्तर 3 अ. 7.1(i)}

निगम ने 1998–99 और 1999–2000 में आबंटियों द्वारा पोपलर की बिना उठान के पड़ी हुई मात्रा की, सरकारी निर्देशों के अनुसार अन्तिम रूप दी गई दरों से कम पर बिक्री किये जाने के कारण 1.39 करोड़ रुपये की हानि उठाई। दोषियों को काली सूची में ड़ालने की कार्यवाही भी, आवंटन आदेश में किसी उपयुक्त उपबन्ध के अभाव में, नहीं की जा सकी।

{प्रस्तर 3 अ. 7. 2 (ii)}

निगम ने 1991–92 से 1999–2000 के दौरान वन विभाग को 2.45 करोड़ रुपये के चिह्नांकन शुल्क का भुगतान इस तथ्य के बावजूद भी किया कि वृक्षों को चिहिन्नत करने का कार्य वन विभाग का उत्तरदायित्व था और वे 1990–91 तक यह व्यय अपने स्रोत से ही कर रहे थे।

(प्रस्तर 3 अ. 10.2)

3अ.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश वन निगम (निगम) की स्थापना नवम्बर 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (अधिनियम) के अन्तर्गत राज्य के वन उत्पादों के उन्नत संरक्षण, रख–रखाव, विकास तथा विज्ञान सम्मत दोहन हेतु राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति (1972) पर एक स्थानीय निकाय के रूप में की गई थी।

निगम के मुख्य उद्देश्य, जैसा कि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत परिभाषित किये गये हैं, निम्न हैं:

- राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे गये वृक्षों को काटने तथा निस्तारण एवं वन स्रोतों के दोहन के कार्यों को हाथ में लेना ;

- राज्य के अन्दर वानिकी से सम्बन्धित परियोजनाओं को तैयार करना ;
- वन और वन उत्पादों से सम्बन्धित शोध कार्यक्रमों को हाथ में लेना तथा राज्य सरकार को वानिकी से सम्बन्धित मामलों में तकनीकी परामर्श देना ;
- ऐसे वनों का प्रबन्धन, रख–रखाव एवं विकास करना जो इसे राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरित किये अथवा सौंपे गये हैं; तथा
- ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जैसा राज्य सरकार समय–समय पर आवश्यक समझती हो।

निगम की मुख्य गतिविधियों में वृक्षों को काटना/निस्तारण करना, तेंदू पत्ते एवं जड़ी बूटियों को एकत्र करना/विक्रय करना तथा नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के तराई क्षेत्रों में कृषि के कार्य सम्मिलित थे।

टेहरी, गढ़वाल, पश्चिमी व कुमाऊँ क्षेत्रों की लौगिंग गतिविधियाँ, जो कुल लकड़ी उत्पादन (1999–2000) का 55 प्रतिशत भाग है, 9 नवम्बर 2000 से उत्तरांचल राज्य की स्थापना के अन्तर्गत, 1 अप्रैल 2001 को गठित उत्तरांचल वन विकास निगम (यू वी वी एन) को अप्रैल 2001 से हस्तान्तरित कर दिया गया। तथापि, यू वी वी एन को परिसम्पत्तियों और देयताओं के हस्तान्तरण की कार्यविधि पर अब भी निर्णय लेना बाकी था।

3अ.2 संगठनात्मक ढाँचा

आठ क्षेत्रों और 51 खण्डों में फैला निगम का प्रबन्धन, सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले आठ सदस्यों सहित एक अध्यक्ष द्वारा शीर्षित एक परिषद में निहित है। पाँच सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के अन्तर्गत सेवा करने वाले अधिकारियों में से की जाती है, जिनमें से एक की नियुक्ति प्रबन्ध निदेशक के रूप में की जाती है। अधिक से अधिक तीन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति वन के संरक्षण एवं विकास में अनुभव रखने वाले लोगों में से की जाती है।

तीन गैर सरकारी सदस्यों, जिन्हें व्यवसायिक सहयोग प्रदान करना था, की नियुक्तियाँ जून 1991 से मई 2000 के दौरान नहीं की गई थीं। सरकार द्वारा दिसम्बर 1979 में जारी किये गये निर्देशों में, अन्य बातों के अतिरिक्त, सार्वजनिक उपक्रम में उच्च स्तर के पदों हेतु तीन वर्ष के न्यूनतम कार्यकाल का प्रावधान है। तथापि, यह देखा गया कि मार्च 2001 तक के पाँच वर्षों के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद 5 से 16 महीनों तथा 2 से 20 महीनों के मध्य आरेखित अवधियों में क्रमशः 5 एवं 4 व्यक्तियों द्वारा धारण किये गये। मुख्य कार्यकारियों के बार–बार बदल जाने से प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुसरण का पर्याप्त समय नहीं मिलता है।

3अ.3 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के अनुरोध पर निगम की

लेखा परीक्षा 1997 से हाथ में ली। राज्य सरकार ने प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किये जाने का प्रावधान करने के लिये उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 में, आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर संशोधन सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिये (जुलाई 1997) थे। कथित संशोधन अब तब (मार्च 2001) प्रतीक्षित था जिसके परिणामस्वरूप निरीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा भी लेखा परीक्षा की जा रही है। समीक्षा में आठ क्षेत्रीय और 51 खण्ड कार्यालयों में से तीन क्षेत्रीय एवं 26 खण्ड कार्यालयों के मार्च 2000 तक के पाँच वर्षों के निगम के कार्यकलापों को समाहित किया गया है।

3अ.4 वित्त एवं संसाधन

3अ.4.1 अंश पूँजी

निगम एक स्थानीय निकाय होने के कारण अंश पूँजी अवस्थित करने से वंचित था।

3अ.4.2 ऋण

निगम के ऋण 1995–96 में 7 करोड़ रुपये से 1999–2000 में बढ़कर 35.60 करोड़ रुपये हो गये थे। इस सम्बन्ध में यह देखा गया कि 31.03.2000 तक निगम ने 274.32 करोड़ रुपये को जमा की अवधियों पर आधारित 5 से 11 प्रतिशत तक आरेखित ब्याज दरों पर सावधि जमा खाते (एफ डी आर) में डाल दिया था। इसके विरूद्ध इसने 20.00 करोड़ रुपये का ऋण लिया और राज्य सरकार के अनुरोध पर इस आश्वासन के साथ कि एफ डी आर के समय–पूर्व नकदीकरण के कारण अथवा एफ डी आर के विरूद्ध ऋण लिये जाने के कारण ब्याज की हानि सरकार द्वारा प्रतिपूरित की जाएगी, 4 सितम्बर 1999 को उसे पर्सनल लेजर एकाउन्ट में जमा कर दिया।बैंक ने 11 दिसम्बर 2000 को एफ डी आर की परिपक्वता पर ऋण राशि (20.00 करोड़ रुपये) सहित 3.72 करोड़ रुपये के ब्याज की वसूली कर ली। सरकार ने ब्याज सहित ऋण का समायोजन, निगम द्वारा समय–समय पर देय रायल्टी के विरूद्ध किये जाने के निर्देश जारी किये (दिसम्बर 2000)। रायल्टी की प्रारम्भिक किश्त मार्च 2001 में ही देय थी, परिणामस्वरूप, निगम धन को पुनर्निवेशित करने में असमर्थ था और इसलिये ऋण की राशि और उस पर देय ब्याज के 23.72 करोड़ रुपए पर 11.28 प्रतिशत की दर से 79.89 लाख रुपये (दिसम्बर 2000 से मार्च 2001 तक) के ब्याज की निगम को हानि उठानी पड़ी।

उत्तर में यह कहा गया कि 30.03.2001 से 26.06.2001 के दौरान रायल्टी के विरूद्ध 23.71 करोड़ रुपये का समायोजन किया जा चुका था। प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि ब्याज की हानि से सम्बन्धित प्रकरण सरकार के समक्ष उठाया गया था जिसका निर्णय प्रतीक्षित था (सितम्बर 2001)।

3अ.5 वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

निगम की 1999–2000 तक के पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम

परिशिष्ट–32 एवं 33 में दिये गये हैं। परिशिष्ट–33 से यह प्रदर्शित होगा कि निगम का प्रचालन लाभ 1995–96 के 22.54 करोड़ रुपये से 1997–98 में 11.67 करोड़ रुपये तक घट गया था और यह 1998–99 में 1.59 करोड़ रुपये तक नकारात्मक रूप से परिवर्तित हो गया। तथापि, 1999–2000 में यह 8.82 करोड़ रुपये तक थोड़ा सुधर गया। लाभ में कमी के मुख्य कारण, जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, निम्न थे:

- नीलामी में अधिकतर प्रकरणों में बोली के आधार मूल्य[25] से कम पर अनुमोदन होने के कारण बिक्री की कम वसूली {प्रस्तर 3अ.7.1 (iv)}
- सामग्री की हानियों की अधिक घटनायें (प्रस्तर 3अ.9.1)
- 1998–99 में प्रचालन हानि मुख्यतः तेंदू पत्ते की रायल्टी में वृद्धि के कारण थी।

3अ.5.1 राष्ट्रीय वन नीति का क्रियान्वयन

यद्यपि राष्ट्रीय वन नीति का प्रतिपादन 1988 में किया गया था, राज्य सरकार ने राज्य वन नीति को 1998 में घोषित किया और उसे निगम के उद्देश्यों में अब तक समाहित नहीं किया गया

भारत सरकार द्वारा 1998 में प्रतिपादित राष्ट्रीय वन नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि नई कार्य योजना में दोहन के स्थान पर वन साधनों के परिरक्षण, अवस्थापन एवं पुनरूद्धार सहित वन संरक्षण का कार्य होगा। नीति में यह बल दिया गया है कि वनों को राजस्व के स्रोतों के रूप में नहीं बल्कि नवीकरणीय प्राकृतिक साधनों के रूप में देखना चाहिये और राष्ट्रीय नीति को राष्ट्र के लोगों के हित के लिये संरक्षण दिया जाना चाहिये। तथापि, राज्य सरकार ने अपनी वन नीति 1998 में दस वर्षों की अवधि के पश्चात् घोषित की जहाँ निगम की भूमिका को, वन विकास एवं वन संरक्षण, वन उत्पादों के निस्तारण में बिचौलियों का निष्कासन तथा राज्य के वन क्षेत्रों के नदी/नालों से पत्थर/बजरी के एकत्रीकरण में अधिकाधिक संलग्नता तक बढ़ाया गया था। तथापि, राज्य वन नीति में निगम को सौंपे गये अतिरिक्त उत्तरदायित्वों को अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत परिभाषित निगम के उद्देश्यों में समाहित नहीं किया गया था।

3अ.6 गतिविधियाँ

निगम की गतिविधियों में मुख्यतः निम्नलिखित सम्मिलित है जिनकी चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

- लौगिंग कार्य ;
- वन विभाग द्वारा पट्टे पर दिये गये नैनीताल और उधमसिंह नगर के तराई क्षेत्रों में कृषि कार्य ;
- तेंदू पत्ते का संग्रहण ;
- 1997–98 से ललितपुर जिले में जड़ी बूटी का संग्रहण।

25 आधार मूल्य, नीलामी तथा खुदरा बिक्री द्वारा किये जाने वाले विक्रय के अनुमोदन हेतु एक पहचान के रूप में उपयोग करने के लिये निगम द्वारा नियत किये गये निर्देशक मूल्य का संदर्भ देता है।

3अ.6.1 लौगिंग कार्य

3अ.6.1.1 (क) उत्पादन कार्य–सम्पादन

निगम का लौगिंग कार्य, वन विभाग द्वारा कटान हेतु चिन्हित वृक्षों की क्षेत्र–वार संख्या को इंगित करती हुई विक्रय सूची के निर्गमन के साथ आरम्भ होता है। निगम के पास वन विभाग द्वारा आवंटित वर्ष के दौरान काटे जाने वाले वृक्षों के ठोस आयतन[26] के विवरण नहीं हैं और इसलिये 1999–2000 तक के पाँच वर्षों के उत्पादन कार्य–सम्पादन का विश्लेषण, जैसा कि नीचे बताया गया है, लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका:

वर्ष	उत्पादन (लाख घन मीटर में)		
	इमारती लकड़ी	जलौनी लकड़ी	इमारती लकड़ी से जलौनी लकड़ी का प्रतिशत
1995–96	3.84	1.42	36.98
1996–97	1.95	0.54	27.69
1997–98	3.29	0.78	23.71
1998–99	4.76	1.10	23.11
1999–2000	4.53	1.38	30.46

ठोस आयतन की तुलना में उत्पादन की कमी लौगिंग खण्ड, कोटद्वार में 5.11 करोड़ रुपये की हुई

निगम द्वारा इमारती लकड़ी की तुलना में जलौनी लकड़ी के उत्पादन नियत नहीं किये गये थे।

निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं:

(i) निगम की नीति में (जनवरी 1998) उल्लेख किया गया है कि उत्पादन पर नियन्त्रण के अभिप्राय से वृक्षों के ठोस आयतन पर विचार किया जाना चाहिए। तथापि, वृक्षों के ठोस आयतन की गणना खण्ड स्तर पर नहीं की गई, केवल लौगिंग खण्ड, कोटद्वार को छोड़कर जहाँ विभिन्न प्रजातियों के ठोस आयतन की तुलना में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत 1999–2000 तक के तीन वर्षों के दौरान 22.77 (कोकट : 1999–2000) से 113.36 (यूक्लिप्टस : 1997–98) तक आरेखित रहा। क्योंकि उत्पादन का वास्तविक आयतन इसके ठोस आयतन से कम नहीं होना चाहिए, तीन वर्षों के दौरान मात्र इसी खण्ड में उत्पादन में गिरावट 5.11 करोड़ रुपये के मूल्य के कुल 16686 घन मीटर की रही।

उत्तर में यह बताया गया कि जनवरी 1998 में निर्गत किये गये निर्देशों का उद्देश्य अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना था और कम उत्पादन हरे वृक्ष की कटान पर लगे प्रतिबन्ध के कारण था।

26ठोस आयतन, मुख्य तने के आयतन का, उसकी उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता पर विचार किये बिना, संदर्भ देता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

- हरे वृक्ष की कटान पर प्रतिबन्ध दिसम्बर 1996 से लगाया गया था अर्थात् निगम के निर्देशों के निर्गत होने के बहुत पहले, तथा
- सूखे व टूटे हुये वृक्षों का आवंटन, उत्पादन के मूल्य को प्रभावित करेगा न कि इसके आयतन को।

सीसीएफ आयतन की तुलना में उत्पादन की गिरावट कुल 1.75 करोड़ रुपये की थी

(ii) रायल्टी निर्धारण हेतु वृक्ष के आयतन निर्धारण में सीसीएफ[27] आयतन 'अनुपयुक्त' एवं 'उपयुक्त' श्रेणियों के लिऐ क्रमशः एक/दो तिहाई से समायोजित किया जाता है। अतः, वास्तविक उत्पादन सी.सी.एफ. आयतन से कम नहीं होना चाहिए, परन्तु लेखा परीक्षा के नमूना जाँच में सी. सी.एफ. की तुलना में वास्तविक उत्पादन में भारी अन्तर दृष्टिगत हुआ जैसा कि परिशिष्ट–34 में विवरण दिया गया। निम्न प्राप्ति के परिणामस्वरूप 1998–99 और 1999–2000 के दौरान 1.75 करोड़ रुपये मूल्य के 5960.9832 घन मीटर के उत्पादन की हानि हुई।

उत्तर में यह कहा गया कि जलौनी लकड़ी के उत्पादन को भी वास्तविक उत्पादन के अन्तर्गत माना जाना चाहिये। उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत मान्य नहीं है कि सीसी एफ आयतन की गणना केवल मुख्य तने के लिये ही होती है और न तो जलौनी लकड़ी के आयतन की गणना की जाती है और न ही इसके लिये रायल्टी का भुगतान ही किया जाता है।

(iii) लौगिंग खण्ड, टनकपुर में यह देखा गया (1999–2000 की लाट संख्या 7, 36एवं 37) कि साल वृक्ष के विरूद्ध उत्पादन 71 सेन्टीमीटर से कम के घेरे में प्राप्त नहीं किया गया जबकि निगम के निर्देशों के अनुसार 31 सेन्टीमीटर तक के घेरे वाले बोटों को प्राप्त किया जाना था। इस कारण से हुई उत्पादन हानि की मात्रा का आंकलन, वृक्ष की वास्तविक प्रकृति/स्थिति की अनुपलब्धता के कारण किया जाना संभव नहीं था। उत्तर में यह बताया गया कि लॉट संख्या 7 आग से प्रभावित थी। उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है कि वृक्ष–वार उत्पादन के अभिलेखन हेतु प्रपत्र संख्या 1.1 पर ऐसे कोई टिप्पणियाँ नहीं की गई थी।

(iv) लौगिंग खण्ड़, टनकपुर ने वन विभाग को, 965.810 घन मीटर तथा 3247.889 घन मीटर के सीसीएफ आयतन वाली क्रमशः 1998–99 की लॉट संख्या 74ए, 75 एवं 80 तथा 1999–2000 की 56, 57, 58, 59, 62, 63 एवं 64 आवंटित समय (मार्च 1999 एवं 2000) के अन्दर कटान न कर सकने के कारण वापस कर दी, यद्यपि यह आवंटन सीजन (अक्टूबर) के आरम्भ होने से काफी पहले किया गया था (सितम्बर 1998 एवं 2000)। परिणामस्वरूप, 87.80 लाख रुपये मूल्य के उत्पादन की परिहार्य हानि हुई।

3अ.6.1.1 (ख) चारकोल का उत्पादन

मानकों के अभाव में चारकोल के प्राप्त किए गए सर्वोत्तम उत्पादन की तुलना में कमी कुल 0.27 करोड़ रुपये की थी

निगम, हल्द्वानी के दो लौगिंग खण्डों (पूर्व एवं पश्चिम) में वृक्षों की जड़ों को चारकोल में परिवर्तित करता रहा है। तथापि, चारकोल के उत्पादन हेतु जड़ों के उपभोग के कोई मानक नियत नहीं

27 यह, मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित कारकों के अनुसार वृक्षों को स्वस्थ, उपयोगी एवं अनुपयोगी के वर्गीकरण पर आधारित रायल्टी निर्धारण हेतु आगणित आयतन है।

किये गये थे। ऐसा देखा गया कि 1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान लौगिंग खण्ड (पश्चिम) में चारकोल का उत्पादन, उपभोग की गई जड़ों के प्रतिशत के रूप में 16.55 से 29.34 तथा लौगिंग खण्ड (पूर्व) में 16.06 से 30.75 तक आरेखित था जैसा कि परिशिष्ट–35 में विवरण दिया गया है। 1999–2000 में लौगिंग खण्ड, हल्द्वानी (पूर्व) में प्राप्त किये गये सर्वोत्तम उत्पादन (30.75 प्रतिशत) की तुलना में 1999–2000 तक के पाँच वर्षों में चारकोल के उत्पादन में 26.59 लाख रुपये मूल्य के 13477.56 कुन्तल की कमी थी। प्रबन्धन द्वारा कम चारकोल उत्पादन के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया।

उत्तर में यह बताया गया कि चारकोल के उत्पादन हेतु जड़ों के उपभोग के मानक नियत नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि जड़े विभिन्न लम्बाइयों, घेरे और भार की थीं। उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत मान्य नहीं है कि चारकोल के उत्पादन हेतु जड़े भार के आधार पर निर्गत की गई थीं न कि संख्या अथवा आयतन के आधार पर।

3अ.6.1.1(ग) चिरान लकड़ी का उत्पादन

मानकों के अभाव में चिरान लकड़ी के प्राप्त किये गये सर्वोत्तम उत्पादन की तुलना में प्राप्ति में कमी कुल 44.90 करोड़ रुपये की थी

चिरान लकड़ी की प्राप्ति पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये थे। 1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान, दो क्षेत्रों के 13 लौगिंग खण्डों में हाथ से चिरान लकड़ी की प्राप्ति के विवरण, जैसा परिशिष्ट–36 में दिये गये हैं, प्रदर्शित करते हैं कि चिराई हेतु गिराये गये/निर्गत किये गये वृक्षों की तुलना में चिरान लकड़ी की प्राप्ति का प्रतिशत 32.83 से 87.83 तक आरेखित था। 87.83 प्रतिशत की उच्चतम प्राप्ति (लौगिंग खण्ड, चकराता : 1995–96) के दृष्टिगत 1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान चिरान लकड़ी के उत्पादन में कमी 44.90 करोड़ रुपये मूल्य के 68101.5859 घन मीटर की थी। प्रबघन द्वारा चिरान लकड़ी की कम प्राप्ति के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था।

प्रबन्धन का उत्तर कि चिरान लकड़ी की प्राप्ति विभिन्न प्रजातियों सें अलग–अलग होगी, अस्पष्ट है क्योंकि प्रजाति–वार प्राप्ति के विवरण नहीं बनाये गये थे।

3अ.6.1.2 कृषि कार्य

कृषि कार्य में मूल–भूत संरचनाओं, अनुभव की कमी, निम्न स्तरीय कार्य एवं विलम्बित निर्णय के कारण 10.60 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ीं

वन में, अवांछनीय तत्वों के अतिक्रमण के कारण बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के दृष्टिकोण से, राज्य सरकार ने नैनीताल के तराई क्षेत्रों में कृषि कार्य निगम को सौंप दिया (अक्टूबर 1992)। तद्नुसार, निगम ने 1992–93 से कृषि की गतिविधियाँ आरम्भ की परन्तु स्थापना व्ययों को लौगिंग कार्य पर नामे डालने के बावजूद इसने 1999–2000 तक कुल 10.60 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

हानियों के मुख्यतः निम्न कारण थे :

(i) प्रति हेक्टेयर उपज, 1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान निगम द्वारा प्रमुख उत्पादों के संबंध में नियत किए गय मानकों से काफी कम थी जैसा कि आगे विवरण में दिया गया है:

उत्पाद का नाम	औसत उत्पादन (कुन्तल प्रति हेक्टेयर)		मानक की तुलना में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत
	मानक के अनुसार	वास्तविक	
गेहूं	27.66	17.69	63.96
लाही	6.00	2.44	40.67
मसूर	6.00	1.81	30.16
उरद	7.00	2.40	34.28
तारामीरा	4.33	1.78	41.11

कम उत्पादन से, कुल 616.79 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई, जो समय पर वांछित कार्यवाही करने में असफलता को इंगित करती है।

(ii) 1999–2000 तक के पाँच वर्षो के दौरान, प्रमुख उत्पादों की उत्पादन लागत विक्रय मूल्य से सदैव अधिक रही जैसा निम्न तालिका से प्रत्यक्ष है:

(रुपया प्रति कुन्तल)

उत्पाद का नाम	उत्पादन लागत		बिक्री वसूली	
	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम	न्यूनतम
गेहूँ	441	4174	357	647
लाही	1280	8153	948	1610
मसूर	824	31220	550	1593
उरद	2054	12825	661	2050
तारामीरा	2895	84078	480	1300

इसके परिणामस्वरूप कुल 3.75 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(iii) लेखा परीक्षा द्वारा की गई नमूना जाँच में यह भी प्रकट हुआ कि 6 लौगिंग खण्डों द्वारा 1999–2000 तक के पाँच वर्षो के दौरान 11485 हेक्टेयर भूमि पर कोई कृषि कार्य किए बिना ही 58.89 लाख रुपये के लीज रेन्ट का भुगतान करना पड़ा।

कृषि कार्य के ऐसे घटिया सम्पादन के मुख्य कारण, जैसे कि लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित किये गये, निम्नानुसार थे:

- कृषि कार्य के अनुभव का अभाव;
- मूलभूत संरचना जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, भण्डारण आदि का अभाव ;
- रोगों के विरूद्ध फसल की सुरक्षा करने के लिये कीटनाशकों के प्रयोग जैसे प्रकरणों में फील्ड स्तर पर अपेक्षित औपचारिकताओं के कारण निर्णय लेने में विलम्ब ;
- उच्चतर व्यय किये जाने के बावजूद जुताई, पाटा चालन, बीज आदि की निम्न गुणवत्ता; तथा

- 1996–97 से रोग के कारण सोयाबीन की मुख्य फसल का नष्ट होना तथा खरीफ की फसलों में उरद तथा तिल की अन्य फसलें लाभप्रद नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत भूमि व्यर्थ चली गई।

हानि के लिये उत्तरदायी उपरोक्त कारणों को स्वीकार करने के साथ ही प्रबन्धन ने बताया कि यह कारक नियन्त्रण–योग्य नहीं थे, जो सत्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त कारक उच्चतर नियोजन/फसलों के विविधीकरण द्वारा नियन्त्रित किये जा सकते थे।

3अ.6.1.3 (क) तेंदू पत्तों का संग्रहरण

वर्षा प्रभावित तेंदू पत्तों का उत्पादन 1995–96 में 0.79 प्रतिशत से 2000–2001 में 13.38 प्रतिशत तक बढ़ गया

निम्न तालिका 2000–2001 तक के छः वर्षों के दौरान तेंदू पत्तों के संग्रहण के कार्य को इंगित करती है :

(मानक बैग में)[28]

वर्ष	बजटकृत उत्पादन	वास्तविक			कुल उत्पादन की तुलना में वर्षा प्रभावित उत्पादन का प्रतिशत
		उत्तम	वर्षा प्रभावित	योग	
1995–96	409100	431851	3448	435299	0.79
1996–97	400000	378028	8204	386232	2.12
1997–98	415000	323756	7516	331272	2.30
1998–99	410000	415208	3366	418574	0.80
1999–2000	430000	505680	12388	518068	2.39
2000–2001	450000	497081	76802	573883	13.38
योग	**2514100**	**2551604**	**111724**	**2663328**	

यह दृष्टिगत होगा कि उत्पादन 1995–96 की तुलना में 1998–99 तक लगातार कम होता गया।

इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं:

(i) निगम ने वर्षा प्रभावित उत्पादन के कारण हुई हानियों के लिये कोई मानक नियत नहीं किये। तथापि, वर्षा से होने वाली हानियों से बचने के लिये निगम द्वारा तेंदू पत्तों के संग्रहण हेतु जारी निर्देशों में अन्यान्यों सहित प्रावधान है कि कोई भी पत्ती, वर्षा की संभावना वाले बादलों से आच्छादित वाले दिन क्रय नहीं की जानी चाहिये। 2000–2001 तक के छः वर्षों के दौरान 111724 मानक बैग वर्षा से प्रभावित हो गये जिससे 3.14 करोड़ रुपये की हानि हुई। यद्यपि, तेंदू पत्तों के संग्रहण हेतु नियुक्त फड़ मुंशियों के साथ किये गये समझौते के अनुसार, वे पत्तियों को तोड़ जाने से लेकर गोदाम तक उसे पहुँचाने तक किसी भी क्षति के लिये उत्तरदायी थे, तो भी इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि निगम द्वारा उनसे कोई प्रतिभूति नहीं ली गई थी और समझौते में किसी उपयुक्त उपबन्ध के अभाव में हानियों की वसूली नहीं की जा सकी।

28 एक मानक बैग में प्रत्येक 50 पत्तियों के 1000 बंडल सम्मिलित है।

उत्तर में यह बताया गया कि वर्षा के कारण हुई हानि से बचा नहीं जा सका क्योंकि तेंदू पत्ते सुखाने के लिये खुले में फैलाये जाते हैं और फड़ मुंशी से कोई प्रतिभूति नहीं ली जाती है क्योंकि वह श्रमिक वर्ग से आता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन हानियों से यदि पूर्ण रूप से बचा नहीं जा सकता था तो कम से कम न्यूनतम किया जा सकता था। वर्षा प्रभावित हानियों के मानक नियन्त्रण के उद्देश्य से भी निर्धारित किये जाने चाहिए।

(ii) ऐसा देखा गया कि 2000–2001 के दौरान, नीचे दिये गये खण्ड–वार विवरण के अनुसार, वर्षा प्रभावित उत्पादन के कारण भारी हानियाँ हुई थीं :

लौगिंग खण्ड, वाराणसी में 2000–2001 के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कर्त्तव्यों में ढील दिये जाने के कारण 0.69 करोड़ रुपये के मूल्य का तेंदू पत्ता वर्षा से प्रभावित हो गया

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	कुल उत्पादन की तुलना में वर्षा प्रभावित उत्पादन का प्रतिशत
1.	रेनूकूट	8.43
2.	दुधी	3.29
3.	ओबरा	14.69
4.	मिर्जापुर	13.06
5.	वाराणसी	62.33
6.	इलाहाबाद	21.52
7.	कर्वी	20.53
8.	ललितपुर	4.83

वाराणसी में भारी हानियों के सम्बन्ध में (62.33 प्रतिशत) यह देखा गया कि 68.99 लाख रुपये मूल्य के तेंदू पत्तों की क्षति, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तेंदू पत्तों को गोदाम तक समय से परिवहन किये जाने को सुनिश्चित करने के कर्त्तव्य में ढील दिये जाने के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, दैनिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार गोदाम पर प्राप्त की गई सामग्री (19484 मानक बैग) तथा उत्पादन (22705 मानक बैग) के अन्तर को प्रतिलक्षित करते हुये 3221 मानक बैग (मूल्यः 24.16 लाख रुपये) की कमी भी देखी गई थी।

हानि को स्वीकार करते हुए प्रबन्धन ने बताया कि अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति पर थी।

3अ.6.1.3 (ख) गोदामों को किराये पर लेना

तेंदू पत्तों के भण्डारण हेतु अधिक क्षमता के गोदामों को किराये पर लेने से 0.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ

केन्द्रों पर एकत्र किये गये तेंदू पत्तों को किराये के गोदामों (निजी) तथा अपने गोदामों में संग्रहीत किया जाता है। निगम द्वारा गोदामों को किराये पर लेने के मानकों का निर्धारण नहीं किया गया था। लौगिंग खण्ड, रेनूकूट और दुधी (लेखा परीक्षा में नमूना परीक्षण किये गये) द्वारा गोदामों को किराये पर लिये जाने से सम्बन्धित परिशिष्ट–37 की तालिका इंगित करती है कि उत्पादन की तुलना में किराये पर लिये गये गोदामों की क्षमता का प्रतिशत 1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान 129.3 से 190.5 तक आरेखित रहा। 1999–2000 में दुधी खण्ड द्वारा 129.3 प्रतिशत को न्यूनतम मानते हुये अतिरिक्त क्षमता को किराये पर लेने का व्यय 1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान 12.23 लाख रुपये आगणित हुआ।

इस सम्बन्ध में यह देखा गया कि अधिकतर निविदाकर्ताओं ने अपने गोदामों की क्षमता की घोषणा मानक बैगों के रूप में परिमाण के विवरण (लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई) के बिना ही की थीं

और किसी भी अधिकारी ने घोषित क्षमता को न तो सत्यापित और न ही प्रमाणित किया था।

उत्तर में यह बताया गया कि गोदाम की अतिरिक्त क्षमता को लक्ष्यों से अधिक के उत्पादन के भण्डारण हेतु किरोय पर लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अतिरिक्त क्षमता को किराये पर लेने के लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान गोदाम क्षमता को किराये पर लिया जाना आवश्यकता के 129.3 प्रतिशत से 190.5 प्रतिशत तक विस्तीर्ण रहा।

3अ.6.1.4 जड़ी बूटी संग्रहण

निगम ने सरकार के अनुमोदन पर जड़ी बूटी का संग्रहण अगस्त 1997 से आरम्भ किया परन्तु 1999–2000 तक, प्रथम वर्ष में 21 लाख रुपये के लक्ष्यीकृत लाभ, जिसे अनुवर्ती वर्षा में 50 लाख रुपये तक बढ़ाना था, के विरूद्ध 5.28 लाख रुपये की हानि उठाई। हानियों का श्रेय मुख्यतः उच्चतर उत्पादन लागत, उपरिव्यय, निम्न उत्पादन, माँग की कमी, गुणवत्ता का अभाव एवं निम्न कोटि के विपणन को था। इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं :

- जड़ी बूटी का उत्पादन 1997–98 में 3.66 लाख कि ग्रा से 1999–2000 में 1.02 लाख कि ग्रा तक गिर गया।
- बिक्री के लक्ष्यों की प्राप्ति 1999–2000 तक के कार्यचालन के तीन वर्षों के दौरान 13.8 प्रतिशत से 43.6 प्रतिशत तक आरेखित रही जो निम्न कोटि के विपणन के प्रयासों को इंगित करती थी।
- मार्च 2000 तक 37.60 लाख रुपये का माल एकत्र हो चुका था जिसमें से 17.46 लाख रुपये की सामग्री को दिसम्बर 2000 में हुई निस्तारण बिक्री में 8.18 लाख रुपये में निस्तारित किया गया जिससे 9.28 लाख रुपये की हानि हुई।

उत्तर में यह बताया गया है कि हानियाँ मुख्यतः 1999–2000 में हुई थीं क्योंकि सरकार ने मार्च 1999 से आंवले का संग्रहण सामान्य लोगों द्वारा किये जाने की अनुमति दे दी थी और बाजार में इसकी माँगी कम थी। इस सम्बन्ध में यह देखा गया कि वर्ष में संग्रहण किये गये 54195 कि ग्रा में से 1997–98 के दौरान 4010 कि ग्रा आंवले की नगण्य बिक्री के बावजूद 1998–99 में 32266 कि ग्रा आंवले का अतिरिक्त संग्रहण कर लिया गया और 1998–99 एवं 1999–2000 में कोई बिक्री नहीं की जा सकी।

3अ.7 विपणन

कुल बिक्री की तुलना में खुदरा बिक्री (आधार मूल्य के 120 प्रतिशत पर की गई) का प्रतिशत 1995–96 में 6 प्रतिशत से 1999–2000 में 0.6 प्रतिशत तक घट गया

उत्पादन का निस्तारण सामान्यतः चार पद्धतियों के अन्तर्गत किया जाता है, उदाहरणार्थ नीलामी/निविदा, उद्योगों को आवंटन, सरकारी/निजी संगठनों को सीधे आदेशों के विरूद्ध आपूर्ति तथा खुदरा बिक्री द्वारा। इमारती लकड़ी (खैर, यूक्लिप्टस एवं पोपलर के अतिरिक्त), जलौनी लकड़ी तथा तेंदू पत्ते की बिक्री, सम्पूर्ण प्रदेश में फैले 110 नीलामी डिपों के माध्यम से

नीलामी द्वारा की जाती है। खैर, यूक्लिप्टस तथा पोपलर की बिक्री नीलामी के साथ–साथ सरकार की शीर्ष समिति द्वारा आवंटन के माध्यम से की जाती है। निम्न तालिका में 1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान चारों विधियों द्वारा की गई बिक्री के विवरण को सक्षिप्त किया गया है

(करोड़ रुपये में)

बिक्री की पद्धति	बिक्री				
	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000
नीलामी/निविदा	136.04	142.23	102.38	118.94	172.54
आवंटन	21.76	10.41	17.17	30.29	13.26
आदेशित आपूर्ति	10.75	22.42	6.93	12.05	35.58
खुदरा	10.76	3.31	1.64	1.56	1.29
कुल बिक्री	179.31	178.37	128.12	162.84	222.67
प्रतिशतः					
(i) खुदरा बिक्री का कुल बिक्री से	6.00	1.90	1.30	1.00	0.60
(ii) नीलामी बिक्री का कुल बिक्री से	75.80	79.30	79.90	73.00	77.50

ऐसा दृष्टिगत होगा कि 73 से 79.9 प्रतिशत तक आरेखित अधिकतम बिक्री नीलामी द्वारा की गई थी और खुदरा बिक्री जो आधार मूल्य पर बीस प्रतिशत बढ़ा कर की जाती है, का अंश 1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान मुख्यतः 1995–96 में आरा मिलों की बन्दी के कारण 6 प्रतिशत से 0.6 प्रतिशत तक लगातार गिरती रहीं थी।

उत्तर में यह बताया गया कि खुदरा बिक्री में गिरावट, हरे वृक्षों की कटान पर दिसम्बर 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक की वजह से सर्वोच्च श्रेणी की इमारती लकड़ी की निम्न उपलब्धता के कारण थी।

उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत मान्य नहीं है कि सर्वोत्तम श्रेणी की इमारती लकड़ी (साल, शीशम एवं सागौन) की बिक्री 1998–99 से 1999–2000 के दौरान कुल बिक्री की तुलना में 2 से 84 प्रतिशत तक आरेखित रही और निगम निजी आरा मिलों की सेवायें किराये पर लेने के अतिरक्ति, न्यायालय आदेश के अन्तर्गत अनुमत छूट के अनुसार अपनी मिलों को अन्यत्र स्थापित करने हेतु सरकार से सम्पर्क कर सकता था।

3अ.7.1 नीलामी द्वारा बिक्री

नीलामी द्वारा बिक्री डिपों स्तर पर की जाती है तथा बोलियाँ, मुख्यालय द्वारा नियत किये गये आधार मूल्यों तथा लाट में सम्मिलित सामग्री की भौतिक स्थिति को देखते हुये सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकार/अस्वीकार की जाती हैं। निगम ने आधार मूल्यों को नियत करने के लिये कोई पद्धति निर्धारित नहीं की। प्रबन्ध निदेशक को समय–समय पर मूल्यों को नियत करने का पूर्ण अधिकार था परन्तु प्रकरण, निदेशक मण्डल के संज्ञान में लाया जाना चाहिये था। तथापि, यह देखा गया कि 1996–97 और 1997–98 के दौरान आधार मूल्य में किये गये संशोधन को मण्डल

के सम्मुख, लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् सितम्बर 2001 में विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। लेखा परीक्षा द्वारा की गई नमूना जाँच में निम्न बिन्दु प्रकट हुये :

1995–96, 1998–99 एवं 1999–2000 के आधार मूल्यों में संशोधन विलम्ब से/न किये जाने के परिणामस्वरूप 10.09 करोड़ रुपये की हानि हुई

(i) 1998–99 और 1999–2000 के आधार मूल्य की समीक्षा से यह संज्ञान में आया कि पूर्ववर्ती वर्ष के आधार मूल्य के आधार पर प्राप्त हुये वास्तविक मूल्य में वृद्धि, प्रचलित बाजार मूल्य तथा वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा प्रकाशित दरों के आधार पर विभिन्न प्रजातियों की दरों में वृद्धि करने के लिये जो प्रस्ताव तैयार किये गये थे, उन्हें प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिनके कारण अभिलेख पर नहीं थे। यह भी देखा गया कि रायल्टी की दरों में (इन प्रजातियों से सम्बन्धित) 1998–99 में 11.69 से 55.54 प्रतिशत तथा 1999–2000 में 2.52 से 23.41 प्रतिशत तक आरेखित वृद्धि हुई थी, जिसकी भरपाई इन वर्षों के आधार मूल्यों का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण नहीं की जा सकी। आधार मूल्यों का पुनरीक्षण न किये जाने के परिणामस्वरूप वास्तविक बिक्री वसूली पर आगणित कुल 2.52 करोड़ रुपये की प्रभावी राजस्व की हानि हुई, जैसा परिशिष्ट–38 में विवरण दिया गया है।

इसी प्रकार, 1995–96 के आधार मूल्य के पुनरीक्षण का प्रस्ताव अक्टूबर 1995 के स्थान पर विलम्ब से अप्रैल 1996 में प्रस्तुत किया गया परन्तु क्षेत्रीय प्रबन्धकों की संस्तुतियों, प्रस्ताव का औचित्य, बाजार दरों, आधार मूल्य तथा नीलामी की प्राप्तियों के विवरण आदि कुछ सूचनाओं/स्पष्टीकरण के अभाव में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। प्रबन्ध निदेशक ने अक्टूबर 1996 से पुनरीक्षित दरों को लागू करने का निर्णय लिया (अगस्त 1996) (वास्तविक रूप से नवम्बर 1996 से लागू की गई)। 1995–96 का प्रस्ताव तैयार करने में असाधारण विलम्ब के कारण निगम को 7.57 करोड़ रुपये के प्रभावी अतिरिक्त राजस्व, जैसा परिशिष्ट–39 में वर्णित है, से वंचित रहना पड़ा। आधार मूल्य के पुनरीक्षण में विलम्ब के लिये कोई उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया।

उत्तर में यह बताया गया कि 1996–97 से 1999–2000 तक के आधार मूल्य, बाजार में दरों के नकारात्मक रूख के कारण पुनरीक्षित नहीं किये गये थे। यह इन तथ्यों के दृष्टिगत सत्य नहीं है कि:

- 1997–98 के आधार मूल्य फरवरी 1998 के परिपत्र के अन्तर्गत पुनरीक्षित किये गये थे जैसा अनुवर्ती उप–प्रस्तर 3अ.7.1 (ii) में चर्चा की गई है।

- 1998–99 और 1999–2000 हेतु दरों में वृद्धि के प्रस्ताव वन अनुसंधान संस्थान की बुलेटिन और बाजार सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किये गये थे।

(ii) इमारती लकड़ी के प्रकरण में निगम का उत्पादन वर्ष अक्टूबर से आरम्भ होता है और इसलिये दरों को समय से लागू किये जाने के लिये उसके पुनरीक्षण हेतु कार्यवाही उपरोक्त समय तक पूर्ण कर ली जानी चाहिऐ। यह देखा गया कि वर्ष 1997–98 की दरों के पुनरीक्षण हेतु परिपत्र, 26 फरवरी 1998 को जारी किया गया जिससे अक्टूबर 1997 से फरवरी 1998 के दौरान की गई बिक्री पर निगम 92.26 लाख रुपये के प्रभावी राजस्व से वंचित रह गया जैसा परिशिष्ट–40 में विवरण दिया गया है।

आयतन को भार में परिवर्तित करने हेतु गलत परिवर्तन कारक लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 1.05 करोड़ रुपये की हानि हुई

(iii) जड़ों के सूखने से होने वाली हानियों से बचने के लिये निगम ने सितम्बर 1999 से जड़ों की बिक्री अनन्तिम आधार पर 1:3.5[29] के परिवर्तन कारक को लागू करते हुये वर्तमान कुंतल आधारित आधार मूल्य को घन मीटर आधार में परिवर्तित करके आयतन के आधार पर करने का निर्णय लिया। 1999–2000 हेतु अप्रैल 2000 में की गई आधार मूल्य की समीक्षा के दौरान, वास्तविक परिवर्तन कारक पहले विचार किये गये 1:3.5 के परिवर्तन कारक के स्थान पर 1.6 आगणित हुआ। तथापि, चूंकि 1999–2000 हेतु आधार मूल्य के पुनरीक्षण का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था, जैसा कि उपरोक्त उप–प्रस्तर (i) के अन्तर्गत इंगित किया गया है, आवश्यक सुधार नहीं किये गये। यह सुधार 2000–2001 हेतु मूल्य पुनरीक्षण में भी पुनः छूट गया जिसे प्रबन्ध निदेश द्वारा अक्टूबर 2000 में अनुमोदित कर दिया गया और इसलिए 1:3.5 के गलत परिवर्तन कारक पर आधारित आधार मूल्य का अब भी अनुसरण किया जा रहा है (मार्च 2001) जिससे अप्रैल 2000 से जनवरी 2001 के दौरान बिक्री की गई 35968 घन मीटर जड़ पर 1.05 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में यह बताया गया कि परिवर्तन कारक को पुनरीक्षित इसलिये नहीं किया गया क्योंकि परिवर्तन (1 : 6) का प्रस्ताव केवल एक खण्ड से प्राप्त हुआ था। उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है कि 1 : 6 का परिवर्तन कारक 10541 कुंतल जड़ के सम्बन्ध में वास्तविक माप पर आधारित था। पुनः, निगम अन्य खण्डों से भी वास्तविक माप पर आधारित यही सूचनायें माँग सकता था।

(iv) 1999–2000 में तीन विक्रय खण्डों (रामनगर, कोटद्वार एवं हल्द्वानी) द्वारा की गई नीलामी बिक्री की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि आधार मूल्य से कम की बोली के अनुमोदन में 6.69 करोड़ रुपये (परिशिष्ट–41) राजस्व की हानि हुई जिसका श्रेय मुख्यतः छिद्र, टेढ़ा–मेढ़ा होना, दरार, गांठों, सड़ने आदि को बताया गया। निगम द्वारा उस सीमा का विश्लेषण नहीं किया गया जहाँ तक हानियों से बेहतर संरक्षण तथा विपणन प्रयासों से बचा जा सकता था।

उत्तर में बताया गया कि प्राप्त हुये मूल्य को समग्रता में देखा जाना चाहिये था। उत्तर भ्रामक है क्योंकि यह उस सीमा का विश्लेषण करने में विफल रहा जहाँ तक हानियों से बेहतर विपणन प्रयासों/गुणवत्ता के संरक्षण द्वारा बचा जा सकता था।

(v) फील्ड इकाइयों के पास क्षेत्र के अन्दर व बाहर के विभिन्न डिपों पर होने वाली नीलामी में प्राप्त प्रतिदिन के मूल्यों की जानकारी प्राप्त करने की कोई पद्धति नहीं है जिससे वे अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त करने वाले डिपों को माल का अन्तरण करके बिक्री वसूली को अधिकतम कर सकें। दो खण्डों (नैनीताल व बहराइच) की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि निगम 15.23 करोड़ रुपये का अधिक अर्जन कर सकता था, जैसा परिशिष्ट–42 में विवरण दिया गया है, यदि वहाँ फील्ड इकाइयों के मध्य दरों के आदान–प्रदान की कोई पद्धति लागू होती।

उत्तर में यह बताया गया कि इमारती लकड़ी की गुणवत्ता स्थान–स्थान पर भिन्न थी और तद्नुसार मूल्यों में भी भिन्नता थी। उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत मान्य नहीं है कि इन प्रकरणों में

29 1 घन मीटर = 3.5 कुंतल

इमारती लकड़ी के मूल्य, उत्पादन करने वाले खण्ड की तुलना से बिक्री किये जाने वाले डिपो में अधिक थे जिससे प्रत्यक्ष होता है कि इसकी बिक्री अधिक प्रतिस्पर्धा वाले बाजारों के माध्यम से करके उच्चतर मूल्य प्राप्त किये जा सकते थे।

3अ.7.2 आवंटन द्वारा बिक्री

राज्य के अन्दर स्थित वन आधारित उद्योगों को इमारती लकड़ी का कच्चे माल के रूप में आवंटन सरकार द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। उत्पादन का 75 प्रतिशत तक का आवंटन स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर तथा सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर, लालकुआँ को 50:50 आधार पर किया जाता है एवं शेष 25 प्रतिशत की बिक्री नीलामी द्वारा की जाती है। खैर की लकड़ी का समस्त उत्पादन मई 2000 तक राज्य की आठ कत्था फैक्टिरयों तथा खादी इकाइयों को आवंटित किया जा रहा था और तत्पश्चात् 20 प्रतिशत मात्रा की बिक्री नीलामी द्वारा की जाती है। सभी 'ए' श्रेणी की मृदुकाष्ठ (पोपलर, ऐलन्थस, गुन्तेल, सेमल तथा हल्दू आदि) दियासलाई, प्लाईवुड, खेल का समान, पेन्सिल, कृत्रिम अंग, पैकिंग बाक्स आदि के उद्योगों को आवंटित किये जाते हैं। इस संबंध में निम्न बिन्दु देखे गये :

शासन द्वारा नीलामी/निविदा की विलम्बित स्वीकृति के फलस्वरूप खैर लकड़ी के 41.52 करोड़ रुपये के अत्याधिक भण्डार पड़े रहे

(i) राज्य सरकार की शीर्ष समिति ने 1998–99 के दौरान राज्य की नौ कत्था फैकटिरयों/खादी इकाइयों को 4400 घन मीटर खैर की लकड़ी का आवंटन करने का निर्णय लिया (जनवरी 1998)। तदनुसार, नौ पार्टियों को किया गया पहला आवंटन 19113.00 रुपये प्रति घन मीटर पर 1357.3824 घन मीटर का किया गया। उत्तर प्रदेश कत्था फैक्टरीज एसोसियेशन (यू पी के एफ ए) द्वारा मूल्यों का विरोध किया गया और सरकार की पहल पर मूल्यों को 18317 रुपये प्रति घन मीटर तक कम कर दिया गया यद्यपि जनवरी 1993 के सरकारी आदेश के अनुसार निगम को खैर की लकड़ी के मूल्यों का निर्धारण करने का पूर्ण अधिकार था। तदनुसार, आवंटियों द्वारा प्रथम आवंटन, दरों में पुनः कमी किये जाने के प्रतिवाद के साथ उठा लिया गया। 3505.6326 घन मीटर तथा 2116.2100 घन मीटर का द्वितीय एवं तृतीय आवंटन क्रमशः जुलाई तथा अगस्त 1999 में किया गया जिसके विरूद्ध दरों पर विवाद होने के कारण मात्र 428 घन मीटर (द्वितीय आवंटन) का उठान किया गया। मई 2000 में सरकार ने 20 प्रतिशत मात्रा की बिक्री नीलामी द्वारा और 80 प्रतिशत खैर की लकड़ी का आवंटन प्राप्त मूल्यों पर किये जाने का निर्णय लिया। तदनुसार, मई/जून 2000 में नीलामी सम्पन्न की गई जिसमें 21954 रुपये प्रति घन मीटर की भार–आधारित औसत दर प्राप्त की गई। तत्पश्चात्, जून 2000 में निदेशक मण्डल द्वारा दरों को अन्तिम रूप दे दिया गया परन्तु द्वितीय और तृतीय आवंटन के विरूद्ध पड़ी हुई 5193.8426 घन मीटर की अवशेष मात्रा को अब तक (मार्च 2001) नहीं उठाया गया था क्योंकि यह दरें पहले की 18317 रुपये प्रति घन मीटर की दरों से भी उच्चतर थीं। परिणामस्वरूप, 1999–2000 का 13720 घन मीटर उत्पादन भी वैसा ही पड़ा हुआ था (मार्च 2001)। सरकार ने निगम के पास पड़े माल को नीलामी/निविदा द्वारा बिक्री किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी (मार्च 2001)। अतः, 41.52 करोड़ रुपये मूल्य के 18913.8436 घन मीटर भण्डार की अवरूद्धता से बचा जा सकता था यदि निलामी/निविदा द्वारा बिक्री की अनुमति एक नीतिगत मामले के रूप में दी गयी होती जैसा यूक्लिप्टस और मृदु काष्ठ के प्रकरण में किया जाता है।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 1998–99 और 1999–2000 हेतु परिवहन लागत क्रमशः 132.33 रुपये तथा 146.16 रुपये प्रति घन मीटर थी। अतः, निगम ने मार्च 2001 तक विशाल भण्डार के परिवहन पर 2.44 करोड़ रुपये का व्यय किया जिसे अन्यथा बचाया जा सकता था यदि सरकार ने मूल्य निर्धारण में दखल न दिया होता क्योंकि निगम जनवरी 1993 के सरकारी आदेशों के अनुसार खैर की लकड़ी के मूल्य का निर्धारण करने में अधिकृत था।

उत्तर में यह बताया गया कि भण्डार का संचयन, आवंटी द्वारा आवंटित मात्रा के न उठाये जाने के कारण था और खैर की लकड़ी के मूल्य के निर्धारण करने की पद्धति को माननीय न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसका निर्णय प्रतीक्षित था। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने न्यायालय का निर्णय लम्बित रहते भी खैर की लकड़ी की नीलामी/निविदा द्वारा बिक्री की अनुमति दे दी (मार्च 2001)। यदि यह अनुमति नीतिगत मामले के रूप में पहले ही प्राप्त कर ली गई होती जैसा यूक्लिप्टस और मृदुकाष्ठ के प्रकरण में किया गया है, भण्डार का विशाल संचयन और उसकी परिवहन लागत से बचा जा सकता था।

आवंटियों द्वारा उठान में चूक के कारण 1.39 करोड़ रुपये की हानि की वसूली आवंटन आदेश में किसी उपयुक्त उपबन्ध के अभाव में नहीं की जा सकी

(ii) निगम द्वारा 1998–99 हेतु दिसम्बर 1998 में नियत किये गये 45 सेमी से अधिक और 45 सेमी से कम माप के मध्य घेरे वाले पोपलर की क्रमशः 4390 रुपये और 2460 रुपये प्रति घन मीटर की दरों को कुमाऊँ चैम्बर आफ कामर्स ऐण्ड इण्डस्ट्री द्वारा प्रतिवादित कर दिया गया और इसलिये सरकार ने नीलामी हेतु 20 प्रतिशत मात्रा को अलग करके निर्धारण किये जाने वाले प्रचलित बाजार मूल्यों को नियत करने का निर्देश दिया (जनवरी 1999)। तदनुसार, निगम द्वारा दोनों मापों हेतु 4137 रुपये और 2238 रुपये प्रति घन मीटर की दर को सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात् जनवरी 1999 में खोली गई निविदा के आधार पर अन्तिम रूप दिया गया (मार्च 1999)। यह देखा गया कि 45 सेमी मध्य घेरे से कम और अधिक के 18322 घन मीटर और 4705 घन मीटर के आवंटन के विरूद्ध, 45 सेमी से कम मध्य घेरे की वास्तविक उठान मात्रा 11663 घन मीटर थी और शेष पड़ी मात्रा में से 45 सेमी से कम मध्य घेरे के 4700 घन मीटर तथा 45 सेमी से अधिक मध्य घेरे के 4705 घन मीटर को 1999–2000 में क्रमशः 45 सेमी से कम मध्य घेरे को 1474 रुपये से 1498 रुपये प्रति घन मीटर तथा 45 सेमी के अधिक मध्य घेरे को 2795 रुपये से 3236 रुपये प्रति घन मीटर तक आरेखित अत्यन्त कम दरों पर नीलामी द्वारा बेच दिया गया। अतः, निगम ने आवंटियों द्वारा उन्हें आवंटित पूर्ण मात्रा उठाये जाने में चूक के कारण 98.63 लाख रुपये के राजस्व की हानि उठाई जिसके लिये उन्हें काली सूची में डालने तक की कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसी प्रकार, 1999–2000 हेतु 3530 रुपये प्रति घन मीटर की दर के आवंटन के विरूद्ध 4447 घन मीटर पोपलर की बिना उठाई मात्रा को 2614 रुपये प्रति घन मीटर की औसत दर पर नीलामी द्वारा बेचना पड़ा जिससे 916 रुपये प्रति घन मीटर के अन्तर मूल्य पर 40.73 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। आवंटन आदेश में किसी उपयुक्त उपबन्ध के आभाव में, दोषी पार्टियों से हानियों की वसूली नहीं की जा सकती।

उत्तर में यह बताया गया कि आवंटियों का उठान–कार्य का सम्पादन सरकार को सूचित किया गया था जो आवश्यक कार्यवाही के लिये सक्षम थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आवंटित मात्रा

की उठान में चूकों के प्रकरण में निगम के हित की सुरक्षा के लिये आवंटन की शर्तों में किसी उपयुक्त उपबन्ध को सम्मिलित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

3अ.8 रायल्टी

वन विभाग द्वारा वृक्षों के आवंटन के पश्चात्, निगम द्वारा राज्य सरकार को रायल्टी के माध्यम से उनके क्रय मूल्य का भुगतान करना पड़ता है।

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु देखे गये:

(i) उप मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ) ने अपने क्षेत्र को उन वृक्षों के आयतन को घटाने (रायल्टी हेतु 3/4 तक) के निर्देश जारी किये (जुलाई 1981) जो तूफान से टूट गये/उखड़ गये थे। 1998–99 के दौरान तूफान से टूटे/उखड़े वृक्षों के आवंटन के सम्बन्ध में, लौगिंग खण्ड, रामनगर द्वारा अगस्त 1999 में प्रस्तुत किये गये 18.62 लाख रुपये की रायल्टी की वापसी के दावे को निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व फारेस्ट, रामनगर द्वारा सभी क्षेत्रों पर लागू होने वाले सामान्य निर्देशों के जारी न किये जाने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। अतिरिक्त, लौगिंग खण्ड (पूर्व), कालाढुंगी द्वारा 1998–99 और 1999–2000 के दौरान टूटे हुये/उखड़े वृक्षों के आवंटन से सम्बन्धित 26.73 लाख रुपये की रायल्टी की वापसी/समायोजन हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) 1998–99 और 1999–2000 के दौरान लौगिंग खण्ड, देहरादून को किये गये 'साल' के आवंटन में 'होप्लो' रोग से संक्रमणित 9788 घन मीटर और 11396 घन मीटर इमारती लकड़ी सम्मिलित थी जिससे मुख्यतः श्रेणी–III एवं श्रेणी–IV की सामग्री का उत्पादन हुआ। 1998–99 हेतु स्वस्थ और होप्लो से प्रभावित के रूप में श्रेणीबद्ध वृक्षों हेतु भुगतान की गई रायल्टी की वापसी हेतु 72.38 लाख रुपये का एक दावा प्रस्तुत किया गया (नवम्बर 2000), परन्तु जैसा लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किया गया, 1999–2000 की अवधि का 16.08 लाख रुपये का दावा अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

3अ.9 भण्डार नियन्त्रण

1999–2000 तक के पाँच वर्षों के भण्डार जिसमें मुख्यतः इमारती लकड़ी और तेंदू पत्ता था, की स्थिति अग्रवत थी :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	भण्डार शेष का मूल्य	बिक्री का मूल्य	मासिक बिक्री के संदर्भ में भण्डार शेष
1995–96	117.19	179.31	7.84
1996–97	67.92	178.37	4.57
1997–98	106.77	128.12	10.00
1998–99	147.68	162.84	10.88
1999–2000	167.93	222.67	9.05

मूल्य एवं मासिक बिक्री के संदर्भ में भण्डार संचयन, आवंटियों द्वारा वर्ष 1998–99 से खैर की पूर्ण आवंटित मात्रा की उठान न किये जाने तथा अन्य प्रजातियों की उठान समय–सारणी में समरसता के अभाव के कारण अत्यन्त बढ़ गया था। भण्डार नियन्त्रण पद्धति में कमजोरियों, जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा देखा गया, की चर्चा नीचे की गई है:

क्रेताओं को दी गयी उठान समय–सारणी, उत्पादन चक्र के साथ समरस नहीं थी

(i) खैर,यूक्लिप्टस तथा मृदु काष्ठ (सेमल, हल्दू, कन्जू, गुतल, ऐलन्थस, पोपलर आदि) प्रजातियों की इमारती लकड़ी की बिक्री शीर्ष समिति द्वारा किये गये आवंटन के माध्यम से की जाती है। इन प्रजातियों के माह–वार उत्पादन के एक विश्लेषण ने प्रकट किया कि आवंटियों को दी गई उठान समय–सारणी, उत्पादन चक्र के साथ समरस नहीं थी जैसा परिशिष्ट–43 में विवरण दिया गया है। यह दृष्टिगत होगा कि यूक्लिप्टस के प्रकरण में, 1999–2000 तक के तीन वर्षों में अक्टूबर से मार्च का उत्पादन उस वर्ष के कुल उत्पादन के 87 से 93 प्रतिशत की सीमा में था जबकि उठान मात्र 20 से 40 प्रतिशत तक आरेखित थी। मृदुकाष्ट के प्रकरण में उठान समय–सारणी, 1999–2000 तक के तीन वर्षों के दौरान फरवरी माह से, तब तक हुये कुल उत्पादन के 46 से 68 प्रतिशत के बावजूद भी आरम्भ हो गई। इसी प्रकार, खैर के सम्बन्ध में मार्च 1998 तक हुये 71 प्रतिशत उत्पादन के विरूद्ध उठान मात्र 32.15 प्रतिशत तक सीमित थी।

खैर और यूक्लिप्टस के प्रकरण में आवंटन/उठान में विलम्ब मूलतः निगम द्वारा प्रस्तावित दरों को अन्तिम रूप देने में समय से पिछड़ जाने के कारण था जिसका निर्धारण उस वर्ष के उत्पादन की अपेक्षित मात्राओं की नीलामी के विरूद्ध प्राप्त किये गये मूल्यों पर किया जाना था। उत्पादन के साथ–साथ ही उठान समय–सारणी को नियत करने हेतु अपने को तैयार रखने हेतु उत्पादन के आरम्भ के प्रारम्भिक चरण में मूल्यों का निर्धारण करने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकाला गया। यदि, सीजन के आरम्भ में ही बाजार दरों की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को दो माह पूर्व ही आरम्भ करके उठान समय–सारणी को पहले निर्धारित कर लिया जाता तो निगम भण्डार संचयन की लागत से बच कर 1.14 करोड़ रुपये की बचत कर सकता था जैसे परिशिष्ट–44 में विवरण दिया गया है।

प्रबन्धन द्वारा सुझावों को स्वीकार कर लिया गया (सितम्बर 2001)।

(ii) उत्पादन, रायल्टी के भुगतान, विलम्ब शुल्क आदि पर नियन्त्रण रखने के दृष्टिकोण से निगम ने आंकलित उत्पादन की तुलना में 'लॉट' आधार पर इमारती लकड़ी का वास्तविक उत्पादन, रायल्टी का भुगतान, वृक्ष गिराने का आरम्भ और अन्त आदि का विवरण देते हुए एक 'लॉट लेजर' का अवस्थापन किया जाना निर्धारित किया (मार्च 1998)। लॉट लेजर, लेखा परीक्षा द्वारा नमूना परीक्षित खण्डों में उचित रूप में अवस्थापित नहीं किये जा रहे थे। प्रबन्धन द्वारा अभिलेखों के उचित अवस्थापन को सुनिश्चित करने के कोई प्रयास नहीं किये गये।

उत्तर में यह बताया गया कि लाट लेजरों के उचित अवस्थापन हेतु सख्त निर्देश निर्गत किये जा रहे थे।

(iii) निगम ने, वर्ष में एक बार अक्टूबर माह के दौरान विक्रय डिपो में भण्डार का भौतिक सत्यापन निर्धारित किया है। तथापि, वन में पड़े हुये कच्चे माल और अर्धनिर्मित माल (खड़े हुये पेड़ और

गिराये गये बोटे) से सम्बन्धित कोई सत्यापन प्रक्रिया निर्धारित/सम्पन्न नहीं की गयी। पुनः, क्षेत्रीय प्रबन्धकों द्वारा तिमाही निरीक्षण जैसा कि निगम द्वारा निर्धारित (जून 1994) किया गया था, नहीं किये जा रहे हैं। भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ एवं सामग्री की हानियों के अन्य प्रकरणों को तत्परता से निपटाया और अन्तिम छोर तक अनुसरण नहीं किया गया जैसा अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

उत्तर में यह बताया गया कि लेखों को अन्तिम रूप देते समय इस बात का, कि कच्चा माल और अर्धनिर्मित माल स्थल पर भौतिक रूप से उपलब्ध था, एक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रमाण–पत्र को भौतिक सत्यापन के परिणामों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

3अ.9.1 सामग्री की हानियाँ

सामग्री की हानियाँ लगातार बढ़ी हैं और 31 मार्च 2000 को वसूली योग्य हानियाँ 1995–96 के स्तर से बढ़कर 14 गुणा यथा 10.07 करोड़ रुपये तक हो गईं। निगम के पास हानियों के कारण–वार/वर्ष–वार विवरण नहीं हैं। अन्तिम निर्णय पर पहुँचने के लिये जाँच सम्पन्न करने तथा सक्षम अधिकारी को प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की प्रगति अत्यन्त धीमी थी, जो इस तथ्य से प्रत्यक्ष है कि 13 खण्डों में कुल 1.09 करोड़ रुपये के प्रकरण 10 वर्षों अधिक लम्बित थे।

अनुश्रवण में कमजोरी, कर्त्तव्य में ढिलाई को विहंगावलोकित करते हुये सामग्री की हानि के कुछ प्रकरण नीचे दिये गये हैं :

13 खण्ड कार्यालयों से सम्बन्धित कुल 1.09 करोड़ रुपये के हानियों के प्रकरण 10 वर्षों से अधिक लम्बित थे

(i) 1999–2000 तक की क्षेत्रीय कार्यालय, टेहरी के अन्तर्गत कुल 1.22 करोड़ रुपये की सामग्री की हानि थी जो मुख्यतः लौगिंग खण्ड, पुरोला (0.92 करोड़ रुपये) के कारण थी। निगम द्वारा उचित बीमा सुरक्षा हेतु कोई कदम नहीं उठाये गये।

(ii) खण्ड अधिकारी, यमुना लौगिंग खण्ड, उत्तरकाशी ने सूचित किया (जून 1998) कि बैलेंस शीट में अर्धनिर्मित माल के रूप में प्रदर्शित की गई 48.16 लाख रुपये मूल्ये की 2147.1464 घन मीटर गोल और चिरान लकड़ी स्थल पर उपलब्ध नहीं था। प्रकरण की जानकारी सरकार को देने के साथ ही, प्रबन्ध निदेशक ने आशंका व्यक्त की (जुलाई 1998) कि हानियाँ, जाली भुगतान के दावों हेतु बनावटी उत्पादन के कारण हो सकती थीं। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा की गई आरम्भिक जाँच में (जुलाई 1998) खण्डीय बिक्री प्रबन्धक को अभिलेखों में जालसाजी, उत्पादन गतिविधियों को नियन्त्रण में न रखने, लापरवाही, विलम्बित नदी परिवहन, अतिरिक्त भुगतान किये जाने आदि का दोषी पाया गया। हानि मुख्यतः पद्धति दोष के कारण थी जिसमें कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित माल (खड़े हुये वृक्ष एवं स्थल पर पड़े, गिराये गये बोटे) के भौतिक सत्यापन का प्रावधान नहीं था अन्यथा स्थल पर सामग्री की अनुपलबधता प्रारम्भिक चरण में ही संज्ञान में लाई जा सकती थी।

उत्तर में यह बताया गया कि अप्रैल 2000 में नियुक्त जाँच अधिकारी का प्रतिवेदन प्रतीक्षित था जिसे यू वी वी एन को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित कर दिया जायेगा।

(iii) लौगिंग प्रबन्धक, वाराणसी द्वारा इमारती लकड़ी की संदिग्ध हानि पर कच्चे माल और अर्धनिर्मित सामग्री के किये गये भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया (नवम्बर 1999) कि बैलेंस शीट में प्रदर्शित किये गये 1990–91 से 1997–98 की अवधि से संबंधित 47.68 लाख रुपये मूल्य की 6280.8958 घन मीटर इमारती लकड़ी स्थल पर उपलब्ध नहीं थी और इसलिये इसे 1999–2000 में वसूल की जाने वाली सामग्री हानि के रूप में लेखाबद्ध किया गया था। यह अनुश्रवण और नियन्त्रण पद्धति की स्पष्ट असफलता को प्रदर्शित करता है। महाप्रबन्धक (मैदानी) को कमियों की छानबीन करने तथा 15 दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया (नवम्बर 2000) जो अब तक प्रतीक्षित था (मार्च 2001)।

उत्तर में यह बताया गया कि प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच प्रगति में थी।

(iv) 17.12.1999 को डिपो संख्या–4 के निरीक्षण के दौरान, खण्डीय बिक्री प्रबन्धक, हल्द्वानी ने भण्डार में कमी की आशंका व्यक्त की और इसलिये सामग्री के प्रेषण (यूक्लिप्टस) को एक समिति द्वारा पर्यवेक्षित करवाया जिसमें 17 से 23 दिसम्बर 1999 के दौरान किये गये प्रेषण ने 7.43 कुंतल प्रति घन मीटर के औसत भार को उजागर कर दिया जबकि पूर्व के प्रेषणों का औसत भार 8.17 कुंतल प्रति घन मीटर अभिलेखित हुआ था जिससे स्टार पेपर मिल को अधिक आपूर्ति किये जाने के संकेत मिलते हैं। इसको देखते हुये 31 दिसम्बर 1999 को भण्डार का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें 14.34 लाख रुपये मूल्य के 664.9991 घन मीटर यूक्लिप्टस की कमी पाई गई। निगम द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व अब तक नियत नहीं किया गया (मार्च 2001)।

उत्तर में यह बताया गया कि चार कर्मचारी निलम्बित किये गये थे और उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तथापि, हानि की वसूली हेतु कोई विभागीय जाँच आरम्भ नहीं की गई।

(v) दिसम्बर 1995 में किये गये लौगिंग खण्ड, कर्वी के भण्डार के भौतिक सत्यापन ने 27.97 लाख रुपये मूल्य के 2370.333 बैग तेंदू पत्ते की कमी उजागर की। परिणामस्वरूप, पचास प्रतिशत हानि के लिये उत्तरदायी पाये गये डिपो प्रबन्धक की सेवायें फरवरी में समाप्त कर दी गई परन्तु न तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और न ही हानि की वसूली हेतु कोई फौजदारी न्यायालय कार्यवाही ही आरम्भ की गई, इस तथ्य के बावजूद कि अर्थदण्ड के आरोपण के आदेशों में अन्यान्यों सहित हानि की वसूली डिपो प्रबन्धक के देयों से अथवा भू–राजस्व के बकाये के रूप में किये जाने के निर्देश (अक्टूबर 1998) थे। शेष पचास प्रतिशत हानि के सम्बन्ध में तीन कर्मचारी उत्तरदायी पाये गये परन्तु हानि की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया था और उनके विरूद्ध न तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज कराई गई थी और न ही फौजदारी न्यायालय कार्यवाही ही आरम्भ की गई थी।

3अ.10 निधि प्रबन्धन एवं नियन्त्रण

आन्तरिक और बाह्य स्रोतों से उपलब्ध निधियों के सर्वाधिक औचित्यपूर्ण उपयोजन को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से निगम, नकद प्राप्ति और विभिन्न गतिविधियों हेतु उनके उपयोजन को प्रदर्शित करते हुए वार्षिक लेखा जोखा तैयार करती है परन्तु लेखे जोखे के और वास्तविक व्यय में भिन्नता के कारणों का विश्लेषण और निदेशक मण्डल के सम्मुख प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया। पुनः, बेहतर वित्तीय नियन्त्रण हेतु मासिक उत्पादन नियोजन पर आधारित दिखाई गई प्राप्तियों और आवश्यकताओं को प्रदर्शित करता हुआ फण्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट तैयार नहीं किया गया।

दक्षतापूर्ण निधि प्रबन्धन और वित्तीय नियन्त्रण के अभाव के कारण हुई एवं लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई वित्तीय अनियमितताओं/चूकों की चर्चा नीचे की गई है :

3अ.10.1 वन विकास पर व्यय

वन विभाग को विकास के कार्यों हेतु 18.50 करोड़ रुपये की निधियों के अन्तरण के विरूद्ध मात्र 2.32 करोड़ रुपये के उपयोजन प्रमाण पत्र ही प्राप्त हुये

1995–96 से 1999–2000 के दौरान वन विभाग ने निगम को वन विकास की गतिविधियों पर व्यय के लिये 18.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जिसके विरूद्ध वाउचर तथा किये गये वास्तविक व्यय के विवरण वन विभाग द्वारा निगम को प्रस्तुत नहीं किये गये जैसा वित्तीय हस्त पुस्तिका–खण्ड - VII के अनुलग्नक V के अन्तर्गत अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु उल्लेखनीय हैं :

- मार्च 2000 तक कुल 18.50 करोड़ रुपये की निधियों के अन्तरण के विरूद्ध, वन विभाग से अगस्त 2001 तक मात्र 2.32 करोड़ रुपये के उपयोजन प्रमाण–पत्र ही प्राप्त किये गये।

- उपरोक्त में आवासीय और गैर–आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत और रख–रखाव हेतु 2.78 करोड़ रुपये की निधियों का अन्तरण सम्मिलित है जो अधिनियम और अप्रैल 1991 के शासनादेश में परिभाषित गतिविधियों के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता था।

उत्तर में यह बताया गया कि आवासीय/गैर–आवासीय भवनों की मरम्मत के व्यय अधिनियम के

प्रस्तर–14(डी) तथा अप्रैल 1991 के शासनादेश के बिन्दु–7 से आच्छादित थे। उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत मान्य नहीं है कि प्रस्तर 14(डी) प्रबन्धन, रख–रखाव तथा सरकार द्वारा अन्तरित किये गये वन के विकास तथा शासनादेश (अप्रैल 1991) का बिन्दु–7 लोक कल्याण परियोजनाओं से सम्बन्धित था।

3अ.10.2 चिन्हीकरण व्यय

इस तथ्य के बावजूद कि वृक्षों को चिन्हित करना वन विभाग का उत्तदायित्व है, निगम ने इस पर 2.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया

कटान के पूर्व वृक्षों को वन विभाग द्वारा चिन्हित किया जाता है और उसकी विक्रय सूची, वर्ष के दौरान कटान के लिये निगम को भेजी जाती है। चूँकि चिन्हीकरण का कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है, उस पर किया गया व्यय 1990–91 तक उनके द्वारा ही वहन किया जाता था

परन्तु 1991–92 के दौरान, निगम ने वन विभाग को उनके पास निधियों की कमी के कारण 25.82 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। निदेशक मण्डल द्वारा इस व्यय का कार्य–पश्चात् अनुमोदन जनवरी 1993 में किया गया, साथ ही आगे निर्देश दिये कि जब तक सरकार इस मद में निधियों को उपलब्ध नहीं करा देती, व्यय वहन किया जाये जबकि तथ्य यह था कि यह 1991–92 के लिये एक बार की माँग थी। निदेशक मण्डल के इस निर्णय ने भविष्य में 1999–2000 तक कुल 2.45 करोड़ रुपये को वहन करने का पथ प्रशस्त कर दिया जो अन्यथा वन विभाग का उत्तरदायित्व था। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, चिन्हीकरण व्यय की वापसी/समायोजन हेतु सितम्बर 2001 में सरकार के सम्मुख एक दावा प्रस्तुत किया गया।

3अ.10.3 उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्न बिन्दु भी प्रेक्षित किये गये :

(i) निगम को उ. प्र. तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तेंदू पत्ते का संचयन 1983 में सौंपा गया और यह, उ. प्र. बिक्री कर अधिनियम 1948 (पुनर्नामांकित उ. प्र. व्यापार कर अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार सरकार को भुगतान की गई रायल्टी पर व्यापार कर का भुगतान कर रहा था। 1990 में व्यापार कर प्राधिकारियों ने निगम को निर्माता मानते हुये बिक्री मूल्य पर कर का निर्धारण आरम्भ कर दिया। तदनुसार, निगम ने जनवरी 1995 से अपनी बिक्री पर व्यापार कर का भुगतान करना आरम्भ कर दिया। बिक्री कर अधिनियम 1948 को नवम्बर 1998 में संशोधित कर दिया गया (दिसम्बर 1998 से प्रभावी) जिसके अनुसार तेंदू पत्ते पर कराधान का बिन्दु, निगम द्वारा बिक्री किये जाने के समय घोषित किया गया।

जनवरी 1995 से व्यापार कर का भुगतान आरम्भ किये जाने का निगम का निर्णय उचित नहीं था क्योंकि अधिनियम में कराधान के बिन्दु को निर्माता अथवा आयातकर्त्ता के रूप में परिभाषित किया गया था और कराधान बिन्दु को निगम द्वारा बिक्री किये जाने की ओर सरकाते हुये संशोधन दिसम्बर 1998 से प्रभावी हुआ था। पुनः, अधिनियम में उपजकर्त्ता की परिभाषा के अनुसार तेंदू पत्ते का निर्माता सरकार का वन विभाग था जिसे व्यापार कर अभिकरण, झांसी द्वारा भी स्वीकार किया गया था (नवम्बर 1997)। अतः, जनवरी 1995 से नवम्बर 1998 की अवधि की बिक्री पर व्यापार कर का भुगतान अनौचित्यपूर्ण था और बिक्री मूल्य पर भुगतान किये गये व्यापार कर तथा रायल्टी पर भुगतान किये जाने वाले कर जो अन्यथा निगम के खाते में संचित होता, के अन्तर को प्रदर्शित करते हुये 17.01 करोड़ रुपये की हानि में परिणामित हुआ।

उत्तर में यह बताया गया कि निगम ने इस मद में कोई हानि नहीं उठाई क्योंकि जनवरी 1995 से नवम्बर 1998 के दौरान भुगतान किये गये व्यापार कर की वसूली क्रेताओं से की जा चुकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी 1995 से अब तक तेंदू पत्ते की बोली लगाने वालों की अधिप्राप्ति लागत बढ़ गई थी एवं उन्हें व्यापार का भुगतान भी करना पड़ा। व्यापार कर के कारण हुई अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिये बोली लगाने वालों ने कम बोली उद्धरित की जिससे तेंदू पत्ते की संयुक्त पूर्ण लागत कुल लागत से अधिक नहीं हुई जिसने निगम के लाभ को कम कर दिया।

(ii) यद्यपि, 0.95 लाख जड़ों को 1997–98 (12 लाट) तथा 1998–99 (6 लाट) की विक्रय

सूची में उखाड़े जाने के लिये चिन्हित किया गया था, लौगिंग खण्ड, काशीपुर ने 3.48 लाख जड़ों के उखाड़ने हेतु भुगतान किया। अतः, खण्ड द्वारा 2.53 लाख जड़ों के उखाड़ने पर 25.86 लाख रुपये का फर्जी व्यय कर दिया गया, जिसके लिये लेखाकार को उत्तरदायी ठहराया गया और मार्च 2001 में एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। जालसाजी से बचा जा सकता था यदि भुगतान, डिपो की प्राप्तियों, का विक्रय सूची के साथ मिलान किये जाने के पश्चात् निर्मुक्त किया गया होता।

उत्तर में यह बताया गया कि हानि के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया था और यू वी वी एन द्वारा की जा रही जाँच प्रगति में है।

(iii) निगम ने सितम्बर 1998 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार लखनऊ स्थित उनकी आवासीय कॉलोनी को पूर्ण करने हेतु वन विभाग को 91.52 लाख रुपये का एक ऋण निर्मुक्त किया। सरकार ने पुनः निर्देश दिये (अक्टूबर 1999) कि ऋण को निगम हेतु आवासों के आवंटन के लिये स्ववित्त पोषण हेतु निगम के योगदान के रूप में माना जाय। परिसम्मपत्तियों के मूल्य को अन्तिम रूप दिये बिना ही निगम को मार्च 2001 तक 12 आवासों का आवंटन कर दिया गया, जिसमें मात्र दो आवासों का कब्जा अब तक (मार्च 2001) लिया गया था। अतः, बलात निवेश अधिकतर अनुपयोजित पड़ा रहा।

उत्तर में यह बताया गया कि कर्मचारियों को 12 आवासों का आवंटन किया जा चुका था। तथापि, यह देखा गया कि वास्तव में मात्र दो आवासों का कब्जा लिया गया था।

(iv) निगम ने जनवरी 1996 से मार्च 2001 के दौरान, परिशिष्ट–45 के अनुसार मंत्री एवं सचिवों (वन) को उपलब्ध किये गये वाहनों के चालन और रख–रखाव पर 17.92 लाख रुपये का व्यय किया। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु देखे गये :

- वाहनों का आवंटन बिना यह सुनिश्चित किये किया गया था कि अप्रैल 1991 के शासनादेश की अपेक्षाओं के अनुरूप सम्पत्ति विभाग/अन्य सरकारी कम्पनियों द्वारा अधिकारियों को कोई वाहन आवंटित तो नहीं किया गया था।

- अप्रैल 1991 के शासनादेश के प्रस्तर–4 के अन्तर्गत लागू प्रतिबन्ध के बावजूद विशेष सचिव (वन) तथा प्रमुख सचिव (वन) के शिविर कार्यालय को आवंटित वाहनों से क्रमशः 8.04 लाख रुपये और 1.15 लाख रुपये सम्बन्धित थे।

उत्तर में यह बताया गया कि प्रमुख सचिव और विशेष सचिव (वन) को सरकार के सम्पत्ति विभाग से कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा वाहन के अनावंटन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

निष्कर्ष

यद्यपि निगम लाभ अर्जित करता रहा था परन्तु इसका संचालन, इमारती लकड़ी के

उत्पादन में गिरावट, चिरान लकड़ी की कम प्राप्ति, कृषि कार्यों में कम उपज, तेंदू पत्ते का वर्षा प्रभावित उत्पादन, सामग्री–हानियों के प्रकरणों तथा इमारती लकड़ी की बिक्री के आधार पर मूल्यों का विलम्बित संशोधन/संशोधन न किये जाने के कारण, राजस्व की हानि के अतिरिक्त, निधियों के अपर्याप्त नियन्त्रण के प्रकरणों के कारण प्रभावित रहा। उत्पादन नियन्त्रण पद्धति कमजोर थी क्योंकि कुल सीसीएफ तथा ठोस आयतन मुख्यालय के पास उपलब्ध नहीं था।

अधिकतम उत्पादन व सामग्री हानि के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रभावी नियन्त्रण एवं उपलब्ध निधियों के अत्यन्त प्रभावी उपयोजन हेतु सशक्त वित्तीय प्रबन्धन पर निगम द्वारा प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता है।

प्रकरण, सरकार को सूचित किया गया (मई 2001) ; उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2001)।

3ब. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की कार्यपद्धति

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की स्थापना, आवास समस्या को हल करने के लिए नवनिर्मित भवनों एवं विकसित भूखण्डों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने सम्बन्धी राज्य एवं केन्द्र सरकार की नीतियों को लागू करने के उद्देश्य से अप्रैल 1966 में की गयी थी।

(प्रस्तर 3ब.1 एवं 3ब.2)

परिषद ने वित्तीय कार्य–कलापों में उपलब्ध निधियों का कु–प्रबन्ध दृष्टिगत हुआ। परिषद 6.50 करोड़ रूपये की सावधि जमा को परिपक्वता पर अपने बैंक से भुनाने में असफल रहा। पहले की सावधि जमा को नकदीकरण हेतु प्रस्तुत करने के स्थान पर, परिषद ने इसके विरूद्ध ऋण ले लिया और 2.36 करोड़ रूपये की हानि उठायी

(प्रस्तर 3ब.8.1.1)

बैंको द्वारा निधियों के तथा सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बैंक ड्राट के समय से अन्तरण किये जाने पर नियंत्रण एवं अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप 3.03 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3ब.8.1.3)

12.05 करोड़ रूपये की राशि के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के भारी दावे, जिला प्राधिकारियों से तिमाही विवरणी प्राप्त नहीं होने के कारण महानिरीक्षक, (स्टाम्प एवं निबन्धन) को प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

(प्रस्तर 3ब.8.1.4)

भूमि अधिग्रहण की गतिविधियाँ कमियों से प्रभावित थीं जिसमें लक्ष्यों के प्राप्त न होने के अतिरिक्त अधिक एवं परिहार्य भुगतान भी सम्मिलित थे। परिषद द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों (एस.एल.ए.ओ.) की पुनः प्रतिपूर्ति की माँग के औचित्य का, लेखों के पूर्ण न होने और उनके एस.एल.ए.ओ. के साथ मिलान न होने के कारण

परीक्षण नहीं किया जा सका। इसके फलस्वरूप 3.51 करोड़ रूपये के बकाये असमायोजित रहे, बिना भूमि अधिग्रहण किये 3.99 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया और 22.74 करोड़ रूपये की अधिक प्रतिपूर्ति का भुगतान हुआ। परिषद ने एस. एल.ए.ओ. को देर से भुगतान किये जाने के कारण 4.55 करोड़ रूपये के दण्ड ब्याज का भी भुगतान किया।

(प्रस्तर 3ब.9.1, 3ब.9.2, 3ब.9.2.1, 3ब.9.2.2, 3ब.9.2.3 एवं 3ब.9.2.4)

मार्च 2001 के अन्त में 42.80 करोड़ रूपये के मूल्य की विकसित भूमि अनुपयोजित पड़ी थी। विकसित कालोनियों की जन सुविधायें स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित नहीं की जा सकीं, जिससे उनके रख–रखाव पर 14.32 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय हुआ।

{प्रस्तर 3ब.10.1(क) एवं 3ब.10.1(ख)}

परिषद को गाजियाबाद में मूल्यांकन के दिशानिर्देशों से विचलन के कारण 1.51 करोड़ रूपये की हानि हुई।

{प्रस्तर 3ब.11(क)}

संशोधित प्रावधानों का पालन न करने के कारण परिषद को लखनऊ में एक शिक्षण संस्था को भूखण्ड विक्रय करने पर 1.24 करोड़ रूपये की हानि उठानी पड़ी।

(प्रस्तर 3ब.14.3)

लखनऊ में आवंटी की प्रार्थना पर एक भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने पर, परिषद ने 0.29 करोड़ रूपये के ब्याज की वसूली के स्थान पर नियमों के विरूद्ध 0.61 करोड़ रूपये की वापसी कर दी जिससे 0.90 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3ब.14.4)

3ब.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद) की स्थापना, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (अधिनियम) के अन्तर्गत अप्रैल 1966 में की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तृत है (31 मार्च 2001 के अन्त तक 70 जिलों के 130 कस्बों/शहरों में फैला हुआ)।

3ब.2 उद्देश्य

परिषद की स्थापना, समाज के विभिन्न वर्गो द्वारा सामना की जा रही आवास समस्या को, निर्मित

भवनों एवं विकसित भूखण्डों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर हल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियों के क्रियान्वयन के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी।

3ब.3 संगठनात्मक ढाँचा

एक अध्यक्ष द्वारा शीर्षित परिषद में छः अशासकीय सदस्य एवं आवास आयुक्त (आयुक्त) सहित सात पदेन सदस्य होते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आवास आयुक्त परिषद का मुख्य कार्यकारी है। उसकी सहायता एक अतिरिक्त आवास आयुक्त सह–सचिव, एक वित्त नियंत्रक, एक मुख्य अभियन्ता, एक मुख्य वास्तुविद्, एक नियोजक तथा एक विधि सलाहकार द्वारा की जाती है। निर्माण/विकास गतिविधियों का प्रबन्धन, प्रत्येक एक अधिशाषी अभियन्ता द्वारा शीर्षित 46 निर्माण खण्डों द्वारा किया जा रहा है। सम्पत्तियों का विक्रय–प्रबन्ध, छः संयुक्त आवास आयुक्तों के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक एक सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी (ई एम ओ) द्वारा शीर्षित 30 सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

3ब.4 लेखा परीक्षा का क्षेत्रा

परिषद की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के अन्तर्गत की जाती है। जनवरी 2001 से अप्रैल 2001 की अवधि के दौरान सम्पन्न की गयी समीक्षा में परिषद का मुख्यालय, 17 निर्माण खण्ड (46 में से) और सात सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों (30 में से) के 1995–96 से 2000–2001 तक के कार्य–कलाप समाहित हैं। समीक्षा के निष्कर्ष अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

3ब.5 लेखों का तैयार किया जाना

अधिनियम की धारा 63(2) और 94(बी बी) के प्रावधानों के अनुसार, परिषद को शासन द्वारा निर्धारित होने वाली प्रणाली और प्रपत्रों में ही लेखों को अवस्थित करना चाहिए। तथापि, शासन द्वारा लेखों के प्रपत्र अब तक (मार्च 2001) निर्धारित नहीं किये गये। परिषद ने अपनी स्वयं की लेखा नियमावली भी नहीं बनाई। 1986–87 तक परिषद के लेखे एकल लेखा प्रणाली पर अवस्थित किये जाते थे, तत्पश्चात यह दोहरी लेखा प्रणाली में उपार्जन आधार पर तैयार किये जाने लगे। परिषद ने 1998–99 तक के ही लेखे तैयार किये हैं।

3ब.6 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

परिशिष्ट–46 की सारणी(अ) में परिषद की 1998–99 तक के पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित किया गया है।

आय का व्यय पर आधिक्य (संचित लाभ),वर्ष 1994–95 के अन्त के 27.28 करोड़ रूपये से बढ़कर 1998–99 के अन्त में 71.57 करोड़ रूपये हो गया जो अधिक प्रदर्शित किया गया, क्योंकि

परिषद ने अंशदायी भविष्य निधि (सी पी एफ) के भुगतान न किये गये अपने 10.58 करोड़ रूपये के दायित्व का न तो भुगतान किया और न ही इसका प्रावधान किया, जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 3ब. 8.1.2 में चर्चा की गई है।

चूँकि परिषद व्यवस्थित तरीके से बैंक समाधान प्रपत्र तैयार नहीं कर रहा है और बैंकों के सम्मुख दावे प्रस्तुत करने में भी असफल रहा, मार्च 1999 के अन्त में मार्गस्थ धनराशि के अन्तर्गत प्रदर्शित 7.62 करोड़ रूपये की धनराशि, परिषद के खातों में जमा नहीं की जा सकी। इसके कारण परिषद के आय के स्रोतों की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि उपयोग हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त ऋण पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष[30] की दर से ब्याज की हानि हुई।

3ब.7 कार्यचालन परिणाम

परिशिष्ट–46 की सारणी(ब) में 1998–99 तक के पाँच वर्षो के परिषद के कार्यचालन परिणाम को संक्षिप्त किया गया है। जैसा कि देखा जा सकता है, 1998–99 तक के पाँच वर्षो के दौरान लाभ 0.84 करोड़ रूपये और 17.26 करोड़ रूपये के मध्य आरेखित रहा। यह भी देखा गया किः

(i) अन्य व्यय में, जन सुविधा सेवाओं के शून्य/विलम्बित हस्तान्तरण के कारण परिषद द्वारा 44 कालोनियों की जन सुविधा सेवाओं को अवस्थित करने में किया गया 14.32 करोड़ रूपये का व्यय शामिल था। इसमें 1994–95 से 1998–99 की अवधि में अनावंटित सम्पत्तियों के रख–रखाव और मरम्मत (2.37 करोड़ रूपये) का व्यय भी शामिल था। जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 3ब.10.1.(ब) और 3ब.14.2 में चर्चा की गई है।

(ii) वर्ष 1994–95 से 1998–99 की अवधि में आय का व्यय पर आधिक्य का कारण मुख्यतः इन वर्षो में संचित हुआ दण्ड ब्याज था। यदि दण्ड ब्याज से हुई आय को निकाल दिया जाय तो परिषद को वर्ष 1994–95, 1995–96 और 1996–97 में क्रमशः 6.93 करोड़ रूपये, 7.35 करोड़ रूपये और 0.42 करोड़ रूपये की हानि उठानी पड़ती।

3ब.8 वित्तीय प्रबन्ध

वित्त के मुख्य स्रोत, शासन तथा आवास एवं नगर विकास निगम (हडको)से ऋण, जनता से पंजीकरण प्रभारों के रूप में प्राप्त जमा और निक्षेप कार्यो के विरूद्ध प्राप्त धनराशि हैं।सम्पत्तियों के विक्रय, विकास/शमन प्रभार, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क और निवेशों पर ब्याज आदि से प्राप्त राजस्व प्राप्तियाँ, अन्य स्रोत हैं।

30 समीक्षा में अवरूद्ध धनराशि अथवा विलम्बित/शून्य हस्तान्तरण आदि पर ब्याज की हानि 16 प्रतिशत की दर से आगणित की गई है।

नीचे दी गयी सारणी 1994–95 से 1998–99 तक के पाँच वर्षों के अन्त में बकाया ऋणों को दर्शाती है:

(करोड़ रूपये में)

विवरण	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98	1998–99
देयतायें					
ऋण :					
सरकार	63.42	67.73	65.81	65.81	73.31
अन्य संस्थायें	183.36	125.76	91.22	62.65	45.87
सी पी एफ खाते से ऋण	3.00	2.00	–	–	–
जमा	117.09	124.76	124.76	132.99	133.52
निक्षेप कार्यों की निधि	38.90	39.38	46.82	76.59	111.83
योग	**405.77**	**359.63**	**328.61**	**338.04**	**364.53**

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु उल्लेखनीय हैं:

पर्याप्त निधि होने के बावजूद, परिषद ने सरकारी ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया एवं 1.59 करोड़ रूपये की छूट प्राप्त नहीं की

(i) राज्य सरकार से प्राप्त ऋणों पर निर्धारित समय पर पुनर्भुगतान करने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट सहित 6.5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक आरेखित ब्याज था। 65.11 करोड़ रूपये से 248.92 करोड़ रूपये तक आरेखित नकद तथा बैंक अधिशेष के बावजूद, परिषद ने 1992–93 से ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया। नियमित रूप से ऋणों के पुनर्भुगतान करने में परिषद की असफलता के फलस्वरूप मार्च 1999 तक 1.59 करोड़ रूपये की छूट की हानि हुई।

उत्तर में परिषद ने बताया (अगस्त 2001) कि सरकारी ऋण के भुगतान न किये जाने का मुख्य कारण यह था कि अपनी सम्पत्तियों के 70 प्रतिशत का निर्माण कमजोर वर्गों हेतु किया गया था जिस पर उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देनी थी और यह छूट 44.00 करोड़ रूपये की थी जिसकी प्रतिपूर्ति अन्य वाह्य स्रोतों से नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिषद ने फण्ड लो प्रपत्रा नहीं बनाये थे जिसके अभाव में निश्चयपूर्वक यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि जब भुगतान देय थे, परिषद के पास निधियाँ नहीं थीं।

(ii) मार्च 2001 तक पूर्ण किये गये निक्षेप कार्यों पर परिषद द्वारा 45.57 करोड़ रूपये व्यय किये गये। इस व्यय के विरूद्ध परिषद को केवल 44.04 करोड़ रूपये प्राप्त हुये और शेष 1.53 करोड़ रूपये का अवशेष अब तक (मार्च 2001) बिना वसूल किये पड़ा था जैसा अनुवर्ती प्रस्तर 3ब.12 में चर्चा की गई है।

3ब.8.1 परिषद के वित्तीय कार्य–कलापों में उपलब्ध निधियों का कु–प्रबन्ध तथा अप्रभावी अनुश्रवण और नियंत्रण के कारण वित्तीय स्रोतों की अनुपलब्धता दृष्टिगत हुई, जिसके कारण 5.39 करोड़ रूपये की हानि हुई जैसा अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

3ब.8.1.1 निवेशों पर हानि

परिषद ने सितम्बर 1994 और मई 1996 के दौरान इण्डियन मर्केन्टाइल को–ऑपरेटिव बैंक, लखनऊ में दो वर्षों के लिए 12 प्रतिशत ब्याज दर 6.50 करोड़ रूपये का सावधि जमा में निवेश

किया जिसका परिपक्वता मूल्य 8.82 करोड़ रूपये था। बैंक, निर्धारित तिथियों पर धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा और परिषद की स्वीकृति के बिना उस धनराशि को सितम्बर 1996 से मई 1998 की अवधि में 10.5 प्रतिशत से 11 प्रतिशत पर 11.04 करोड़ रूपये के परिपक्वता मूल्य पर दुबारा निवेशित कर दिया। इसके अतिरिक्त, परिषद ने, पूर्व के सावधि जमा को परिपक्वता पर भुगतान करने में बैंक की असफलता की उपेक्षा करते हुये पुनः दिसम्बर 1997 में 8.02 करोड़ रूपये का निवेश 12 प्रतिशत पर 11.55 करोड़ रूपये के परिपक्वता मूल्य पर चार वर्षो के लिए सावधि जमा में कर दिया। इस प्रकार, मई 1998 तक परिषद की 16.84 करोड़ रूपये तक की धनराशि सावधि जमा में निवेशित थी। बहुत दबाव देने पर, बैंक ने 13.5 प्रतिशत की दर से उपरोक्त सावधि जमा पर ऋण देने का प्रस्ताव रखा जिसे परिषद ने स्वीकार कर लिया। बैंक ने मार्च 1999 में 15.16 करोड़ रूपये का ऋण निर्मुक्त कर दिया। ऋण की शर्तो के अनुसार सावधि जमा की परिपक्वता राशि को, परिपक्वता तिथि पर ऋण एवं ब्याज के विरूद्ध समायोजित किया जाना था। ऋण का भुगतान 20 जनवरी 2001को किया गया जबकि ऋण तथा ब्याज के समायोजन के पश्चात परिषद के खाते में पड़ा हुआ अवशेष 5.08 करोड़ रूपये का था। इस प्रकार 22.60 करोड़ रूपये के परिपक्वता मूल्य के विरूद्ध परिषद को केवल 20.24 करोड़ रूपये (15.16 करोड़ रूपये तथा 5.08 करोड़ रूपये) ही प्राप्त हुए जिससे 2.36 करोड़ रूपये की हानि उठानी पड़ी।

3ब.8.1.2 सी पी एफ अंशदान

सी पी एफ नियमों के प्रावधानों के अनुसार, परिषद को सी पी एफ के अपने अंश का भुगतान कुल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष करना है, किन्तु परिषद ने वर्ष 1994–95 से 1999–2000 तक की अवधि में 10.58 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान नहीं किया। आगे यह भी देखा गया कि सी पी एफ की रोकड़ बही प्रतिदिन/माह के अन्त में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बन्द नहीं की गयी और प्रारम्भिक शेषों को काफी समय से आगे नहीं बढ़ाया गया था। बैंक समाधान विवरण भी लम्बी अवधि से तैयार नहीं किये गये थे। कैश बुक के उचित अवस्थापन के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि 1993–94 के पहले की अवधि का, परिषद का अंशदान, समुचित रूप से लेखाबद्ध किया गया या नहीं ।

3ब.8.1.3 धन प्रेषणों के अनुश्रवण व नियंत्राण में कमी के कारण हानि

क्षेत्र के संग्रह खातों से परिषद के मुख्यालय स्थित मुख्य खाते में समय से बैंकों द्वारा निधियों के अन्तरण किये जाने पर दृष्टि रखने के लिए, परिषद के पास कोई उचित पद्धति नहीं है। बैंको द्वारा 3000 रूपये के अवशेष को छोड़ते हुये शेष धन को बैंक ड्राट अथवा धन–हस्तान्तरण द्वारा प्रत्येक महीने की 5, 15 और 20 दिनांक को प्रेषित करना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि, बहुत से बैंक धन को समय से प्रेषित नहीं कर रहे हैं। चूँकि लेखा परीक्षा को बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये, निधियों के देर से अन्तरण अथवा अन्तरण न किये जाने से हुई ब्याज की हानि की सीमा सुनिश्चित नहीं की जा सकी। तथापि, 59 बैंकों के खातों की नमूना जाँच में, दिसम्बर 1998 और मार्च 2001 के मध्य 0.10 लाख रूपये से 9.70 करोड़ रूपये तक की राशि के 1 से 320 दिनों तक आरेखित विलम्बित अन्तरण के कारण 2.71 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि

का पता चला।

बैंकों द्वारा धन के तथा ई एम ओज द्वारा बैंक ड्राफ्टों के विलम्बित अन्तरण के परिणामस्वरूप 3.03 करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई

पुनः, अप्रैल 1998 से मार्च 2001 की अवधि में सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा लखनऊ स्थित मुख्य खाते में धन को निर्गत करने के लिए तैयार कराये गये बैंक ड्राट 1 से 123 दिनों के विलम्ब से जमा किये गये जिससे 19.28 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई। कमला नगर योजना, आगरा में इण्डियन ओवरसीज बैंक, रामबाग के संग्रह खाते में अन्तिम अवशेष (31 अक्टूबर 2000 को)2.22 लाख रूपये कम दिखाया गया। अन्तिम अवशेष की कमी की जाँच नहीं की गयी (अगस्त 2001)। कानपुर (नगर) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश–VII के जब्ती के निर्देशों के फलस्वरूप, परिषद के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, नवाबगंज, कानपुर के संग्रह खाते के संचालन पर रोक लग गई। परिषद ने उक्त आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की जिन्होंने (फरवरी 1997) आदेश पर रोक लगा दी। तथापि, सम्बन्धित खण्ड कार्यालय द्वारा उच्च न्यायालय का आदेश, ई एम ओ को ढ़ाई वर्षों पश्चात् अगस्त 1999 में उपलब्ध कराया गया। इस देरी के कारण मार्च 2000 के अन्त में संग्रह खाते में पड़ी अन्तिम शेष की 81.40 लाख रूपये की राशि का अन्तरण नहीं किया जा सका जिससे वर्ष 2000–2001 में 13.02 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई।

3ब.8.1.4 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वसूली न होना

दावे की तैयारी तथा प्रस्तुत करने में असफलता के कारण कुछ मामलों में 15.98 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति नहीं हुई

अधिनियम की धारा 39ए के अनुसार परिषद द्वारा महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं पंजीकरण (आई जी एस आर) से 0.66 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क (अचल सम्पत्तियों के अन्तरण /पंजीकरण पर वसूले गये 2 प्रतिशत पर) वसूल करेगा। इस अभिप्राय हेतु, परिषद द्वारा जिला राजस्व प्राधिकारियों से तिमाही विवरण प्राप्त करना होता है और आवास सचिव के प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् दावा प्रस्तुत करना होता है।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि मार्च 2000 के अन्त में 15.98 करोड़ रूपये के दावे, आवास सचिव के प्रतिहस्ताक्षर के अभाव में, आई जी एस आर को अग्रसारित नहीं किये जा सके। यह भी देखा गया कि परिषद द्वारा अनुश्रवण के अभाव में तिमाही विवरण नहीं एकत्र किये गये जिसके कारण 12.05 करोड़ रूपये के दावे प्रस्तुत नहीं किये गये। पुनः, 1977–2000[31] (1696 तिमाही) के 70 जिलों के दावे, तिमाही विवरणों के एकत्र करने में असफलता के कारण, तैयार नहीं किये जा सके। दावों की धनराशि, लेखा परीक्षा द्वारा, विवरण के अभाव में आगणित नहीं की जा सकी।

यह बताया गया (अगस्त 2001) कि मार्च 2001 में प्राप्त हुये 15.98 करोड़ रूपये के प्रतिहस्ताक्षरित दावे आई जी एस आर को प्रस्तुत किये गये थे।

3ब.8.1.5 बेटरमेंट शुल्क की वसूली न होना

उपरोक्त अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत परिषद, भू–अर्जन की कार्यवाही की अवधि में योजना के कुछ क्षेत्रा को अर्जन से मुक्त कर देता है। इन क्षेत्रों पर परिषद बेटरमेंट शुल्क आरोपित करता है जो भू–स्वामियों द्वारा देय होता है। इसकी वसूली के लिये क्षेत्रीय कार्यालय

[31] दिसम्बर 2000 तक

द्वारा माँग–पत्रा निर्गत किये जाते हैं। वसूली में असफल रहने की दशा में वसूली प्रमाण–पत्रों का जारी होना अपेक्षित होता है।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि बहुत से मामलों में (विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये) माँग–पत्र एवं उसके पश्चात् वसूली प्रमाण–पत्रा जारी करने में असफल रहने के कारण, मार्च 2001 के अन्त में 29.58 करोड़ रूपये (परिशिष्ट–47) की वसूली नहीं हो पायी।

उत्तर में बताया गया (अगस्त 2001) कि जून और जुलाई 2001 में पुनः निर्देश दिये गये थे जिससे 16.01 करोड़ रूपये की वसूली हुई। पुनः, शेष 13.57 करोड़ रूपये की धनराशि के लिए वसूली प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे थे।

3ब.8.1.6 देयों की वसूली में कमी

परिषद, निर्मित सम्पत्तियों का आवंटन स्ववित्त पोषित योजनाओं, किराया क्रय अथवा नकद क्रय पद्धति पर करता है। किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत मासिक किश्तों का भुगतान निर्दिष्ट बैंकों के माध्यम से किया जाता है। आवंटियों से देय किश्तों की वसूली के लिये परिषद द्वारा माँग–पत्रा तथा अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण–पत्र जारी करना अपेक्षित है।

चूँकि परिषद ने माँग पत्रों एवं वसूली प्रमाण–पत्राों को जारी करने तथा दूसरी कार्यवाही करने सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये, लेखा परीक्षा में इन कार्यवाहियों को प्रमाणित नहीं किया जा सका। 2000–2001 तक के चार वर्षो के दौरान माँग एवं वसूली की समीक्षा से पता चला कि माँग में वृद्धि के बावजूद, जो मुख्यतः नयी सम्पत्तियों के आवंटन तथा अतिदेयों के कारण थी, जारी की गई माँग से वसूली के प्रतिशत में सामान्यतः गिरावट थी (1997–98 में 79.8 प्रतिशत से 2000–2001 में 74.8 प्रतिशत के मध्य आरेखित) जैसा नीचे दिखाया गया है:

वर्ष	माँग	वसूली	गिरावट	वसूली का प्रतिशत
	(करोड़ रूपये में)			
1997–98	188.49	150.56	37.93	79.88
1998–99	279.94 (48.5)	211.81 (40.7)	68.13	75.66
1999–2000	343.42 (82.2)	270.71 (79.8)	72.71	78.83
2000–2001	307.01 (62.8)	229.75 (52.6)	77.26	74.83

टिप्पणी: कोष्ठक के आँकड़ें वर्ष 1997–98 के आधार वर्ष के संदर्भ में प्रतिशत में वृद्धि, को इंगित करते हैं।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 1997–98 की तुलना में माँग में वृद्धि 48.5 प्रतिशत, 82.2 प्रतिशत और 62.8 प्रतिशत की हुई जबकि वसूली में 1999–2000 को छोड़कर गिरावट का रूख रहा।

परिषद ने बताया (अगस्त 2001) कि लेखा परीक्षा के इंगित करने पर जुलाई 2001 में गिरावट के

रूख को रोकने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को वसूली में वृद्धि करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

3ब.8.1.7 टेलीफोन और वाहनों पर अननुमन्य व्यय

(क) टेलीफोन (6.67 लाख रूपये)

राज्य सरकार ने मंत्री (आवास एवं नगर विकास) के कार्यालय, परिषद के अशासकीय अध्यक्ष एवं सचिव, आवास को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव (मई 1997) को अनुमोदित नहीं किया (जुलाई 1997)। इसके बावजूद, परिषद ने मंत्री, अध्यक्ष, सचिव आवास, और आवास आयुक्त के मोबाइल फोन के बिलों के भुगतान का निर्णय लिया (नवम्बर 1997)। इसके फलस्वरूप, 8 मई 1997 से 5 फरवरी 2001 की अवधि में 4.06 लाख रूपये का अननुमन्य व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 1997 से मार्च 2001 तक सहायक आवास आयुक्त सह–सचिव, मुख्य अभियन्ता और मुख्य वास्तुविद् एवं नियोजक के व्यक्तिगत मोबाइल फोन संयोजनों पर 0.63 लाख रूपय के व्यय की प्रतिपूर्ति (500.00 रूपये की मासिक सीमा तक) भी इस आधार पर की गयी कि मोबाइल फोन परिषद कार्य के लिए प्रयोग किए जा रहे थे। परिषद ने पुनः, सितम्बर 1997 से फरवरी 2001 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त फोन के अतिरिक्त मंत्री और सचिव/उप–सचिव/संयुक्त सचिव (आवास) के आवासीय फोन के लिए शासन के अगस्त 1998 के आदेशों के विरूद्ध 1.98 लाख रूपये का व्यय किया।

(ख) वाहन (23.79 लाख रूपये)

शासन के आदेश (अप्रैल 1991 और अगस्त 1998) में प्रावधान है कि शासन के सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव एक ही वाहन का प्रयोग करेंगे।पुनः, यदि वाहन शासन के किसी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया हो तो उनको किसी एक या अधिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक की हैसियत से कोई भी पृथक वाहन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। तथापि, शासन के आदेशों के उल्लंघन में, आयुक्त ने एक वाहन प्रमुख सचिव, आवास (परिषद के सदस्य नहीं) आवंटित कर दिया जिस पर जून 1995 से मार्च 2001 की अवधि में 9.05 लाख रूपये का अननुमन्य व्यय (वाहन चालक के वेतन सहित)[32] किया गया। परिषद ने बिना किसी आदेश के एक वाहन राज्य मंत्री (आवास) के साथ भी सम्बद्ध कर दिया और जून 1996 से मार्च 2001 की अवधि में 14.74 लाख रूपये[33] का अननुमन्य व्यय किया।

परिषद ने बताया (अगस्त 2001) कि वह ऐसी सुविधायें प्रदान करने में सक्षम था। उत्तर शासन के अनुदेशों के अनुसार नहीं था।

3ब.9 भू–अधिग्रहण

अपनी योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए परिषद भूमि का अधिग्रहण या तो एस. एल.ए.ओ. द्वारा अथवा सीधी वार्ता द्वारा करता है। एस.एल.ए.ओ. आपत्तियों पर विचार करने के

32 लेखा परीक्षा को उपलब्ध न कराये गये विवरणों के अभाव में वेतनमान के न्यूनतम के सन्दर्भ में आगणित।
33 वेतनमान के न्यूनतम पर वाहन चालक के वेतन सहित।

पश्चात् पृथक विज्ञप्तियों द्वारा भू–स्वामियों को प्रतिपूर्ति के भुगतान करने का आदेश देता है। प्रतिपूर्ति के भुगतान के बाद, परिषद को भूमि का कब्जा दे दिया जाता है। इस कार्य के लिए परिषद, एस.एल.ए.ओ. को प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु अनुमानित मूल्य का 80 प्रतिशत, अग्रिम रूप से भुगतान कर देता है। शेष 20 प्रतिशत का भुगतान एस.एल.ए.ओ. द्वारा मांगे जाने पर किया जाता है। लेखा परीक्षा में देखा गया कि परिषद ने अपनी स्थापना से मार्च 2001 तक 164 योजनाएँ बनायी और उनके क्रियान्वयन के लिए शासन को 7219.98 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव भेजे। परिषद ने एस.एल.ए.ओ. को प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए 231.26 करोड़ रूपये निर्मुक्त किये। तथापि, मार्च 2001 तक केवल 5569.89 हेक्टेयर भूमि अर्थात् 77.15 प्रतिशत का अधिग्रहण ही किया जा सका।

भूमि अधिग्रहण के कार्य कमियों से प्रभावित रहे जिनमें लक्ष्यों का प्राप्त न होना, लेखों का पूर्ण न होना, अधिक तथा परिहार्य व्यय और निष्फल व्यय शामिल थे, जिनके कारण 23.30 करोड़ रूपये की हानि हुई।

3ब.9.1 लक्ष्यों की प्राप्ति में गिरावट

भू–स्वामियों के अनावश्यक दबाव और समन्वय की कमी के फलस्वरूप लक्ष्यों की प्राप्ति में गिरावट आयी

परिषद भूमि अधिग्रहण के लक्ष्यों की प्राप्ति का निर्धारण किसी विशेष योजना में भवनों/भूखण्डों की आवश्यकता के आंकलन के आधार पर करता है। लेखा परीक्षा में देखा गया कि स्थापना से 2000–2001 तक लक्ष्यों की प्राप्ति 9.3 प्रतिशत और 76.6 प्रतिशत के मध्य आरेखित रही जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

वर्ष	लक्ष्य	अर्जित भूमि	गिरावट	लक्ष्य की तुलना में प्राप्ति का प्रतिशत
	(एकड़ में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्थापना से 1993–94 तक	–	11842.36	–	–
1994–95	569.67	52.82	516.85	9.27
1995–96	565.00	149.05	415.95	26.38
1996–97	400.00	306.23	93.77	76.56
1997–98	1465.85	148.80	1317.05	10.15
1998–99	1723.13	643.89	1079.24	37.37
1999–2000	706.28	369.69	336.59	52.34
2000–2001	1035.90	250.36	785.54	24.17

प्रबन्धन ने गिरावट के कारण, भू–स्वामियों द्वारा अनुचित दबाव (भौतिक, राजनैतिक, प्रशासनिक एवं न्यायालीय) और एस.एल.ए.ओ. जो परिषद के सीधे नियंत्रण में नहीं है, के साथ समन्वय की कमी को बताया (अगस्त 2001)। पुनः, लक्ष्यों की प्राप्ति में भू–अर्जन से छूट (4 से 5 प्रतिशत) तथा अवैध कब्जों ने भी बाधा डाली।

3ब.9.2 भू–अर्जन के लेखों को पूर्ण न करना

विशेष भू–अध्यापित अधिकारी (एस.एल.ए.ओ.) अर्जित भूमि के लिए की गई वास्तविक प्रतिपूर्ति

सम्बन्धी उचित लेखा–पुस्तिकाओं का अवस्थापन नहीं करते हैं और न ही किये गये भुगतान का विवरण प्रस्तुत करते हैं, जबकि उनकी माँग पर पुनः अग्रिम के भुगतान निर्मुक्त किये जाते रहे हैं। परिषद के संज्ञान में (मई 1997) ऐसे दृष्टान्त भी आये कि एस.एल.ए.ओ. ने प्रतिपूर्ति और ब्याज का भुगतान ऐसी भूमि के लिए भी कर दिया जहाँ न्यायालय ने भू–अधिग्रहण की कार्यवाही को या तो रोक दिया था या निरस्त कर दिया था। ऐसे भुगतान की वापसी कठिन होगी। स्पष्ट और पूर्ण स्थिति की जानकारी के उद्देश्य से, एस.एल.ए.ओ. द्वारा की गयी अतिरिक्त माँगों के औचित्य के परीक्षण करने के लिये परिषद ने एस.एल.ए.ओ. से अभिलेखों की छाया प्रतियाँ प्राप्त करने और लेखों के मिलान के पश्चात स्वयं सही स्थिति जानने का निर्णय लिया (मई 1997)। मई 1997 की बैठक में परिषद ने शासन को सूचित किया कि समाधान की प्रक्रिया तथा लेखों को अन्तिम रूप देना कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में था। तथापि, परिषद निर्णय के चार वर्षों से अधिक समय के पश्चात भी इस उपेक्षित और कमजोर क्षेत्र में सफल नहीं हो सका जिससे सही स्थिति नहीं सामने आ पायी (अगस्त 2001)।

लेखा परीक्षा को प्रस्तुत बिखरे हुये अपूर्ण अभिलेखों से एस.एल.ए.ओ. के पास पड़े अधिक भारी बकाये, उस भूमि का उपलब्ध न होना जिसके लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका था, प्रतिपूर्ति का अधिक भुगतान इत्यादि का पता चला जिनकी चर्चा नीचे की गई है।

3ब.9.2.1 एस.एल.ए.ओ. के विरूद्ध भारी बकाये

उन योजनाओं से सम्बन्धित जिनमें भू–अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी, एस.एल.ए.ओ. के पास 3.51 करोड़ रूपये की धनराशि पड़ी थी

चार योजनाओं के मामले में (अन्य योजनाओं के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये) जहाँ भू–अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, मार्च 2001 के अन्त में एस.एल.ए.ओ. द्वारा भू–स्वामियों को प्रतिपूर्ति वितरित करने के लिए दिये गये 69.07 करोड़ रूपये में से शेष 3.51 करोड़ रूपये[34] वसूली योग्य थे। विवरण अग्र तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रूपये में)

योजनायें	भुगतान की गई धनराशि	अन्य योजनाओं से अन्तरित धनराशि	अन्य योजनाओं को अन्तरित धनराशि	भुगतान की गई प्रतिपूर्ति	अवशेष (2+3–4–5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद	47.56	2.03	3.04	45.32	1.23
योजना–1 व 7 मेरठ तथा योजना–7, बड़ौत	5.51	–	–	5.49	0.02
योजना–2, 4 व 7, मेरठ	5.24	0.68	1.20	4.17	0.55
सिकन्दरा योजना, आगरा	10.76	–	0.49	8.56	1.71
योग	**69.07**	**2.71**	**4.73**	**63.54**	**3.51**

अवरूद्ध निधि पर ब्याज की वार्षिक हानि 56.16 लाख रूपये आगणित की गयी।

[34] भुगतान के विवरण तथा बकाये का अवधि–वार विश्लेषण उपलब्ध नहीं कराया गया।

3ब.9.2.2 भू–अधिग्रहण के बिना प्रतिपूर्ति का भुगतान

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच में देखा गया कि दस योजनाओं में (परिशिष्ट–48) 112.34 हेक्टेयर भूमि के लिए, जिसका कब्जा, तथापि, अभी तक (मार्च 2001) प्राप्त नहीं किया गया, प्रतिपूर्ति के रूप में 3.99 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। तथापि, कब्जा न लेने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

3ब.9.2.3 अधिक प्रतिपूर्ति का भुगतान

अनुश्रवण एवं नियंत्रण के अभाव में 22.74 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति का अधिक भुगतान हुआ

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच में यह पता चला कि 25 योजनाओं में (परिशिष्ट–49) शासन को सूचित किये गये 14.44 करोड़ रूपये की देय प्रतिपूर्ति के विरूद्ध 37.18 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया। इस प्रकार 22.74 करोड़ रूपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा को वे अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये गये जिनमें उन पक्षों के नाम दर्ज थे, जिनको प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया था। परिषद भू–अधिग्रहण की कार्यवाही और एस.एल.ए.ओ. के पास जमा किये गये धन के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने हेतु अभिलेखों का अवस्थापन नहीं कर रहा है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन ने सूचित किया (अगस्त 2001) कि एस.एल.ए.ओ. को प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु धन समय–समय पर की गई उनकी माँग के अनुसार दिया जाता रहा है।

अधिक प्रतिपूर्ति के भुगतान से परिषद की तरलता की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

3ब.9.2.4 ब्याज का परिहार्य भुगतान

समन्वय के अभाव के फलस्वरूप 4.55 करोड़ रूपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि देय तिथि पर प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता है तो 9 प्रतिशत की दर से एक वर्ष की अवधि के ब्याज (एक वर्ष के पश्चात् 15 प्रतिशत) का भुगतान किया जाना चाहिये। एस. एल.ए.ओ. एवं परिषद के बीच किसी व्यवस्था के अभाव में, प्रतिपूर्ति का समय से भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जिसके कारण परिषद को विलम्ब के कारण ब्याज का भुगतान करना पड़ा। लेखा परीक्षा में एक नमूना जाँच में यह देखा गया कि 4.45 करोड़ रूपये की राशि के ब्याज का भुगतान वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद (0.54 करोड़ रूपये), योजना संख्या–6, मेरठ (2.20 करोड़ रूपये) और सिकन्दरा योजना, आगरा (1.71 करोड़ रूपये) में किया गया। निम्नलिखित अन्य बिन्दु भी देखे गये:

(i) सिकन्दरा आवास योजना हेतु भू–अधिग्रहण के लिये मई 1981 और अगस्त 1992 के मध्य परिषद ने एस एल ए ओ को 9.05 करोड़ रूपये का भुगतान किया। एस एल ए ओ ने अगस्त 1984 से दिसम्बर 1988 की अवधि में 1.48 करोड़ रूपये का अवशेष छोड़ते हुये 7.57 करोड़ रूपये के मूल्य के पंचाट घोषित किये। बाद में, अप्रैल 1998 में एस एल ए ओ ने 11.06 करोड़ रूपये की माँग उठाई जिसमें प्रतिपूर्ति के विलम्बित भुगतान के कारण हुये 3.49 करोड़ रूपये का ब्याज भी शामिल था। 3.49 करोड़ रूपये की धनराशि में से परिषद ने जुलाई 1999 में परिषद पर ब्याज के

भुगतान को प्रभावी करते हुये प्रतिपूर्ति के भुगतान में हुये विलम्ब के कारणों को सुनिश्चित किये बिना ही 1.71 करोड़ रूपये का भुगतान कर दिया, यद्यपि एस एल ए ओ के पास 1.48 करोड़ रूपये का आधिक्य उपलब्ध था।

(ii) मेरठ में, परिषद ने 528.33 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 3.96 करोड़ रूपये का भुगतान किया (मार्च 2001 तक)। एस एल ए ओ अपने पास धन की उपलब्धता के बावजूद भी भू–स्वामियों को समय से प्रतिपूर्ति का भुगतान करने में असफल रहे। विलम्बित भुगतान 1.06 करोड़ रूपये के ब्याज के भुगतान के रूप में फलित हुआ जिसका वहन परिषद को, बिना अपनी किसी गलती के कारण, करना पड़ा। परिषद ने इस तरह के ब्याज के भुगतान से बचने हेतु एस एल ए ओ/राजस्व विभाग के साथ कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया (मार्च 2001)।

यह बताया गया (अगस्त 2001) कि परिषद ने इस प्रकरण को शासन स्तर पर उठाया है।

3ब.9.3 अवैध निर्माणों से हानि

अवैध निर्माणों से 23.34 करोड़ रूपये मूल्य की 86.290 एकड़ भूमि प्रभावित हुई

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि परिषद द्वारा तीन मंडलों में अर्जित 23.34 करोड़ रूपये मूल्य की 86.290 एकड़ भूमि पर 1976–77 से 1992–93 की अवधि में (अवैध निर्माण की वास्तविक तिथि अभिलेखों में नहीं थी) सरकारी संस्थाओं/प्राइवेट पक्षों/निजी व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण किये गये,जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

मंडल	अवैध निर्माणों द्वारा प्रभावित भूमि का क्षेत्र	मूल्य (करोड़ रूपये में)
मंडल–II, मेरठ	56.698	11.96
मंडल–III, लखनऊ	5.102	4.77
मंडल–IV, कानपुर	24.490	6.61
योग	86.290	23.34

इस प्रकार परिषद 23.34 करोड़ रूपये के मूल्य की 86.290 एकड़ भूमि का उपयोग करने में समर्थ नहीं है जिसके कारण परिषद की उस सीमा तक की निधि अवरूद्ध रही।

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच में निम्न अन्य बिन्दु भी देखे गये:

➢ मेरठ में 1980–81 से 0.91 करोड़ रूपये मूल्य की 14.67 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा है। घनी आबादी के कारण अवैध कब्जे को हटाया जाना सम्भव नहीं है। पुनः, 1983–84 से 0.90 करोड़ रूपये के मूल्य की 15.23 एकड़ भूमि, आर टी ओ कार्यालय (2.73 एकड़) और अम्बेडकर विद्यालय (12.50 एकड़) के अवैध कब्जे में थी। आर टी ओ कार्यालय द्वारा अवैध कब्जे को हटाने का प्रकरण, शासन के सम्मुख विचाराधीन था। अम्बेडकर विद्यालय के सम्बन्ध में, अवैध कब्जे से मुक्त कराने का मामला 1989 में, अर्थात् छः वर्षो पश्चात प्रारम्भ किया गया जो न्यायालय में अभी तक (मार्च 2001) लम्बित था।

➢ मेरठ की माधवपुरम योजना–10 में 0.57 करोड़ रूपये के मूल्य की 1.8834 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा लेने के समय अवैध कब्जा पाया गया (1987)। यद्यपि, अभिलेखों में परिषद को कब्जा

अगस्त 1987 में दे दिया गया तथापि, घनी आबादी और धार्मिक निर्माणों के कारण भौतिक कब्जा नहीं लिया जा सका। इस प्रकार परिषद की 0.57 करोड़ रूपये की धनराशि व्यर्थ हो गयी।

➢ परिषद ने कल्याणपुर में खसरा संख्या 473 में समाहित 504.54 वर्गमीटर भूमि का कब्जा लिया (सितम्बर 1984) और भू–स्वामियों को 8.95 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति का भुगतान भी कर दिया। तथापि, भूमि पर अवैध कब्जा हुआ और उसके बाद अवैध निर्माण भी हुआ। अवैध कब्जे और अवैध निर्माण का तथ्य परिषद के संज्ञान में जुलाई 1998 में तब आया जब भूमि का उपयोग किये जाने वाले व्यक्ति ने सीवर के संयोजन का प्रार्थना पत्र दिया। मामला, परिषद मुख्यालय को संदर्भित किया गया जिसने अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया (सितम्बर 1999)। तथापि, कब्जे को हटाने की कार्यवाही अभी तक (मार्च 2001) नहीं की गयी।

➢ योजना संख्या–2, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ में 1.07 एकड़ भूमि पर, चालू दर से 0.98 करोड़ रूपये मूल्य के 69 वाणिज्यिक भूखण्ड विकसित किये गये थे, मार्च 1983 से पुलिस विभाग के अवैध कब्जे में थी। भूमि अभी तक (मार्च 2001) मुक्त नहीं करायी जा सकी।

परिषद की भूमि पर अवैध कब्जे/निर्माण इस तथ्य को दर्शाते हैं कि सुरक्षा के समुचित कदम नहीं उठाये गये थे। परिषद उन अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान करने में भी असफल रहा, जो यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी थे कि अवैध कब्जे न हो पायें और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाय।

3ब.10 विकास एवं निर्माण कार्य

विकास एवं निर्माण कार्य लक्ष्यों से पीछे चल रहे थे और सस्ती दरों पर आवासीय भवन उपलब्ध कराने का उद्देश्य विलम्ब तथा निर्मित भवनों की माँग के उचित आंकलन के अभाव में पूरा नहीं किया जा सका।

3ब.10.1 विकास

(क) अनुपयोजित विकसित भूमि

42.80 करोड़ रूपये मूल्य की विकसित भूमि अनुपयोजित पड़ी थी

परिषद ने अपनी स्थापना से मार्च 2001 तक 5569.89 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया, इसमें से परिषद ने मार्च 2001 तक 1639.13 हेक्टेयर भूमि को अनुपयोजित छोड़ते हुये शेष 3930.76 हेक्टेयर भूमि का (अधिग्रहीत भूमि का 70.6 प्रतिशत) विकास किया। अनुपयोजन के कारण अभिलेख में नहीं थे।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 25 योजनाओं (परिशिष्ट–50) में 42.80 करोड़ रूपये के मूल्य की 272147.604 वर्गमीटर विकसित भूमि काफी समय से अनुपयोजित पड़ी हुई है, जिससे प्रतिवर्ष 6.85 करोड़ रूपये के ब्याज का दायित्व उठाना पड़ रहा है। विकसित भूमि का अनुपयोजन परिषद में नियोजन पक्ष के अभाव को इंगित करता है।

(ख) स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित न की गई विकसित कालोनियों की जन–सुविधायें

अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार, परिषद अपने द्वारा विकसित की गयी कालोनियों की जन सुविधाओं को, जैसे ही वे पूर्ण हो जाती हैं, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को एक महीने की सूचना के पश्चात्, हस्तान्तरित कर सकता है। यदि योजना का क्षेत्रफल स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो, सेवाओं के हस्तान्तरण को आसान बनाने के लिए, राज्य सरकार से अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने को कहा जाना चाहिए। सूचना प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय निकाय एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर, आपत्तियों को, यदि कोई हो, दर्ज करवा सकता है। विवाद, राज्य सरकार को निर्णय के लिए संदर्भित किये जाते हैं। परिषद को, जन–सुविधाओं के रख–रखाव और संचालन के लिए तब तक व्यय करना पड़ता है जब तक कि वे स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित न हो जायें। लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, परिषद के पास इस प्रकार के व्यय की प्रतिपूर्ति का कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि परिषद को जन–सुविधाओं के रख–रखाव का व्यय कालोनी निवासियों से वसूल करने का अधिकार नहीं है।

स्थानीय निकायों को जन–सुविधाओं का हस्तान्तरित न होना, 14.32 करोड़ रूपये के परिहार्य व्यय किये जाने में फलित हुआ

यह देखा गया कि 35 कालोनियों (44 में से) के मामले में, स्थानीय निकायों को जन–सुविधाओं का हस्तान्तरण, विवाद/अपूर्ण कार्यों के कारण नहीं किया जा सका, यद्यपि कालोनियाँ 1984–85 से 1994–95 की अवधि में विकसित की जा चुकी थीं। विवाद के मामले राज्य सरकार को संदर्भित नहीं किये गये और अपूर्ण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराये गये (मार्च 2001)। इसी प्रकार, 9 कालोनियों के, मामले में, जो 1984–85 से 1994–95 के बीच विकसित कर ली गई थीं, परिषद स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र बढ़वाने में असफल रहा।

स्थानीय निकायों को सुविधाओं के हस्तान्तरित न होने के कारण, परिषद को 1994–95 से 1998–99 की अवधि में 14.32 करोड़ रूपये का व्यय करना पड़ा।

यह बताया गया (अगस्त 2001) कि परिषद, जनवरी 2000 के शासकीय आदेश के निर्देशों के आधार पर, जिनमें विकास प्राधिकरणों को उनकी कालोनियों के आवंटियों से स्थानीय निकायों को कालोनी हस्तान्तरित होने तक रख–रखाव शुल्क वसूलने का अधिकार दिया गया था, आवंटियों से रख–रखाव शुल्क वसूल करने हेतु अधिकृत करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करने का प्रयास कर रहा है।

(ग) विकसित कालोनियों के विलम्बित हस्तान्तरण के कारण हुआ परिहार्य व्यय

कानपुर की योजना संख्या–1 और 3 (सेक्टर ई को छोड़कर) जो 1984 से 1988 के मध्य विकसित की गयी थी; की सेवाओं को नगर निगम को हस्तान्तरित करने का निर्णय जून 1993 (पाँच वर्षों से अधिक समय के बाद) में परिषद द्वारा लम्बित मरम्मत कार्यों के लिए 0.84 करोड़ रूपये के भुगतान की शर्त के साथ लिया गया। तथापि, मरम्मत के लिए धन का भुगतान न करने के कारण, सेवाओं का हस्तान्तरण अगस्त 1995 तक भी नहीं किया जा सका जब परिषद द्वारा हस्तान्तरण से पूर्व मरम्मत का कार्य कराने का निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिए 0.91 करोड़ रूपये का आंकलन परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया जिसने अगस्त 1997 में लम्बित मरम्मत कार्यों

के बदले में 1.20 करोड़ रूपये का भुगतान करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, परिषद द्वारा जुलाई 1998 में प्रथम किश्त के रूप में 0.40 करोड़ रूपये का भुगतान इस शर्त पर किया गया कि 0.40 करोड़ रूपये के व्यय का विवरण प्राप्त होने के पश्चात् शेष धनराशि निर्मुक्त की जायेगी।

इस प्रकार, परिषद को मूल रूप में स्वीकार्य 0.84 करोड़ रूपये के स्थान पर 1.20 करोड़ रूपये का दायित्व वहन करना पड़ा, जिससे सेवाओं के हस्तान्तरण पर निर्णय लेने में ढुलमुल पहल के कारण 0.36 करोड़ रूपये का परिहार्य दायित्व उत्पन्न हुआ।

3ब.10.2 सम्पत्तियों का निर्माण

परिषद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई डब्ल्यू एस), अल्प आय वर्गों, मध्यम आय वर्गों और उच्च आय वर्गों तथा सम्पूर्ण समाज के लिए, विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों का निर्माण करता है। परिषद, स्ववित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत भी सम्पत्ति का निर्माण करता है जिसमें सम्पत्तियों का निर्माण आवंटियों द्वारा उपलब्ध कराये धन से किया जाता है।

परिषद ने अपनी स्थापना से दिसम्बर 2000 तक विभिन्न श्रेणियों के 206319 भवनों तथा भूखण्डों का निर्माण किया। तथापि, 1996–97 से दिसम्बर 2000 तक के सम्पत्ति निर्माण के लक्ष्यों तथा प्राप्तियों की वर्ष–वार स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

सम्पत्ति की श्रेणी	1996–97		1997–98		1998–99		1999–2000		2000–2001	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
साइट ऐण्ड सर्विसेज भूखण्ड	अनुपलब्ध	785 (–)[35]	40	45 (113)	40	93 (233)	––	435 (–)	अनु.	–– (–)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इ डब्ल्यू एस)	100	115 (115)	245	953 (389)	265	158 (60)	––	51 (अनु.)	अनु.	5 (अनु.)
अल्प आय वर्ग (एल आई जी)	110	500 (455)	665	508 (76)	249	364 (146)	––	133 (–)	200	शून्य (–)
मध्यम आय वर्ग (एम आई जी)	472	418 (89)	45	170 (378)	235	151 (64)	348	529 (152)	170	शून्य (–)
उच्च आय वर्ग (एच आई जी)	180	163 (91)	56	43 (77)	25	25 (100)	50	201 (402)	अनु.	2 (–)
स्ववित्त पोषित योजना (एस एफ एस)	811	488 (60)	2150	2184 (102)	1572	4108 (261)	1437	1237 (86)	2225	456 (20)
अन्य (दुकानें आदि)	27	1 (4)	74	38 (51)	101	174 (172)	76	89 (117)	11	शून्य (–)
भाऊ राव देवरस योजना (बी आर डी)	अनु.	अनु. (–)	अनु.	अनु. (–)	2000	शून्य (–)	4305	3004 (70)	3082	970 (31)
आश्रय	अनु.	अनु. (–)	अनु.	अनु. (–)	2000	शून्य (–)	5179	353 (7)	2500	9 (0.4)

इस सम्बन्ध में निम्न अवलोकन किये गये:

➢ परिषद के उद्देश्यों में से एक, समाज की विकट आवास समस्या के समाधान में सहयोग करना है, विशेष तौर पर निम्न आय वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उचित दरों पर सम्पत्तियाँ उपलब्ध करा कर। उपरोक्त से यह दृष्टिगत होगा कि परिषद के निर्माण कार्य–कलाप धीरे–धीरे कमजोर वर्गों हेतु भवनों के निर्माण से हटकर स्ववित्त पोषित योजना की ओर उन्मुख

35 कोष्ठक के ऑकड़ें प्राप्तियों के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

हो गये हैं। इस प्रकार, लक्ष्यों का निर्धारण परिषद के उद्देश्यों की भावना के अनुरूप नहीं था।

➢ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998–99 में भाऊ राव देवरस योजना का प्रारूप, मिनी एम आई जी श्रेणी के कम मूल्य के भवन उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया था। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध, परिषद ने 1998–99 में 2000 भवनों का निर्माण करने की योजना बनायी थी किन्तु किसी भी भवन का निर्माण नहीं किया गया। 1999–2000 के 4305 भवनों और 2000–2001 के 3082 भवनों के लक्ष्य के विरूद्ध, क्रमशः 3004 भवनों तथा 970 भवनों का निर्माण किया गया। योजना के अन्तर्गत, स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली भूमि, परिषद को रियायती दरों पर हस्तान्तरित की जानी थी किन्तु परिषद भूमि के हस्तान्तरण में असफल रहा, फलस्वरूप लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

निर्माण कार्यों में लक्ष्यों को 0.36 से 6.8 प्रतिशत की सीमा तक ही प्राप्त किया गया

➢ राज्य सरकार द्वारा आश्रय योजना का प्रारूप अति कमजोर वर्गों, जिनके पास कोई भवन नहीं हैं और जो प्रदूषित क्षेत्रों की झुग्गियों में रहते हैं, को 5 रूपये, 10 रूपये तथा 15 रूपये प्रतिदिन के भुगतान पर भवन उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया था। इस योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 में क्रमशः 10000, 20000 एवं 10000 भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। तथापि, परिषद ने क्रमशः 2000, 5179 तथा 2500 भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा जिसके समक्ष उपलब्धि क्रमशः शून्य, 6.8 प्रतिशत तथा 0.36 प्रतिशत रही। लक्ष्यों के प्राप्त न होने का मुख्य कारण स्थानीय निकायों द्वारा रियायती दरों पर भूमि का हस्तान्तरण करवाने में परिषद की असफलता थी।

3ब.10.3 राजाजीपुरम में मिनी स्टेडियम का निर्माण

शासन ने परिषद को राजाजीपुरम (लखनऊ) में परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली 19960 वर्गमीटर भूमि पर एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का निर्देश दिया (मार्च 1997)। शासन ने मार्च 1997 में 2.75 करोड़ रूपये का अनुदान भी स्वीकृत किया। परिषद ने किसी निधि की प्राप्ति से पूर्व ही मई 1999 में कार्य प्रारम्भ कर दिया, जबकि मार्च 2001 में पूर्ण सहायता प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने, मई 1999 में आधारशिला समारोह के दौरान, 50 लाख रूपये के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की। तथापि, यह धनराशि अभी तक (अगस्त 2001) न तो स्वीकृत की गयी और न ही परिषद को निर्मुक्त की गयी। 5.77 करोड़ रूपये के कुल मूल्य पर स्टेडियम का निर्माण (1999–2000) 1.43 करोड़ रूपये में अधिग्रहीत भूमि, जो डिग्री कॉलेज को आवंटन के लिए चिन्हित थी, पर कर दिया गया। जबकि, 2.75 करोड़ रूपये का व्यय प्राप्त अनुदान से किया गया, 3.02 करोड़ रूपये का व्यय परिषद के अपने स्रोतों से किया गया। परिषद द्वारा स्टेडियम का रख–रखाव एवं संचालन कार्य शासन द्वारा जारी की जाने वाली शर्तों के अनुसार किया जाना था। लेखा परीक्षा द्वारा स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता और औचित्य का आंकलन नहीं किया जा सका, क्योंकि शासन के अनुदेशों सम्बन्धी पत्रावली, परियोजना प्रतिवेदन, राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति इत्यादि परिषद द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि परिषद ने स्टेडियम का निर्माण उपरोक्त अधिनियम की धारा

15(2)(बी) में निहित लक्ष्यों के अनुसरण में राज्य सरकार की ओर से किया था, किन्तु 4.45 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की (निर्माण व्यय 3.02 करोड़ रूपये तथा भूमि मूल्य 1.43 करोड़ रूपये)।

पुनः, स्टेडियम के साथ–साथ 3.24 करोड़ रूपये मूल्य के 2114.46 वर्गमीटर के आच्छादित क्षेत्रफल की वाणिज्यिक सम्पत्तियों का निर्माण भी बाह्य अभिकर्त्ताओं के आवंटन हेतु किया गया। तथापि, माँग के अभाव में सम्पत्तियाँ बेची नहीं जा सकी, जिससे उस सीमा तक धन का अवरोधन हुआ।

उत्तर में यह बताया गया (अगस्त 2001) कि स्टेडियम खेलों के शोध केन्द्र के रूप में घोषित करने के प्रयास किये जा रहे हैं और वाणिज्यिक निर्माणों का उपयोग खिलाड़ियों के ठहरने तथा खेल के सामान के विपणन हेतु किया जा सकेगा।

3ब.11 निर्माण में विलम्ब के फलस्वरूप हानि

(क) मूल्यांकन के दिशा– निर्देशों के अनुसार, निर्माण की सम्पूर्ण अवधि का ब्याज भवनों के मूल्य में शामिल किया जाता है। यह पाया गया कि गाजियाबाद की वसुन्धरा योजना के सेक्टर–17 में 1750 एफ–31 श्रेणी के भवनों के निर्माण के लिए 14.00 करोड़ रूपये की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति मार्च 1990 में प्रदान की गयी थी। तथापि, माँग का आंकलन किये बिना, 1740 भवनों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया (जून 1990)। तत्पश्चात्, परिषद ने केवल 230 भवनों को पूर्ण करने तथा 1510 भवनों का निर्माण रोकने का निर्देश दिया। चूँकि इस श्रेणी के भवनों की कोई माँग नहीं थी, परिषद ने दो फ्लैटों को एक में संयुक्त करके 820 भवनों के आरेख को एफ–62 श्रेणी में एवं दो भवनों को संयुक्त करके 690 भवनों को एक अतिरिक्त शौचालय का प्रावधान करते हुये एफ–66 श्रेणी में परिवर्तित कर दिया ताकि वे बिक्री योग्य हो सकें। इन भवनों का निर्माण अप्रैल 1997 में प्रारम्भ और दिसम्बर 1999 में पूर्ण किया गया। भवनों को विक्रयशील बनाने के लिए आरेख/विशिष्टि में किये गये परिवर्तन के कारण इन भवनों को विलम्ब से दिसम्बर 1999 में पूर्ण किया गया।

मूल्यांकन के दिशानिर्देशों से विचलन, भवनों के विकय में 1.51 करोड़ रूपये की हानि में फलित हुआ

दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में परिषद ने नवम्बर 1992 से मार्च 1997 की अवधि के 1.51 करोड़ रूपये के ब्याज को असम्मिलित करने का निर्णय (दिसम्बर 1999) इस आधार पर लिया कि इससे भवनों का मूल्य अप्रत्याशित रूप से बढ़ जायेगा और यह निर्देश दिया कि केवल 0.51 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति, योजना की दूसरी विक्रयशील सम्पत्तियों में जोड़कर कर ली जाये। उत्तर में यह बताया गया कि दिशा–निर्देशों के अनुसार दूसरी योजनाओं पर इस प्रकार का बोझ डालना अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार, मूल्यांकन के दिशा–निर्देशों से विचलन, 1.51 करोड़ रूपये की हानि में फलित हुआ।

(ख) गाजियाबाद की वसुन्धरा योजना के सेक्टर–17 में 550 एफ–51 श्रेणी के चार मंजिलें भवनों के निर्माण के लिए 5.33 करोड़ रूपये की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति सितम्बर 1989 में प्रदान की गयी, जो अक्टूबर 1990 में 6.36 करोड़ रूपये में संशोधित कर दी गई। तकनीकी स्वीकृति के अनुसार, 550 भवनों (350 श्रेणी ए तथा 200 श्रेणी बी) का निर्माण कराया

जाना था। इनमें से 176 भवनों (श्रेणी ए:112 तथा श्रेणी बी:64) का निर्माण अक्टूबर 1990 में प्रारम्भ हुआ। शेष 374 भवनों का निर्माण (238:श्रेणी ए और 136:श्रेणी बी), जिनकी आनुपातिक तकनीकी स्वीकृति 4.32 करोड़ रूपये की थी, जनवरी 1991 में माँग का आंकलन किये बिना प्रारम्भ कर दिया गया। चूँकि कोई माँग नहीं थी, इन भवनों का निर्माण नवम्बर 1993 में, 67.47 लाख रूपये के व्यय के पश्चात् रोक दिया गया।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि माँग के अभाव में परिषद ने योजना और भवनों के आरेख में परिवर्तन कर दिया। भवनों को नवम्बर 1998 में 8.15 करोड़ रूपये के कुल व्यय पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पूरा किया गया जिसके फलस्वरूप निर्माण में विलम्ब के कारण 4.32 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के विरूद्ध 3.83 करोड़ रूपये (8.15 करोड़ रूपये में से 4.32 करोड़ रूपये घटाकर) की लागत वृद्धि हुई, इस प्रकार परिषद अपने लाभ को अधिकतम करने के अवसर से चूक गया।

इस प्रकार, उचित आरेखण तथा माँग के आंकलन के बिना, कार्य का सम्पादन, भवनों की मूल्य वृद्धि में फलित हुआ, जिससे उचित दरों पर सम्पत्तियाँ उपलब्ध कराने का परिषद का सामाजिक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

(ग) कानपुर की योजना– 1 के सेक्टर–जी तथा एच में 52 अदद 68/142 श्रेणी के अर्द्धनिर्मित भवनों के निर्माण के लिए 39.43 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं 39.25 लाख रूपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी (क्रमशः फरवरी 1990 तथा जुलाई 1992 में)। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पहले ही अक्टूबर 1990 में 44 भवनों का निर्माण ठेके के आधार पर प्रारम्भ करा दिया गया। इन भवनों को जुलाई 1991 में पूर्ण किया जाना था। लेखा परीक्षा में देखा गया कि अनुबन्ध के अनुलग्नक–सी के अनुसार समय से सामग्री की आपूर्ति करने में परिषद की असफलता के कारण, ठेकेदारों ने जुलाई 1991 में और फरवरी 1992 में कार्य को अधूरा छोड़ दिया। उस समय तक 11.38 लाख रूपये का व्यय हो चुका था। बाद में, कार्य को जनवरी 2000 में विभागीय रूप से 67.05 लाख रूपये के कुल व्यय पर पूरा कराया गया। इस प्रकार निर्माण में देरी के कारण परिषद को सामग्री तथा श्रमिक की वृद्धिगत के लागत के कारण 27.80 लाख रूपये अधिक व्यय करना पड़ा। यह व्यय बचाया जा सकता था यदि अनुबन्ध के अनुलग्नक–सी के अनुसार ठेकेदारों को समय से सामग्री उपलब्ध करा दी जाती। परिषद ने समय से सामग्री उपलब्ध न कराये जाने के कारणों की न तो पूछताछ की और न ही कोई उत्तरदायित्व नियत किया (मार्च 2001)।

3ब.12 निक्षेप कार्यों पर अधिक व्यय (1.54 करोड़ रूपये)

स्वीकृत लागत से अधिक व्यय के दावों को प्रस्तुत करने में असफलता के कारण 1.04 करोड़ रूपये की प्राप्ति नहीं हुई

अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये गये निर्माण कार्यों के अतिरिक्त, परिषद अन्य सरकारी विभागों, स्वायत्त संस्थाओं आदि की ओर से निक्षेप कार्य भी करता है। उन्हें, परिषद द्वारा तैयार आंकलन के आधार पर, धनराशि जमा करनी होती है। कार्य सम्पादन के दौरान यदि व्यय में 5 प्रतिशत या अधिक वृद्धि की सम्भावना होती है, एक संशोधित आंकलन तैयार करना होता है तथा उसे तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजना होता है और तद्नुसार ग्राहकों से बढ़ी हुई

धनराशि का दावा किया जाता है। तथापि, लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि 17 में से 9 कार्यों में, यद्यपि व्यय 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया था (8.2 प्रतिशत से 65.5 प्रतिशत तक आरेखित) संशोधित आंकलन अभी तक (अगस्त 2001) तैयार नहीं किया गया था। संशोधित प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अभाव में, परिषद द्वारा इन कार्यों पर अधिक व्यय की गयी 1.04 करोड़ रूपये की धनराशि का दावा करने में असफल रहा। यह कार्य अब ग्राहकों को सौंप दिये गये हैं।

इसी प्रकार, सात कार्यों के मामलों में जहाँ 49.81 लाख रूपये का अधिक व्यय हुआ, हस्तान्तरण से पूर्व प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी।

इसके अतिरिक्त, परिषद ने जिला अधिकारी, भदोही के निर्देशों के अनुपालन में, कार्य के औपचारिक आदेश की प्रत्याशा में कलेक्ट्रेट परिसर के अस्थायी शेडों के निर्माण पर 18.60 लाख रूपये का व्यय कर दिया। तथापि, कार्य अन्तिम रूप से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार, परिषद द्वारा किये गये व्यय की वसूली नहीं हो सकी (अगस्त 2001)।

3ब.13 ठेकेदारों को अनुचित अनुग्रह

परिषद, भवनों एवं सड़कों का निर्माण ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित करता है। कार्य की प्रदत्ति उनके साथ किये गये अनुबन्धों के अन्तर्गत, न्यूनतम निविदाकर्त्ता को की जाती है। अनुबन्धों में दी गयी दरों में सामग्री, श्रम तथा औजार तथा संयंत्रों इत्यादि का मूल्य सम्मिलित होता है। तथापि, सीमेंट तथा इस्पात, परिषद द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसका मूल्य अनुबन्ध के अनुलग्नक–सी में दी गयी दरों पर (अनुबन्ध दर) ठेकेदार के बिलों से वसूल कर लिया जाता है। सामान्यतया, अनुबन्ध दरें निर्गत दरों (अधिप्राप्ति लागत) से अधिक होती है जिससे ठेकेदारों द्वारा सामग्री का दुरूपयोग रोका जा सके। नमूना जाँच में यह पाया गया कि कुछ मामलों में सीमेंट एवं इस्पात की निर्गत दरें, अनुबन्ध दरों से अधिक थीं, जिसके फलस्वरूप दरों का अन्तर परिषद को वहन करना पड़ा। इससे बचा जा सकता था यदि अनुलग्नक–सी में यह प्रावधान होता कि सीमेंट और इस्पात का मूल्य अनुबन्ध दर अथवा निर्गत दर में जो भी अधिक हो, पर वसूल किया जायेगा। इस प्रकार, दोषपूर्ण प्रावधान ठेकेदारों के समर्थन में था और परिषद को 21.92 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा, जैसा कि नीचे वर्णित है:

क्र.सं.	खण्ड का नाम	निर्गम की अवधि	मद एवं मात्रा	अन्तर (लाख रुपये में)
1.	सी डी–7, मेरठ	12/2000 से 3/2001	सीमेंट 24244 बैग इस्पात 14.28 मी.टन	3.86
2.	सी डी–1, गाजियाबाद	4/95 से 3/2001	सीमेंट 29854 बैग इस्पात 1151.965मी.टन	13.48
3.	सी डी–35, इलाहाबाद	1996–97, 1998–99 एवं 2000–2001	सीमेंट 18849 बैग इस्पात 30.549 मी.टन	2.82
4.	सी डी–32, गाजियाबाद	2000–2001	सीमेंट 11473बैग इस्पात 2.536 मी.टन	0.86
5.	सी डी–14, फतेहगढ़	1997–98 से 2000–2001	सीमेंट 1765 बैग इस्पात 22.436 मी.टन	0.90
	योग			**21.92**

3ब.14 सम्पत्तियों का विक्रय

परिषद स्वयं द्वारा निर्मित सम्पत्तियों का विक्रय किसी योजना में पंजीकृत आवेदकों के बीच लॉटरी के आधार पर करता है। सम्पत्तियाँ का विक्रय, नकद, किराया क्रय अथवा स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत किया जाता है। बड़े भूखण्डों का विक्रय, एकमुश्त आधार अथवा किसी संस्था/संगठन विशेष की माँग पर किया जाता है।

3ब.14.1 सम्पत्तियों का मूल्यांकन

परिषद द्वारा निर्मित सम्पत्तियों का मूल्यांकन मई 1992 में जारी की गयी मार्ग निर्देशिका के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। मार्ग निर्देशिका के अनुसार, भूमि का मूल्य, अधिग्रहण पर हुए व्यय, सर्वेक्षण पर हुये व्यय तथा प्रचार और विधिक व्ययों को जोड़कर निश्चित किया जाता है। इस योग में, 17.5 प्रतिशत की दर से ऋणों पर के ब्याज, भूमि के विकास का मूल्य और 12 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण/ब्याज प्रभार भी जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुये कुल मूल्य का 2 प्रतिशत भूमि के रख–रखाव शुल्क के रूप में जोड़ा जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में भूमि का मूल्य 16 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाता है।

इसी प्रकार, निर्मित सम्पत्तियों का मूल्य, वास्तविक निर्माण लागत में 12 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क और निर्माण अवधि में 10 से 17.5 प्रतिशत की दर से ऋण पर के ब्याज को जोड़कर निश्चित किया जाता है। इस योग में ऐसे प्राप्त हुये कुल मूल्य का 2 प्रतिशत रख–रखाव शुल्क के रूप में जोड़ा जाता है। पुनः, स्ववित्त पोषित योजना के मामले में कुल मूल्य का 6 प्रतिशत (भूमि के मूल्य को छोड़कर) तथा अन्य योजनाओं में 8 प्रतिशत संग्रह शुल्क के रूप में जोड़ा जाता है। इस प्रकार निर्मित की गयी सम्पत्तियों को सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय को उपरोक्त निश्चित किये गये मूल्य पर हस्तान्तरित कर दिया जाता है। सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सम्पत्तियों का आवंटन करता है और निर्माण पूर्ण होने की तिथि तथा आवंटन की तिथि की अवधि के मध्य का निश्चित दरों का ब्याज पुनः जोड़ता है।

इस प्रकार यह देखा जाता है कि ब्याज का बोझ दो बार डाला जाता है, (अ) निर्माण अवधि का और (ब) पूर्ण होने तथा आवंटन की तिथि के बीच की अवधि का। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सम्भावित आवंटी को निर्माण में तथा आवंटन में देरी के कारण मूल्य वृद्धि वहन करनी पड़ती है। अतएव, मूल्यांकन की पद्धति परिषद के उचित दरों पर सम्पत्तियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य के विरूद्ध है और आवंटियों को निर्माण तथा आवंटन में देरी के कारण प्रभार को वहन करना पड़ता है।

3ब.14.2 आवंटन के लिए सम्पत्तियों को प्रस्तुत न करने से हानि

72.55 करोड़ रूपये मूल्य की निर्मित सम्पत्तियॉ अनावंटित पड़ी थीं जिसके कारण कुछ सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे हुये

परिषद ने स्थापना से जनवरी 2001 तक 206319 सम्पत्तियों का निर्माण/विकास किया। इनमें से 820.25 करोड़ रूपये मूल्य की 10029 सम्पत्तियाँ (4.9 प्रतिशत) आवंटन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई, जैसा कि परिशिष्ट–51 में वर्णित है। लेखा परीक्षा में देखा गया कि परिशिष्ट–52 में

वर्णित आठ योजनाओं के अन्तर्गत 72.55 करोड़ रूपये की 1216 सम्पत्तियाँ माँग के उचित आंकलन के बिना निर्मित की गयी, फलस्वरूप यह सम्पत्तियाँ 1 माह से 17 वर्ष की अवधि तक आवंटित नहीं की गयीं, जिससे उनमें से कुछ पर अवैध कब्जे हुए।

परिषद 131.24 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का दायित्व उठा रहा है जो मूल्य में जोड़ दिया जायेगा। इससे सम्भावित आवंटी के लिए मूल्य में वृद्धि होगी और उचित दरों पर सम्पत्तियाँ उपलब्ध कराने के सामाजिक उद्देश्य को क्षति पहुँचेगी। परिषद उनके रख–रखाव और मरम्मत पर भी व्यय कर रहा है जो पाँच वर्षों (1994–1999) में 2.37 करोड़ रूपये आगणित किया गया।

3ब.14.3 सिटी मान्टेसरी स्कूल, राजाजीपुरम को भूखण्ड का विक्रय

शैक्षिक संस्थाओं को रियायती दरों पर भूखण्डों के विक्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा नवम्बर 1986 में जारी दिशा–निर्देशों को मार्च 1996 में जारी किये गये निर्देशों से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिनके अनुसार डिग्री कॉलेजों को भूमि का आवंटन उस योजना में प्रचलित दर के 50 प्रतिशत पर किया जाना था।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि राजाजीपुरम योजना, लखनऊ के सेक्टर–8 में सिटी मान्टेसरी स्कूल को फरवरी 1999 में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 32000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गयी। संस्था की प्रार्थना पर, सेक्टर–8 की भूमि के स्थान पर योजना के सेक्टर–6 में 20294 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गयी (दिसम्बर 1999)। परिषद ने अपनी दिसम्बर 1999 की बैठक में भूमि का आवंटन, शासन के नवम्बर 1986 के आदेशों के प्रावधान के अनुसार आवंटित करने का निर्णय लिया, बिना यह ध्यान दिये कि उक्त आदेश मार्च 1996 में जारी किये गये नये आदेश से प्रतिस्थापित किया जा चुका था।

नये दिशानिर्देशों के पालन न करने से 1.24 करोड़ रूपये की हानि हुई

पुनः, यह देखा गया कि संदर्भित दिशा–निर्देशों के अनुसार भूमि का मूल्य 1.77 करोड़ रूपये होता है (20294 वर्गमीटर ग 1740/2 रूपये) जबकि भूमि का आवंटन 0.53 करोड़ रूपये में किया गया था (2000 वर्गमीटर ग 235 रूपये + 2000 वर्गमीटर ग 188 रूपये + 2000 वर्गमीटर ग 117.50 रूपये + 14294 वर्गमीटर ग 70.50 रूपये + उक्त राशि पर मार्च 1997 से जनवरी 2000 की अवधि का 17.5 प्रतिशत की दर से ब्याज)। परिषद को नये दिशा–निर्देशों के जारी होने की उपेक्षा करने से 1.24 करोड़ रूपये की हानि हुई।

उत्तर (अगस्त 2001) में कहा गया कि परिषद ने नवम्बर 1986 के शासनादेश के प्रावधानों में भूमि का आवंटन इस निर्देश के साथ किया कि इसे अन्य मामलों में संदर्भित न किया जाय। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन के मार्च 1996 के आदेशों के तहत 1986 के आदेश, अर्थात संस्था को भूमि आवंटन करने के बहुत पहले ही, निरस्त कर दिये गये थे।

3ब.14.4 राष्ट्रीय आवास बैंक को भूमि का आवंटन

प्रावधानों के उल्लंघन में परिषद ने 0.29 करोड़ रूपये की वसूली के स्थान पर 0.61 करोड़ रूपये वापस कर दिये

परिषद ने, इन्दिरा नगर विस्तार योजना में राष्ट्रीय आवास बैंक को 1.35 करोड़ रूपये मूल्य की 5233.19 वर्गमीटर भूमि आवंटित की (1992),भुगतान की शर्तों के अनुसार, भूमि के मूल्य के समय

से भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट देनी थी। बैंक ने 10 प्रतिशत छूट का लाभ लेकर 1.21 करोड़ रूपये का भुगतान समय से कर दिया। तत्पश्चात् 1997 में, बैंक ने भूखण्ड लेने से मना कर दिया और यह प्रस्ताव दिया कि परिषद भूखण्ड का विक्रय नियमानुसार कर सकता है तथा सेवा शुल्क के रूप में 5 लाख रूपये की कटौती करने के पश्चात् विक्रय से प्राप्त शेष धनराशि बैंक को दे दे। परिषद ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मार्च 1999 में भूखण्ड की नीलामी कर दी। तथापि, अधिकतम बोली लगाने वाले ने धनराशि का भुगतान नहीं किया और बैंक ने प्रस्ताव दिया कि परिषद, बैंक द्वारा जमा की गयी धनराशि, 6 प्रतिशत के ब्याज के साथ वापस कर दे। परिषद की जून 2000 की बैठक में प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। तद्नुसार, बैंक द्वारा जमा धन, 0.61 करोड़ रूपये के ब्याज के साथ (कुल धनराशि 1.82 करोड़ रूपये) जुलाई 2000 में वापस कर दिया गया।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि आवंटन के नियमों के अनुसार यदि कोई आवंटी, आवंटन के एक माह पश्चात् आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना करता है तो उसके द्वारा जमा किया धन, भुगतान की तिथि से निरस्तीकरण की प्रार्थना की तिथि तक, 6 प्रतिशत की दर से ब्याज काट कर वापस किया जायेगा। तथापि, इस मामले में इस प्रकार की कटौती नहीं की गयी, जबकि परिषद ने 0.61 करोड़ रूपये के ब्याज का भुगतान कर दिया जो परिषद के किसी भी नियम के अन्तर्गत नहीं था। इस प्रकार बिना ब्याज प्रभारित किये धन की वापसी का निर्णय, 0.29 करोड़ रूपये की राशि के ब्याज की हानि (1992–93 से 1996–97 तक की अवधि में 6 प्रतिशत पर आगणित) में फलित हुआ। इसके अतिरिक्त 0.61 करोड़ रूपये के ब्याज का अस्वीकार्य भुगतान हुआ जिससे भी परिषद को हानि हुई।

उत्तर (अगस्त 2001) में कहा गया कि नियमों के अनुसार, आवंटियों द्वारा जमा की गयी धनराशि बिना किसी ब्याज के वापस की जाती है किन्तु इस मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि राष्ट्रीय आवास बैंक, परिषद को ऋण उपलब्ध कराता है, नियमों को शिथिल किया गया। उत्तर, इस तथ्य के दृष्टिगत कि नियम ऐसे किसी शिथिलीकरण की अनुमति नहीं देते, मान्य नहीं है।

निष्कर्ष

परिषद की कार्य पद्धति वित्तीय स्रोतों के उचित प्रबन्धन में असफलता के रूप में परिलक्षित हुई जिसके कारण धन के विलम्बित अन्तरण तथा दावों की वसूली न होने से हानि हुई। आवंटियों से प्राप्य भारी धनराशि की वसूली किये जाने में परिषद की असफलता से इसका परिमाण और भी बढ़ गया।

परिषद, भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों के लक्ष्य की प्राप्ति में पीछे रहा। परिषद द्वारा समाधान तथा लेखों के पूर्ण होने के अभाव में, एस. एल.ए.ओ. द्वारा प्रतिपूर्ति की माँग के औचित्य की छान–बीन भी नहीं की जा सकी। फलस्वरूप, इसने अधिक प्रतिपूर्ति तथा बिना भूमि अधिग्रहीत किये प्रतिपूर्ति का भुगतान किया।

विकसित भूमि का एक बड़ा भाग अनुपयोजित पड़ा था। विकसित कालोनियाँ या तो नगर निगम को स्थानान्तरित नहीं की गई या देर से स्थानान्तरित की गई, जिससे

उनके रख–रखाव पर अपरिहार्य व्यय हुआ। शासन के अनुमोदन के अभाव में, ऐसे व्यय की वसूली सुविधाओं के उपयोगकर्त्ताओं से नहीं की जा सकी।

परिषद को कुशल अनुश्रवण तथा विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखकर अपनी कार्य पद्धति में सुधार करने की आवश्यकता है।

प्रकरण, सरकार को जून 2001 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2001)।

4. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित विविध रोचक विषय

4अ. सरकारी कम्पनियाँ

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन लिमिटेड

4अ.1 अतिरिक्त व्यय

प्राक्कलन से अधिक व्यय करने हेतु सिंचाई विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने में असफलता के परिणामस्वरूप 1.41 करोड़ रूपये की हानि हुई।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया (मार्च 1996) कि सिंचाई विभाग के नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित कार्य इस शर्त के साथ कम्पनी द्वारा किये जायेंगे कि कम्पनी कार्यो को परियोजना के प्राक्कलन में दर्शित दरों पर लिखित सहमति होने पर ही निष्पादित करेगी। निधियों को सिंचाई विभाग द्वारा अवमुक्त किया जाना था। लेखा परीक्षा में यह पाया गया (दिसम्बर 2000) कि कम्पनी ने लिखित सहमति दी (अक्टूबर 1996) और सिंचाई विभाग के 100 नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु परियोजना का कार्य हाथ में लिया। कम्पनी ने नाबार्ड फेज–1 और फेज–2 द्वारा और राज्य नियोजन के अन्तर्गत वित्त पोषित 137 नलकूपों के छिद्रण एवं विकास से सम्बन्धित तथा विभिन्न नलकूपों पर पम्प सेटों की संस्थापना तथा अन्य सम्बन्धित कार्यो का निष्पादन किया। इस कार्य के लिए कोई सेन्टेज प्रभार अनुमत नहीं किया गया। इन कार्यो की लागत सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 23.26 करोड़ रूपये थी। कम्पनी ने इन कार्यो को 24.66 करोड़ रूपये खर्च करके पूरा किया एवं ग्राहक को हस्तान्तरित किया (मार्च 1999)। कम्पनी ने 1.41 करोड़ रूपये के अतिरिक्त व्यय के निम्नांकित कारण बताये (i) उच्चतर क्षमता के पम्प सेटों की स्थापना (55.72 लाख रूपये) (ii) उखाड़ी गई सामग्री का न प्राप्त होना (82.20 लाख रूपये); (iii) अतिरिक्त आउटलेटों के निर्माण (3.02 लाख रुपये)।

कम्पनी ने प्राकक्लन से अधिक खर्चों के व्यय के लिए न तो सिंचाई विभाग की स्वीकृति प्राप्त की और न ही इसके लिए सिंचाई विभाग को दावा प्रस्तुत किया।इससे कम्पनी को 1.41 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2001) कि तकनीकी कारणों एवं परियोजना के संतोषजनक निष्पादन हेतु प्राक्कलन से अधिक खर्च, मोटरों की क्षमता में परिवर्तनय अतिरिक्त आउटलेटों के निर्माण एवं पुराने पम्प सेटय दरवाजोंय खिड़कियों और पम्प एसेम्बली के लिए 60000 रूपये प्रति नलकूप की कटौती, के कारण किया गया।

कम्पनी का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि परियोजना हाथ में लेने के लिए स्थिर दरों की लिखित सहमति देने के समय कम्पनी ने परियोजना की तकनीक को समझने का प्रयास नहीं किया। कम्पनी ने उखाड़ी गयी सामग्री को कब्जे में लेने का भी कोई प्रयास नहीं किया।

प्रकरण, राज्य सरकार को सूचित किया गया (मई 2001); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2001)।

उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड

4अ.2 अनुपयुक्त स्थल के चयन से निष्फल व्यय

हैचरी के लिए उपयुक्त स्थल चयन न करने की कम्पनी की असफलता से 0.47 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में मछली की प्रजातियों की आपूर्ति के दृष्टिकोण से, कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित 'एकीकृत ग्रामीण विकास योजना' (आई आर डी पी) के अन्तर्गत मथुरा जिले के कोलाहार ग्राम में 15 हेक्टेयर भूमि पर 21 तालाबों सहित 10 हेक्टेयर जल क्षेत्र में 46.60 लाख रूपये की लागत पर एक हैचरी का निर्माण किया (दिसम्बर 1985)। जल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु दो गहरे नलकूप भी निर्मित किये गये।

प्रारम्भ से ही हैचरी ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिये क्योंकि मछलियाँ कठोर जल में जीवित नहीं रहीं। 1987 में हैचरी को पट्टे पर देने का एक प्रयास किया गया जो साकार नहीं हुआ, इसके कारण अभिलेखों में नहीं थे। तत्पश्चात्, शासन ने संतोषजनक परिणाम प्राप्ति हेतु हैचरी के सुधार के लिये अगस्त 1990 में 16.50 लाख रूपये की निधि निर्मुक्त की, परन्तु कठोर जल की समस्या के कारण यह भी शुरू नही की जा सकी। कम्पनी ने फरवरी 1995 में केन्द्रीय मत्स्य संस्थान, मुम्बई एवं भुवनेश्वर द्वारा जल एवं मिट्टी के परीक्षण की व्यवस्था की। संस्थान ने यह निष्कर्ष निकाला कि हैचरी, जल में लवण एवं क्लोराइड्स की अत्यधिक मात्राा एवं हैचरी की मिट्टी में रेत की उपस्थिति के कारण मत्स्य प्रजनन, पालन एवं संवर्धन के लिये उपयुक्त नहीं थी।

कठोर जल की समस्या को दूर करने के लिये कम्पनी ने सिंचाई विभाग की नजदीक की नहरों से ताजे पानी की आपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास किया (नवम्बर 1996 एवं मार्च 2000) परन्तु यह लाभप्रद नहीं पाया गया क्योंकि यह व्यवस्था खर्चीली थी। अन्ततोगत्वा, हैचरी की परिसम्पत्तियाँ और भूमि को बेचने का निर्णय लिया गया (फरवरी 2001)। तथापि, हैचरी आज तक बेची नहीं जा सकी (जून 2001)।

कम्पनी ने हैचरी हेतु स्थल का चुनाव उसकी मिट्टी और जल के परीक्षण के बिना ही कर लिया

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (मार्च 2001) कि कम्पनी ने परियोजना क्रियान्वयन होने से पूर्व परियोजना हेतु स्थल के चयन के प्रस्ताव के समय, स्थल के जल एवं मिट्टी की जाँच के लिये कदम नहीं उठाया, यद्यपि यह दोनों अवयव मछलियों के जीवन के लिये मूलभूत आवश्यकतायें थीं। इस कारण 46.60 लाख रूपये का व्यय निष्फल हो गया।

शासन एवं प्रबन्धन दोनों ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2001) और सूचित किया कि उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को हैचरी की भूमि एवं परिसम्पत्तियों को बेचने की अनुमति प्राप्त करने के लिए लिखा है क्योंकि हैचरी के निर्माण के लिए धन आई आर डी पी से प्राप्त किया था।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

4अ.3 साँग सेतु के निर्माण में निधियों की अवरूद्धता

ग्राहक की पूर्वानुमति के बिना कम्पनी द्वारा व्यय किये जाने के कारणवश 1.26 करोड़ रूपये तक की निधियॉ अवरूद्ध हो गई।

राज्य सरकार ने मुरादाबाद–देहरादून मार्ग पर साँग नदी के ऊपर सम्पर्क मार्ग सहित 188.10 मीटर आर सी सी सेतु के निर्माण हेतु 1.58 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (मार्च 1996)। कम्पनी को केवल सेतु के निर्माण का कार्य 95.40 लाख रूपये की अनुमानित लागत पर सौंपा गया था। तकनीकी कारणों से सेतु की लम्बाई को 209.37 मीटर तक बढ़ा दिया गया। कम्पनी ने सेतु को 2.22 करोड़ रूपये के व्यय पर (1.26 करोड़ रूपये अन्य इकाइयों से मोड़ कर) मार्च 1998 में पूरा किया।

कम्पनी ने सेतु की लम्बाई में वृद्धि एवं लागत हेतु सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया

लागत में 95.40 लाख रूपये से 2.20 करोड़ रूपये की वृद्धि के बावजूद, कम्पनी ने सरकार के मार्च 1996 के निर्देशों के अनुसार ग्राहक (सरकार) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। इसने अंतिम रूप से संशोधित आंकलन को जुलाई 2000 में भेजाय ग्राहक की स्वीकृति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2001)। सरकार ने भी उन अधिकारियों जिन्होंने स्वीकृत लागत से अधिक व्यय करने से पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त किया था, पर उत्तरदायित्व नियत करने के निर्देश दिये थे (सितम्बर 2000)।

इस प्रकार, अतिरिक्त व्यय हेतु पूर्वानुमति प्राप्त करने में कम्पनी के असफल होने के परिणामस्वरूप 1.26 करोड़ रूपये की धनराशि अवरूद्ध हो गई। उत्तराँचल राज्य के गठन के साथ ही जिससे सेतु अब संबद्ध हो गया है, नये राज्य द्वारा निधि की निर्मुक्ति जोखिम में पड़ चुकी है।

कम्पनी और शासन दोनों ने उत्तर में बताया (अगस्त 2001 में) कि कार्य स्थल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेतु की लम्बाई बढ़ाई गई। उत्तराँचल राज्य के अलग होने के कारण पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति प्रतीक्षित है (अगस्त 2001)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी नियमानुसार पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने में विफल रही जिसके कारण धनराशि अवरूद्ध हुई।

4अ.4 बजरी के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने निविदायें आमंत्रित करने के बजाय बाजार सर्वेक्षण के आधार पर अत्यन्त उच्च दरों पर बजरी के क्रय पर 0.23 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय किया।

कम्पनी की क्रय नीति के अनुसार उपभोग होने वाली वस्तुओं का क्रय इकाई प्रभारियों द्वारा, कार्य के स्वीकृत प्राक्कलन के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यह निर्धारित किया गया है कि एक लाख रूपये से अधिक के क्रय 21 दिनों की स्पष्ट नोटिस के साथ निविदायें आमन्त्रित करने के बाद और एक लाख से कम के क्रय सील बन्द कोटेशन के आधार पर किये जाने चाहिए।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया (जनवरी 2001) कि कम्पनी की सोनभद्र इकाई ने जनवरी 1999 से मार्च 2000 के दौरान, सेतु निर्माण में उपभोग के लिए विभिन्न आकार के (20 एम एम और 40 एम एम) की 10208.48 घन मीटर (एम3) बजरी का क्रय निविदा आमंत्रित करके, करने के बजाय सीधे बाजार सर्वेक्षण के आधार पर टुकड़ो में किया। बाजार सर्वेक्षण के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को अनुमन्य दरें 20 एम एम आकार के लिए 465.40 रूपये से 487.40 रूपये प्रति घन मीटर एवं 40 एम एम आकार के लिए 428.40 से 450.40 रूपये प्रति घन मीटर तक आरेखित थीं। तदोपरान्त इकाई ने मार्च 2000 में निविदायें आमंत्रित की और पी एन इन्टरप्राइजेज चोपन (सोनभद्र) के पक्ष में न्यूनतम दरों पर निर्णय दे दिया जो 12 एम एम, 20 एम एम और 40 एम एम आकार की बजरी के लिए क्रमशः 105 रूपये, 305 रूपये और 205 रूपये प्रति घन मीटर थी। 28 अप्रैल 2000 को पी एन इन्टरप्राइजेज के साथ अप्रैल 2000 से मार्च 2001 के दौरान विभिन्न आकार की 11700 मीटर बजरी की आपूर्ति के लिए एक अनुबन्ध निष्पादित किया गया।

कम्पनी ने निविदायें आमंत्रित करने के बजाय बाजार सर्वेक्षण के आधार पर बजरी का क्रय किया

इस प्रकार कम्पनी ने निविदायें आमंत्रित करने के बजाय बाजार सर्वेक्षण के आधार पर अत्यंत उच्च दरों पर 10208.48 घन मीटर बजरी के क्रय पर 23.37 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया।

प्रबन्धन एवं शासन ने बताया (अगस्त 2001) कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1998–99 में खनन प्रक्रिया निषिद्ध कर दिये जाने के कारण बजरी की दरें 1999–2000 के दौरान उच्चतर हो गई थीं तथा बजरी का क्रय, एक समिति द्वारा किये गये बाजार सर्वेक्षण के आधार पर तथा कोटेशन प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम दरों पर किया गया था और पी एन इन्टरप्राइजेज ने स्थानीय कारणों के होते बाजार दरों से कम दरें उद्धरित करते हुए निविदा प्रस्तुत की और इसलिए फर्म सम्पूर्ण मात्राा की आपूर्ति करने में असफल रही तथा कम्पनी को उनकी जमानत राशि जब्त करनी पड़ी। कम्पनी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी खनन प्रक्रिया के निषेध के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय अथवा जिला अधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश को प्रस्तुत करने में असफल रही। पुनः, पी एन इन्टरप्राइजेज ने अप्रैल 2000 से मार्च 2001 तक बजरी की आपूर्ति जारी रखी तथा सहमत दरों पर भुगतान प्राप्त किया।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड

4अ.5 चीनी के अनुचित संग्रहण के कारण हानि

नमी को रोकने/नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त ध्यान देने में असफल होने से बड़ी मात्रा में चीनी नम हो गई और परिणामस्वरूप 0.83 करोड़ रूपये की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सकोती टांडा एवं अमरोहा ईकाइयों की लेखापरीक्षा (क्रमशः अप्रैल एवं जुलाई 2000) के दौरान यह देखा गया कि इन इकाईयों के चीनी भण्डार गृह की स्थिति उचित स्थानों पर नहीं थी और चीनी पुराने जीर्ण गोदामों (अमरोहा इकाई) में भण्डारित की गई थी। परिणामस्वरूप भण्डार गृहों के अंदर लगातार नमी बनी रहती थी। प्रबंधन, नमी को नियंत्रित करने या रोकने के लिये पर्याप्त ध्यान देने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप चीनी की एक बड़ी मात्राा प्रभावित हुई और प्रबंधन को नम/अर्द्ध–नम चीनी को घटी हुई दरों पर बेचना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप 1995–96 से 1999–2000 के दौरान 83.09 लाख रूपये की परिहार्य हानि हुई जिसका विवरण निम्नवत है:

इकाई का नाम	विक्रय की अवधि	बेची गयी मात्रा	सामान्य चीनी की औसत बिकी दरें	नम चीनी की औसत बिकी दरें	दरों का अन्तर (4–5)	हानि की राशि
1	2	3	4	5	6	7
		कुन्तल	रूपया प्रति कुन्तल			लाख रूपये में
सकोती टाण्डा	1997–1998	10651	1280.80	1262.57	18.23	1.94
	1998–1999	20306	1351.23	1267.40	83.83	17.02
	1999–2000	8519	1387.17	1330.30	56.79	4.84
	योग	**39476**				**23.80**
अमरोहा	1996–1997	1343	1092.67	1072.79	19.88	0.27
	1997–1998	33281	1305.59	1235.84	69.75	23.21
	1998–1999	23431	1326.42	1260.31	66.11	15.49
	1999–2000	18381	1264.60	1154.05	110.55	20.32
	योग	**76436**				**59.29**
	कुल योग					**83.09**

सकोती टाण्डा इकाई के स्थानीय प्रबन्धन ने बताया कि बरसात का पानी फैक्ट्री के चारो तरफ एकत्रित रहता है और बाहरी मैदान पूर्णरूप से जलमग्न रहता है तब नमी भण्डार गृह में अवश्य ही प्रवेश करती है। अमरोहा इकाई ने बताया (जुलाई 2000) कि भण्डार गृह बहुत पुराने हैं और चीनी गोदामों के मानकों के अनुरूप नहीं है।

प्रबन्धन उपचारी कदम उठाने में विफल रहा

स्थानीय प्रबन्धनों के उत्तर लेखापरीक्षा के इस अभिमत की पुष्टि करते हैं कि मुख्यालय प्रबन्धन चीनी को नम होने से रोकने के लिये कोई उपचारी कदम उठाने में असफल रहा जिससे कम्पनी को नम चीनी की बिक्री में 83.09 लाख रूपये की भारी परिहार्य हानि उठानी पड़ी।

4अ.6 उठाई नहीं गई मुक्त बिक्री की चीनी के लेवी कोटे में परिवर्तन के कारण हुई क्षति की अभिकर्ताओं से वसूली न होना

उन अभिकर्ताओं जिनकें अनुबन्ध निरस्त कर दिये गये थे, के विरूद्ध समय से क्षति आरोपित करने में कम्पनी की असफलीता के कारण 2.08 करोड़ रूपये की हानि हुई।

चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्राविधानों के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार प्रत्येक माह मुक्त बिक्री की चीनी का कोटा निर्गत करती है। निर्गत आदेश में रखी गई शर्तो में साथ ही यह भी संकल्पित था कि सम्पूर्ण निर्गत मात्रा की बिक्री एवं प्रेषण में असफलता उपरोक्त उल्लिखित आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और अपनी वैधता अवधि की समाप्ति पर प्रेषित नहीं की गई मुक्त बिक्री की चीनी को लेवी कोटा में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

मुक्त बिक्री की चीनी की बिक्री अभिकर्ताओं के माध्यम से की जाती है जिन्हें मुक्त बिक्री की चीनी कम्पनी के बिक्री कार्यालयों द्वारा आवंटित की जाती है। अभिकर्ताओं के साथ किए गए अनुबंधों में रखी गई शर्तो के अनुसार उन्हें आवंटित सम्पूर्ण मात्राा को विक्रय बीजक में वर्णित वैधता अवधि के अन्दर उठा लिया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर वे विक्रय बीजक में वर्णित विक्रय मूल्य और भारत सरकार द्वारा उस चीनी उत्पादन–वर्ष से सम्बन्धित निर्धारित किये गये लेवी मूल्य के अन्तर की प्रतिपूर्ति करते हुये हानि की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी थे।

कम्पनी, अनुबन्ध की अवधि में अभिकर्ताओं के विरूद्ध क्षति का आरोपण करने में असफल रही

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (जनवरी 2001) कि वर्ष 1992–93 से 1996–97 के उत्पादन से सम्बन्धित 226645 कुन्तल मुक्त बिक्री की चीनी को केन्द्र सरकार द्वारा जून 1996 से सितम्बर 1998 के दौरान जारी अपने आदेश द्वारा लेवी चीनी में परिवर्तित कर दिया गया जिसमें से 168250 कुन्तल का परिवर्तन, कम्पनी द्वारा नियुक्त किये गये अभिकर्ताओं द्वारा चीनी न उठाने के कारण किया गया था। तथापि प्रबन्धन, केन्द्र सरकार के आदेशों की प्राप्ति के तुरन्त बाद अनुबंध की शर्तो के अनुसार अभिकर्ताओं के विरूद्ध क्षति को आरोपित करने में असफल रहा। तथापि लेखा परीक्षा द्वारा लगातार इंगित करने के बाद, कम्पनी ने वर्ष 2000 में अभिकर्ताओं के विरूद्ध क्षति के आरोपण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की और 3.05 करोड़ रूपये की क्षति की गणना की। उस समय तक, 21 अभिकर्ताओं के अनुबंध निरस्त कर दिये गये थे और इन अभिकर्ताओं के विरूद्ध कुल 2.08 करोड़ रूपये की क्षति को आरोपित नही किया जा सका। इस प्रकार उन अभिकर्ताओं जिनके अनुबन्ध निरस्त कर दिये गये थे, के विरूद्ध समय से क्षति आरोपण किये जाने में प्रबन्धन की असफलता के कारण, कम्पनी को 2.08 करोड़ रूपये की हानि उठानी पड़ी।

प्रकरण, कम्पनी को मई 2001 में तथा शासन को जून 2001 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2001)।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

4अ.7 वैधता अवधि के अन्दर आदेश न जारी करने के कारण अतिरिक्त व्यय

परियोजना निविदा समिति (पी टी सी) द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण, कार्य द्वितीय न्यूनतम प्रस्तावक को प्रदान करना पड़ा।

परियोजना निविदा समिति ने प्रस्ताव की वैधता अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात दरों को अनुमोदित किया

पारीछा ताप विद्युत केन्द्र के कोल हैंडलिंग डिवीजन–प्प ने एक वर्ष की अवधि के लिए कोयले की ढुलाई के लिए निविदायें आमन्त्रित की (15नवम्बर 1997)। निविदायें, 19 दिसम्बर 1997 को खोली गयीं। चार निविदाओं में से मेसर्स इमरात सिंह एण्ड सन्स, पारीछा, झाँसी की 24.95 लाख रूपये की निविदा, जिसकी दरें 18 मार्च 1998 तक वैध थीं, निम्नतम पाई गई।

परियोजना निविदा समिति ने न्यूनतम निविदादाता की दर का अनुमोदन 27 मार्च 1998 को किया अर्थात प्रस्ताव की वैधता अवधि (18 मार्च 1998)की समाप्ति के पश्चात्। इसी बीच ठेकेदार ने वैधता अवधि के अन्दर निविदा के स्वीकार न किये जाने के आधार पर अपनी धरोहर राशि (0.60 लाख रूपये) को वापस किये जाने के लिये अनुरोध किया (26 मार्च 1998)। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये पी टी सी द्वारा यह निर्णय लिया गया (अप्रैल 1998) कि कार्य को द्वितीय न्यूनतम निविदादाता को 31.98 लाख रूपये की लागत पर 15.04.1998 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान कर दिया जाय। ठेकेदार ने कार्य, अप्रैल 1998 से अगस्त 1999 के दौरान 39.11 लाख रूपये की कुल लागत पर निष्पादित कर दिया।

इस प्रकार, पी टी सी द्वारा वैधता अवधि के अन्दर निविदा को अंतिम रूप न देने के कारण, कार्य को द्वितीय न्यूनतम निविदादाता को उच्चतर दर पर प्रदान करना पड़ा जिसके फलस्वरूप न्यूनतम निविदादाता द्वारा किए गए कुल कार्य पर, प्रथम एवं द्वितीय न्यूनतम निविदादाताओं के मध्य प्रत्येक मद की दर के अन्तर के आधार पर आगणित, 9.93 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

उत्तर में प्रबन्धन ने बताया (जून 2001) कि न्यूनतम निविदादाता ने उनके पक्ष में लेटर आफ इन्टेन्ट (एल ओ आई) दिये जाने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जिसके कारण कार्य, द्वितीय न्यूनतम निविदादाता को प्रदान करना पड़ा।

उत्तर इस तथ्य को देखते हुए मान्य नहीं है कि प्रथम न्यूनतम निविदादाता के प्रस्ताव की वैधता अवधि के व्यतीत होने के बाद एल ओ आई ठेकेदार के पक्ष में प्रदान किया गया था और इसलिए पक्षकार उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था।

प्रकरण, शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था। (सितम्बर 2001)।

4अ.8 राजस्व का विलम्बित निर्धारण

ऊर्जा के उपभोग का निर्धारण करने में विलम्ब के फलस्वरूप कम्पनी के वित्तीय संसाधन की स्थिति पर प्रभाव सहित विलम्बित वसूली हुई।

कम्पनी, बैंक के नगद साख खातों से, 5 से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष तक आरेखित विभिन्न ब्याज दरों पर निधियों के आहरण सहित, ऋण की निधियों से कार्य करती रही थी। उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरम्भिक प्रतिभूति की माँग एवं ऊर्जा के उपभोग का निर्धारण करने में विलम्ब के फलस्वरूप विलम्बित वसूली से कम्पनी के वित्तीय संसाधन की स्थिति पर परिणामी प्रभाव पड़ा।

लेखा परीक्षा की नमूना जाँच (मार्च 2000 से सितम्बर 2000) के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी के 12 विद्युत वितरण खण्डों ने निर्धारित बिलिंग समय–सारणी के अनुसार 4.69 करोड़ रूपये के निर्धारण जारी नहीं किये जिन्हें बाद में लेखा परीक्षा की पहल पर जारी किया गया जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	खण्ड का नाम	लेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तावित निर्धारण			वसूल की गई राशि (लाख रूपये में)	टिप्पणियाँ
		निर्धारण का स्वरूप	माह	राशि (लाख रूपये में)		
1.	ई डी डी, शाहजहाँपुर	प्रारम्भिक प्रतिभूति	नवम्बर 1999	23.05	––	बिल जारी किये गये परन्तु वसूली प्रतीक्षित थी।
2.	ई डी डी–III, मथुरा	प्रारम्भिक प्रतिभूति	जून 2000	5.47	––	बिल जारी किये गये परन्तु वसूली प्रतीक्षित थी।
3.	ई डी डी–देहरादून (ग्रामीण)	प्रारम्भिक प्रतिभूति	अप्रैल 2000	8.94	4.37	बिल जारी किये गये परन्तु वसूली प्रतीक्षित थी।
4.	ई यू डी डी–V, आगरा	प्रारम्भिक प्रतिभूति	जुलाई 2000	15.41	––	बिल जारी किये गये परन्तु वसूली प्रतीक्षित थी।
5.	केस्को, कानपुर	ऊर्जा चोरी के विरूद्ध कम निर्धारण	मार्च 2000	16.05	––	खण्ड द्वारा विद्युत कारक 0.75 के स्थान पर 0.5 लेने के कारण कम निर्धारण किया गया। लेखा परीक्षा की पहल पर बिल जारी किये गये परन्तु वसूली प्रतीक्षित थी।
6.	ई यू डी डी दक्षिण, देहरादून	खराब मीटर के कारण कम निर्धारण	जून 2000	56.92	––	बिल जारी किये गये परन्तु वसूली प्रतीक्षित थी।

7.	ई डी डी–I, वाराणसी	अतिरिक्त अधिभार	नवम्बर 2000	20.85	20.85	लेखा परीक्षा की पहल पर खण्ड ने अतिरिक्त अधिभार के बिल जारी एवं वसूल किये।
8.	ई डी डी, हमीरपुर	सिस्टम लोडिंग प्रभार, विलम्बित भुगतान अधिभार एवं प्रतिभूति	जून 2000	253.16	154.30	खण्ड द्वारा लेखा परीक्षा की पहल पर बिल जारी एवं वसूल किये गये । शेष वसूली प्रतीक्षित थी।
9.	ई डी डी, काशीपुर	विद्युत प्रभार का कम आरोपण	दिसम्बर 2000	5.48	---	खण्ड ने जुलाई 2001 में संगणक केन्द्र को दोनों को जारी करने की एडवाइस भेजी।
10.	ई डी डी, बाराबंकी	दर सूची को गलत लागू करना	मई 2000	9.31	---	खण्ड द्वारा जून 2001 में बिल जारी किये गये परन्तु वसूली प्रतीक्षित थी।
11.	ई यू डी डी, कल्याणीदेवी, इलाहाबाद	विद्युत शुल्क	फरवरी 2000	49.24	---	निर्धारण किये गये परन्तु वसूली प्रतीक्षित थी।
12.	ई डी डी, मैनपुरी	विद्युत शुल्क	जून 2000	5.43	---	निर्धारण किये गये परन्तु वसूली प्रतीक्षित थी।
	योग			**469.31**	**179.52**	

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए गए 4.69 करोड़ रुपये के निर्धारण के विरूद्व, खण्ड द्वारा मार्च 2000 से दिसम्बर 2000 की अवधि के दौरान बिल जारी किये गये जिसमें से 1.80 करोड़ रुपये की वसूली हो गई थी। 2.89 करोड़ रुपये की शेष राशि की वसूली बाकी थी (जून 2001)।

प्रकरण, कम्पनी एवं शासन को जून 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नही हुये थे (सितम्बर 2001)।

4अ.9 उच्चतम प्रस्ताव की अविवेकी अस्वीकृति

कम्पनी द्वारा बन्द विद्युत गृह की सम्पत्तियों के निस्तारण के प्रस्ताव को न स्वीकार करने से 1.92 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हो सकी।

मऊ जिले का 15 मेगा वाट का एक विद्युत गृह 1982 के दौरान स्थाई रूप से बन्द कर दिया गया था। भूतपूर्व यू पी एस ई बी ने उक्त विद्युत गृह का छः माह के अन्दर निस्तारण किए जाने का आदेश दिया था(जुलाई 1991)। तथापि, विद्युत गृह की सम्पत्तियों का मूल्यांकन, एक मूल्यांकनकर्ता के द्वारा, विलम्ब से (दिसम्बर 1996) 1.44 करोड़ रुपये पर कराया गया। मुख्य

अभियन्ता(सी ई), रूरल इंजीनियरिंग सेकेण्डरी सिस्टम प्लानिंग और्गेनाइजेशन (रेस्पो) ने जैसा है जहाँ है के आधार पर सितम्बर 1998 में निविदायें आमंत्रित की।

निविदा की शर्तो के अनुसार, सामग्रियों को ठेकेदार द्वारा छः माह के अन्दर उठाना था एवं प्रत्येक लॉट का पूर्ण भुगतान लॉट के उठाने के पूर्व ही करना था। उच्चतम निविदाकर्ता मेसर्स उत्तम ट्रेडर्स, कानपुर ने 1.92 करोड़ रुपये का प्रस्ताव इस अतिरिक्त शर्त पर दिया कि 17 सितम्बर 1998 को उन्हें दिखाई गई सभी मशीनें, संयन्त्रा, सामग्री, परिवर्तक, ओ सी बी आदि उन्हें सौंप दिये जायेंगे तथा किसी सामग्री के कम होने की दशा में यह कम्पनी के खाते पर ली जाएंगी। पुनः, सभी सामग्रियों को 15 बराबर भागों में बाँटा जाना था (15 माह में उठाए जाने के लिए) एवं तद्नुसार भुगतान किया जाना था।

सी ई, रेस्पो ने इस अनुशंसा के साथ कि अतिरिक्त शर्तो के सन्दर्भ में वार्ता करने के पश्चात् निस्तारण उच्चतम निविदा की दरों पर किया जाएगा, प्रकरण को केन्द्रीय भण्डारण क्रय समिति (सी एस पी सी) को अग्रसारित कर दिया (फरवरी 1999)। सी एस पी सी ने 21 अप्रैल 1999 की अपनी बैठक में उच्चतम बोली लगाने वाले की दर का अनुमोदन कर दिया लेकिन अतिरिक्त शर्तो को अनुमोदित नहीं किया और यदि क्रेता निविदा सूचना की शर्तो को मानने के लिए तैयार नही हो तो सी एस पी सी के सम्मुख प्रकरण को पुनः विचार हेतु रखे जाने का निर्देश दिया। तथापि प्रकरण को सी एस पी सी के सम्मुख पुनः वार्ता के लिए नहीं रखा गया।

सी एस पी सी ने तथापि, उच्च्तम बोलीकर्ता की अतिरिक्त शर्तो को अस्वीकार करने के पूर्व, जैसा है जहाँ है के आधार पर सामग्रियों के समस्त लॉट को उठाये जाने की मूल शर्त में बदलाव को नहीं माना। उपरोक्त दशा में और इस तथ्य के बावजूद भी कि उच्चतम प्रस्ताव परिसम्पत्तियों के अनुमोदित मूल्य से अधिक था, विद्युत गृह की परिसंपत्ति का निस्तारण नहीं किया जा सका और कम्पनी विद्युत गृह के मूल्य अर्थात 1.92 करोड़ रूपये की वसूली नहीं कर सकी।

निगम ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2001) कि उच्चतम बोलीकर्ता को एक स्वीकृति पत्र जारी किया गया था तथा उसे अपने प्रस्ताव के मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि धरोहर के रूप में जमा करने के लिए कहा गया परन्तु फर्म ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि जारी किया गया स्वीकृति पत्रा उनके प्रस्ताव की शर्तो के अनुरूप नहीं था। नई निविदा आमंत्रित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उच्चतम बोलीकर्त्ता की शर्तो में निविदा सूचना में दी गई सामान्य शर्तो से अलग कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन सम्मिलित नहीं था। वाणिज्यिक विवेक का प्रयोग करते हुए उच्चतम बोलीकर्ता की शर्तो को मान लेना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्ति के मूल्य की वसूली नहीं की जा सकी।

प्रकरण, शासन को मई 2001 में सूचित किया गया ; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4अ.10 राजस्व की कम वसूली

अशुद्ध दर सूची के प्रयोगग एवं न्यूनतम प्रभारों के अल्प देयकीकरण के कारण उपभोक्ताओं का 1.44 करोड़ रूपये से कम देयकीकरण।

(1) दर सूची का अशुद्ध प्रयोग

(क) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की 25 जनवरी 1999 से प्रभावी दर सूची के अनुसार कुटीर ज्योति एवं जनता सर्विस उपभोक्ताओं की बिलिंग दर सूची–एल एम वी–1 के अन्तर्गत की जानी चाहिए थी (इन उपभोक्ताओं के लिए अब तक प्रचलित दर सूची–एल एम वी–4 को समाप्त कर दिया गया था)। एल एम वी–1 में प्रावधान है कि 2 किलो वाट तक के भार के लिये उपभोग की गयी विद्युत का प्रभारण प्रति संयोजन प्रति माह 52 रुपये की दर से किया जाएगा जबकि एल एम वी–4 के अन्तर्गत, विद्युत प्रभार की दरें कुटीर ज्योति के सम्बन्ध में 10 रूपये प्रति संयोजन और जनता सर्विस के संयोजन के सम्बन्ध में 3 प्वाइंटो हेतु 15 रूपये प्रति संयोजन प्रति माह थीं।

उपभोक्ताओं का या तो देयकीकरण कम दरों पर किया गया या किया ही नहीं गया

लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया (अप्रैल से नवम्बर 2000) कि फरवरी 1999 से जुलाई 2000 की अवधि के दौरान विद्युत वितरण खण्डों मथुरा, मैनपुरी और सुल्तानपुर के कुटीर ज्योति और जनता सर्विस के उपभोक्ताओं का देयकीकरण एल एम वी–1 की उच्च दर के स्थान पर एल एम वी–4 की कम दर पर किया गया एवम् गोरखपुर एवं देहरादून में किया ही नहीं गया।

इसके परिणामस्वरूप, दर–सूची के गलत लागू करने से 1.24 करोड़ रूपये का अल्प देयकीकरण हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	अवधि	अल्प देयकीकरण की राशि (लाख रूपये में)
1.	वि वि ख–III, मथुरा	1824	2/99 से 5/2000तक	11.79
2.	वि वि ख, मैनपुरी	2483	2/99 से 5/2000तक	16.92
3.	वि वि ख, सुल्तानपुर	5165	2/99 से 7/2000तक	39.54
4.	वि वि ख (आर), देहरादून	2981	2/99 से 4/2000तक	29.44
5.	वि वि ख(आर), गोरखपुर	2617	2/99 से 7/2000तक	25.85
योग				**123.54**

शीर्ष समय प्रतिबन्ध से मुक्त शीत गृह उपभोक्ताओं का देयकीकरण अनिरन्तर प्रक्रम के उपभोक्ताओं पर लागू दरों पर किया गया

(ख) भूतपूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के आदेशानुसार (अप्रैल 1986), अनिरन्तर प्रक्रम के उपभोक्ताओं का देयकीकरण जिन्हें राज्य सरकार द्वारा शीर्ष समय प्रतिबन्ध से छूट दी गई थी, निरन्तर प्रक्रम के उपभोक्ताओं को लागू दर–सूची के अनुसार किया जायेगा। इन उपभोक्ताओं में शीतगृह, बर्फ फैक्ट्री, चीनी मिलें, वस्त्र मिलें, कताई मिलें एवं जूट मिलें भी सम्मिलित थीं।

विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान (नवम्बर 2000)यह पाया गया कि दो शीत गृहों यथा मेसर्स के. वी. कोल्ड स्टोरेज और मेसर्स गुरदयाल सिंह कोल्ड

स्टोरेज को यद्यपि शीर्ष समय प्रतिबन्ध से छूट दी गयी थी, तथापि उनका देयकीकरण जनवरी 1997 से फरवरी 2001 की अवधि के दौरान एल एम वी–6 के अन्तर्गत निरन्तर प्रक्रम के स्थान पर अनिरन्तर प्रक्रम श्रेणी में किया गया। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 1997 से फरवरी 2001 की अवधि में 7.80 लाख रूपये का कम देयकीकरण किया गया।

(ग) 25 जनवरी 1999 से लागू दर सूची के अनुसार, 1991 की जनगणना के अनुसार 10000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम/कस्बों के क्षेत्र के उपभोक्ताओं का मीटर पर अभिलेखित उपभोग हेतु देयकीकरण दर सूची–एल एम वी–1 की सामान्य दर पर होना चाहिए था। लेखा परीक्षा की नमूना जॉच में पाया गया कि 1991 की जनगणना के अनुसार 10000 से अधिक जनसंख्या वाले दो ग्रामों के 412 उपभोक्ताओं तथा तीन ग्रामों के 2044 उपभोक्ताओं का देयकीकरण स्थिर दरों पर वि वि खण्ड, कानपुर (18.76 लाख रुपये) एवं वि वि खण्ड–1, अलीगढ़ (3.78 लाख रुपये) पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप फरवरी 1999 से जुलाई 2000 की अवधि के दौरान 22.54 लाख रूपये का अल्प देयकीकरण किया गया।

(ii) न्यूनतम प्रभार

25 जनवरी 1999 से प्रभावी दर सूची–एल एम वी–1 के पैरा–4 (ए) में 1991 की जनगणना के अनुसार 10000 तक की जनसंख्या वाले ग्राम/कस्बों के क्षेत्रों का देयकीकरण प्रत्येक दो किलो वाट तक के भार के लिए प्रति संयोजन 52 रूपये प्रति माह की स्थिर दर पर किया जाना संकल्पित है। ऐसे प्रकरणों का देयकीकरण जो पैरा–4 (ए) के अन्तर्गत नहीं आते थे, पैरा–4(ई) के अन्तर्गत किया जाना था जिसके लिए मीटर विहीन आपूर्ति के मामलों में दो किलो वाट तक भार के लिए न्यूनतम प्रभार 110 प्रति किलो वाट प्रति माह था। ऐसे उपभोक्ताओं के न्यूनतम प्रभार को 25 जून 1999 से घटाकर प्रति माह 100 रूपये प्रति किलो वाट कर दिया गया और बाद में अगस्त 2000 से खत्म कर दिया गया।

726 किलो वाट के संविदागत भार युक्त 726 संयोजन, 110 रूपये प्रति किलो वाट के स्थान पर 52 रूपये प्रति किलो वाट की दर से देयकीकृत किये गये

वि वि खण्ड, मैनपुरी के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2000) के दौरान यह पाया गया कि 1991 की जनगणना के अनुसार 10353 और 11593 जनसंख्या वाले सामन और नौनेर ग्रामों में फरवरी 1999 से जुलाई 2000 की अवधि के दौरान 726 किलो वाट के संविदागत भार वाले एल एम वी–1 श्रेणी के 726 मीटर विहीन संयोजनों का देयकीकरण, 25 जनवरी 1999 से 110 रूपये प्रति किलो वाट प्रति माह के स्थान पर 52 रूपये एवं 25 जून 1999 से 100 रुपये प्रति माह पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप 6.64 लाख रुपये का कम देयकीकरण हुआ।

(iii) लाइन प्रभार

वित्तीय संकट और आन्तरिक संसाधनों की कमी के दृष्टिगत, भूतपूर्व उ प्र रा वि परिषद ने दिसम्बर 1999 के अपने आदेश के द्वारा निजी नलकूपों (पी टी डब्ल्यू) के विद्युतीकरण पर प्रतिबंध लगाया। तथापि, यह प्रतिबन्ध पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित पी टी डब्ल्यू पर लागू नहीं था। वि वि खण्ड, रूद्रपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2000) करने पर पाया गया कि 1999–2000 के दौरान 22 पी टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन

अवमुक्त किये गये। इन उपभोक्ताओं से लाइन प्रभार के रुप में 7.57 लाख रूपये के स्थान पर 1.23 लाख रूपये प्रभारित किये गये। इसके परिणामस्वरूप 6.34 लाख रूपये के लाइन प्रभार की कम वसूली करके उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

खण्डीय अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया (मई 2000) कि कथित आदेश खण्ड में विलम्ब से प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त पी टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं को संयोजन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिया गया था।

उत्तर मान्य नही था क्योंकि आदेशों की विलम्बित प्राप्ति आदेशों के अनुपालन न किये जाने के लिये क्षम्य नहीं है और उपभोक्ताओं पर शेष प्राक्कलन की धनराशि प्रभारित की जानी चाहिए थी किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया (सितम्बर 2001)।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को मई 2001 मे सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतिक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4अ.11 बैंक गारण्टी के नकदीकरण न करने से हानि

क्रेता के आग्रह पर बैंक गारंटी का नकदीकरण आस्थगित करते हुए उसे अनुचित लाभ पहुँचाने के परिणामस्वरूप 85.14 लाख रूपये की हानि हुई।

मेसर्स बिन्दल एल्वायज प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद को कानपुर स्थित रिवर साइड विद्युत गृह के निष्प्रयोज्य संयन्त्र एवं उपस्कर की बिक्री हेतु 8.51 करोड़ रूपये का एक बिक्री आदेश निर्गत किया गया (जुलाई 1996)। कुल सामग्री को 20 ढेरों में बाँटा गया जिसे 20 माह में (जुलाई 1996 से प्रारम्भ करके और फरवरी 1998 तक प्रत्येक माह में एक ढेर) उठाना था, ऐसा न हो सकने की स्थिति में आदेश के कुल मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक क्रेता के विरूद्ध प्रति सप्ताह आधा प्रतिशत की दर से अर्थ दण्ड अधिभारित किया जाना था। आदेश के सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु क्रेता से, 19 फरवरी 1999 तक वैध, स्टेट बैंक आफ पटियाला के माध्यम से 42.57 लाख रूपये प्रत्येक की दो बैंक गारण्टी के रूप में 85.14 लाख रूपये की प्रतिभूति ली गई थी।

लेखा परीक्षा की नमूना जाँच में देखा गया (फरवरी 2001) कि क्रेता संविदागत शर्तो को पूरा करने में असफल रहा और अप्रैल 1998 तक 2.63 करोड़ रूपये के मूल्य के केवल छः ढेर ही उठा सका। इससे वह 85.14 लाख रूपये की राशि के अर्थ दण्ड अधिभारित किये जाने का उत्तरदायी हो गया।यद्यपि, बैंक गारण्टी नगदीकरण हेतु बैंक को 26 दिसम्बर 1998 को दे दी गयी थी परंतु क्रेता के अनुरोध पर (4 जनवरी 1999) बैंक से 8 जनवरी 1999 को अगले निर्देशों तक नगदीकरण आस्थगित रखने का अनुरोध किया गया। पुनः, एक माह बाद (9 फरवरी 1999) बैंक गारण्टी के नगदीकरण हेतु बैंक को कम्पनी के द्वारा निर्देश देने पर बैंक ने धनराशि भुगतान करने से इस आधार पर मना कर दिया कि पार्टी ने जिला न्यायालय गाजियाबाद में एक याचिका दायर कर दी है (जनवरी 1999) और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

इस प्रकार, क्रेता के अनुरोध पर नगदीकरण आस्थगित कर उसको अनुचित लाभ पहुँचाने के

परिणामस्वरूप 85.14 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी। इसके अतिरिक्त बिना उठाई गई सामग्री के मूल्य 5.88 करोड़ रूपये की सीमा तक की निधियाँ अवरूद्ध हो गई।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2001) कि चूंकि जिला न्यायालय, गाजियाबाद में दायर याचिका, कानपुर स्थित विद्युत गृह की बिक्री के संबंध में किए गए अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार उनके विधिक अधिकार क्षेत्र से बाहर थी इसलिए उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ में एक याचिका दायर की थी (नवम्बर 2000) जिसने दिसम्बर 2000 के अपने निर्णय में बैंक से उक्त बैंक गारण्टी के नगदीकरण के लिए कहा था। बैंक ने, तथापि, निर्णय के विरूद्ध पुनरीक्षित याचिका दायर की थी (दिसम्बर 2000) जो अद्यतन विचाराधीन थी (जुलाई 2001)।

प्रकरण, शासन को अप्रैल 2001 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2001)।

4अ.12 पावर परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने से परिहार्य हानि

उप–केन्द्र के खराब अनुरक्षण के कारण सुरक्षात्मक उपकरणों ने कार्य नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 49.84 लाख रूपये मूल्य का संयन्त्र क्षतिग्रस्त हो गया।

निगम द्वारा अंगीकार किए गए, भूतपूर्व उ प्र रा नि प के 132 के वी और 220 के वी उप–केन्द्र के रख–रखाव के दिशा–निर्देशों के प्राविधान के अनुसार, सभी संयन्त्रों का सामान्य सुरक्षात्मक रख–रखाव (निरीक्षण), उप–केन्द्र पर इस कार्य के लिए तैनात अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया जाना था।

उप–केन्द्र संयत्र के खराब रख रखाव के कारण आग लगी

विद्युत पारेषण खण्ड, मेरठ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान (मार्च 2001) यह देखा गया कि 220 के वी उप केन्द्र मोदीपुरम पर 20 मार्च 1997 को संस्थापित 40 एम वी ए, बी बी एल मार्का का पावर परिवर्तक में 7 जुलाई 2000 को आग लग गई, जिसमें 49.84 लाख रूपये मूल्य का परिवर्तक एवं अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गये। आग, उप–केन्द्र के खराब रख–रखाव एवं सुरक्षात्मक उपकरण के चालू न होने के कारण लगी जैसा सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट से स्पष्ट है जिसमें कहा गया कि ''ऋणात्मक टर्मिनल के चार्जर टर्मिनल पर अनुचित संयोजन के कारण बैट्री के चार्ज न होने से उप–केन्द्र पर संस्थापित ऑयल सर्किट ब्रेकर (ओ सी बी) नम्बर 7 के प्रचालित न होने के कारण विभिन्न रिले/पोषकों की अर्थिंग निष्क्रिय थी, दुर्घटना हुई। तीन फेज त्रुटि द्वारा कम हो गयी थी जिससे उपकरण को क्षति पहुंची।''

इस प्रकार, बैटरी के अनुचित संयोजन और उप–केन्द्र के परिवर्तकों एवं अन्य उपकरणों के खराब रख–रखाव के कारण 49.84 लाख रूपये मूल्य के परिवर्तक एवं अन्य उपकरण क्षतिग्रत हो गये, जिससे निगम को हानि हुई।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (सितम्बर 2001) कि परिवर्तकों के क्षतिग्रस्त होने के कारणों और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए निदेशक (पारेषण) द्वारा एक जाँच समिति गठित की गयी थी (12 जुलाई 2000)। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह प्रेषित किया (अगस्त 2000) कि 220 के वी मोदीपुरम उप–केन्द्र पर तैनात अवर अभियन्ता

सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता ने डीसी आपूर्ति को उचित महत्व नही दिया जो परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण था और उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही करने की संस्तुति की। तथापि, अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध हानि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही अभी तक नही की गई (सितम्बर 2001)।

प्रकरण, कम्पनी एवं शासन को जून 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4अ.13. उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ दिये जाने से बकाये में बढ़ोत्तरी

नियम एवं शर्त प्रभार एवं विद्युत बकाये के जमा किये बिना, संयोजन की पुनर्स्थाना के फलस्वरूप बकाये में बढ़ोत्तरी 0.42 करोड़ रूपये।

विद्युत आपूर्ति (उपभोक्ता) नियमन, 1984 के उपबंध 19(vi) के अनुसार, यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल का भुगतान देय तिथि के भीतर नहीं किया जाता है तो बिल में दर्शायी गई तिथि संयोजन का विच्छेदन के सात दिनों के बाद कर दिया जाना चाहिए। पुनः, उपबन्ध–XII में यह प्राविधान भी है कि देयों की वसूली, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग (डयूज रिकवरी) ऐक्ट, 1958 के अन्तर्गत भूराजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

विद्युत वितरण खण्ड–I बलिया के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में नमूना जाँच के दौरान (जुलाई 2000) यह पाया गया कि 95 एच पी के अनुबन्धित भार वाले मेसर्स सहकारी कोल्ड स्टोरेज की लाइन बकाये के भुगतान न होने के कारण (बकाये की राशि अभिलेखों में दर्शित नहीं थी) 1992 के दौरान विच्छेदित कर दी गयी थी। जुलाई 1999 में उपभोक्ता को पुनर्संयोजन के लिए नियम एवं शर्ते (टी सी) निर्गत की गईं। टी सी के अनुसार, उपभोक्ता को 2.09 लाख रूपये (सेवा संयोजन प्रभार : 1.12 लाख रूपया, सिस्टम लोडिंग प्रभार : 0.69 लाख रूपये एवं प्रतिभूति : 0.28 लाख रूपये) जमा करने थे। तथापि, उपभोक्ता ने उपरोक्त राशि जमा नहीं की परन्तु जिला प्राधिकारियों के निर्देश पर उपभोक्ता की लाइन 10 मार्च 1999 पुनर्संयोजित कर दी गई। उपभोक्ता ने, तथापि, अपने मासिक बिलों का भुगतान मार्च 1999 (पुनर्संयोजन की तिथि) से नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उसके विरूद्ध मार्च 2001 तक 17.84 लाख रूपये के बकाये संचित हो गये। मार्च 2001 में उपभोक्ता की लाइन विच्छेदित कर दी गयी लेकिन 2.09 लाख रूपये की टी सी की धनराशि एवं 17.84 लाख रूपये के बकाये की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नही की गयी।

इसी प्रकार, 110 के वी ए के अनुबंधित भार वाले आर. एन. कोल्ड स्टोरेज ने जनवरी 1999 से अपने मासिक बिलों का भुगतान नही किया जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता के विरूद्ध बकाया मार्च 2001 तक 21.83 लाख रूपये तक बढ़ गया। उपभोक्ता की न तो लाइन ही विच्छेदित की गयी और न ही उसके विरूद्ध वसूली की कोई कार्यवाही अब तक आरम्भ की गयी (सितम्बर 2001)।

इस प्रकार उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ पहुचाये जाने के कारण 41.76 लाख रूपये की बकाया धनराशि बिना वसूली के पड़ी रही (सितम्बर 2001)।

प्रकरण, कम्पनी एवं शासन को जून 2001 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4अ.14 भुगतान न हुए चेक

मासिक बैंक समाधान विवरण को तैयार करने और उपभोक्ताओं के मूल भुगतान न हुए चेकों को एकत्रित करने में खण्ड की असफलता के फलस्वरूप 0.33 करोड़ रूपए के बकायों की वसूली नहीं हुई।

उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गये 22.86 लाख रूपये के 19 चेकों को भुगतान नहीं हुए दिखाया गया

भूतपूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली के अध्याय 8 के प्रस्तर 6.8 सपठित प्रस्तर 1.5 के प्राविधानों में अन्यान्यों सहित यह भी प्राविधान है कि विद्युत बकायों के विरूद्ध चेक केवल उसी दशा में स्वीकार किये जायेगें यदि उन्हें खण्डीय कार्यालय के मुख्यालय पर स्थित बैंक से आहरित किया गया हो और उन्हें बैंक को अविलम्ब भेज देना चाहिए। इसके लिए बैंक से माह में तीन बार समन्वय किया जाना चाहिए। यदि चेक का भुगतान सात दिनों के अन्दर प्राप्त नही किया जाता है और अनादृत हो जाता है तो आपूर्तिकर्ता छूट को समाप्त कर देगा और अधिभार का प्रभारण कर देगा।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जुलाई 2000) कि विद्युत शहरी वितरण खण्ड (दक्षिण), देहरादून में उपभोक्ता द्वारा मार्च 1994 से दिसम्बर 1995 के दौरान जमा किये गये 22.86 लाख रूपये की राशि के चेकों को जनवरी 2000 के बैक समाधान विवरण में अभुक्त चेकों के रूप में दिखाया गया था। यद्यपि, इन चेकों की धनराशि बैंक द्वारा सम्बंधित उपभोक्ताओं के खाते में डेबिट कर दी गयी थी लेकिन यह निगम के खाते में अभी तक (मई 2000) क्रेडिट नही की गयी थी। परिणामस्वरूप यह धनराशि उपभोक्ताओं से अभी तक (मई 2001) बिना वसूल किए पड़ी थी। इस प्रकार, बैंक में चेकों के प्रेषण एवं उनके कम्पनी के खाते में अन्तिम रूप से जमा होने और बैंक के साथ अवशेष के मासिक समाधान से सम्बन्धित प्रावधानों के अनुपालन में असफलता के परिणामस्वरूप दिसम्बर 1995 से 22.86 लाख रूपये की अप्राप्त वसूली का विलम्ब से पता चला।

उत्तर में खण्डीय अधिकारी ने बताया (मार्च/मई 2001) कि प्रकरण के सम्बन्ध में बैंक से पत्राचार जारी है और बैक ने मामले को केन्द्रीय जाँच ब्यूरों को संदर्भित कर दिया है जिनकी आख्या प्रतीक्षित थी (मई 2001)।

बैंक के साथ नियमित मासिक समाधान नहीं किया गया

(ख) भूतपूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के नवम्बर 1970 और सितम्बर 1995 के आदेशानुसार, सभी अनादरित चेकों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा और खण्डीय लेखाकार (राजस्व) और सहायक अभियन्ता (राजस्व) सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ता के खाते में आवश्यक समायोजन/प्रविष्टि कर दी गई हो जिनके चेक अनादरित हो गये थे। इसके अतिरिक्त, वे राजस्व की प्राप्ति और बैंक में उसके प्रेषण तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि बैंक द्वारा सभी लेनदेन कम्पनी के खाते में दर्ज कर दिये गये थे, मासिक बैंक मिलान विवरण तैयार करने के भी

उत्तरदायी थे।

वि वि खण्ड, बिजनौर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया (मार्च 2001) कि जून 1999 से नवम्बर 1999 के दौरान बैंक अवशेष से मासिक मिलान नियमित नहीं किया गया था। नवम्बर 1999 में जब खण्ड द्वारा नकद/चेकों के प्रेषण का बैक के साथ मिलान किया गया, यह पाया गया कि जून से अक्टूबर 1999 के दौरान उ. प्र. लाइम केम. (प्रा) लिमिटेड, बिजनौर द्वारा जमा किये गये 10 चेकों की धनराशि 10.10 लाख रूपये राजस्व खंजाची द्वारा बैक में जमा नहीं की गई थी ये और उसके द्वारा राजस्व कैश बुक में झूठे बैंक स्क्रौल के माध्यम से प्रविष्टि की गई थी। कैशियर ने तथापि, इन चेकों को 25.11.1999 को बैंक में जमा किया लेकिन उपभोक्ता के खाते में पर्याप्त धन न होने के कारण यह सभी बैंक द्वारा अनादृत कर दिये गए। यद्यपि, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी (मई 2000) और खंजाची के विरूद्ध आपराधिक प्रक्रिया जिला न्यायालय में लम्बित थी, अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों यथा डी ए (आर), ए ई (आर) आदि द्वारा बैंक के साथ अवशेषों का मिलान प्रत्येक माह नियमित रूप से करने में असफलता के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग (ड्यूज रिकवरी) ऐक्ट, 1958 के अन्तर्गत 15.42 लाख रूपये का वसूली प्रमाण पत्र (विलम्ब भुगतान अधिभार, अतिरिक्त जमानत बिल राशि और समाहरण प्रभार सहित) 25.01.2000 को जारी किया गया जिस पर जिला न्यायालय, बिजनौर द्वारा स्थगनादेश जारी कर दिया गया (07.02.2000)। जिला न्यायालय के आदेश के विरूद्ध, खण्डीय अधिकारी ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय अभी तक लम्बित था (मई 2001)।

जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा आर सी पर स्थगनादेश दिया गया

इस प्रकार, बैंक के साथ मासिक लेन देन का मिलान न करने के कारण उपभोक्ता से 10.10 लाख रूपए के विद्युत बकाये जून 1999 से बिना वसूल किए पड़े रहे।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को अगस्त 2000 से मई 2001 के दौरान सूचित किया गया उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4अ.15 सामान्य भविष्य निधि के अवशेष का न्यास को अन्तरण न किया जाना

कम्पनी, भूतपर्व यू पी एस ई बी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के अवशेष को न्यास को अन्तरिक न कर सकी– 1355.56 करोड़ रूपये।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यू पी एस ई बी) का 14 जनवरी 2000 से तीन सरकारी कम्पनियों यथा उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यू पी पी सी एल), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यू पी आर वी यू एन एल) और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू पी जे वी एन एल) में विभाजन कर दिया गया था। तिहरे बटवारे की योजना में अन्यान्यों सहित यह भी प्रावधान था कि कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि (जी पी एफ), ग्रैच्युटी निधि और पेंशन निधि में उपलब्ध धन का रख–रखाव एक न्यास द्वारा किया जायेगा। तदनुसार, 29 अप्रैल 2000 को तीनों निगमों द्वारा निष्पादित एक न्यास विलेख के माध्यम से एक न्यास का गठन किया गया। न्यास ने अक्टूबर 2000 से कार्य करना आरम्भ किया। पुनः, न्यास विलेख के प्रस्तर 4(बी) में भी प्राविधान था कि 14 जनवरी 2000 तक कर्मचारियों को सामान्य

भविष्य निधि में संचित अवशेष को, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा बॉण्ड जारी करके किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से, जैसा कि निगम निर्णय ले, न्यास को उपलब्ध कराया जाएगा।

अवशेष 13355.56 करोड़ रूप्ये के न्याय को स्थानान्तरण नहीं किया गया

तदनुसार तिहरे बटवारे के समय, सामान्य भविष्य निधि का पूर्व शेष 1480.24 करोड़ रूपए और वेतन से काटा गया (14 जनवरी 2000 से 31 मार्च 2001 तक) 218.90 करोड़ रूपए सामान्य भविष्य निधि का अंशदान न्यास को अंतरित किया जाना था। तथापि, निगम वर्ष 2000–2001 के दौरान मात्र 343.58 करोड़ रूपए का अन्तरण ही कर सका। अवशेष 1355.56 करोड़ रूपए का अन्तरण न्यास को अभी तक नही किया गया (सितम्बर 2001) जिसके लिए अभिलेखों में कोई कारण उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, न्यास को अवशेष निधियों का अन्तरण न किया जाना न्यास विलेख के प्राविधानों के विपरीत था।

उत्तर में निगम ने बताया (अगस्त 2001) कि ट्रस्ट के संचित अवशेषों के अन्तरण के लिए उनके पास न तो संसाधन हैं और न ही निधि उपलब्ध कराई गई है। तथापि, इसके लिए बॉण्ड जारी/ऋण लिए जा सकते हैं। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योकि कोई प्रयास अभी तक नही किया गए हैं (सितम्बर 2001)।

प्रकरण, सरकार को जुलाई 2001 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2001)।

4अ.16 उपभोक्ताओं को 33 के वी विद्युत आपूर्ति पर अधिक छूट देना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चार उपभोक्ताओं को 33 के वी आपूर्ति पर उनके मांग प्रभारों से विकास छूट को घटाये बिना छूट अनुमन्य की गई।

आर्क/प्रेरण भट्ठियों/रोलिंग मिलों/छोटे इस्पात संयन्त्रों पर लागू दर अनुसूची एच वी–1 में अन्यान्यों सहित 33 के वी विद्युत आपूर्ति के उपभोक्तो के मांग एवं ऊर्जा प्रभारों पर 5 प्रतिशत की छूट का प्राविधान था। 18 जून 1998 से इसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए भी मांग प्रभारों पर 25 प्रतिशत की विकास छूट का प्राविधान था। तदनुसार, उपभोक्ता को मांग प्रभार (विकास छूट की राशि घटाने के बाद) और विद्युत प्रभार की कुल राशि पर 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य की जानी थी।

तथापि, लेखा परीक्षा में देखा गया(जून 2000) कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर ने 4 उपभोक्ताओं को (33 के वी की दी गई आपूर्ति पर) मांग प्रभारों की धनराशि से विकास छूट की धनराशि को घटाये बिना उनके मांग एवं ऊर्जा प्रभारों पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को जून 1998 से फरवरी 2000 के दौरान 26.50 लाख रूपये की अधिक छूट दे दी गई, जिसका विवरण आगे दिया गया है :

(लाख रूपए में)

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम और भार	अवधि	दर अनुसूची की मद संख्या 4 के अन्तर्गत ऊर्जा एवं मांग प्रभार	मांग प्रभारों पर अनुमत विकास छूट	5 प्रतिशत की दर से अनुमत छूट	स्वीकार्य छूट	अनुमत की गई अधिक छूट
1.	मेसर्स वीनस लोहा उद्योग लिमिटेड, 3800 के वी ए	6/98 से 2/2000	722.27	232.56	36.11	24.49	11.62
2.	मेसर्स यू पी एल्वायज (प्रा) लिमिटेड, 2400 के वी ए	6/98 से 2/2000	208.45	58.55	10.43	7.50	2.93
3.	मेसर्स रिमझिम इस्पात, 6000 के वी ए	7/98 से 2/2000	597.62	168.75	29.88	21.44	8.44
4.	मेसर्स वैभव कास्टिंग, 1800 के वी ए	7/98 से 2/2000	280.82	70.20	14.04	10.53	3.51
	योग			530.06	90.46	63.96	26.50

खण्डीय अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2000) कि खण्ड द्वारा उपभोक्ताओं को अनुमन्य की गई छूट सही थी और दर–सूची के प्राविधानों के अनुसार थी।

उत्तर मान्य नही था क्योंकि दर–सूची के प्राविधानों के अनुसार, उपभोक्ताओं को छूट उनके मांग प्रभारों से विकास छूट की धनराशि घटाये बिना ही दी गई थी।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितबर 2001)।

4अ.17 सिस्टम लोडिंग प्रभारों की वसूली न होना

सिस्टम लोडिंग प्रभारों की वसूली किये बिना भार अन्तरिक करने से कम्पनी को 11.70 लाख रूपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

लाइन निर्माण की लागत शावक स्टीलस एवं एल्वायज़ द्वारा जमा न करने से भार अवमुक्त नहीं किया जा सका

भूतपूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिसम्बर 1993 के आदेशानुसार 100 के वी ए से अधिक भार वाली औद्योगिक इकाईयां प्रति के वी ए 650 रूपये की दर से सिस्टम लोडिंग प्रभारों (एस एल सी)का भुगतान करेंगी। पुनः, अप्रैल 1995 के आदेश में यह प्राविधान किया गया कि यदि रूग्ण/बन्द और स्थायी रूप से विसंयोजित इकाइयाँ अपने पुराने या नये नाम से उसी परिसर में पुनर्सयोजन चाहती हैं, तो उन्हें एस एल सी के भुगतान से मुक्त रखा जायेगा यदि उनके द्वारा पहले ही इसका भुगतान किया जा चुका था।

वि वि खण्ड–II, जौनपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2000) में पाया गया कि मेसर्स शावक स्टील्स एण्ड एल्वायज (प्रा0) लिमिटेड को 1410 के वी ए का एक भार उनकी प्रेरण भट्ठी के लिए स्वीकृत किया गया था (अक्टूबर 1988), जिसे अवमुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि

उपभोक्ता ने लाईन के निर्माण की लागत 10.44 लाख रूपये जमा नहीं किये।

इकाई (उपभोक्ता) रूग्ण हो गयी और उसका कब्जा प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश (पिकप) द्वारा मार्च 1995 में ले लिया गया। इकाई का स्वामित्व मेसर्स चौधराना स्टील प्राइवेट लिमिटेड को अन्तरित कर दिया गया (जुलाई 1996)। परिषद के नियम के अनुसार, मेसर्स शावक स्टील एण्ड एल्वायज (प्रा0) लिमिटेड का भार उन्हें तब तक अन्तरित नही किया जा सकता था जब तक वे एस एल सी का भुगतान नही कर देते। तथापि, फर्म के आग्रह पर अध्यक्ष ने उन्हीं शर्तो पर जो मेसर्स शावक स्टील एण्ड एल्वायज (प्रा0) लिमिटेड के प्रकरण में लागू थीं, उनके पक्ष में स्वीकृत भार को अन्तरित करने का आदेश दे दिया (जनवरी 1997) और नया अनुबन्ध निष्पादित करके भार अवमुक्त करने का निर्देश दिया।

खण्डीय अधिकारी ने एस एल सी की धनराशि 11.70 लाख रूपये की वसूली किए बिना विद्युत भार को 1800 के वी ए तक बढ़ाकर फरवरी 1997 में अवमुक्त कर दिया।

इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचा क्योंकि निगम को एस एल सी के रूप में 11.70 लाख रूपये से वंचित होना पड़ा।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4अ.18 निम्न स्तरीय सामग्री का क्रय

निगम ने 0.11 करोड़ रूपए के निम्न स्तरीय केबिल का क्रय किया।

उप महाप्रबन्धक, विद्युत भण्डार क्रय मण्डल–प्, लखनऊ ने मेसर्स क्रिस्टल केबिल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता (कोलकाता) को 9.31 लाख रूपये प्रति कि मी की इकाई की कार्येत्तर दर से सितम्बर 2000 तक आपूर्ति किये जाने हेतु 3 कि मी 11 के वी 3ग300 वर्ग मि मी एक्स एल पी ई केबिल की आपूर्ति हेतु एक आदेश निर्गत किया (जून 2000)। आपूर्ति अवधि को अक्टूबर 2000 तक बढ़ाते हुये केबिल की मात्रा को 3 किमी से 10 कि मी तक बढ़ा दिया गया (जुलाई 2000)।

विद्युत भण्डार खण्ड, गाजियाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया (फरवरी 2001)कि आदेश के गारण्टीड टेक्निकल पर्टीकुलर्स (जी टी पी) के उपबन्ध 12 एवं 15 के अनुसार, केबिल का वजन 8400 कि ग्रा/कि मी तथा केबिल सहित ड्रम का सकल भार 2800 कि ग्रा होना चाहिये था। तथापि, फर्म ने 2800 कि ग्रा के विरूद्ध 2386 कि ग्रा. के ड्रम के सकल भार तथा 2.68 मि मी के स्थान पर 1.38 मि मी वाहय आवरण (शीथ) के केबिल सहित 8400 कि ग्रा/कि मी के स्थान पर 7400 कि ग्रा/कि मी के वास्तविक भार के 4 ड्रमों की आपूर्ति की (सितम्बर 2000)। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उप महाप्रबन्धक, विद्युत भण्डार मण्डल, मेरठ के अधीन गठित एक समिति ने पाया (दिसम्बर 2000) कि केबिल निम्नस्तरीय था तथा यदि फर्म द्वारा सामग्री को बदला नहीं जाता है तो उसे काली सूची मे डाल देना चाहिए। मुख्य महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्धन) लखनऊ के द्वारा उप महाप्रबन्धक, गाजियाबाद की अध्यक्षता में जनवरी 2001 में गठित एक अन्य समिति

की संस्तुति के आधार पर, पाया गया (मई 2001) कि केबिल उपयोग के योग्य है। तथापि खण्ड द्वारा केबिल की लागत (10.85 लाख रूपए) का भुगतान कर दिया गया। तदनुसार, उपमहाप्रबन्धक, ई एस पी सी–II , लखनऊ ने केबिल के सकल वजन 8400 कि ग्रा/कि मी से 7400 कि ग्रा/ कि मी तक कम करके आपूर्ति आदेश को संशोधित कर दिया (फरवरी 2001)। केबिल की गुणवत्ता की जाँच के लिए अन्य समिति का गठन एवं उसकी संस्तुति वित्तीय औचित्य के सिद्धांत के विपरीत थी, इस तथ्य के दृष्टिगत कि कम्पनी ने जनवरी 1997 एवं नवम्बर 2000 में अर्थात आदेश (जून 2000) से पूर्व तथा बाद में, मेसर्स यूनीलैक्स केबिल्स लिमिटेड, मुम्बई तथा उसी फर्म मेसर्स क्रिस्टल केबिल इण्डस्ट्रीज, कोलकाता को 8400 कि ग्रा/कि मी भार सहित केबिल की आपूर्ति हेतु आदेश दिए थे। इसके परिणामस्वरूप 10.35 लाख रूपए के मूल्य के निम्न स्तरीय केबिल का क्रय किया गया।

उत्तर में प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2001) कि चूंकि केबिल के इन्सुलेशन की मोटाई सही थी और प्रति कि मी केबिल का भार भारतीय मानक विशिष्टीकरण में नही दिया गया था, केबिल उपयोग करने योग्य था।

उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत मान्य नही है कि जब केबिल का भार 414 कि ग्रा प्रति ड्रम कम था और केबिल का बाहरी आवरण 2.68 मि मी के स्थान पर 1.38 मि मी था तब इसके जल्दी क्षतिग्रस्त होने वाले निम्न स्तर की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता क्योंकि इसकी क्षति का आंकलन निश्चित नहीं किया जा सकता था।

प्रकरण, शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4अ.19 सामग्री की परिहार्य हानि

अपूर्ण कार्य के नियोजन एवं देख–रेख के अभाव के फलस्वरूप सामग्री की चोरी।

विभागीय रूप से निर्माण कराई गई अपूर्ण पारेषण लाइन की देख–रेख के लिए निगम ने कोई प्रणाली निर्धारित नहीं की।

29.2 कि मी 132 के वी आजमगढ़ कोएल्सा लाइन के निर्माण हेतु 42.60 लाख रूपये का एक प्राक्कलन स्वीकृत किया गया (जून 1982)। कार्य को जून 1985 तक पूर्ण करना था।

20.24 लाख रूपये की लागत पर 95 संख्या में नीव की स्टब लगाने एवं 65 टावरों के निर्माण के बाद काम रूका

जनवरी 2001 में विद्युत पारेषण लाइन निर्माण इकाई, वाराणसी के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 20.24 लाख रूपये की लागत पर 98 संख्या में नींव की स्टब लगाने एवं 65 टावर लगाने के पश्चात् मार्च 1986 में कार्य रोक दिया गया क्योंकि सम्बन्धित कोएल्सा स्थित 132 के वी उपकेन्द्र का निर्माण–कार्य धन की अनुपलब्धता के कारण स्थगित कर दिया गया था। मार्च 2000 में खण्ड के एक सहायक अभियन्ता द्वारा लाइन की सुरक्षा गश्त के दौरान पाया कि केवल 27 संख्या में नींव के स्टब एवं संख्या में 19 टावर ही स्थल पर उपलब्ध थे। 11.40 लाख रूपये मूल्य के 71 संख्या नीव के स्टब एवं 46 संख्या में टावर की सामग्री चोरी/तूफान के कारण नष्ट हो चुकी थी। परंतु चोरी की न ही प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी और न ही कोई

विभागीय जाँच कराई गयी (मार्च 2001)।

अतः इस अपूर्ण कार्य पर देख–रेख की व्यवस्था के अभाव में कम्पनी को 11.40 लाख रूपये मूल्य की सामग्री की हानि वहन करनी पड़ी।

प्रकरण, कम्पनी और शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4अ.20 अशुद्ध बिलिंग के कारण राजस्व की हानि

उपभोग की अशुद्ध बिलिंग के फलस्वरूप 0.09 करोड़ रूपये का ईधन प्रभार एवं स्थापना अधिभार का कम प्रभारण किया गया।

परिषद की वाणिज्यिक एवं राजस्व नियमावली के प्रस्तर 6.8 के अनुसार, बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर पठनांकों का अंकन प्रत्येक कैलेन्डर माह के अन्तिम तीन दिनों के दौरान किया जाना चाहिए एवं प्रत्येक माह की पहली तारीख को बिल निर्गत कर देना चाहिए।

1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के अभिलेखित उपभोग के अंकन भी मार्च 1997 के उपभोग के बिल के साथ जारी किए गए

वि वि खण्ड–II, झाँसी के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया (जून 2000) कि आठ बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं के मार्च 1997 के मीटर पठनांको का अंकन महिने के अन्तिम तीन दिनों के भीतर नहीं किया गया। 1 मार्च से 21 अप्रैल 1997 की अवधि के विद्युत उपभोग का मीटर पठनाँक 8 से 21 अप्रैल 1997 के दौरान किया गया, परिणामस्वरूप 1 अप्रैल से 21 अप्रैल 1997 तक के ऊर्जा के उपभोग का भी अंकन, मार्च 1997 के उपभोग के बिल के साथ कर दिया गया। तथापि, 1 अप्रैल 1997 से ईधन अधिभार और स्थापना अधिभार में क्रमशः 27.399 पैसे से 68.106 पैसे एवं 7.002 पैसे से 21.166 पैसे प्रति के डब्लू एच की वृद्धि हो गयी थी। अतः, मार्च 1997 के उपभोग के बिलो के साथ अप्रैल 1997 के उपभोग का बिल निर्गत करने के फलस्वरूप, अप्रैल 1997 की अवधि में ऊर्जा के अनुपातिक उपभोग पर कुल 9.12 लाख रूपये के ईधन प्रभार और स्थापना अधिभार का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण निम्नवत है:

क्रम सं.	उपभोक्ताओं का नाम	अनुबंधित भार (के वी ए)	पाठयांकित अवधि	उपभोग (के डब्ल्यू एच)	अप्रैल 1997 की अवधि	के डब्ल्यू एच में अप्रैल 1997 में अनुपातिक उपभोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डायमण्ड सीमेन्ट	5530	14.03.97 से 14.04.97 (32 दिन)	1829290	01.04.97 से 14.04.97 (14 दिन)	800314
2.	बी एच एम,झाँसी	2500	09.03.97 से 08.04.97 (31 दिन)	520800	01.04.97 से 08.04.97 (8 दिन)	134400
3.	सर्वोदय स्टील्स	2050	13.03.97 से 14.04.97 (33दिन)	282100	01.04.97 से 14.04. 97(14 दिन)	119678
4.	चर्तुवशी स्टील्स	750	14.03.97 से 21.04.97 (39 दिन)	59316	01.04.97 से 21.04.97 (21 दिन)	31939
5.	लक्ष्मी स्टील्स	599	14.03.97 से 14.04.97 (32 दिन)	44613	01.04.97 से 14.04.97 (14 दिन)	19518
6.	इन्दर स्टील्स	1800	13.03.97 से 14.04.97 (33 दिन)	383940	01.04.97 से 14.04.97 (14 दिन)	162884

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	मीनाक्षी स्टील्स	5050	13.03.97 से 12.04.97 (31 दिन)	506850	01.04.97 से 12.04.97 (12 दिन)	196200
8.	शिवांजी स्टील्स	5100	01.03.97 से 14.04.97 (45 दिन)	631630	01.04.97 से 14.04.97 (14 दिन)	196507
	योग					**1661440**

इस प्रकार, विलम्बित मीटर पठनांकन तथा 1 अप्रैल से 21 अप्रैल 1997 की अवधि में 1661440 यूनिट के अनुपातिक उपभोग के बिल मार्च 1997 में लागू दर पर जारी करने के कारण 9.12 लाख रूपये की राशि के राजस्व का कम प्रभारण हुआ (1661440 X 0.5487 रूपया)।

प्रकरण, कम्पनी एवं शासन को जून 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4अ.21 सेवा निवृत्त अधिकारियों का अनधिकृत एवं अनियमित पुनर्नियोजन

कम्पनी ने सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में सेवा निवृत्त अधिकारियों का पुनर्नियोजन किया।

राज्य सरकार के फरवरी 1996 के आदेश में व्यवस्था थी कि सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का दैनिक भोगी आधार पर अथवा अन्य ढंग से पुनर्नियोजन केवल सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद किया जाए। भूतपूर्व परिषद के दिसम्बर 1997 के कार्यालय ज्ञाप में भी अल्प एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में आवश्यक पुनर्नियोजन के प्रकरणों में सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए जाने का प्रावधान था। सरकार के जून 1999, अगस्त 1999 एवं सितम्बर 2000 के अनुवर्ती आदेशों में भी सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने पर बल दिया गया था।

कम्पनी ने किसी विशिष्ट कार्य आवश्यकता एवम् अर्हता मापदण्ड के निर्धारण के बिना सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवायोजित कर लिया

कम्पनी के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने सरकार का कोई अनुमोदन प्राप्त किए बिना 17 सेवा निवृत्त अधिकारियों का पुनर्नियोजन जुलाई 1996 से अक्टूबर 2001 के दौरान एक माह से 51 माह तक की विभिन्न अवधियों के लिए किया था। पुनः, कम्पनी ने खुले प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए तथा इन सेवानिवृत्त अधिकारियों को किसी विशिष्ट कार्य की आवश्यकता तथा अहर्ता मानक निर्धारित किए बिना मुक्त चयन के आधार पर पुनर्नियोजित कर लिया। उनको नित्यक्रम प्रकृति के कार्यों पर लगाया गया जो उनके द्वारा अपनी नियमित सेवा अवधि में पहले किए गए थे। अतैव, इन सेवानिवृत्त अधिकारियों का पुनर्नियोजन सरकार के अनुमोदन के अभाव में केवल अनियमित और अनधिकृत ही नहीं था बल्कि केवल 10 अधिकारियों के पारिश्रामिक पर (अन्य सात अधिकारियों को भुगतान किए गए पारिश्रामिक के विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए) 18.82 लाख रूपए के अतिरिक्त भुगतान में भी परिणामित हुआ।

उत्तर में प्रबन्धन ने बताया(सितम्बर 2001) कि सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में इम्प्लीमेन्टेशन टास्क फोर्स ने निर्णय लिया था (अक्टूबर 1999) कि सरकार के किसी अनुमोदन के बिना भूतपूर्व परिषद/कम्पनी द्वारा सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकती है। पुनः, प्रश्नगत अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति, उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यताओं एवं परिषद/कम्पनी के

क्रिया–कलापों के अनुभव के विचार से की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इम्प्लीमेन्टेशन टास्क फोर्स का निर्णय खुला प्रस्ताव आमंत्रित करने के बाद सलाहकारों की नियुक्ति के लिए लागू था न कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पुनर्नियोजन के लिए जिसके लिए सरकार का अनुमोदन अनिवार्य था जैसा कि सितम्बर 2000 के सरकार के नवीनतम आदेश में भी व्यवस्था दी गई थी। इसके अतिरिक्त उनको सौंपे गए कार्य नित्यक्रम प्रकृति के थे जो उनके उत्तराधिकारी एवं परिषद/कम्पनी के अन्य नियमित अधिकारियों द्वारा किए जा सकते थे।

प्रकरण, कम्पनी एवं शासन को सितम्बर 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2001)।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)

4अ.22 उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्रदान करने से राजस्व की हानि

उपभोक्ता को बिना विलम्ब भुगतान अधिभार के मासिक बिलों के किश्तों में भुगतान की अनुमति दी गई जिससे उपभोक्ता को 2.80 करोड़ रूपए का अनुचित लाभ पहुंचा।

विद्युत आपूर्ति शर्ते, 1984 के प्रस्तर 19(vii)के अनुसार, देयकों के भुगतान की निर्धारित तिथि सामान्यतः उनके निर्गत होने की तिथि से सात दिनों के अन्दर होगी। औद्योगिक एवं/अथवा प्रक्रम उद्देश्य हेतु 75 के डब्ल्यू से अधिक संविदागत भार वाले सभी उपभोक्ताओं पर लागू दर–अनुसूची एच वी–2 के अनुबन्ध 8(बी) में प्राविधान है कि बिल में निर्दिष्ट देय तिथि तक भुगतान न किये जाने की स्थिति में उपभोक्ता, देय तिथि के पश्चात् बिल की भुगतान न की गयी धनराशि के प्रति 100 रूपये अथवा उसके अंश पर सात पैसे प्रतिदिन की दर से एक अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करेगा। पुनः, भूतपूर्व उ प्र रा वि प के दिनाँक 30 जून 1982 और 18 अक्टूबर 1986 के आदेश जिन्हें जैसा कि कम्पनी द्वारा अंगीकार किया गया, औचित्यपूर्ण परिस्थितियों को छोड़कर वर्तमान बिलों का किश्तों में भुगतान करने और वर्तमान बिलों के भुगतान की देय तिथि में समय वृद्धि किये जाने को प्रतिबन्धित करते हैं।

कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (भूतपूर्व केसा) के अभिलेखो की संवीक्षा में पाया गया (मार्च 2000) कि 81000 के वी ए संविदागत भार वाले मेसर्स आई ई एल लिमिटेड (नया नाम–मेसर्स डंकन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड) को अप्रैल 1998 से जनवरी 2001 के दौरान कम्पनी के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) द्वारा विलम्ब भुगतान अधिभार के बिना अपने मासिक बिलों को प्रत्येक माह की 10 तथा 25 तारीख को दो किश्तों में नियमित रूप से जमा करने की अनुमति दे दी थी। विलम्ब भुगतान अधिभार के आरोपण के बिना बिलों के भुगतान अनुमत करने का मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) का यह कार्य अनियमित था क्योंकि वह कम्पनी के निदेशक मंडल की विशेष अनुमति की बिना निदेशक मण्डल के सम्बन्धित आदेशों, दर–अनुसूची तथा आपूर्ति की शर्तो के प्राविधानों का उल्लंघन करने के लिये सक्षम नहीं थे। इसके फलस्वरूप उपभोक्ता को अप्रैल

1998 से जनवरी 2001 की अवधि के दौरान विलम्ब भुगतान अधिभार का आरोपण न करने तथा उसे वसूल न करने के कारण 2.80 करोड़ रूपये का अनुचित लाभ दिया गया। तथापि, प्रबन्ध निदेशक, केसको द्वारा यह सुविधा फरवरी 2001 से समाप्त कर दी गयी थी।

प्रकरण, कम्पनी तथा शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

4अ.23 कम्पनी की राशि का दुरूपयोग

शासनादेश के उल्लंघन में कम्पनी द्वारा प्रचार पर 0.09 करोड़ रूपये का व्यय किया गया।

प्रशासनिक लागत में मितव्ययता लाने हेतु दिसम्बर 1991 का शासनादेश व्यवसाय उन्नति के लिए नहीं किये गये प्रचार/विज्ञापन पर किए जाने वाले व्यय को निषिद्ध करता है।

कम्पनी ने प्रचार/विज्ञापन पर होने वाले व्यय को व्यापार उन्नति के लिए नही किया

इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कम्पनी ने अगस्त और सितम्बर 1997 में सरकार के 100 दिन पूरा होने की पूर्व–संध्या पर उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के बधाई संदेश के रूप में देश के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रचार/विज्ञापन पर 8.77 लाख रूपये का व्यय किया।

प्रबन्धन एवं शासन ने बताया (सितम्बर 2001) कि विज्ञापन का अभिप्राय सरकार के गठन में सहयोगी भूतपूर्व राजनीतिक पार्टी को परोक्ष या अपरोक्ष रूप में योगदान देने का नही था और यह पूर्ण रूप में अपने व्यवसाय की उन्नति एवं राज्य में औद्योगिक विकास के लिए था। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि विज्ञापन भूतपूर्व मुख्यमंत्री की प्रशंसा को चित्रित करते हैं तथा चार में से केवल एक ही विज्ञापन कम्पनी की उपलब्धियों के लिए था। इसको भी शुद्धतः एक व्यवासायिक विज्ञापन नही माना जा सकता और यह विधान/सरकारी आदेश/मेमोरेन्डम ऑफ एसोसियेशन के विरूद्ध था। पुनः, प्रबन्धन ने एक प्रतिबंधित गतिविधि के मद में किए गए व्यय के कारणों को सविस्तार प्रतिपादित नहीं किया।

4.अ.24 आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किये बिना ऋण के वितरण

इकाई की सफलता के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किये बिना ऋण के वितरण से कम्पनी ने हानि उठाई।

कम्पनी ने कम्पैक्ट सर्किट एण्ड सिस्टम्स लिमिटेड, उधमसिंह नगर को बाजपुर, नैनीताल में व्यवसायिक ग्रेड एक पक्षीय (एस एस) और द्विपक्षीय (डी एस) प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड के निर्माण हेतु एक परियोजना स्थापित करने के लिये 90.00 लाख रूपये का सावधि ऋण (विदेशी मुद्रा ऋण के

परिवर्तन सहित) स्वीकृत किया (सितम्बर 1986)। विशेष नियमों एवं शर्तो के अनुसार, ऋण की पहली किश्त का वितरण उ प्र रा वि प द्वारा 33 के वी ए की पावर की स्वीकृति के पत्र के प्राप्त हो जाने के पश्चात् किया जाना था। तथापि, इस शर्त के पूरा होने को सुनिश्चित किये बिना जनवरी 1987 एवं मई 1988 के बीच ऋण वितरित कर दिया गया। उप–केन्द्र के निर्माण न होने के कारण विद्युत आपूर्ति में विलम्ब हो गया तथा आपूर्ति 1991 के आरम्भ में शुरू की गई। ऋण का भुगतान, 14 अर्द्धवार्षिक किश्तों में अगस्त 1988 से प्रारम्भ करके फरवरी 1995 तक की अवधि में किया जाना था। अनुबंध और व्यक्तिगत गारंटी के बॉण्ड मई 1987 में निष्पादित किए गए थे। इकाई ने सितम्बर 1988 में 2.40 लाख रूपये भुगतान करने के पश्चात् आगे भुगतान नहीं किया और अद्यतन लेखों (जनवरी 2001) की स्थिति के अनुसार अतिदेय 6.38 करोड़ रूपए (87.60 लाख रूपए के मूलधन सहित) आगणित किये गये। किसी भी क्रेताओं के आगे न आने के कारण इकाई को बेचने के कम्पनी के प्रयास सफल नहीं हो पाए (अगस्त 2001)।

इकाई को बेचने के कम्पनी के प्रयास सफल नहीं हो सके

यद्यपि, राज्य वित्तीय निगम, अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत मार्च 1991 में नोटिस भेजी गई, ऋणी की व्यक्तिगत सम्पत्तियों के अतिदेयों की वसूली के लिए डिमाण्ड नोटिस नही भेजी गई (अगस्त 2001)। इकाई का भौतिक कब्जा भी नहीं प्राप्त किया गया (अगस्त 2001)। कम्पनी ने इकाई को अक्टूबर 1991 में सम्बद्ध कर लिया।

लेखा–परीक्षा के संज्ञान में आया कि उपभोक्ता बाजार से इकाई का दूर होने, असंतुलित मशीन समूहों, प्रवर्तकों का अनुभवी न होना, एवं अदक्ष मानव शक्ति के अतिरिक्त इकाई, डीजल जेनरेटिंग सेट द्वारा उत्पादित विद्युत तथा तत्पश्चात अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पादन किए जाने से विपरीत लागत घटक, के कारण असफल हो गई।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2001) कि प्रवर्तक द्वारा परियोजना के स्थान का चयन, उस अवधि में कथित औद्योगिक क्षेत्र हेतु उपलब्ध विविध प्रोत्साहनों को ध्यान में रखकर किया गया था। प्रवर्तक की व्यक्तिगत जमानत का इसलिए आह्वान नहीं किया गया क्योंकि भूमि एवं भवन का विक्रय अभी किया जाना शेष था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार के उद्योग चलाने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ऋण वितरित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 6.39 करोड़ रूपए की धनराशि अतिदेय हो गई।

प्रकरण, शासन को जून 2001 में सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नही हुआ (अगस्त 2001)।

4अ.25 जाली अभिलेखों के आधार पर मार्जिन मनी ऋण की स्वीकृति के कारण हानि

समुचित प्रक्रिया के अभाव में एवं लाभार्थियों व उनके अभिलेखों की सत्यता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने में विफलता, 11 करोड़ रूपए की हानि में परिणामित हुई।

कम्पनी, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अल्पसंख्यकों को सेवा क्षेत्रों में अपनी स्वयं की औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऋण आवेदन पत्रों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों/पदेन जिला प्रबन्धकों/राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी के माध्यम से बैंको को भेजना होता था। बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति सुनिश्चित करने के पश्चात नामित जिला प्रबन्धकों (कम्पनी के सीधे नियंत्रण में नहीं) द्वारा मार्जिन मनी ऋण स्वीकृत किया जाता है और पत्रावली ऋण के भुगतान हेतु कम्पनी के मुख्यालय को भेज दी जाती है। ऋण के वितरण के पश्चात कम्पनी लाभार्थी की औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर सकती है। तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि कोई भी प्राधिकारी जो ऋण आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने, ऋण स्वीकृत करने आदि की प्रक्रिया में शामिल थे, कम्पनी के सीधे नियंत्रण में नहीं होते हैं, प्रक्रिया में लाभार्थियों की स्वतंत्र रूप से पहचान करना, स्वीकृति/हस्ताक्षर/अभिलेखों की सत्यता का सत्यापन आदि संकल्पित है।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया (नवम्बर 2000) कि कम्पनी ने गाजीपुर और मऊनाथ भंजन जनपदों के 25 लाभार्थियों को 11.23 लाख रूपये का मार्जिन मनी ऋण का भुगतान (अक्टूबर 1996 से अप्रैल 2000 तक) ऐसे अभिलेखों के आधार पर कर दिया जो कम्पनी द्वारा अनुवर्ती जाँच में जाली पाए गए। यह पाया गया कि लाभार्थियों के नाम एवं पते फर्जी थे तथा आवेदकों के हस्ताक्षर, शपथ–पत्र, अनुबन्ध तथा गारण्टी बॉण्ड सत्य नहीं थे। पुनः, या तो बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किए गए थे अथवा बैंकों के स्वीकृति पत्र फर्जी पाए गए थे।

इस प्रकार उचित प्रक्रिया के अभाव तथा लाभार्थी एवं उसके अभिलेखों की सत्यता की स्वतंत्र रूप से जांच के अभाव में कम्पनी को 11.23 लाख रूपए की हानि उठानी पड़ी।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2001) कि कम्पनी ने विस्तृत जाँच के उपरान्त दोषी लाभार्थियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी थी एवं संबंधित लेखा सहायकों के निलम्बन के पश्चात कार्यवाही की जा रही थी।

प्रकरण, शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2001)।

4अ.26 संदिग्ध वसूली

वाहनों की मरम्मत एवं पी ओ एल पर किया गया 0.25 करोड़ रूपये का व्यय शासन की स्वीकृति के प्राप्त न होने के कारण प्रतिपूरित नहीं हो पाया।

निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण जो कम्पनी के पदेन प्रबन्ध निदेशक भी थे, की निदेशालय से संबंधित 6 वाहनों पर बजट–आवंटन की प्राप्ति तक मरम्मत, रख–रखाव एवं पेट्रोल(पी ओ एल) पर व्यय किए जाने की प्रार्थना प्राप्त होने पर, कम्पनी ने निर्णय लिया (सितम्बर 1997) कि निदेशालय का यह अनुरोध विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जा सकता है कि इन वाहनों के पी ओ एल एवं मरम्मत/अनुरक्षण पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कम्पनी को कर दी जाएगी।

इकाई ने निदेशालय द्वारा अग्रसारित बिलों का नियमित भुगतान किया

लेखा परीक्षा में यह पाया गया (नवम्बर 2000) कि कम्पनी ने विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के बजाय निदेशालय द्वारा वर्ष 1998–99 से वर्ष 2000–2001 की अवधि के दौरान वाहनों की मरम्मत एवं पी ओ एल से संबंधित प्रस्तुत किए गए 26.20 लाख रूपए के बिलों का नियमित भुगतान किया जिसका विवरण निम्नतालिका में दिया गया है:

वर्ष	धनराशि (लाख रूपये में)
1998–99	6.62
1999–2000	9.68
2000–2001	9.90
योग	**26.20**

उपरोक्त में से मात्र 1.43 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति निदेशालय द्वारा वर्ष 1998–99 में की गई थी। अवशेष 24.77 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति नही हो पाई थी। इस धनराशि की प्रतिपूर्ति संदिग्ध हैं। क्योंकि सरकार की स्वीकृति निदेशालय से सम्बन्धित वाहनों हेतु पूर्ण वर्ष के लिए मात्रा 0.80 लाख रूपये की ही थी।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2001) कि कम्पनी माइनारिटी वेलफेयर डाइरेक्ट्रेट से धन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है।

तथापि, प्रबन्धन के प्रयत्न के परिणाम संदिग्ध थे क्योंकि अतिरिक्त व्यय हेतु सरकार की स्वीकृति तीन वर्षों से प्राप्त नहीं हो रही थी।

प्रकरण, शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2001)।

4ब. सांविधिक निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

4ब.1 व्यापार कर के विलम्ब से जमा करने पर ब्याज की परिहार्य देयता

वसूल किये गये व्यापार कर के देरी से/न जमा करने के परिणामस्वरूप 0.14 करोड़ रूपये का ब्याज आरोपित हुआ।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1946 के खण्ड 8 में प्राविधान है कि विक्रेता द्वारा एक माह में वसूल किया गया व्यापार कर राजकोष में अगले माह जमा कर दिया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर वह प्रतिमाह दो प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (अक्टूबर 2000) कि लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने वर्ष 1997–98 के दौरान स्क्रैप तथा निष्प्रयोज्य वाहनों व भण्डार की बिक्री से 47.37 लाख रूपये का व्यापार कर वसूल किया, लेकिन जुलाई 1997 से अक्टूबर 1999 तक 1 से 29 माह के विलम्ब से केवल 39.57 लाख रूपये ही जमा किया। अवशेष 7.80 लाख रूपये जमा नहीं किया गया। व्यापार कर प्राधिकारी ने दिसम्बर 1999 में कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय ने कर अपवंचन किया और 10.82 करोड़ रूपये की स्क्रैप की बिक्री पर 52.95 लाख रूपये कर का निर्धारण किया। व्यापार कर प्राधिकारी ने निगम द्वारा संग्रहीत कर के देरी से जमा करने के कारण 13.87 लाख रूपये ब्याज तथा निर्धारित कर के अवशेष के रूप में 13.38 लाख रूपये की भी माँग की। निगम ने उपायुक्त (अपील)–III, व्यापार कर, लखनऊ से देरी से किये गये भुगतान पर ब्याज की माफी के लिए अपील की जो निरस्त कर दी गयी (सितम्बर 2000)।

इस प्रकार, कर के पूर्ण प्रदर्शन तथा संग्रहीत की गई व्यापार कर की संपूर्ण राशि को जमा करने में असफलता के निम्न परिणाम निकलेः

(अ) देरी से जमा करने पर 13.87 लाख रूपये ब्याज की देयताय

(ब) निगम पर 13.38 लाख रूपये के शेष कर पर फरवरी 2000 से 0.27 लाख रूपये प्रतिमाह के ब्याज भुगतान करने की देयताय

(स) उपरोक्त के अतिरिक्त, 5.58 लाख रूपये कम वसूल किये गये कर के भुगतान की देयता।

चूक के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया (मई 2001)।

प्रकरण, निगम को मई 2001 एवं शासन को जुलाई 2001 में सूचित किया गयाय उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4ब.2 कर्मचारी भविष्य निधि को विलम्ब से जमा करने पर क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान

कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान के समय से भुगतान में निगम के असफल रहने के परिणामस्वरूप 0.27 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान हुआ।

निगम ने कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान समय पर जमा नहीं किया

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्राविधान अधिनियम 1952 के अन्तर्गत, एक नियोक्ता को कर्मचारियों के मासिक अंशदान को नियोक्ता के अंश सहित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आर पी एफ सी) के पास प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होता है, ऐसा न करने पर आर पी एफ सी द्वारा क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है।

निगम की केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर ने अक्टूबर 1995 से मार्च 1999 की अवधि से सम्बन्धित कर्मचारियों के अंशदान एवं अपना अंश 6 से 349 दिनों के विलम्ब के पश्चात् जमा किया। परिणामस्वरूप, आर पी एफ सी ने दोषपूर्ण भुगतानों पर 40.05 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का आरोपण किया (सितम्बर 2000)। वित्तीय बाधाओं के आधार पर क्षतिपूर्ति को माफ किये जाने के प्रबन्धन के अनुरोधों (अक्टूबर 2000/मार्च 2001) को आर पी एफ सी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और निगम ने अक्टूबर और नवम्बर 2000 के दौरान 13.55 लाख रुपये छोड़कर जिसे निगम द्वारा भुगतान करना ही पड़ेगा, 26.50 लाख रूपये का भुगतान किया क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत ई पी एफ आयुक्त को ऐसे अर्थ दण्ड को माफ करने का कोई अधिकार नहीं था। यदि निगम ने निर्धारित समय के अन्तर्गत ई पी एफ अंशदान का भुगतान कर दिया होता तो क्षतिपूर्ति के भुगतान से बचा जा सकता था।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2001) कि कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का समय से भुगतान, वित्तीय संकट व भारी हानियों के कारण नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि 17 से 37 प्रतिशत की दर पर आरेखित क्षतिपूर्ति से बचने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि को एक संवैधानिक आवश्यकता होने के कारण, जमा करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

प्रकरण, शासन को जुलाई 2001 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2001)।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

4ब.3 जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण वितरण से हानि

जाली जमानती दस्तावेजों तथा बैंक के जाली पत्र के आधार पर ऋण के वितरण के परिणामस्वरूप 4.44 करोड़ रूपये की हानि हुई।

निगम ने एक रूग्ण इकाई (नारायण फैब्रिकेशन्स एण्ड इन्जीनियर्स प्रा0 लिमिटेड) को स्थगित देयता के आधार पर एन आर स्टील (प्रा0) लिमिटेड, नारायना, नई दिल्ली को 8 लाख रूपये के विक्रय मूल्य पर बेचा (जुलाई 1992) और सुल्तानपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्रा, जगदीशपुर में गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का निर्माण करने हेतु एक इकाई की स्थापना करने के लिए 78.40 लाख रूपये का एक सावधि ऋण भी स्वीकृत कर दिया (अगस्त 1992)। 74.64 लाख रूपये का वितरण, दिसम्बर 1992 से दिसम्बर 1993 की अवधि में किया गया।

निर्धारित प्रक्रिया के अभाव में, निगम ने ऋण वितरण से पूर्व मूल स्वामित्व पत्रा एवं अन्य विवरण के सन्दर्भ में प्रत्याभूति में प्रवर्तकों द्वारा प्रदर्शित परिसम्पत्तियों की प्रामाणिकता तथा बैंकर्स से साख क्षमता की स्वतंत्रा रूप से पुष्टि नहीं की।

पक्ष द्वारा ऋण की अदायगी नहीं की जा रही थी और यह पाया गया कि प्रवर्तकों द्वारा परियोजना को आंशिक रूप से निर्मित दशा में छोड़ दिया गया था। निगम ने अप्रैल और अगस्त 1994 में अदायगी हेतु नोटिस जारी किये किन्तु नोटिस अवितरित वापस आ गई, क्योंकि प्रवर्तकों का पता नहीं चल पाया। इकाई का भौतिक कब्जा नवम्बर 1995 में लिया गया और 11.86 लाख रूपये मूल्य की मशीनें गायब होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई (नवम्बर 1995)। क्रेता ने 19.25 लाख रूपये मूल्य की बची हुई मशीनरी व प्लाण्ट यह बताते हुए भौतिक कब्जा लेने से मना कर दिया (जुलाई 1997) कि वे कम थीं।

निगम द्वारा जुलाई और अगस्त 1999 के मध्य की गई अनुवर्ती जाँच से यह पता चला कि कार्यशील पूँजी ऋण की स्वीकृति से संबंधित इलाहाबाद बैंक द्वारा जारी किया गया पत्रा जाली था, प्रत्याभूति के रूप में बंधक बनाई गई सम्पत्ति अस्तित्व में नहीं थी, मकान जो उन्होंने अपने बताये थे, उनके नहीं थे, कुछ अन्य सम्पत्तियाँ उनके द्वारा पहले ही बेच दी गई थीं और उनके पतों का नई दिल्ली में स्थान निर्धारण नहीं किया जा सका।

प्रवर्तक अपने बैंकर्स के जाली पत्र एवं जमानती दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त करने में सफल रहे

परिणामस्वरूप, प्रवर्तक अपने बैंकर्स के जाली पत्रा एवं जमानती दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्राप्त करने में सफल रहे। इससे ब्याज एवं जुलाई 2001 के अन्य व्यय सहित 4.44 करोड़ रूपये (मूलधनः 72.90 लाख रूपये तथा ब्याज एवं व्यय : 3.71 करोड़ रूपये–जून 2000 तक) की हानि हुई। धन के कपट पूर्ण आहरण में सहायता करने वाले कर्मचारियों के विरूद्व की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, लेखा परीक्षा को सूचित नहीं की गई।

निगम का उत्तर कि साख क्षमता सत्यापित करने के लिए विशिष्ट मार्गदर्शक निर्देशों का न होना व व्यक्तिगत सम्पत्तियों को बंधक न बनाया जाना, इसके वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए उचित प्रक्रिया की अनुपस्थिति का संकेतक था।

प्रकरण, शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4ब.4 इकाई का भौतिक कब्जा लेने में असफल रहने के कारण हानि

भुगतान में विलम्ब का ज्ञान होने के तुरन्त बाद, निगम द्वारा इकाई का भौतिक कब्जा लेने में असफल रहने के परिणामस्वरूप 0.74 करोड़ रूपये की हानि हुई।

निगम ने बछराँवा राइस मिल्स (प्रा0) लिमिटेड, राय बरेली को राइस मिल की स्थापना के लिए 18.80 लाख रूपये का एक सावधिक ऋण स्वीकृत किया (मई 1992) और प्रवर्तकों द्वारा इकाई में 18.48 लाख रूपये की मुख्य प्रतिभूति (विद्यमान अचल परिसम्पत्तियाँ) के सृजन के विरूद्ध, मार्च से दिसम्बर 1993 की अवधि के दौरान 15.32 लाख रूपये वितरित किए। चल और अचल सम्पत्तियों के विवरण प्रदर्शित करने वाले प्रत्याभूतियों के बॉण्ड पत्रा अक्टूबर 1992 में प्राप्त किये गये। तथापि, एक निर्धारित प्रक्रिया के अभाव में स्वामित्व पत्रों की प्रमाणिकता और प्रतिभूतिदाताओं की पहचान स्वतंत्रा रूप से सत्यापित नहीं की गई।

ऋणी द्वारा बकाया के भुगतान न किये जाने के बावजूद निगम, इकाई का भौतिक कब्जा लेने में असफल रहा

इकाई ने आरम्भ से ही ऋण की अदायगी करने में चूक की और 20.80 लाख रूपये (जून 1995) तक की सीमा के अतिदेय संचित हो जाने पर निगम ने जुलाई 1995 में 15 दिन के अन्दर इकाई का अधिग्रहण करने के लिए एस एफ सी अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिया। तथापि, इसका भौतिक कब्जा अब तक (अगस्त 2001) नहीं लिया जा सका क्योंकि जैसा बाद में बताया गया कि स्थल पर कोई ढाँचा उपलब्ध नहीं था। प्लाण्ट एवं मशीनरी 2.00 लाख रूपये में बेच दिये गये (जनवरी 1998)। वसूली प्रमाण–पत्रा (मार्च 2000) के उत्तर में, रायबरेली जिले के राजस्व अधिकारी ने भी सूचित किया (मई 2000) कि उस स्थल पर जहाँ चावल मिल स्थापित होना दर्शाया गया था, वहाँ केवल टीले एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में बिना छत की दीवारें व दरवाजे थे। अप्रैल 2001 में वसूली प्रमाण–पत्रा पुनः जारी किये गये थे। दोषपूर्ण स्वामित्व पत्रों के कारण प्रतिभूतिदाताओं की परिसम्पत्तियों से कोई वसूली नहीं की जा सकी। इस प्रकार भुगतान में विलम्ब प्रतिभूतिदाताओं की परिसम्पत्तियों के स्वामित्व पत्रों में दोषों के संज्ञान में आने के बाद निगम द्वारा इकाई का भौतिक कब्जा तत्काल लेने में असफल रहने के फलस्वरूप 74.13 लाख रूपये की हानि हुई (मार्च 2001)।

प्रबन्धन का उत्तर (अगस्त 2001) कि इकाई का भौतिक कब्जा सुरक्षा गार्डों पर होने वाले व्यय से बचने के लिए नहीं लिया गया, स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि इसने एक चलती हुई फैक्टरी की संरचना के ढाँचे को ढेर में बदलने में सहायता की।

प्रकरण, शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

4ब.5 संपार्श्विक (कोलेटरल) प्रतिभूति के जाली अभिलेखों पर ऋण के वितरण से हानि

बंधककर्ता एवं स्वामित्व विलेख के सत्यापन के बिना ऋण के वितरण से 0.97 करोड़ रूपये की हानि हुई।

निगम ने इंडस्ट्रियल पैकर्स, गाजियाबाद (एस एफ सी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत अधिग्रहीत एक इकाई) की परिसंपत्तियों को ग्रोवर सन्स, गाजियाबाद को 24.10 लाख रूपये में, जिसमें 9.46 लाख रूपये का नकद भुगतान एवं शेष भुगतान योग्य 14.46 लाख रूपये की तीन समान वार्षिक किश्तों में बेचा(मार्च 1997)। पी वी सी कूलर बाडी के निर्माण के लिए जुलाई/अगस्त 1997 के दौरान 20 लाख रूपये के अचल परिसम्पत्ति सावधि ऋण (एफ ए टी एल) और 35 लाख रूपये कार्यशील पूँजी सावधिक ऋण (डब्ल्यू सी टी एल) के रूप में 55 लाख रूपये का वितरण भी किया। इकाई में सृजित की गई परिसंपत्तियों को बन्धक बनाकर एवं प्रवर्तकों एवं गारण्टीकर्ताओं की समपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा तथा इकाई के कच्चे माल एवं तैयार स्टॉक को गिरवी रखकर ऋण को रक्षित किया गया था। तथापि, निगम ने गारण्टीकर्ताओं की पहचान एवं विधिक प्रलेखन के समय बन्धक रखी गई व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों, स्वामित्व विलेख की सत्यता की जाँच किये बिना ऋण वितरित कर दिया।

इकाई ने पुनर्भुगतान में आरम्भ से ही त्रुटियाँ की। इसलिए, निगम ने एस एफ सी अधिनियम, 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत इकाई का अधिग्रहण करने के लिए नोटिस जारी किया (अगस्त 1998), परन्तु इसे इस टिप्पणी के साथ अवितरित वापस कर दिया गया कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं था। तथापि, इकाई का भौतिक कब्जा अति विलम्ब से सितम्बर 1998 में लिया गया। इकाई के अधिग्रहण करने के समय यह पाया गया कि डब्ल्यू सी टी एल के विरूद्ध बन्धक रखा गया 96.86 लाख रूपये का कच्चा माल एवं निर्मित उत्पाद गायब था। प्रवर्तकों/गारण्टीकर्ताओं की व्यक्तिगत गारण्टी का अक्टूबर 1998 में आह्वान किया गया लेकिन आह्वान पत्रा इस टिप्पणी के साथ अवितरित वापिस आ गया कि इस तरह का कोई परिसर या तो था ही नहीं या परिसर पूर्ण रूप से बन्द पाया गया।

मूल्यांकन प्रतिवेदन में उपलब्ध स्वामित्व विलेख एवं अन्य अभिलेख असत्य, तथा नकली पाये गये

एक जाँच में निगम के अधिकारियों ने सूचित किया (सितम्बर 1999) कि मूल्यांकन प्रतिवेदन में उपलब्ध प्रत्याभूतिदाताओं की पहचान सहित स्वामित्व विलेख एवं अन्य अभिलेख असत्य एवं जाली थे। परिसम्पत्ति ऋणी/प्रत्याभूतिदाताओं के नाम नहीं थी। निगम ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी (सितम्बर 1999) जिसका परिणाम प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2000)। इसके परिणामस्वरूप, अप्रैल 2001 तक के 97.17 लाख रूपये के कुल बकाये की वसूली नहीं की जा सकी थी।

निगम ने प्रलेखन की कार्य–विधि का मानकीकरण नहीं किया एवं कार्यप्रणाली के मानकीकरण नहीं किये जाने के फलस्वरूप 97.17 लाख रूपये की हानि हुई (मूलधन : 37.06 लाख रूपये और ब्याज एवं व्यय : 60.11 लाख रूपये, अप्रैल 2001 तक)।

निगम ने बताया (सितम्बर 2001) कि ऐसा प्रतीत होता है कि तथाकथित प्रतिभूतिदाताओं/बंधककर्ताओं ने जाली पहचान एवं स्वामित्व विलेख जमा कर के जालसाजी की थी। प्रबन्ध का उत्तर कम्पनी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बंधककर्ता और स्वामित्व

विलेखों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करने की पद्धति के अभाव को इंगित करता है।

प्रकरण, शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2001)।

4ब.6 अपर्याप्त प्रतिभूति एवं जाली अभिलेखों के विरूद्ध ऋण का वितरण

अप्रमाणित फर्म के प्रोफार्मा बीजक, अपर्याप्त प्रतिभूति, बैंकरों से साख का मौखिक पुष्टीकरण एवं समपार्श्विक प्रतिभूति के स्वामित्व विलेख को बंधक रखने में जालसाजी के आधार पर ऋण वितरण किए जाने के कारण 0.62 करोड़ रूपये की हानि हुई।

निगम ने एक रूग्ण इकाई क्वालिटी प्लास्टिक्स, देहरादून को 1.50 लाख रुपये के नगद भुगतान तथा अवशेष धनराशि को तीन वर्षों में छमाई किश्तों द्वारा होने वाले भुगतान सहित रशफूड्स देहरादून को 5 लाख रुपए में बेच दिया (दिसम्बर 1995) और 18.80 लाख रुपये की सम्पार्श्विक प्रतिभूति इकाई में सृजित परिसम्पत्तियों के मुख्य प्रतिभूति के विरूद्ध एक 'टॉफी' उत्पादन इकाई लगाने के लिए 30 लाख रुपये का अचल परिसंपत्ति सावधि ऋण (एफ ए टी एल) भी स्वीकृत किया (दिसम्बर 1995)।

निगम ने, अप्रमाणित संयंत्र–आपूर्तिकर्ताओं के प्रोफार्मा बीजक के आधार पर ऋण को वितरित किया

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अक्टूबर 2000) कि केवल प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं के प्रोफार्मा बीजक के आधार पर ऋण निर्मुक्ति के वितरण नियमावली के प्राविधानों के उल्लंघन में, जनवरी 1996 में इसने संयंत्रा आपूर्तिकर्ताओं के प्रोफार्मा बीजक के आधार पर बिना आपूत्तिकर्त्ताओं की साख का सत्यापन किये 37.87 लाख रुपये वितरित कर दिये। पुनः इकाई की साख की पुष्टि करने वाला कोई पत्रा नहीं प्राप्त किया गया, इसके बजाय यह मूल्यांकन अधिकारी की इस टिप्पणी पर आधारित था कि वह बैंकर्स के पास गया था और बैंकर्स उसके बारे में अच्छी राय रखता था। ऋण के वितरण के बाद, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने पाया (फरवरी 1997), कि वास्तविक मुख्य प्रतिभूति केवल 26.13 लाख रुपये की थी और तद्नुसार 35 प्रतिशत का मार्जिन अनुमत करते हुए केवल 16.98 लाख रुपये ही देय थे। इकाई ने 5.07 लाख रुपये की अधिक वितरित धनराशि का पुनर्भुगतान नहीं किया। निगम ने पुनः (मार्च 1997) 10 लाख रुपये की कार्यशील पूँजी सावधि ऋण की स्वीकृति प्रदान की और वितरित किया जिसमें से अधिक वितरित धनराशि का समायोजन कर लिया गया। इकाई ने इसके पश्चात ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया।

पुनः, भारतीय स्टेट बैंक, रूड़की ने निगम को सूचित किया (मई 1997) कि रश फूड्स के प्रवर्तक एन एण्ड जी इण्डस्ट्रीज, रूड़की में भागीदार थे। वे बैंक के ऋणी थे और हाल ही में उन्होंने एन एण्ड जी इण्डस्ट्रीज के सम्पूर्ण संयंत्रा एवं मशीनरी को, उन सभी मशीनरी सहित जो बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न साख सुविधाओं के विरूद्ध दी गई प्रतिभूति के रूप में बन्धक रखी गई थी, अपनी देहरादून स्थित इकाई को स्थानान्तरित कर दी। इसके बावजूद निगम ने वसूली की कार्यवाही करने के बजाय ऋणों के पुनर्भुगतान की नई समय–सारिणी बना दी (सितम्बर 1997)। चूँकि इकाई ने ऋण का पूर्ण भुगतान नहीं किया, (0.70 लाख रुपये के प्रारम्भिक भुगतान को छोड़कर)। निगम ने एस एफ सी अधिनियम 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दी (मार्च 1998)। वसूली प्रमाण–पत्रा दिसम्बर 1999 में जारी किया गया। देहरादून क्षेत्रा द्वारा निगम मुख्यालय को जारी फैक्स सन्देश (जून 2000) के अनुसार सम्पार्श्विक प्रतिभूति (रूड़की में) के सह–बन्धककर्ता ने ऋणी फर्म द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी करने के कारण प्रथम

सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी, क्योंकि न तो उन्होंने अपनी सम्पत्तियों को बन्धक बनाया था और न ही बन्धक बनाने के समय वे विद्यमान थीं। लेखा परीक्षा को, पुलिस जाँच की प्रगति सूचित नहीं की गई (अगस्त 2001)।

इकाई को नीलाम करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही चल रही थी (अगस्त 2001)।

इस प्रकार, अप्रमाणित फर्म के प्रोफार्मा बीजक के आधार पर ऋण का वितरण, अपर्याप्त प्रतिभूति, बैंकर्स से साख की मौखिक पुष्टि, सम्पार्श्विक प्रतिभूति के स्वामित्व विलेख को बन्धक बनाए जाने में जालसाजी के परिणामस्वरूप मूलधन, ब्याज और अन्य व्यय सहित 61.71 लाख रूपय की हानि हुई।

प्रबन्धक ने बताया (अगस्त 2001) कि उन्होंने ऋण का वितरण प्रोफार्मा बीजक, शासपत्रित लेखाकार के प्रमाण–पत्रा, बैंकर्स के सत्यापन और सम्पार्श्विक प्रतिभूति के आधार पर किया था। प्रबन्धन का उत्तर इस पर चुप था कि उसने क्यों नहीं एक प्रमाणित फर्म के प्रोफार्मा बीजक, बैंकरों से लिखित सहमति एवं बन्धक बनाने के समय सम्पार्श्विक प्रतिभूति धारक की सत्यता का सत्यापन करने पर क्यों बल नहीं दिया।

प्रकरण, शासन को मई 2001 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2001)।

उत्तर प्रदेश जल निगम

4ब.7 निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य का पूर्ण न होना

निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य के पूर्ण न होने के फलस्वरूप निगम को 0.34 करोड़ रूपये की हानि हुई।

परियोजना प्रबन्धक, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज यूनिट 38, उत्तर प्रदेश जल निगम, सोनभद्र (इकाई) की स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान (सितम्बर 2000) यह संज्ञान में आया कि इकाई ने नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड (एन सी एल), सिंगरौली, सिधी, मध्य प्रदेश के साथ निगाही परियोजना पर 48 बी टाईप क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1.22 करोड़ रूपये का एक अनुबन्ध किया (जनवरी 1997)। अनुबन्ध की शर्तो के अधीन एवं 7 नवम्बर 1996 के आशय पत्रा (एल ओ आई) के अनुसार निर्माण कार्य का प्रारम्भ 09.12.1996 और समाप्ति 08.03.1998 को होनी थी। इकाई, 35 प्रतिशत कार्य निष्पादित करने के पश्चात निर्धारित समयावधि में कार्य को पूरा करने में असफल रही। एन सी एल द्वारा ईट एवं गिट्टी–पत्थर उपलब्ध नहीं करा पाने और कुछ मदों की दरों के संशोधन के आधार पर समय वृद्धि की प्रार्थना को एन सी एल द्वारा (मार्च 1998) अस्वीकार कर दिया गया। अतः, जैसा कि इकाई द्वारा बताया गया, एन सी एल से 30.16 लाख रूपये की कुल प्राप्ति के विरूद्ध अप्रैल 1998 तक किया गया कुल व्यय 53.25 लाख रूपये था जिसमें 23.09 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय सम्मिलित था।

कार्य को छोड़ दिया गया क्योंकि परियोजना पर समस्त हानि 30.00 लाख रूपये से अधिक आंकलित की गई और एन सी एल द्वारा 10.94 लाख रूपये की प्रतिभूति जब्त कर ली गई।

अतैव, कम्पनी ने निर्धारित समय में निर्माण कार्य को पूरा न करने के कारण 34.03 लाख रूपये की कुल हानि उठाई।

प्रकरण, निगम और शासन को जून 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2001)।

4ब.8 निष्फल व्यय

परियोजना जो 1.13 करोड़ रूपये की लागत पर पूर्ण होनी थी, 2.34 करोड़ रूपये के व्यय के पश्चात भी अपूर्ण पड़ी थी।

जल संस्थान, झाँसी ने 1978–79 में बाँदा शहर की घनी आबादी वाले भाग में मल निकासी तथा अस्वच्छता निवारण की सीवरेज योजना 90.88 लाख रूपये की अनुमानित लागत पर तैयार की जिसे 1982–83 में 1.13 करोड़ रूपये में संशोधित कर दिया गया। तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमशः दिसम्बर 1979 और सितम्बर 1981 में प्रदान की गई थीं।

योजना का वित्त पोषण, भारतीय जीवन बीमा निगम से 90.88 लाख रूपये के एक ऋण एवं शेष धनराशि राज्य सरकार के अनुदान से किया जाना था। योजना के आरम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः अप्रैल 1983 एवं जून 1984 संकल्पित थी।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड. XVI, उत्तर प्रदेश जल निगम, बांदा की नमूना लेखा परीक्षा (दिसम्बर 2000) ने प्रकट किया कि संकल्पित कार्यो की अक्टूबर 2000 तक पूर्ण की गई मुख्य मदें निम्नवत थीं:

क्रम संख्या	संकल्पित कार्यों के मद	परिमाण	पूर्ण कार्य के मद	अपूर्ण कार्य
1.	ट्रंक सीवर	2594 मीटर	1814 मीटर	780 मीटर
2.	ब्रांच सीवर	19774 मीटर	11662 मीटर	8112 मीटर
3.	पम्पिग संयंत्र	1	1	शून्य
4.	पम्पिग संयंत्र	5	5	शून्य
5.	ट्रासमिशन लाइन	जाब	जाब	शून्य
6.	राइजिंग मेन	4000 मीटर	4000 मीटर	परीक्षण नही किया गया
7.	ट्रीटमेन्ट प्लांट	3 आक्शीडेसन पाण्ड्स	शून्य	3 आक्शीडेसन पाण्ड्स
8.	सीवेज फार्म चैनल	7800 मीटर	शून्य	7800 मीटर

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ट्रंक सीवर, ब्रान्च सीवर के कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके और तीन आक्सीडेशन पाण्ड्स सहित ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं सीवेज फार्म चैनल का कार्य फर्म द्वारा समय से पूर्ण न किए जाने, ठेकेदार फर्मो द्वारा समय से कार्य न किये जाने, ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु भूमि विवाद और निधियों की अपर्याप्त अवमुक्ति तथा अनियमित उपलब्धता के कारण हाथ में नही लिया जा सका यद्यपि मार्च 2000 तक 2.34 करोड़ रूपये का व्यय कर दिया गया था।

राइजिंग मेन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था (जुलाई 1987) लेकिन कंडक्टर की चोरी के कारण ठेकेदार द्वारा परीक्षण का कार्य नहीं किया जा सका (जनवरी 1998)। तथापि, राइजिंग मेन का विभागीय परीक्षण फरवरी 1998 में किया गया, जिसमें अधिक संख्या में रिसाव पाये गये जिसकी मरम्मत अद्यतन नहीं की गयी।

परियोजना के सभी बचे कार्यों को पूर्ण करने के लिए, 1.89 करोड़ रूपये का एक प्राक्कलन तैयार किया गया और मुख्य अभियंता, कानपुर को फरवरी 2000 में प्रस्तुत किया गया जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित थी (मई 2001)।

अधिशाषी अभियन्ता ने उत्तर में बताया कि लम्बे समय से परियोजना के निर्माणाधीन रहने के कारण व्यय के बढ़ने और धन की कमी के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, परियोजना जो 1.13 करोड़ रूपये की लागत पर पूर्ण की जानी थी और 1987 तक चालू हो जानी थी, परंतु दिसम्बर 2000 तक पूर्ण नहीं की जा सकी थी, यद्यपि मार्च 2000 तक 2.34 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके थे। इसके अतिरिक्त, योजना का मूल उद्धेश्य ही निष्फल हो गया था क्योंकि 17 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी मल निकासी यथावत थी।

प्रकरण, निगम और शासन को जुलाई 2001 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2001)।

वाई. सी. सत्यवादी

(वाई. सी. सत्यवादी)
प्रधान महालेखाकार
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद,
दिनांक 7 मार्च 2002

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

(वी. के. शुंगलू)
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
दिनांक 13 मार्च 2002

परिशिष्ट–1

(प्रस्तर संख्या 1.2.1.1, 1.2.1.2ए 1.2.2 व 1.3.2 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2001 को प्रदत्त पूँजी, बजट बर्हिगमन, बजट से प्राप्त ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शती विवरणी

(स्तम्भ 3(अ) से 4(र) के आंकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनी/निगम का नाम	चालू वर्ष के अन्त तक प्रदत्त पूँजी (कोष्ठक के आंकड़े अंशपूँजी आवेदन धनराशि को इंगित करते हैं)					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशपूँजी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण[36]	2000–2001 की समाप्ति पर बकाया ऋण[37]			2000–2001 के लिए ऋण/अंशपूँजी अनुपात (गत वर्ष) 4(र)/3(य)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनियाँ	अन्य	योग	अंशपूँजी	ऋण		सरकारी	अन्य	योग	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गीय													
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	3667.17	332.83	-	-	4000.00	-	-	-	750.00	-	750.00	(-) 0.19:1
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट पौल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	44.00 (121.75)	6.00 (121.75)	-	-	50.00 (243.50)	-	-	-	109.75	-	109.75	0.37:1 (0.37:1)
3.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	38.25	–	–	32.86 (0.19)	71.11 (0.19)	–	–	675.40	–	675.40	675.40	9.47:1 (-)
4.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50	–	–	10.82 (0.27)	61.32 (0.27)	–	–	–	–	-	-	– (-)
5.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73	-	-	8.11 (0.22)	30.84 (0.22)	-	-	-	-	-	-	- (-)
6.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30	-	-	8.00 (1.94)	23.30 (1.94)	1.94	-	-	-	-	-	- (5.06:1)

36 बाण्ड, डिवेंचर, अन्तर–निगम जमा को शामिल करके।

37 2000–2001 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाता है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
7.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल कार्पोरेशन लिमिटेड	540.00 (447.00)	100.00	-	-	640.00 (447.00)	-	-	-	-	-	-	- (-)
8.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	150.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	- (-)
9.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	107.00	-	-	-	107.00	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**4634.95** **(568.75)**	**438.83** **(121.75)**	-	**59.79** **(2.62)**	**5133.57** **(693.12)**	**1.94**		**675.40**	**859.75**	**675.40**	**1535.15**	**0.26:1** **(0.24:1)**
	उद्योग												
10.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	596.05	-	-	-	596.05	-	125.00	-	756.41	-	756.41	1.27:1 (1.06:1)
11.	ट्रांस केबिल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	-	-	162.80	0.44	163.24	-	-	-	-	250.00	250.00	1.53:1 (1.53:1)
12.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	573.94	-	-	-	573.94	-	-	-	191.40	-	191.40	0.33:1 (0.33:1)
13.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	76.25	-	76.25	-	-	-	82.50	40.00	122.50	1.61:1 (1.60:1)
14.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	35.20	-	35.20	-	-	-	-	467.66	467.66	13.29:1 (13.29:1)
	क्षेत्रवार योग	**1169.99**	-	**274.25**	**0.44**	**1444.68**	-	**125.00**	-	**1030.31**	**757.66**	**1787.97**	**1.24:1** **(1.72:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स												
15.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	7751.31 (700.20)	-	-	-	7751.31 (700.20)	557.00	1775.00	-	5319.00	-	5319.00	0.63:1 (0.45:1)
16.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	117.00	-	117.00	-	-	-	-	20.00	20.00	0.17:1 (0.17:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
17.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	124.08	50.63	174.71	-	-	-	-	324.00	324.00	1.85:1 (1.85:1)
18.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	5792.51	-	5792.51	476.92	-	1775.00	-	970.00	970.00	0.17:1 (1.60:1)
19.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	894.53	-	-	-	894.53	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**8645.84 (700.20)**	**-**	**6033.59**	**50.63**	**14730.06 (700.20)**	**1033.92**	**1775.00**	**1775.00**	**5319.00**	**1314.00**	**6633.00**	**0.43:1 (0.87:1)**
	वस्त्र												
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	- (2176.00)	-	3190.52	-	3190.52 (2176.00)	-	-	-	-	1392.83	1392.83	0.26:1 (0.69:1)
21.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	8864.84	-	-	-	8864.84	-	1758.00	-	1758.00	-	1758.00	0.20:1 (0.20:1)
	क्षेत्रवार योग	**8864.84 (2176.00)**	**-**	**3190.52**	**-**	**12055.36 (2176.00)**	**-**	**1758.00**	**-**	**1758.00**	**1392.83**	**3150.83**	**0.22:1 (0.17:1)**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
22.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	3644.49	1062.95	-	-	4707.44	-	812.07	-	2677.78	-	2677.78	0.57:1 (0.40:1)
	क्षेत्रवार योग	**3644.49**	**1062.95**	**-**	**-**	**4707.44**	**-**	**812.07**	**-**	**2677.78**	**-**	**2677.78**	**0.57:1 (0.40:1)**
	निर्माण												
23.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	1000.00	-	-	-	1000.00	-	700.00	1435.34	700.00	1435.34	2135.34	2.14:1 (-)
24.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	- (-)
25.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1400.00**	**-**	**-**	**-**	**1400.00**	**-**	**700.00**	**1435.34**	**700.00**	**1435.34**	**2135.34**	**1.52:1 (-)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
	क्षेत्र विकास												
26.	कुमांऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1466.00	-	-	-	1466.00	124.12	907.24	-	1199.74	-	1199.74	0.82:1 (0.22:1)
27.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	646.00	-	-	-	646.00	-	-	-	957.42	-	957.42	1.48:1 (1.48:1)
	क्षेत्रवार योग	**2112.00**	**-**	**-**	**-**	**2112.00**	**124.12**	**907.24**	**-**	**2157.16**	**-**	**2157.16**	**1.02:1 (0.63:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
28.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	6689.31	6011.94	-	-	12701.25	300.00	-	1660.02	-	2559.07	2559.07	0.20:1 (0.27:1)
29.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	20.00	-	30.00	-	50.00	-	-	-	17.48	-	17.48	0.35:1 (0.35:1)
30.	कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	22.00	-	28.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	- (-)
31.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	15.00	-	-	-	15.00	-	-	-	-	37.83	37.83	2.52:1 (2.52:1)
32.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	810.00 (237.82)	-	-	-	810.00 (237.82)	50.00	-	1357.42	-	2364.44	2364.44	2.26:1 (1.32:1)
	क्षेत्रवार योग	**7556.31 (237.82)**	**6011.94**	**58.00**	**-**	**13626.25 (237.82)**	**350.00**	**-**	**3017.44**	**17.48**	**4961.34**	**4978.82**	**0.36:1 (0.37:1)**
	सार्वजनिक वितरण												
33.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	500.00 (50.39)	- (-)	- (-)	- (-)	500.00 (50.39)	-	-	-	1557.10	-	1557.10	2.83:1 (3.21:1)
	क्षेत्रवार योग	**500.00 (50.39)**	**- (-)**	**- (-)**	**- (-)**	**500.00 (50.39)**	**-**	**-**	**-**	**1557.10**	**-**	**1557.10**	**2.83:1 (3.21:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
	चीनी												
34.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	47616.12	-	-	-	47616.12	-	10027.44	2307.46	10027.44	20665.48	30692.92	0.64:1 (0.38:1)
35.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	32.59	-	1620.99	45.06	1698.64	-	-	-	-	-	-	(-)
36.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	2407.29	-	2407.29	-	400.00	1487.46	400.00	1908.60	2308.60	0.96:1 (0.17:1)
37.	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	3404.05	-	3404.05	-	-	3494.78	-	4258.35	4258.35	1.25:1 (0.22:1)
38.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	879.85	15.00	894.85	-	-	1598.11	-	1792.61	1792.61	2.00:1 (0.22:1)
	क्षेत्रवार योग	**47648.71**	**-**	**8312.18**	**60.06**	**56020.95**	**-**	**10427.44**	**8887.81**	**10427.44**	**28625.04**	**39052.48**	**0.70:1 (0.35:1)**
	पर्यटन												
39.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1512.53	-	-	-	1512.53	-	-	-	48.33	-	48.33	0.03:1 (0.03:1)
	क्षेत्रवार योग	**1512.53**	**-**	**-**	**-**	**1512.53**	**-**	**-**	**-**	**48.33**	**-**	**48.33**	**0.03:1 (0.03:1)**
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल												
40.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	18.75	-	-	3.27	22.02	-	-	-	283.00	-	283.00	12.85:1 (12.85:1)
	क्षेत्रवार योग	**18.75**	**-**	**-**	**3.27**	**22.02**	**-**	**-**	**-**	**283.00**	**-**	**283.00**	**12.85:1 (12.85:1)**
	विद्युत												
41.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	176425.00[38]	-	-	-	176425.00	45773.50	11600.00		18700.00	90202.00	108902.00	0.62:1 (2.58:1)

38 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से स्थानान्तरित 151144.00 लाख रूपये सम्मिलित करते हुये।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
42.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	70.00[39] (37218.44)	-	-	-	70.00 (37218.44)	18959.44	3000.00	-	6615.00	40318.48	46933.48	1.26:1 (4.92:1)
43.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	361134.00[40]	-	-	-	361134.00	220840.00	175448.00	4624.00	175448.00	77461.00	252909.00	0.70:1 (3.76:1)
44.	कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	6000.00	-	6000.00	6000.00	-	110.00	-	110.00	110.00	0.02:1 (-)
	क्षेत्रवार योग	**537629.00 (37218.44)**	**-**	**6000.00**	**-**	**543629.00 (37218.44)**	**291572.94**	**190048.00**	**4734.00**	**200763.00**	**208091.48**	**408854.48**	**0.70:1 (3.37:1)**
	वित्त												
45.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2407.51	-	-	-	2407.51	-	-	2747.50	4387.04	2747.50	7134.54	2.96:1 (1.82:1)
46.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	11057.50	-	-	2500.00	13557.50	-	9245.20	12653.00	10245.20	71229.98	81475.18	6.01:1 (5.37:1)
47.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	77.77	-	-	70.02	147.79	-	-	-	-	-	-	- (-)
48.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2824.95 (75.00)	-	-	-	2824.95 (75.00)	547.45	-	1390.78	707.97	5831.96	6539.93	2.26:1 (2.32:1)
49.	अपलीज़ फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	100.00	5.87	105.87	-	-	414.76	-	414.76	414.76	3.92:1 (-)
	क्षेत्रवार योग	**16367.73 (75.00)**	**-**	**100.00**	**2575.89**	**19043.62 (75.00)**	**547.45**	**9245.20**	**17206.04**	**15340.21**	**80224.20**	**95564.41**	**5.00:1 (4.45:1)**
	विविध												
50.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	634.27	70.00	-	-	704.27	-	465.64	-	817.52	-	817.52	1.16:1 (0.50:1)
51.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	- (-)

39 पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद से स्थानान्तरित धनराशि का प्रतिनिधित्व करती है।

40 सूचना संख्या 348/पी–1/2001 दिनांक 25.01.2001 के तहत स्थानान्तरण योजना 2000 के अन्तर्गत उ0 प्र0 शासन द्वारा स्थानान्तरित अंशपूँजी ।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
52.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	- (-)
53.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	71.00	48.03	-	-	119.03	10.00	-	-	-	-	-	- (-)
54.	उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	42.54	-	-	-	42.54	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1247.81**	**118.03**	**-**	**-**	**1365.84**	**10.00**	**465.64**	**-**	**817.52**	**-**	**817.52**	**0.60:1 (0.27:1)**
	योग–अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)	**642952.95 (41026.60)**	**7631.75 (121.75)**	**23968.54**	**2750.08 (2.62)**	**677303.32 (41150.97)**	**293640.37**	**216263.59**	**37731.03**	**243756.08**	**327477.29**	**571233.37**	**0.80:1 (2.27:1)**
	ब. कार्यरत सांविधिक निगम												
	परिवहन												
1-	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	25211.49	6925.29	-	-	32136.78	-	-	2800.00	880.00	9533.00	10413.00	0.32:1 (0.27:1)
	क्षेत्रवार योग	**25211.49**	**6925.29**	**-**	**-**	**32136.78**	**-**	**-**	**2800.00**	**880.00**	**9533.00**	**10413.00**	**0.32:1 (0.27:1)**
	वित्त												
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	6345.00 (5105.78)	-	-	3655.00 (2880.18)	10000.00 (7985.96)	500.00	-	7646.73	-	101982.00	101982.00	5.67:1 (12.83:1)
	क्षेत्रवार योग	**6345.00 (5105.78)**	**-**	**-**	**3655.00 (2880.18)**	**10000.00 (7985.96)**	**500.00**	**-**	**7646.73**	**-**	**101982.00**	**101982.00**	**5.67:1 (12.83:1)**
	कृषि एवं समवर्गीय												
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	558.25 (220.70)	-	-	558.25	1116.50 (220.70)	-	-	891.87	-	1000.00	1000.00	0.75:1 (9.68:1)
	क्षेत्रवार योग	**558.25 (220.70)**	**-**	**-**	**558.25**	**1116.50 (220.70)**	**-**	**-**	**891.87**	**-**	**1000.00**	**1000.00**	**0.75:1 (9.68:1)**
	वन												
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	-	-	-	-	-	-	-	1250.00	-	1250.00	1250.00	-
	क्षेत्रवार योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1250.00**	**-**	**1250.00**	**1250.00**	**-**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
	विविध												
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-	-	-	-	-	-	2105.12	1330.72	4069.00	1330.72	5399.72	-
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	-	-	-	-	-	100.00	-	12331.07	-	12331.07	-
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	-	-	-	-	-	45.00	200.00	165.05	-	165.05	-
	क्षेत्रवार योग							**2250.12**	**1530.72**	**16565.12**	**1330.72**	**17895.84**	-
	योग–ब (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)	**32114.74 (5326.48)**	**6925.29**	-	**4213.25 (2880.18)**	**43253.28 (8206.66)**	**500.00**	**2250.12**	**14119.32**	**17445.12**	**115095.72**	**132540.84**	**2.58:1 (3.06:1)**
	कुल योग (अ+ब)	**675067.69 (46353.08)**	**14557.04 (121.75)**	**23968.54**	**6963.33 (2882.80)**	**720556.60 (49357.63)**	294140.37	218.513.71	**51850.35**	**261201.20**	**442573.01**	**703774.21**	**0.91:1 (2.35:1)**
	स. कार्यविहीन कम्पनियाँ												
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	146.85 (126.00)	-	-	-	146.85 (126.00)	-	-	-	217.33	-	217.33	0.80:1 (0.80:1)
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	640.68	-	-	64.25	704.93	-	-	-	122.48	-	122.48	0.17:1 (0.17:1)
	क्षेत्रवार योग	**787.53 (126.00)**	-	-	**64.25**	**851.78 (126.00)**	-	-	-	**339.81**	-	**339.81**	**0.35:1 (0.40:1)**
	उद्योग												
3.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	3.06	-	-	2.55	5.61	-	-	-	-	-	-	- (-)
4.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	1.63	-	1.63	-	-	-	-	3.00	3.00	1.84:1 (1.84:1)
5.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	562.59	-	-	187.41	750.00	-	-	-	37.50	-	37.50	0.05:1 (0.05:1)
6.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	177.72	15.50 (9.00)	193.22 (9.00)	-	554.62	-	554.62	1149.26	1703.88	8.43:1 (5.72:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
7.	नार्दन इलेक्ट्रिक इक्यूपमेन्ट इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	-	-	0.07	-	0.07	-	-	-	-	-	-	- (-)
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	527.86	10.00	-	-	537.86	-	-	-	194.23	-	194.23	0.36:1 (0.36:1)
9.	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनिरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	2921.72	1702.23	4623.95	-	-	-	-	13586.43	13586.43	2.94:1 (2.99:1)
10.	दि टरपेन्टाईन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (दि इण्डियन टरपेण्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	-	-	15.56	-	15.56	-	-	-	-	-	-	- (-)
11.	इण्डियन बौबिन कम्पनी लिमिटेड	2.74	-	-	-	2.74	-	-	-	-	-	-	- (-)
12.	उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	4.85	-	4.85	-	-	-	-	-	-	- (-)
13.	उत्तर प्रदेश टायर ऐण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	183.16	-	183.16	-	-	-	-	-	-	- (-)
14.	यू पी ए आई लिमिटेड	15.00	-	-	2.01	17.01	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**1111.25**	**10.00**	**3304.71**	**1909.70 (9.00)**	**6335.66 (9.00)**	**-**	**554.62**	**-**	**786.35**	**14738.69**	**15525.04**	**2.45:1 (2.29:1)**
	इलेक्ट्रानिक्स												
15.	कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	9.34	8.97	18.31	-	16.50	-	16.50	-	16.50	0.90:1 (0.90:1)
16.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	1.67	1.60	3.27	-	-	-	-	-	-	- (-)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
17.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	0.79	-	0.79	-	-	-	-	-	-	- (-)
18.	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	-	-	110.00	64.71	174.71	-	-	-	-	-	-	- (-)
19.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	2.55	-	2.55	-	-	-	-	2.77	2.77	1.09:1 (1.09:1)
20.	कुमाऊँ टेलीविजन लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	-	-	52.00	47.75	99.75	-	-	-	-	-	-	- (-)
21.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	5.25	-	5.25	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**-**	**-**	**181.60**	**123.03**	**304.63**	**-**	**16.50**	**-**	**16.50**	**2.77**	**19.27**	**0.06:1 (0.06:1)**
	वस्त्र												
22.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	16079.37 (4653.00)	-	-	-	16079.37 (4653.00)	-	8945.00	-	8945.00	-	8945.00	0.43:1 (-)
23.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	16.20	-	26.00	-	42.20	-	-	-	-	-	-	- (-)
24.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	375.54	-	375.54	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**16095.57 (4653.00)**	**-**	**401.54**	**-**	**16497.11 (4653.00)**	**-**	**8945.00**	**-**	**8945.00**	**-**	**8945.00**	**0.43:1 (-)**
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
25.	हैण्डलूम इन्टेसिव डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	2.00	-	2.00	-	-	-	208.67	-	208.67	104.33:1 (104.33:1)
	क्षेत्रवार योग	**-**	**-**	**2.00**	**-**	**2.00**	**-**	**-**	**-**	**208.67**	**-**	**208.67**	**104.33:1 (53.61:1)**

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
	खनन												
26.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	5640.48	-	-	-	5640.48	-	-	-	1949.61	-	1949.61	0.35:1 (0.33:1)
27.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	3.73	3.87	7.60	-	-	-	-	84.42	84.42	11.11:1 (11.11:1)
	क्षेत्रवार योग	**5640.48**	**-**	**3.73**	**3.87**	**5648.08**	**-**	**-**	**-**	**1949.61**	**84.42**	**2034.03**	**0.36:1 (11.11:1)**
	क्षेत्र विकास												
28.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	123.30	-	-	-	123.30	-	-	-	5.00	-	5.00	0.04:1 (0.04:1)
29.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	129.80	-	-	-	129.80	-	35.00	--	35.00	-	35.00	0.27:1 (-)
30.	बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	-	-	1.22	-	1.22	-	-	-	-	-	-	- (-)
31.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	67.00	-	-	-	67.00	-	-	-	65.93	-	65.93	0.98:1 (0.98:1)
32.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	125.00	-	-	-	125.00	-	-	-	-	-	-	- (-)
33.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	70.00	-	-	-	70.00	-	-	-	85.79	-	85.79	1.22:1 (1.22:1)
34.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	5.00	-	5.00	0.05:1 (0.05:1)
35.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	93.56	-	-	32.47	126.03	-	-	-	91.60	-	91.60	0.73:1 (0.73:1)
36.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	100.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	- (-)
37.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	70.00	-	-	-	70.00	-	-	-	30.00	-	30.00	0.43:1 (0.43:1)
38.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	25.00	-	-	-	25.00	-	-	-	59.60	-	59.60	2.38:1 (2.58:1)

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	3(य)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	4(र)	(5)
39.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	46.00	-	-	-	46.00	-	-	-	-	-	-	- (-)
	क्षेत्रवार योग	**949.66**	**-**	**1.22**	**32.47**	**983.35**	**-**	**35.00**	**-**	**377.92**	**-**	**377.92**	**0.38:1 (0.35:1)**
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
40.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	45.00	-	-	-	45.00	-	-	-	125.00	-	125.00	2.78:1 (2.78:1)
	क्षेत्रवार योग	**45.00**	**-**	**-**	**-**	**45.00**	**-**	**-**	**-**	**125.00**	**-**	**125.00**	**2.78:1 (2.78:1)**
	सीमेण्ट												
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	6828.00	-	-	-	6828.00	-	-	-	12476.52	-	12476.52	1.83:1 (0.35:1)
	क्षेत्रवार योग	**6828.00**	**-**	**-**	**-**	**6828.00**	**-**	**-**	**-**	**12476.52**	**-**	**12476.52**	**1.83:1**
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल												
42.	उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	1.27	-	1.27	-	-	-	-	-	-	- (-)
43.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	658.73	-	658.73	-	1102.00	-	1102.00	-	1102.00	1.67:1 (-)
	क्षेत्रवार योग	**-**	**-**	**660.00**	**-**	**660.00**	**-**	**1102.00**	**-**	**1102.00**	**-**	**1102.00**	**1.67:1 (-)**
	विविध												
44.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	818.20	-	-	0.22	818.42	-	-	-	526.00	-	526.00	0.64:1 (0.97:1)
	क्षेत्रवार योग	**818.20**	**-**	**-**	**0.22**	**818.42**	**-**	**-**	**-**	**526.00**	**-**	**526.00**	**0.64:1 (0.50:1)**
	योग–स सभी कार्यविहीन कम्पनियॉ	**32275.69 (4779.00)**	**10.00**	**4554.80**	**2133.54 (9.00)**	**38974.03 (4788.00)**	**-**	**10653.12**	**-**	**26853.38**	**14825.88**	**41679.26**	**0.95:1 (1.55:1)**
	कुल योग (अ+ब+स)	**707343.38 (51132.08)**	**14567.04 (121.75)**	**28523.34**	**9096.87 (2891.80)**	**759530.63 (54145.63)**	**294140.37**	**229166.83**	**51850.35**	**288054.58**	**457398.89**	**745453.47**	**0.92:1 (2.33:1)**

टिप्पणी:

(i) उन कम्पनियों एवं निगमों को छोड़कर, जिन्होने वर्ष 2000–2001 के लेखों को अन्तिम रूप दिया था (क्रम सं0 अ–4), उपरोक्त आंकड़े अनन्तिम है और जैसे कि कम्पनी/निगमों ने दिये है।

(ii) क्रम सं0 (अ) 11,19,26,27,29 एवं 30 (कार्यरत कम्पनियाँ) और क्रम सं0 (स) 7,14,15,16,17,18 एवं 20 (कार्यविहीन कम्पनियाँ) पर अंकित कम्पनियाँ जून 2001 में उत्तराँचल सरकार को स्थानान्तरित कर दी गई है।

परिशिष्ट–2

(प्रस्तर संख्या 1.2.4, 1.3.4 व 1.3.5 में सन्दर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अन्तिम रूप दे दिया गया, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 7 से 12 के आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं0	क्षेत्र एवं कम्पनियों/निगमों के नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ(+)/ हानि(–)	लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रभाव	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+)/ हानि(–)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	वर्षों के अनुसार लेखों का बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	29.03.1967	1998-99	2000-2001	109.95	(-) 460.50	4000.00	(-)5204.16	835.42	277.20	33.18	2
2.	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशलिटीज लिमिटेड	पशुधन एवं मत्स्य	07.12.1974	1995-96	1999-2000	(-)10.57	-	50.00	(-)21.83	220.94	(-)10.57	-	5
3.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	1999-2000	2000-2001	(-)271.92	-	71.14	(-)329.43	1244.86	(-)110.36	-	1
4.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	2000-2001	2000-2001	2.18	-	61.33	32.73	892.29	110.08	12.34	शून्य
5.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	1999-2000	2000-2001	(-)21.66	-	30.84	38.03	261.63	8.62	3.29	1
6.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	27.08.1975	1998-99	2000-2001	10.44	_	25.15	11.44	737.25	77.48	10.51	2
7.	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल कार्पोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	26.05.1976	1999-2000	2000-2001	(-)273.23		640.00	(-)1398.62	(-)333.77	(-)273.23	-	1
8.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	30.03.1978	1999-2000	2000-2001	8.13	(-) 9.81	150.00	(-)6.94	27876.68	8.12	0.03	1
9.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	पशुधन एवं मत्स्य	27.10.1979	1992-93	2000-2001	(-)18.21	17.88	100.00	(-)234.26	359.37	3.21	0.89	8
	क्षेत्रवार योग					**130.70** **(-)595.59**		**5128.46**	**44.17** **(-)7233.27**	**32428.44** **(-)333.77**	**484.71** **(-)394.16**	**0.28**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	उद्योग												
10.	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	ग्रामीण व लघु उद्योग	01.06.1958	1993-94	1999-2000	(-)196.38	205.26-	596.05	(-)644.99	1477.08	30.22	2.05	7
11.	ट्रांस केबिल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	29.11.1973	1996-97	2000-2001	(-)58.46	-	63.24	(-)381.41	80.37	(-)26.84	-	4
12.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	1998-99	1999-2000	(-) 54.18	17.56	573.94	(-) 685.90	435.90	(-) 40.58	-	2
13.	यू पी एस आई सी पोट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	27.04.1976	1990-91	1998-99	(-) 47.05	_	76.26	(-) 272.71	(-) 54.51	(-) 28.61	_	10
14.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	08.03.1978	1996-97	1997-98	(-) 118.66	_	35.20	(-) 694.54	35.26	(-) 57.60	_	4
	क्षेत्रवार योग					**(-)474.73**		**1344.69**	**(-)2679.55**	**2028.61** **(-)54.51**	**30.22** **(-)153.63**	-	
	इलेक्ट्रानिक्स												
15.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स	20.03.1974	1999-2000	2000-2001	2.23	-	7751.31	26.82	4857.48	2.23	.05	1
16.	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	10.04.1977	अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999	1999-2000	(-)92.72	-	117.00	(-)150.64	576.70	(-)34.57	-	1
17.	श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	01.02.1979	1999-2000	1999-2000	1.56	-	174.71	(-)259.22	1084.30	66.01	6.09	1
18.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	18.10.1979	1995-96	1997-98	(-)3212.23	_	5315.59	(-) 19693.43	5206.05	(-) 406.07	_	5
19.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्वतीय विकास	26.06.1985	1993-94	1997-98	(-) 21.41	_	794.03	(-) 68.10	447.27	(-) 21.41	_	7
	क्षेत्रवार योग					**3.79** **(-)3326.36**		**14152.64**	**26.82** **(-)20171.39**	**12171.80**	**68.24** **(-)462.05**	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	वस्त्र												
20.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	20.08.1974	1999-2000	2000-2001	(-)906.82	126.17	3190.52	(-) 7779.66	2871.35	(-) 344.64	-	1
21.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	20.08.1976	1999-2000	2000-2001	(-)855.89	74.50	8864.84	(-) 8793.48	4743.04	(-)493.51		1
	क्षेत्रवार योग					**(-)1762.71**		**12055.36**	**(-)16573.14**	**7614.39**	**(-)838.15**	-	
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
22.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	ग्रामीण व लघु उद्योग	09.01.1973	1989-90	1999-2000	(-)122.14	183.33	1325.49	(-)1245.41	5885.57	5.80	0.10	11
	क्षेत्रवार योग					**(-)122.14**		**1325.49**	**(-)1245.41**	**5885.57**	**5.80**	**0.10**	
	निर्माण												
23.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	18.10.1972	1998-99	2000-2001	412.83	(-) 64.64	1000.00	1157.07	2604.03	522.47	20.06	2
24.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	सार्वजनिक निर्माण	01.05.1975	1999-2000	1999-2000	28.86	(-)964.42	100.00	970.16	1457.72	32.06	2.20	1
25.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	27.03.1987	1999-2000	2000-2001	8.31	-	300.00	403.74	715.18	8.31	1.16	1
	क्षेत्रवार योग					**450.00**		**1400.00**	**2530.97**	**4776.93**	**562.84**	**11.78**	
	क्षेत्र विकास												
26.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30.03.1971	1996-97	1999-2000	48.68	(-)68.49	836.61	(-) 209.00	1438.54	112.18	7.80	4
27.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	01.03.1976	1994-95	2000-2001	(-)119.83	434.80	461.50	66.66	1841.87	(-)92.77		6
	क्षेत्रवार योग					**48.68** **(-)119.83**		**1298.11**	**66.66** **(-)209.00**	**3280.41**	**112.18** **(-)92.77**	**0.59**	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
28.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कॉस्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25.03.1975	1994-95	2000-2001	14.19	-	4956.17	758.15	6373.91	62.19	0.80	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
29.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	30.06.1975	1988-89	2000-2001	(-) 3.62	-	50.00	(-) 45.57	27.59	(-) 0.80	-	12
30.	कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	30.06.1975	1985-86	1998-99	(-) 2.01	-	36.00	(-) 2.85	34.64	(-) 2.01	-	15
31.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	25.06.1976	1999-2000	2000-2001	0.70	-	15.00	550.65	619.31	0.70	0.11	1
32.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड)	हरिजन एवं समाज कल्याण	26.04.91	1995-96	1999-2000	49.35	-	100.00	28.45	1628.62	55.13	3.39	5
	क्षेत्रवार योग					**64.24** **(-) 5.63**		**5157.17**	**1337.25** **(-)48.42**	**8684.07**	**118.02** **(-)2.81**	**1.33**	
	सार्वजनिक वितरण												
33.	उत्तर प्रदेश फूड एण्ड एसेंशियल कमोडिटीज कार्पोरेशन लिमिटेड	खाद्य एवं रसद आपूर्ति	22.10.1974	1986-87	1999-2000	(-) 47.79	1.99	55.00	47.32	399.42	(-) 2.34	-	14
	क्षेत्रवार योग					**(-)47.79**		**55.00**	**47.32**	**399.42**	**(-)2.34**	-	
	चीनी												
34.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	26.03.1971	1995-96	1999-2000	(-)12036.63	89.99	47575.92	(-) 68303.57	53369.11	(-) 3868.11	-	5
35.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	17.02.1972	1999-2000	2000-2001	183.78	(-)3.50	1698.64	(-)491.06	5089.46	516.43	10.15	1
36.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	1997-98	1999-2000	(-)221.05	-	12c24.52	(-)3263.41	1824.84	177.99	9.75	3
37.	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	18.04.1975	1996-97	1999-2000	(-)830.09	-	3404.05	(-)7585.58	(-)177.57	(-)452.35		4
38.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	चीनी एवं गन्ना विकास	30.05.1986	1998-99	2000-2001	(-)625.83	-	894.86	(-)3873.07	(-)933.14	(-)237.01	-	2
	क्षेत्रवार योग					**183.78** **(-)13713.60**		**54797.99**	**(-)83516.69**	**60283.41** **(-)1110.71**	**694.42** **(-)4557.47**	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	पर्यटन												
39.	उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	पर्यटन	05.08.1974	1999-2000	2000-2001	(-)309.47		1512.53	(-)462.76	1102.77	(-)307.78	-	1
	क्षेत्रवार योग					**(-)309.47**		**1512.53**	**(-)462.76**	**1102.77**	**(-)307.78**	-	
	ड्रग, केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स												
40.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	22.02.1924	1999-2000	1999-2000	(-) 525.94	34.76	22.02	(-) 2665.21	(-) 2215.22	(-) 515.41	-	1
	क्षेत्रवार योग					**(-) 525.94**		**22.02**	**(-) 2665.21**	**(-) 2215.22**	**(-) 515.41**	-	
	विद्युत												
41.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	22.08.1980	1998-99	1999-2000	(-)39.50	-	100.00	(-) 10941.27	14343.58	(-) 39.50	-	2
42.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	15.04.1985	1998-99	1999-2000	405.67	-	70.00	923.82	10541.60	405.67	3.85	2
43.	उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	30.11.1999	[41]									2
44.	कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई (उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ऊर्जा	21.07.1999	[41]									2
	क्षेत्रवार योग					**405.67** **(-)39.50**		**170.00**	**923.82** **(-)10941.27**	**24885.18**	**405.67** **(-)39.50**	**1.43**	
	वित्त												
45.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1961	1999-2000	2000-2001	275.69	9.80	2407.51	1141.57	11013.24	1077.41		1
46.	दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1972	1999-2000	2000-2001	(-) 5968.76	-	13557.50	(-)17222.72	84294.86	3993.65	4.74	1

41 प्रारम्भ से ही लेखों का अन्तिमीकरण नहीं हुआ

41 प्रारम्भ से ही लेखों का अन्तिमीकरण नहीं हुआ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
47.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	24.04.1973	1989-90	1996-97	(-) 3.42	_	132.46	3.06	143.07	(-) 3.42	_	11
48.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	17.11.1984	1990-91	1999-00	4.55	-	327.50	0.23	676.99	17.32	2.56	10
49.	अपलीज फाइनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	05.01.1988	1997-98	1998-99	(-) 39.55	-	105.87	(-) 39.53	534.08	14.43	2.70	3
	क्षेत्रवार योग					**280.24** **(-)6011.73**		**16530.84**	**1144.86** **(-)17262.25**	**96662.24**	**5102.81** **(-) 3.42**	**5.28**	
	विविध												
50.	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	20.01.1966	1997-98	2000-2001	(-)207.88	11.38	699.27	(-)963.64	400.39	(-)166.84	-	3
51.	उत्तर प्रदेश डेवलमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	नियोजन	15.03.1977	1998-99	2000-2001	(-)2.57	-	100.00	(-)69.16	30.84	(-)2.57	-	2
52.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	वक्फ	27.04.1987	1992-93	1999-2000	0.002[42]	-	100.00	0.55	104.02	0.10	0.10	8
53.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	17.03.1988	1996-97	1998-99	(-) 14.51	3.00	25.00	(-) 32.97	188.05	(-) 14.51	_	4
54.	उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	23.05.1989	1996-97	2000-2001	180.34		42.54	276.12	318.07	180.34	56.70	4
	क्षेत्रवार योग					**180.342** **(-)224.96**		**966.81**	**276.67** **(-)1065.77**	**1041.37**	**180.44** **(-)183.92**	-	
	योग (अ– कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)					**1747.44** **(-) 27279.98**	-	**115917.11**	**6398.54** **(-) 164074.13**	**261244.61** **(-) 3714.21**	**7765.35** **(-) 7553.41**	**0.08**	
ब. कार्यरत सांविधिक निगम													
	परिवहन												
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	01.06.1972	1999-2000	2000-2001	(-) 10004.02	-	32136.78	(-)60466.54	(-) 19325.00	(-)8235.42	-	1
	क्षेत्रवार योग					**(-) 10004.02**	-	**32136.78**	**(-) 60466.54**	**(-)19325.00**	**(-)8235.42**	-	

42 रुपये 252 केवल।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	वित्त												
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	औद्योगिक विकास	01.11.1954	1999-2000	2000-2001	(-) 5447.03	-	10000.00	(-)42852.25	144299.00	12357.75	8.56	1
	क्षेत्रवार योग					**(-) 5447.03**	**-**	**10000.00**	**(-)42852.25**	**144299.00**	**12357.75**	**8.56**	
	कृषि एवं समवर्गीय												
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सहकारिता	19.03.1958	1999-2000	1999-2000	(+)1302.97	-	1116.50	3764.05	5490.00	1322.00	24.08	1
	क्षेत्रवार योग					**(+)1302.97**	**-**	**1116.50**	**3764.05**	**5490.00**	**1322.00**	**24.08**	
	वन												
4.	उत्तर प्रदेश वन निगम	वन	25.11.1974	1998-99	1999-2000	(+)2930.30	-	-	35245.27	35756.00	2930.00	8.19	1
	क्षेत्रवार योग					**(+) 2930.30**	**-**	**-**	**35245.27**	**35756.00**	**2930.00**	**8.19**	**2**
	विविध												
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास	03.04.1966	1994-95[43]	1999-2000	(+)84.00	-	-	2728.54	28619.00	2512.00	8.78	6
6.	उत्तर प्रदेश जल निगम	नगर विकास	06.06.1975	1998-99	2000-2001	(-)3187.52	-	-	(-)9443.29	387249.00	424.39	0.11	2
7.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम[44]	खाद्य एवं रसद आप र्ति	05.05.1965	[45]									
	क्षेत्रवार योग					**(+) 84.00** **(-) 3187.52**	**-**	**-**	**2728.54** **(-) 9443.29**	**415868.00**	**2936.39**	**0.71**	
	योग–ब (कार्यरत सांविधिक निगम)					**4317.27** **(-) 18638.57**		**43253.28**	**41737.86** **(-) 112762.08**	**601413.00** **(-) 19325.00**	**19546.14** **(-) 8235.42**	**1.94**	
	कुल योग (अ+ब)					**6064.71** **(-) 45918.55**		**159170.39**	**48136.40** **(-) 276836.21**	**862657.61** **(-) 23039.21**	**27311.49** **(-) 15788.83**	**1.37**	

43 लेखे सम्प्रेक्षा के आधीन है।

44 1997–98 के दौरान सौंपी गयी थी लेखे अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।

45 लेखे प्राप्त नही हुए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	स. कार्यविहीन कम्पनियाँ												
	कृषि एवं समवर्गीय												
1.	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुधन एवं मत्स्य	05.03.1975	1993-94	2000-2001	3.02	(-)1.93	272.85	(-)275.51	202.30	14.04	6.94	7
2.	उत्तर प्रदेश हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	06.04.1977	1984-85	1994-95	(-) 66.57	-	190.76	(-) 255.33	80.72	(-) 51.97	_	16
	क्षेत्रवार योग					**3.02** **(-)66.57**		**463.61**	**(-)530.84**	**283.02**	**14.04** **(-)51.97**	-	
	उद्योग												
3.	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टेनरी लिमिटेड	नियोजन	21.12.1964	1976-77	1992-93	(-) 0.01	_	5.61	(-) 4.26	1.35	(-) 0.01	_	24
4.	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन अप्लाऐन्सेस (प्राईवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	28.06.1972	1974-75	1984-85	(-) 0.81	_	0.92	(-) 0.81	6.79	(-) 0.81	_	26
5.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	28.12.1972	1991-92	1995-96	10.71	_	750.00	(-) 6482.96	1114.18	36.32	3.26	9
6.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेण्टस लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	1.01.1975	1998-99	2000-2001	(-)517.49	-	193.22	(-)3953.70	(-)2584.01	(-)137.01	-	2
7.	नार्दन इलेक्ट्रिकल इक्यूपमेण्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	29.01.1974	1990-91	2000-2001	-		0.07	-	(-)0.47	-	_	10
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास वेयर कार्पोरेशन लिमिटेड	निर्यात प्रोत्साहन	12.02.1974	1992-93	2000-2001	(-)82.09		537.86	(-)730.95	498.39	(-)66.60	_	8
9.	कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	12.04.1985	1995-96	1996-97	_	_	4599.95	_	11818.42	_	_	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10.	दि टरपेन्टाईन सब्सीडियरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (दि इण्डियन टरपेन्टाईन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	11.07.1939	1977-78	_	(-)1.91	_	15.56	_	11.64	(-)0.47	_	23
11.	इण्डियन बोबिन कम्पनी लिमिटेड	वस्त्र	22.02.1964	1973-74	_	(+)0.03	_	2.74	_	3.67	0.03	0.82	27
12.	उत्तर प्रदेश एबस्काट प्राईवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	28.06.1972	1975-76	_	(-)1.55	-	4.85	_	12.39	(-)0.41	_	25
13.	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड टयूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	14.01.1976	1992-93	_	(-) 217.08	_	183.16	(-) 996.09	(-) 405.96	209.53	_	8
14.	यू पी ए आई लिमिटेड	कृषि	20.04.1977	1988-89	1999-2000	(-) 0.48	-	17.01	(-)5.25	10.30	(-)0.48	-	12
	क्षेत्रवार योग					**10.74** **(-)821.42**		**6310.95**	**(-)12174.02**	**13477.13** **(-)2990.44**	**245.88** **(-)205.79**	**0.38**	
	इलेक्ट्रानिक्स												
15.	कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	27.04.1987	1989-90	1990-91	(-) 1.61	-	18.31	(-) 1.61	12.35	(-) 1.61	-	11
16.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	10.08.1987	[46]									14
17.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	18.07.1989	[46]									12
18.	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	27.01.1973	1993-94	2000-2001	(-)98.51	-	334.71	(-)328.62	149.12	(-)94.49	_	7
19.	अपट्रान सेमपैक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	23.05.1977	1979-80	1983-84	(-) 0.78	_	2.55	(-) 3.37	1.86	(-) 0.36	_	21

46 लेखे प्रारम्भ से तैयार नहीं हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20.	कुमाँऊँ टेलीविजन लिमिटेड (कुमाँऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	24.08.1977	अप्रैल 1996 से 29 नवम्बर 1996	2000-2001	(-)33.95		99.75	(-)310.86	(-)76.34	(-)33.94	_	5
21.	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	इलेक्ट्रानिक्स	31.03.1978	[46]	_	_	_	5.25	_	_	_	_	23
	क्षेत्रवार योग					**- (-)134.85**		**460.57**	**- (-)644.46**	**163.33 (-)76.34**	**- (-)130.40**	-	
	वस्त्र												
22.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	वस्त्र	02.12.1969	1997-98	1998-99	(+) 280.63	-	16079.37	(-) 18056.07	3844.60	1700.60	44.23	3
23.	उत्तर प्रदेश टेक्सटाईल प्रिंटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	05.12.1975	1989-90	1999-2000	(-)5.17	0.39	26.00	(-)16.72	65.69	(-)4.67	-	1
24.	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	वस्त्र	14.06.1976	1994-95	-	(-) 165.77	_	375.54	(-) 1195.91	(-) 49.09	85.35	_	6
	क्षेत्रवार योग					**280.63 (-)170.94**		**16480.91**	**- (-)19268.70**	**3910.29 (-)49.09**	**1785.95 (-)4.67**	**46.13**	
	हैण्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट्स												
25.	हैण्डलूम इन्टेन्सिव डेवलपमेण्ट प्रोजेक्ट (बिजनौर) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	ग्रामीण व लघु उद्योग	13.09.1976	1988-89	2000-2001	(-)10.24	-	2.00	90.80	314.83	0.81	0.26	2
	क्षेत्रवार योग					**(-)10.24**		**2.00**	**90.80**	**314.83**	**0.81**	**0.26**	
	खनन												
26.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	23.03.1974	1996-97	2000-2001	(-)631.99	57.78	5640.48	(-)821.93	2783.72	(-)345.04	-	4
27.	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	05.12.1985	1987-88	1995-96	(-) 11.78	_	0.002[47]	(-)11.30	0.79	(-) 10.86	-	13
	क्षेत्रवार योग					**- (-)643.77**		**5640.482**	**- (-)833.23**	**2784.51**	**- (-)355.90**	-	

47 रू0 270 केवल।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	क्षेत्र विकास												
28.	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30.03.1971	1991-92	1997-98	(-) 8.72	_	123.30	(-)129.27	(-) 0.98	(-) 8.71	-	9
29.	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30.03.1971	1987-88	1994-95	(-)13.64	_	114.80	(-)107.90	19.02	(-)13.64	-	13
30.	बुन्देलखण्ड कन्क्रीट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	02.03.1974	1986-87	1993-94	(-) 0.01	_	2.40	(-) 0.65	4.45	(-) 0.01	-	14
31.	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	31.01.1976	1983-84	1992-93	(-) 11.42	_	67.00	(-) 11.42	39.52	(-) 3.97	_	17
32.	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	31.01.1976	1984-85	1994-95	(-) 69.26	_	125.00	(-) 90.00	449.13	(-) 56.84	_	16
33.	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	31.01.1976	1981-82	1992-93	0.44	_	50.00	1.49	60.57	0.52	0.86	19
34.	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	31.03.1976	1986-87	1989-90	11.24	2.51	100.00	(-) 33.13	132.02	12.48	9.45	14
35.	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	31.03.1976	1985-86	1995-96	2.36	_	122.03	(-) 118.16	61.31	2.36	3.85	15
36.	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	31.03.1976	1994-95	2000-2001	(-)1.12		100.00	(-)78.07	28.24	(-)1.12	-	6
37.	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	31.03.1976	1987-88	1993-94	(-)2.71	-	70.00	(-)26.38	88.29	(-)2.71	-	13
38.	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	30.03.1978	1988-89	1999-2000	(-)11.23	-	25.00	(-)21.80	68.73	(-)0.57	-	12
39.	गंडक समादेश क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	15.03.1975	1976-77	-	0.28	-	46.00	-	46.27	0.28	0.61	24
	क्षेत्रवार योग					**14.32** **(-)118.11**		**945.53**	**1.49** **(-)616.78**	**997.55** **(-)0.98**	**15.64** **(-)87.57**	-	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास												
40.	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	हरिजन एवं समाज कल्याण	02.08.1975	1982-83	1990-91	(-) 4.00	-	45.00	0.45	70.44	(-) 4.00	-	18
	क्षेत्रवार योग					**(-) 4.00**		**45.00**	**0.45**	**70.44**	**(-) 4.00**		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	सीमेण्ट												
41.	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	29.03.1972	1995-96	1996-97	(-)4775.52	-	6828.00	(-) 42599.38	(-) 23980.30	(-) 2291.33	-	5
	क्षेत्रवार योग					**(-)4775.52**		**6828.00**	**(-) 42599.38**	**(-) 23980.30**	**(-) 2291.33**	**-**	
	ड्रग, केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स												
42.	उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	12.01.1982	1996-97	1999-2000	(-)0.08	-	1.27	(-)0.10	1.76	(-)0.08	-	4
43.	उत्तर प्रदेश कार्बाईड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	23.04.1979	1992-93	-	(-) 617.54	-	658.73	(-) 3531.51	(-) 1844.86	(-) 50.57	_	8
	क्षेत्रवार योग					**- (-)617.62**		**660.00**	**- (-)3531.61**	**1.76 (-)1844.86**	**- (-)50.65**	**-**	
	विविध												
44.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	संस्थागत वित्त	10.09.1975	1997-98	1999-2000	(-) 8.86	5.68	818.42	(-) 881.08	248.77	41.59	16.71	3
	क्षेत्रवार योग					**(-) 8.86**		**818.42**	**(-) 881.08**	**248.77**	**41.59**	**16.71**	
	योग–स (सभी कार्यविहीन कम्पनियाँ)					**308.71 (-) 7371.90**		**38655.47**	**92.74 (-) 81080.10**	**22251.63 (-) 28942.01**	**2103.91 (-) 3182.28**	**-**	
	कुल योग (अ+ब +स)					**6373.42 (-) 53290.45**		**197825.86**	**48229.14 (-) 357916.31**	**884909.24 (-) 51981.22**	**29415.40 (-) 18971.11**	**1.25**	

नोट– (अ) नियोजित पूँजी, कार्यशील पूँजी और निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) के योग का प्रतिनिधित्व करती है, उन प्रकरणों को छोड़कर जहाँ वित्त पोषक कम्पनियों/निगमों–क्रम सं0: अ–28,32,45,46,47,48 एवं 49 में नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी के कुल आरम्भिक शेषों और अन्तिम शेषों के मध्यमान, मुक्त आरक्षित निधि, बाण्ड्स, जमा तथा वित्त पुनर्पोषण सहित ऋणों के रूप में आगणित की जाती है।

(ब) क्रम सं0 स–23 एवं 25 की कम्पनियाँ विलय के अन्तर्गत हैं।

(स) क्रम सं0 स–10,11,12,13,14,18,19,20,21,24,39 एवं 43 की कम्पनियाँ समापन के अन्तर्गत है। समापन की सम्बन्धित तिथियाँ हैं:

क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि	क्रम सं0	समापन की तिथि
10	01.04.1978	11	01.09.1973	12	19.04.1986	13	09.01.1996	14	31.03.1991	18	30.11.1996
19	10.06.1996	20	30.11.1996	21	10.06.1996	24	20.02.1996	39	07.06.1977	43	09.02.1994

(द) क्रम सं0 (अ) 11,19,26,27,29 एवं 30 (कार्यरत कम्पनियाँ) और क्रम सं0 (स) 7,14,15,16,17,18 एवं 20 (कार्यविहीन कम्पनियाँ) पर अंकित कम्पनियाँ जून 2001 में उत्तराँचल सरकार को स्थानान्तरित कर दी गई हैं।

परिशिष्ट–3

(प्रस्तर संख्या 1.2.2 व 1.3.2 में संदर्भित)

प्राप्त उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, देयों की माफी, ऋण जिन पर बिलम्बन अनुमन्य किया गया और वर्ष के दौरान ऋण का अंशपूँजी में परिवर्तन और प्राप्य उपदान तथा बकाया प्रत्याभूति को मार्च 2001 के समाप्ति पर दर्शाती हुई विवरणी

(स्तम्भ 3 (अ) से 7 के आकड़े लाख रुपये में हैं)

क्रम सं0	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त उपदान[48]				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्याभूति एवं वर्ष के अन्त में बकाया[49]					वर्ष के दौरान देयों की माफी				ऋण जिन पर विलम्ब अनुमन्य किया गया	वर्ष के दौरान ऋण जिन्हें अंशपूँजी में परिवर्तित किया गया
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंको से नकद साख	अन्य स्रोतों से ऋण	निर्यातों के सम्बन्ध में बैंको द्वारा खोले गये लेटर आफ क्रेडिट	विदेशी सलाहकारों/ ठेकेदारों से अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान देयता	योग	अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	ब्याज माफी	दण्ड ब्याज माफी	योग		
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(ई)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ																
1.	उत्तर प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	1100.00 (शून्य)	-	-	-	1100.00 (शून्य)	-	-	-	-	843.75	-
2.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड–तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	2000.00 (2000.00)	-	-	-	2000.00 (2000.00)	-	-	-	-	-	-
3.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	1200.00 (786.72)	-	-	-	1200.00 (786.72)	-	-	-	-	-	
4.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	600.00 (73.64)	-	-	-	600.00 (73.64)	-	-	-	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	1380.00 (1380.00)	-	-	-	1380.00 (1380.00)	-	-	-	-	-	-
6.	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमिटेड	-	134.00[51]	-	134.00[51]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

48 उपदान में, वर्ष की समाप्ति पर प्राप्य उपदान जिसको कोष्ठकों में दिखाया है, सम्मिलित हैं।

49 कोष्ठकों में दिखाये गये आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूति को इंगित करते है।

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(ई)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
7.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड[50]														957.42	
8.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्टस फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	4252.47 788.94[51]	-	4252.47 788.94[51]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड					-	- (37.83)	-	-	- (37.83)						
10.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	3000.00 (689.99)	-	-	3000.00 (689.99)						
11.	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	-	-	-	-	2500.00	750.00	-	-	3250.00	-	-	-	-	-	-
12.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	28600.87 (28600.87)	- (11767.31)	-	-	28600.87 (40368.18)	-	-	-	-	-	-
13.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	- (2407.00)	-	-	-	- (2407.00)	-	-	-	-	-	-
15.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	-	-	-	-	650.00 (611.05)	- (125.36)	-	-	650.00 (736.41)	-	-	-	-	-	-
16.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.33
17.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	316.80	650.00	-	966.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	उत्तर प्रदेश पाव र कार्पोरेशन लिमिटेड	-	442.00[50]	-	442.00[50]	-	- (107889.00)	-	-	- (107889.00)	-	-	-	-	-	-
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	396.50	-	-	396.50	-	- (2747.50)	-	-	- (2747.50)	-	-	-	-	-	-
20.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रीयल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	-	-	-	-	-	12653.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3353.00

50 जून 2001 में उत्तराँचल सरकार को स्थानान्तरित।

51 अनुदान

ब	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(ई)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
21.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	-	50.00[51]	-	50.00[51]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	-	105.00 (शून्य)	-	105.00 (शून्य)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	-	484.52[51]	-	484.52[51]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग–अ	**713.30**	**4907.47 2004.46[51]**		**5620.77 2004.46[51]**	**38030.87 (35859.28)**	16403.00 (123256.99)	-	-	54433.87 (159116.27)	-	-	-	-	**1801.17**	**3401.33**
ब. सांविधिक निगम																
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	-	-	-	-	-	–2500.00 (2500.00)	-	-	2500.00 (2500.00)		-	-	-	-	-
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	- (78499.50)	-	-	- (78499.50)	-	-	-	-	-	4125.00
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	30.00 (30.00)	-	-	30.00 (30.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	-	-	-	-	-	1130.72 (1330.72)	-	-	1130.72 (1330.72)	-	3000.00	477.00	3477.00	-	-
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	-	43310.15	-	43310.15	-	(785.14)		-	- (785.14)	-	-	-	-	-	-
6.	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-	198.40[51]	-	198.40[51]	200.00 (200.00)	-	-	-	200.00 (200.00)	-	-	-	-	-	-
	योग ब	**30.00[51] (30.00)**	**43508.55[51]**	-	**43538.55[51] (30.00)**	**200.00 (200.00)**	**3630.72 (83115.36)**	-	-	**3830.72 (83315.36)**	-	**3000.00**	**477.00**	**3477.00**	-	**4125.00**
	कुल योग (अ+ब)	**713.30 (30.00) 30.00[51]**	**4907.47 45513.01[51]**	-	**5650.77 (30.00) 45543.01[51]**	**38230.87 (36059.28)**	**20033.72 (206372.35)**	-	-	58264.59 (242431.63)	-	**3000.00**	**477.00**	**3477.00**	**1801.17**	**7526.33**

51 अनुदान

(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(ई)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
	स. कार्यविहीन सरकारी कम्पनियाँ															
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (55.51)	-	-	- (55.51)						
2.	कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड						- (13820.00)	-	-	- (13820.00)	-	-	-	-	-	-
3.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	-	-	-	-	(3270.00)	-	-	-	(3270.00)	-	-	-	-	-	
4.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	2200.00 (2200.00)	-	-	-	2200.00 (2200.00)						
5.	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (335.00)	-	-	- (335.00)	-	-	-	-	-	-
6.	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	-	-	-	-	- (335.00)	-	-	-	- (335.00)	-	-	-	-	-	-
	योग स	-	-	-	-	**2200.00 (5805.00)**	**- (14210.51)**	-	-	**2200.00 (20015.51)**	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (अ+ब+स)	**743.30 (30.00)**	**4907.47 45513.01**[51]	-	**5650.77 (30.00) 45543.01**[51]	**40430.87 (41864.28)**	**20033.72 (220582.86)**	-	-	**60464.59 (262447.14)**	-	**3000.00**	**477.00**	**3477.00**	**1801.17**	**7526.33**

परिशिष्ट–4

(प्रस्तर संख्या 1.2.4 व 1.3.5 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

कार्यरत सांविधिक निगम

(करोड़ रुपये में)

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम			
विवरण	**1997-98**	**1998-99**	**1999-2000 (अनन्तिम)**
अ. देयतायें	315.83	321.57	321.37
पूँजी (पूँजीगत ऋण एवं अंश पूँजी सहित)			
ऋणः			
सरकारी	17.61	11.71	9.96
अन्य	79.55	79.38	79.71
निधियाँ[52]	0.31	0.35	1.42
व्यापारिक देय और अन्य चालू देयतायें (प्रावधानों सहित)	338.97	392.11	468.28
योग अ	**752.27**	**805.12**	**880.74**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	557.34	558.49	561.86
घटायाः ह्रास	369.72	378.21	394.43
निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	187.62	180.28	167.43
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	2.82	2.58	1.22
निवेश	0.87	0.87	1.04
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	78.56	116.76	106.39
संचित हानि	482.40	504.63	604.66
योग ब	**752.27**	**805.12**	**880.74**
स. नियोजित पूँजी[53]	**(-) 69.97**	**(-)92.49**	**(-) 193.24**

(करोड़ रुपये में)

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम			
विवरण	**1997-98**	**1998-99**	**1999-2000 (अनन्तिम)**
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	100.00	100.00	100.00
अंश आवेदन राशि	-	-	-
आरक्षित निधि एवं अन्य आरक्षण व आधिक्य	20.72	20.60	20.47

52 ह्रास निधियों को छोड़कर।

53 नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को इंगित करती है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)
ऋण:			
(i) बाण्ड्स एवं ऋण पत्र	777.53	817.83	763.48
(ii) स्थायी जमा	-	-	
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	536.99	511.85	445.61
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	17.35	-	-
(v) अंश पूँजी के स्थान पर ऋण	-	-	-
(अ) राज्य सरकार	9.80	9.80	9.80
(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	8.80	8.80	8.80
(स) न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	-	-	20.00
(vi) अन्य (राज्य सरकार को सम्मिलित करके)	40.76	74.76	75.25
अन्य देयतायें एवं प्रावधान	249.08	300.22	306.61
योग अ	**1761.03**	**1843.86**	**1750.02**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक अवशेष	66.20	83.28	81.06
निवेश	24.24	35.85	44.22
ऋण एवं अग्रिम	1310.81	1251.48	1103.44
निबल अचल परिसम्पत्तियाँ	61.83	41.68	31.74
अन्य परिसम्पत्तियाँ	29.44	37.03	40.56
विविध व्यय	-	-	-
लाभ एवं हानि खाता	268.51	394.53	449.00
योग ब	**1761.03**	**1843.86**	**1750.02**
स. नियोजित पूँजी[54]	**1459.38**	**1527.79**	**1442.99**

(करोड़ रुपये में)

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम			
विवरण	**1997-98**	**1998-99**	**1999-2000**
अ. देयतायें			
प्रदत्त पूँजी	11.37	12.77	13.37
आरक्षण एवं आधिक्य	21.65	28.34	40.07
उपदान	-	0.30	0.30

54 नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी सीड राशि, ऋण पत्र, संचय (उनको छोड़कर जिन्हें बाहर के निवेशों द्वारा स्पष्ट रूप से निधि प्रदान एवं समर्थन किया गया), बाण्ड, जमा एवं ऋण (पुनः वित्तीय पोषण को शामिल करके) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के माध्य को दर्शाता है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
ऋणः			
सरकारी	0.14	0.23	-
अन्य	1.90	1.50	1.16
व्यापार देयता एवं चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	13.96	16.62	27.05
योग अ	**49.02**	**59.76**	**81.95**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	39.56	41.82	47.26
घटायाः ह्रास	9.76	10.22	11.80
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	29.80	31.60	35.46
पूँजीगत प्रगतिगत कार्य	1.38	0.77	1.48
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	17.84	27.39	45.01
लाभ एवं हानि खाता	-	-	-
योग ब	**49.02**	**59.76**	**81.95**
नियोजित पूँजी[55]	**34.86**	**43.14**	**54.90**

(करोड़ रुपये में)

4. उत्तर प्रदेश वन निगम			
विवरण	**1996-97**	**1997-98**	**1998-99 (अनन्तिम)**
अ. देयतायें			
आरक्षण एवं आधिक्य	287.35	323.15	352.45
ऋणः	0.16	0.16	0.16
चालू देयतायें (प्रावधानों को सम्मिलित करके)	73.52	103.87	147.54
अन्य देयतायें	7.00	7.00	7.00
योग अ	**368.03**	**434.18**	**507.15**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	10.92	10.31	11.16
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	354.64	421.45	493.94
संचित हानि	-	-	
विविध व्यय	2.47	2.42	2.05
योग ब	**368.03**	**434.18**	**507.15**
स. नियोजित पूँजी[55]	**292.04**	**327.89**	**357.56**

55 नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

(करोड़ रुपये में)

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद			
विवरण	**1993-94**	**1994-95** (अनन्तिम)	**1995-96** (अनन्तिम)
अ. देयतायें			
आधिक्य	26.45	27.29	28.21
ऋण	248.32	249.78	195.48
जमा	32.35	38.90	39.38
चालू देयतायें (पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित करके)	221.19	218.13	245.47
देयताओं पर सम्पत्ति का आधिक्य	-	-	1.18
योग अ	**528.31**	**534.10**	**509.72**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1.04	1.06	1.15
निवेश	7.66	29.78	35.37
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	519.61	503.26	473.20
योग ब	**528.31**	**534.10**	**509.72**
स. नियोजित पूँजी[56]	**299.46**	**286.19**	**228.88**

(करोड़ रुपये में)

6. उत्तर प्रदेश जल निगम			
विवरण	**1996-97**	**1997-98**	**1998-99**
अ. देयतायें			
ऋण	273.24	286.96	313.20
सरकार से अनुदान	2127.72	2495.85	3207.70
जमा	808.55	878.29	688.72
चालू देयतायें	148.53	158.22	868.12
अनुपभोगित सामग्री पर सेन्टेज	23.88	29.08	29.08
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी	6.00	6.00	10.50
अवर्गीकृत आरक्षण	20.51	20.48	20.48
योग अ	**3408.43**	**3874.88**	**5137.80**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल अचल परिसम्पत्तियाँ	450.17	591.28	788.18
घटायाः ह्रास	4.67	5.04	7.84
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	445.50	586.24	780.34
निवेश	166.06	223.93	302.75
चालू परिसम्पत्तियाँ	2436.87	2904.50	3960.27
घाटा	360.00	160.21	94.44
योग ब	**3408.43**	**3874.88**	**5137.80**
स. नियोजित पूँजी[56]	**2733.84**	**3332.52**	**3872.49**

56 नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) एवं कार्यशील पूँजी को निरूपित करती है।

परिशिष्ट–5

(प्रस्तर संख्या 1.2.4 व 1.3.5 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)
परिचालन			
(अ) राजस्व	584.17	650.21	701.82
(ब) व्यय	629.56	675.04	783.30
(स) आधिक्य(+)/कमी(–)	(-) 45.39	(-) 24.83	(-) 81.48
अपरिचालन			
(अ) राजस्व	15.58	15.42	16.84
(ब) व्यय	15.16	10.98	35.40
(स) आधिक्य(+)/कमी(–)	(+) 0.42	(+) 4.44	(-) 18.56
योग			
(अ) राजस्व	599.75	665.63	718.66
(ब) व्यय	644.72	686.02	818.70
(स) शुद्व लाभ(+)/हानि(–)	(-) 44.97	(-) 20.39	(-) 100.04
पूँजी एवं ऋण पर ब्याज	15.16	10.98	17.69
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 29.81	(-) 9.41	(-) 82.35
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	-	-	-

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)
1. आय			
(अ) ऋण पर ब्याज	151.42	142.35	156.05
(ब) अन्य आय	23.65	12.68	11.38
योग 1	**175.07**	**155.03**	**167.43**
2. व्यय			
(अ) दीर्घावधि ऋण पर ब्याज	178.72	190.76	178.05
(ब) गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	142.02	49.99	8.90
(स) अन्य व्यय	21.04	40.30	34.95
योग 2	**341.78**	**321.57**	**221.90**

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(–) (1–2)	(-) 166.71	(-) 126.02	(-) 54.47
4. अन्य विनियोजन			
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि[57]	-	-	
6. अन्य विनियोजन	-	-	
7. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	-	-	-
8 लाभांश दत्त/देय	-	-	-
9. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	12.01	64.74	123.58
10. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	0.82	4.24	8.56

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1. आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	24.02	61.35	98.82
(ब) अन्य आय	0.14	0.28	0.77
योग 1	**24.16**	**61.63**	**99.59**
2. व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	12.17	12.76	16.39
(ब) ब्याज	0.28	0.26	0.19
(स) अन्य व्यय	9.46	39.74	66.45
योग 2	**21.91**	**52.76**	**83.03**
3. कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(–)	(+) 2.25	(+) 8.87	(+) 16.56
4. अन्य समायोजन[58]			
5. लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	3.74	7.26	13.03
6. वर्ष के लिए लाभांश	0.21	0.52	1.12
7. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	4.02	7.52	13.22
8. नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	11.53	17.43	24.08

57 कर निर्धारण के लिए विशिष्ट आरक्षित निधि एवं प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए लाभांश के लिए तैयार चालू वर्ष के लाभ को निरूपित करता है।

58 यह पूर्व अवधि के विनियोजनों 1.49 करोड़ रूपये (–) 1.61 करोड़ रूपये एवं (–) 3.53 करोड़ रूपये क्रमशः वर्ष 1997–98,1998–99 एवं 1999–2000 को सम्मिलित नहीं करता है।

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99 (अनन्तिम)
1. आय			
विक्रय	178.37	128.12	162.84
अन्य आय	29.86	27.84	35.43
अन्तिम रहतिया	67.92	106.77	147.67
योग 1	**276.15**	**262.73**	**345.94**
2. व्यय			
क्रय	39.07	74.06	124.25
अन्य व्यय	75.25	84.95	85.62
प्रारम्भिक रहतिया	117.19	67.92	106.77
योग 2	**231.51**	**226.93**	**316.64**
शुद्ध लाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	44.64	35.80	29.30
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	15.29	10.92	8.19

5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95 (अनन्तिम)	1995-96 (अनन्तिम)
1. आय			
(अ) सम्पत्ति से आय	59.03	47.71	50.93
(ब) अन्य आय	12.38	10.57	11.28
योग 1	**71.41**	**58.28**	**62.21**
2. व्यय			
(अ) स्थापना	16.95	19.14	22.51
(ब) ब्याज	28.28	24.28	21.75
(स) अन्य व्यय	25.58	14.02	17.03
योग 2	**70.81**	**57.44**	**61.29**
3. आय का व्यय पर आधिक्य	0.60	0.84	0.92
4. नियोजित पूँजी पर कुल प्रति लाभ	28.88	25.12	22.67
5. नियोजित पूँजी पर प्रति लाभ का प्रतिशत	9.64	8.78	9.90

6. उत्तर प्रदेश जल निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1. आय			
सेन्टेज	38.31	56.50	80.34
सर्वे एवं परियोजना शुल्क	11.38	15.36	9.29
ब्याज	16.43	21.33	25.37
अनुदान	42.10	36.42	19.31
अन्य	10.89	51.01	41.44
योग 1	**119.11**	**180.62**	**175.75**
2. व्यय			
स्थापना प्रभार	68.50	81.43	129.79
रख–रखाव पर व्यय	62.16	66.46	25.24
ब्याज	26.15	20.68	36.12
अन्य व्यय	14.30	12.80	15.78
ह्रास	0.36	0.36	0.70
योग 2	**171.47**	**181.73**	**207.63**
घाटा	(-) 52.36	(-) 1.11	(-) 31.88
नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ	(-) 26.21	19.57	4.24
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	-	0.59	0.11

परिशिष्ट–6

(प्रस्तर संख्या 1.2.4.2.3 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों की परिचालनात्मक कार्यसम्पादन को दर्शाती विवरणी

कार्यरत सांविधिक निगम

1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
विद्यमान वाहनों की औसत संख्या			
(अ) अपनी बसें	7352	6859	6531
(ब) किराये की बसें	846	982	1367
सड़क पर वाहनों की औसत संख्या	6432	6177	5804
वाहनों के उपयोजन का प्रतिशत	87	90	89
कर्मचारियों की संख्या	52537	50552	48909
कर्मचारी वाहन अनुपात	8.17:1	8.18:1	8.43:1
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की संख्या	2305	2234	2135
मार्ग किलोमीटर	503160	492505	465320
परिचालित किलोमीटर (लाख में)			
(अ) सकल	6726	7160	7282
(ब) प्रभावी	6560	6988	7102
(स) मृत	166	172	180
मृत किलोमीटर का सकल किलोमीटर पर प्रतिशत	2.47	2.40	2.47
प्राप्त औसत किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन	218	243	245
प्रति किलोमीटर औसत परिचालन राजस्व (पैसे)	914	949	1000
प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	983	974	1082
प्रति किमी परिचालन व्यय की पिछले वर्ष के व्यय से वृद्धि (प्रतिशत)			
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(–) (पैसे)	(-) 69	(-) 25	(-) 82
परिचालित डिपो की संख्या	114	114	114
प्रति लाख किलोमीटर पर खराब होने की औसत संख्या	5.50	4.55	4.30
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटना की औसत संख्या	0.20	0.22	0.19
परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	67.26	71.60	72.82
धारित अनुपात	64	65	61
प्राप्त किलोमीटर प्रति लीटरः (अ) डीजल	4.56	4.60	4.69
(ब) इंजन तेल	823	870	894

2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1997-98		1998-99		1999-2000	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	175	68.43	111	28.79	339	79.97
प्राप्त आवेदन पत्र	2077	581.87	1078	302.80	296	126.75
योग	**2252**	**650.30**	**1189**	**331.59**	**635**	**206.72**
स्वीकृत आवेदन पत्र	1741	360.26	560	106.18	219	73.17
निरस्त/वापस/अस्वीकृत/कम किये गये आवेदन पत्र	400	261.25	290	145.44	376	109.18
वर्ष के अन्त में लम्बित आवेदन पत्र	111	28.78	339	79.97	40	24.37
वितरित ऋण	1300	268.89	637	129.39	237	69.65
वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	21452	1310.81	20113	1251.48	17986	1103.44
वर्ष की समाप्ति पर वसूली की अतिदेय राशि						
(अ) मूल	-	164.60	-	238.22	-	242.68
(ब) ब्याज	-	377.04	-	498.89	-	692.36
योग	**-**	**541.64**	**-**	**737.11**		**935.04**
वसूली प्रमाण पत्र मामलों से सम्बन्धित राशि	-	280.03			-	-
योग	-	280.03			-	-
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय ऋण का प्रतिशत	-	41.32	-	58.90	-	84.74

3. उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
आवृत केन्द्रों की संख्या	101	118	133
वर्ष की समाप्ति तक बनाई गई भण्डारण क्षमता (लाख टन में)			
(अ) स्वामित्व में	11.80	11.81	11.94
(ब) किराये पर	1.09	1.72	5.97
योग	**12.89**	**13.53**	**17.91**
वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग (लाख टन में)	10.58	11.91	15.25
उपयोग का प्रतिशत	82.08	88.03	94.00
औसत राजस्व प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	227.06	517.38	633.05
औसत व्यय प्रति टन प्रति वर्ष (रुपये)	207.09	443.16	544.33
लाभ(+)/हानि(–) प्रति टन (रुपये)	(+) 19.97	(+) 74.22	(+) 88.72

4. उत्तर प्रदेश वन निगम

विवरण	1997-98	1998-99	1999-2000
1 लकड़ी, चिरान लकड़ी सहित (लाख घन मीटर में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष	3.92	6.70	7.53
(ब) विक्रय	1.87	3.19	4.35
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) विभागीय प्रयोग एवं अन्य निष्पादन	0.02	0.01	-
(इ) अन्तिम शेष	2.03	3.50	3.18
2 तेन्दू पत्ता (मानक बोरे लाख में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष	4.41	4.40	5.61
(ब) विक्रय	4.19	3.97	5.23
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	0.22	0.43	0.38
3. बाँस (लाख बण्डल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष[59]	2.51	3.44	2.07
(ब) विक्रय	0.90	2.63	1.47
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	-	-
(द) अन्तिम शेष	1.61	0.81	0.60
4. कृषि उत्पादन (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष	0.38	0.22	0.22
(ब) विक्रय	0.33	0.20	0.21
(स) हानियाँ/कमियाँ	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.05	0.01	0.01
5. बैली घास (लाख कुन्तल में)			
(अ) प्रारम्भिक शेष[60]	0.30	0.42	0.36
(ब) विक्रय	0.15	0.19	0.22
(स) हानियाँ/कमिया	-	0.01	-
(द) अन्तिम शेष	0.15	0.22	0.14
6. जड़ी–बूटी (लाख किग्रा में)[60]			
(अ) प्रारम्भिक शेष	3.41	6.67	9.29
(ब) विक्रय	0.28	1.12	4.43
(स) हानियाँ/कमिया	0.01	0.03	0.34
(द) अन्तिम शेष	3.12	5.52	4.52

59 प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान उत्पादन को सम्मिलित है।

60 प्रारम्भिक शेष में वर्ष के दौरान उत्पादन को सम्मिलित है।

परिशिष्ट –7

(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

विभागवार अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई आर) को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	विभाग का नाम	पी0 एस0 यू0 की संख्या	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वर्ष, जबसे प्रस्तर अनिस्तारित है
1.	कृषि एवं समवर्गीय	9	36	235	1984-85
2.	चीनी एवं गन्ना विकास	9	195	774	1987-88
3.	सिंचाई	1	6	67	1992-93
4.	मत्स्य	1	4	15	1990-91
5.	ग्रामीण व लघु उद्योग	3	14	127	1980-81
6.	नियोजन	2	6	26	1990-91
7.	उद्योग एवं आद्योगिक विकास	16	91	625	1981-82
8.	पर्वतीय विकास	13	25	127	1981-82
9.	निर्यात संवर्धन	3	16	82	1985-86
10.	वस्त्र	9	52	208	1981-82
11.	इलेक्ट्रानिक्स	8	30	141	1979-80
12.	लोक निर्माण	2	286	1098	1978-79
13.	क्षेत्र विकास	12	4	10	1980-81
14.	हरिजन व समाज कल्याण	6	29	144	1986-87
15.	गृह	1	4	24	1996-97
16.	खाद्य एवं रसद आपूर्ति	2	47	168	1977-78
17.	पर्यटन	1	4	19	1994-95
18.	अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ	2	12	45	1983-84
19.	परिवहन	1	131	623	1981-82
20.	सहकारिता	1	7	69	1990-91
21.	वन	1	56	240	1996-97
22.	पंचायतीराज	1	5	16	1981-82
23.	विद्युत	3	2016	6545	1983-84
	योग	**107**	**3076**	**11428**	

परिशिष्ट–8

(प्रस्तर संख्या 1.8 में संदर्भित)

विभागवार ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतिक्षित हैं, को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	विभाग का नाम	ड्राफ्ट प्रस्तरों की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	निर्गमन की अवधि
1.	विद्युत	24	2	मई 2001 से जुलाई 2001
2.	पुलिस	.	1	जून 2001
3.	वन	.	1	जून 2001
4.	आवास विभाग	.	1	जून 2001
5.	सिंचाई	1	.	मई 2001
6.	अल्पसंख्यक कल्याण	2	.	मई 2001
7.	मत्स्य	1	.	मई 2001
8.	वस्त्र	4	.	मई 2001
9.	कृषि	2	.	मई एवं जून 2001
10.	वित्त	4	.	मई एवं जून 2001
11.	समाज कल्याण	1	.	मई 2001
12.	लोक निर्माण विभाग	3	.	मई एवं जून 2001
13.	उद्योग विकास	6	.	मई एवं जून 2001
14.	परिवहन	2	.	जून 2001
15.	चीनी	3	.	जून एवं जुलाई 2001
16.	उत्तराँचल विकास	1	.	जून 2001
17.	शहरी विकास	4	.	जुलाई 2001
	योग	**58**	**5**	

परिशिष्ट–9

(प्रस्तर संख्या 1.10 में संदर्भित)

अद्यतन पूर्ण लेखों के अनुसार 619–बी के अन्तगर्त कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी निवेश एवं समेकित कार्यचालन परिणामों को दर्शाती विवरणी

(5 से 19 तक के स्तम्भों में आँकड़ेः लाख रूपये में)

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यरत/ कार्यविहीन)	लेखों का वर्ष	प्रदत्त पूंजी	अंश पूंजी			ऋण			अनुदान			निवेश अंश पूंजी, ऋण एंव अनुदान द्वारा कुल निवेश			लाभ (+) /हानि(–)	संचित लाभ (+) /हानि(–)
					राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार के कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार के कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार द्वारा	राज्य सरकार के कम्पनियों द्वारा	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियों द्वारा	राज्य सरकार	राज्य सरकार के कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उनकी कम्पनियाँ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	कार्यरत	2000-2001	200.00	-	82.00 (41.00)	40.00 (20.00)	-	25.00	-	-	-	-	-	107.00	40.00	(-)86.41	(-) 313.12
2.	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	कार्यविहीन	1994-95	24.25	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	25.00	-	-	(+) 0.003	(-) 7.06
3.	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	कार्यविहीन	[61]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	कार्यविहीन	1978-79	90.00	-	55.00 (61.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	55.00	-	(-) 45.00	-
5.	उ0प्र0 बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	कार्यरत	1999-2000	276.63	96.25 (34.79)	-	52.50 (18.98)	-	-	-	802.60	-	-	898.85	-	52.50	(+) 286.65	(+) 1829.40

61 प्रारम्भ से ही लेखे तैयार नहीं थे।

परिशिष्ट–10

(प्रस्तर संख्या 1.7 में संदर्भित)

उन कम्पनियों, जिनके व्यवसाय विगत 5 वर्षों से 5 करोड़ रूपये से कम था तथा जिनके लेखे प्रमाणित थे, के व्यवसाय को दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	कम्पनी का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखे (वर्ष)	व्यवसाय (लाख रूपये में)				
			अद्यतन वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तर प्रदेश स्टेट पौल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	1995-96	65.07	163.86	120.48	49.18	42.96
2.	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1999-2000	142.66	171.84	198.60	296.67	280.15
3.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2000-2001	142.87	161.71	206.37	264.97	301.96
4.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1999-2000	29.09	36.18	46.16	60.96	57.10
5.	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	1998-99	105.70	74.25	76.43	63.70	25.31
6.	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	233.44	201.21	183.59	147.59	119.94
7.	ट्रांस केबिल्स लिमिटेड	1996-97	40.93	4.79	4.03	2.43	2.88
8.	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	1998-99	165.94	193.19	157.90	159.04	54.91
9.	यू पी एस आई सी पौट्रीज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1990-91	16.50	19.59	15.80	9.86	57.21
10.	उत्तर प्रदेश डिजिटल लिमिटेड	1996-97	28.55	19.78	19.87	19.69	35.58
11.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1993-94	175.01	124.40	63.60	30.20	10.66
12.	उत्तर प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1994-95	357.13	435.71	444.40	290.01	253.38
13.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1988-89	19.09	28.63	60.66	52.68	20.09
14.	कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1985-86	11.74	7.05	6.16	2.77	2.14
15.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1998-99	66.53	71.00	67.90	70.20	40.84
16.	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1989-90	33.79	33.67	20.42	30.60	27.91
17.	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1990-91	36.11	24.57	28.62	11.31	5.73
18.	अपलीज़ फाइनेन्सियल सर्विसेज़ लिमिटेड	1997-98	128.63	71.61	50.04	55.26	67.88
19.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड	1998-99	210.34	165.11	171.39	192.77	169.82
20.	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1992-93	16.80	15.39	11.59	9.17	6.02
21.	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1996-97	17.79	19.46	25.20	20.98	22.29

परिशिष्ट–10अ

(प्रस्तर संख्या 1.7 में संदर्भित)

कम्पनियाँ, जो लगातार 5 वर्षो से घाटा दे रही हैं, जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाती विवरणी

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	पीएसयू का नाम	निगमन की तिथि	लगातार 5 वर्षों की हानि, जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया					
1.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड	18.10.1979	वर्ष	**1995-96**	**1994-95**	**1993-94**	**1992-93**	**1991-92**
			शुद्ध मूल्य	(-) 14377.84	(-) 11165.41	(-) 8112.91	(-) 5653.09	(-) 4214.43
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 3212.23	(-) 3118.95	(-) 3044.82	(-) 2638.66	(-) 2855.52
2.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	20.08.1974	**वर्ष**	**1999-2000**	**1998-99**	**1997-98**	**1996-97**	**1995-96**
			शुद्ध मूल्य	(-) 4589.14	(-) 3682.32	(-) 2445.09	(-) 1900.04	(-) 3378.80
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 906.82	(-) 1236.36	(-) 545.05	(-) 220.82	(-) 1035.63
3.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कार्पोरेशन लिमिटेड	26.03.1971	**वर्ष**	**1995-96**	**1994-95**	**1993-94**	**1992-93**	**1991-92**
			शुद्ध मूल्य	(-) 20726.65	(-) 9525.82	(-) 5336.28	(-) 1196.41	(-) 445.87
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 12036.63	(-) 4189.46	(-) 6028.96	(-) 8887.54	(-) 9103.58
4.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	18.04.1975	**वर्ष**	**1997-98**	**1996-97**	**1995-96**	**1994-95**	**1993-94**
			शुद्ध मूल्य	(-) 2038.89	(-) 1817.84	(-) 1178.92	(-) 1386.29	(-) 1385.50
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 221.05	(-) 636.26	(-) 416.99	(-) 300.80	(-) 169.61
5.	नन्दगंज–सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	18.04.1975	**वर्ष**	**1996-97**	**1995-96**	**1994-95**	**1993-94**	**1992-93**
			शुद्ध मूल्य	(-) 4181.53	(-) 3255.51	(-) 3442.13	(-) 2878.16	(-) 2574.42
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 830.09	(-) 759.71	(-) 562.09	(-) 303.74	(-) 498.82
6.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	30.05.1986	**वर्ष**	**1998-99**	**1997-98**	**1996-97**	**1995-96**	**1994-95**
			शुद्ध मूल्य	(-) 894.86	(-) 2352.37	(-) 1948.29	(-) 1406.62	(-) 974.89
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 625.83	(-) 404.08	(-) 541.67	(-) 532.51	(-) 241.75
7.	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	22.02.1924	**वर्ष**	**1999-2000**	**1998-99**	**1997-98**	**1996-97**	**1995-96**
			शुद्ध मूल्य	(-) 2643.19	(-) 2117.26	(-) 1699.82	(-) 1255.63	(-) 978.10
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 525.94	(-) 459.96	(-) 494.58	(-) 193.19	(-) 363.68

परिशिष्ट–11

(प्रस्तर 2अ.3.1 में संदर्भित)

निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब को दर्शाती विवरणी

मीटर की श्रेणी	मीटरो की संख्या/ आवश्यकता का वर्ष	निविदा के खुलने की तिथि	निविदाओं की मूल वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि	आदेश देने की तिथि	आदेश का मूल्य (लाख रूपये में)	आदेश निर्गत करने में विलम्ब की अवधि (महीनो में)	आपूर्ति की अवधि
तीन फेज इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटर	54500 1994-95	सितम्बर 1993	फरवरी 1994	दिसम्बर 1995 से नवम्बर 1997	595.67	22 से 45	मार्च 1996 से मार्च 1998
लो टेंशन एवं हाई टेंशन इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटर	930 1994-95	अगस्त 1994	फरवरी 1995	जून से सितम्बर 1995	198.64	4 से 7	सितम्बर 1995 से जून 1996
एकल फेज इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटर	150000 1996-97	मई 1996	नवम्बर 1996	जुलाई से अगस्त 1997	438.21	8 से 9	नवम्बर 1997 से फरवरी 1999
तीन फेज और सी टी संचालित इलेक्ट्रानिक मीटर	9000 1996-97	निविदा के खुलने की तिथि मई 1996 थी परन्त अगस्त 1997 में खोली गई	नवम्बर 1996	अक्टूबर 1998	508.11	23	जनवरी से मई 1999
एकल फेज इलेक्ट्रानिक मीटर	150000 1998-99	जुलाई 1998	जनवरी 1999	जुन 1999	1173.55	6	अक्टूबर 1999 से मार्च 2001
एकल फेज इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटर	158500 1999-2000	निविदा के खुलने की तिथि जुलाई 1998 थी परन्तु सितम्बर 1999 में खोली गई	जनवरी 1999	मई 2000	432.53	16	जून 2000 से जून 2001

परिशिष्ट–12

{प्रस्तर 2अ.3.1.1(क) में संदर्भित}

निविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण एच टी और एल टी मीटरों की उच्च लागत पर अधिप्राप्ति को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	फर्म का नाम	आदेश की तिथि	एच टी (11/33 के वी) स्टैटिक इलेक्ट्रानिक मीटर			एल टी (0.4 के वी) स्टैटिक इलेक्ट्रानिक मीटर			संविदा दरों पर एच टी एवं एल टी मीटरों का कुल मूल्य	16322 रूपये प्रति मीटर पर एच टी एवं एल टी मीटरों का कुल मूल्य	अतिरिक्त व्यय
			संख्या	प्रति मीटर दर (रूपये में)	मूल्य (लाख रूपये में)	संख्या	प्रति मीटर दर (रूपये में)	मूल्य (लाख रूपये में)	(लाख रूपये में)		
1.	डयूक आरनिक्स लिमिटेड	जून 1995	50	21066	10.53	100	20580	20.58	31.11	24.48	6.63
2.	डाटा प्रो इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, पुणे	जून 1995	30	22000	6.60	50	21500	10.75	17.35	13.06	4.29
3.	डाटा प्रो इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, पुणे (सितम्बर 1995 में क्राम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली को दिये गये आदेश के निरस्त होने पर)	फरवरी 1996	80	22000	17.60	150	21500	32.25	49.85	37.54	12.31
4.	पी.आई. इण्डस्ट्रीज, उदयपुर; सिक्योर मीटर्स लिमिटेड के रूप में पुनः नामित	अगस्त 1995	190	21165	40.21	300	20695	62.08	102.30	79.98	22.32
	योग		**350**		**74.94**	**600**		**125.66**	**200.61**	**155.06**	**45.55**

परिशिष्ट–13

{ प्रस्तर 2अ.3.1.1(ख)}

तीन फेज इलेक्ट्रो–मैकेनिकल मीटरों की आपूर्ति के लिए दिये गये आदेशों के विवरण

दर्शाती विवरणी

क्रम सं0	फर्म का नाम	आदेश की तिथि	तीन फेज चार तार मीटर (10–20 एम्पियर)			
			संख्या	प्रति मीटर दर (रूपये में)	मूल्य (लाख रूपये में)	आपूर्ति की तिथि
1.	एक्यूरेट मीटर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	दिसम्बर 1995	10200	720	73.44	अप्रैल एवं मई 1996
2.	एक्यूरेट मीटर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	नवम्बर 1996	38500	720	277.20	दिसम्बर 1996 से सितम्बर 1997
3.	जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जयपुर	दिसम्बर 1995	2400	733.63	17.61	मार्च 1996
4.	जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जयपुर	नवम्बर 1996	10000	733.63	73.36	दिसम्बर 1996
5.	ई सी ई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	दिसम्बर 1995	2400	715.45	17.17	मई 1996
6.	ई सी ई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	नवम्बर 1996	10000	715.45	71.55	जनवरी से सितम्बर 1997
7.	ई सी ई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	नवम्बर 1997	1240	715.45	8.87	मार्च 1998
			तीन फेज चार तार मीटर (50–100 एम्पियर)			
8.	ई सी ई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	दिसम्बर 1995	1000	875.00	8.75	मई 1996
9.	ई सी ई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	नवम्बर 1996	3500	875.00	30.62	दिसम्बर 1996
			सी टी संचालित एल टी मीटर			
10.	ई सी ई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	दिसम्बर 1995	500	760	3.80	मई 1996
11.	ई सी ई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	नवम्बर 1996	1750	760	13.30	दिसम्बर 1996

परिशिष्ट–14

(प्रस्तर 2अ.5 में संदर्भित)

घंटा प्रतिदिन, जिसमें ऊर्जा का उपयोग किया गया, की वार्षिक औसत संख्या दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	घरेलू बत्ती, पंखा		वाणिज्यिक बत्ती, पंखा		लघु मध्यम पावर		बड़े व भारी पावर	
	घण्टा प्रतिदिन, जिसमें ऊर्जा का उपयोग किया गया, की वार्षिक औसत संख्या							
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
वि.वि.ख. बान्दा	2.7	3.1	3.7	4.2	0.6	0.9	3.1	8.5
वि.वि.ख. भदोही	3.3	3.9	2.1	2.8	1.8	3.2	2.2	6.0
वि.न.वि.ख. मेयोहाल	5.9	8.0	3.5	4.0	2.0	2.3	3.5	4.4
वि.न.वि.ख. रामबाग	4.8	5.9	2.8	4.6	1.1	2.3	4.1	7.6
वि.न.वि.ख.–II अलीगढ़	3.4	3.7	1.9	2.2	2.1	2.6	4.6	5.9
वि.वि.ख.–I अलीगढ़	1.4	1.9	1.3	2.3	1.7	2.3	4.6	6.3
वि.न.वि.ख.– I मेरठ	2.5	2.9	2.8	3.1	3.0	4.0	4.7	6.6
वि.वि.ख.– I बुलन्दशहर	1.5	1.9	1.6	1.8	1.8	2.5	--	--
वि.वि.ख.– I कानपुर	1.4	2.2	1.3	2.9	1.2	2.4	3.1	7.3
वि.वि.ख. प्रतापगढ़	0.7	1.6	3.4	6.0	2.5	4.4	5.1	9.2
वि.वि.ख. चन्दौली	5.2	6.5	2.1	5.4	2.1	5.2	2.7	9.1
वि.वि.ख. कसिया	2.0	5.2	1.4	3.8	1.0	3.7	--	--
वि.वि.ख.– II मिर्जापुर	3.4	6.8	3.8	7.9	1.4	5.2	--	--

परिशिष्ट–15

{ प्रस्तर 2अ.5(क)(i) में संदर्भित}

इलेक्ट्रानिक मीटर की चुम्बकीय शील्डिंग का प्रभाव दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम व भार	इलेक्ट्रानिक मीटर की स्थापना की तिथि	चुम्बकीय शीलडिंग की तिथि	चुम्बकीय शीलडिंग से पूर्व उपभोग		चुम्बकीय शीलडिंग के बाद उपभोग		राजस्व की हानि		
				अवधि	औसत यूनिट	अवधि	औसत यूनिट	अवधि	यूनिट	राशि (लाख रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
विद्युत वितरण खण्ड–I बुलन्दशहर										
1.	जगजीत इण्डस्ट्रीज भार–990 के वी ए	2/98	26.04.2000	11/99 से 4/2000	22573 प्रति माह	5/2000 से 9/2000	85818 प्रतिमाह	11/99 से 4/2000	379470	15.14
2.	जेनसन एण्ड निकलसन भार–400 के वी ए	22.08.98	17.04.2000	11/99 से 4/2000	31150 प्रति माह	5/2000 से 7/2000	38834 प्रतिमाह	11/99 से 4/2000	46104	1.84
3.	गुड लक स्टील टयूब्स लिमिटेड भार–450 के वी ए	13.03.99	15.04.2000	23.03.2000 से 26.04.2000	2739 प्रति दिन	26.04.2000 से 31.05.2000	3616 प्रतिदिन	13.03.99 से 15.04.2000	46416	1.85
विद्युत वितरण खण्ड–कानपुर										
4.	रघुवीर रोलिंग मिल भार–240 के वी ए	अनुपलब्ध	25.05.2000	02.05.2000 से 25.05.2000	1101 प्रतिदिन	25.05.2000 से 30.06.2000	1242 प्रतिदिन	17.06.98 से 25.05.2000	77378	0.77
5.	आर एम रोलर फलोर मिल प्राइवेट लि0, भार–400 के वी ए	09.07.98	25.05.2000	09.07.98 से 25.05.2000	48610 प्रतिमाह	6/2000 से 8/2000	64476 प्रतिमाह	7/98 से 5/2000	364918	14.56
विद्युत वितरण खण्ड–चन्दौली										
6.	पी सी डी एफ डेयरी भार–423 के वी ए	06.11.98	30.11.99	05.08.99 से 05.11.99	3556 प्रतिदिन	30.11.99 से 05.03.2000	4301 प्रतिदिन	06.11.98 से 30.11.99	172678	6.94

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.	लक्ष्मी बिजनेस प्रमोशन लिमिटेड, भार–1000 के वी ए	02.09.98	27.12.99	02.09.98 से 27.12.99	108091 प्रतिमाह	27.12.99 से 31.03.2000	142701 प्रतिमाह	09/98 से 12/99	553760	22.37
8.	पंजाब डेयरी उद्योग भार–132 के वी ए	10.06.98	06.01.2000	न्यूनतम प्रभार बिल किया गया		06.01.2000 से 02.05.2000	9407 प्रतिमाह	1/98 से 1/99	122291	2.22
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड –I, मेरठ										
9.	भारत टेक्सटाइल्स मिल भार–125 के वी ए	13.11.98	05.05.2000	12.98 to 04/2000	10314 प्रतिमाह	5/2000 से 12/2000	14270 प्रतिमाह	12/98 से 4/2000	67252	2.80
10.	अमर उजाला प्रकाशन भार–149 के वी ए	15.10.96 (11.8.99 को बदला गया)	15.02.2000	27.02.99 से 28.02.2000	21337 प्रतिमाह	28.02.2000 से 31.12.2000	24839	3/97 से 2/2000	126072	5.25
11.	गणेश कोल्ड स्टोरेज भार–150 के वी ए	25.03.98	01.03.2000	(ए) 1998-99	155684	2000-2001	222557	1998-99	66873	3.03
				(बी) 1999-00	199309	2000-2001	222557	1999-2000	23248	1.02
	कुल योग								**2046482**	**77.79**

परिशिष्ट.16

{ प्रस्तर 2A.5 (क) (iii) में संदर्भित}

'सिक्योर' मीटर की स्थापना के बाद अंकित किये गये उपभोग में कमी को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम व भार	मीटर के बदलने की तिथि	पुराने मीटर का उपभोग		नये मीटर का उपभोग		उपभोग में कमी		
			अवधि	यूनिट (लाख में)	अवधि	यूनिट (लाख में)	यूनिट (लाख में)	अवधि	राशि (लाख रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विद्युत वितरण खण्ड–कानपुर									
1.	सलूजा कोल्ड स्टोरेज	20.03.98	1997-98	4.04	(अ) 1998-99	3.21	0.83	1998-99	2.45
	भार–140 के वी ए	तदैव			(ब) 1999-00	2.02	2.02	1999-00	8.85
2.	अन्सारी कोल्ड स्टोरेज	10.03.98	1997-98	1.88	(अ)1998-99	1.23	0.65	1998-99	2.68
	भार–118.49 के वी ए	तदैव			(ब) 1999-00	1.14	0.74	1999-00	2.87
3.	सीता राम गणेश प्रसाद आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज	23.03.98	1997-98	4.05	(अ)1998-99	2.64	1.41	1998-99	6.18
	भार–140 के वी ए	तदैव			(ब) 1999-00	2.80	1.25	1999-00	5.48
4.	लक्ष्मी आइस फैक्ट्री एण्ड कोल्ड स्टोरेज	16.03.98	1997-98	6.86	(अ)1998-99	5.13	1.73	1998-99	7.57
	भार–185 के वी ए	तदैव			(ब) 1999-00	5.39	1.47	1999-00	6.44
विद्युत वितरण खण्ड–कसया									
5.	सेवरही शुगर कारपोरेशन	29.06.98	1997-98	7.47	1998-99	6.19	1.28	1998-99	5.24
	भार–395 के वी ए								
6.	यू.पी.स्टेट शुगर कारपोरेशन, लक्ष्मीगंज	26.11.98	1997-98	7.10	1998-99	4.58	2.51	1998-99	10.27
	भार–412 के वी ए								
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–II अलीगढ									
7.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए एम यू–ई) भार –750 किलोवाट	02.09.2000	25.08.2000 से 02.09.2000	8640 प्रतिदिन	02.09.2000 से 25.09.2000	5730 प्रतिदिन	2.59	02.09.2000 से 30.11.2000	7.48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विद्युत वितरण खण्ड–I, अलीगढ़									
8.	अलका इन्टरनेशनल लिमिटेड भार–410 के वी ए	23.02.99	29.01.99 से 23.02.99	1848 प्रतिदिन	23.02.99 से 27.02.99	1528 प्रतिदिन	1.51	23.02.99 से 8/2000	5.71
9.	आर सी एस रोलर एण्ड फ्लोर मिल भार–400 के वी ए	27.02.99	29.01.99 से 27.02.99	3502 प्रतिदिन	27.02.99 से 27.03.99	1695 प्रतिदिन	0.85	27.02.99 से 26.12.2000	3.37
विद्युत वितरण खण्ड, फिरोजाबाद									
10.	दयाल जी इण्डस्ट्रीज भार–413 के वी ए	22.12.98	22.12.98 से 24.03.99	6043 प्रतिदिन	24.03.99 से 27.09.99	1870 प्रतिदिन	7.80	24.03.99 से 27.09.99	31.14
11.	ओम ग्लास वर्क्स भार–235 के वी ए	05.07.99	05.07.99 से 03.03.2000	2498 प्रतिदिन	03.03.2000 से 28.08.2000	1904 प्रतिदिन	1.06	03.03.2000 से 28.08.2000	4.22
12.	मीरा ग्लास इण्डस्ट्रीज भार–300 के वी ए	21.04.98	27.01.98 से 21.04.98	2571 प्रतिदिन	21.04.98 से 28.07.98	1609 प्रतिदिन	0.94	21.04.98 से 28.07.98	2.54
विद्युत वितरण खण्ड–बान्दा									
13.	परेरहट स्टील लिमिटेड, भार–5000 के वी ए	20.02.99	12/98 से 02/99	21.98 प्रतिमाह	03/99 से 05/99	13.69 प्रतिमाह	100.53	03/99 से 12/2000	138.03
	कुल योग						129.17		250.52

परिशिष्ट–17

{ प्रस्तर 2अ.5 (घ) (i) में संदर्भित}

दोषपूर्ण मीटरों को न बदले जाने को दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	माह	घरेलू बत्ती व पंखा मीटर				वाणिज्यिक बत्ती व पंखा और लघु मध्यम पावर मीटर			
		योग	एन आर /एन ए	आइ डी एफ/ए डी एफ/आर डी एफ		योग	एन आर /एन ए	आई डी एफ/ए डी एफ/आर डी एफ	
				योग	छः माह से अधिक			योग	3 माह से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
वि.न.वि.ख.(रामबाग) इलाहाबाद	9/2000	40823	15564	11403	5003	8380	996	1384	1156
वि.न.वि.ख. (मेयोहाल) इलाहाबाद	9/2000	26877	7502	12910	9578	3545	1256	700	588
वि.वि.ख. भदोही	9/2000	17817	2803	12209	11452	2177	352	708	628
वि.वि.ख. –II मिर्जापुर	9/2000	24652	अनुपलब्ध	10238	9287	4115	771	1702	1540
वि.वि.ख. चन्दौली	1/2001	8087 (आंशिक)	2726	2910	2473	3381	1068	867	749
वि.वि.ख. प्रतापगढ	9/2000	12356	3656	1733	1451	4146	1393	291	251
वि.वि.ख. कसिया	9/2000	15293	2170	5616	3975	4735	393	1744	386
वि.न.वि.ख.–I मेरठ	10/2000	32164	3795	1836	809	13857	2343	699	331
वि.वि.ख. बान्दा	4/2000	36304	3426	8975	7681	7712	1151	913	652
वि.वि.ख.–I अलीगढ़	11/2000	6810	945	1641	अनुपलब्ध	2890	376	182	113
वि.वि.ख.–II अलीगढ़	9/2000	33996	4158	3197	1855	7104	831	282	187
वि.वि.ख. फिरोजाबाद	9/2000	32489	4430	6237	3774	9805	1468	1357	1243
वि.वि.ख.–I बुलन्दशहर	9/2000	7020	750	874	245	3753	407	125	85
वि.वि.ख. कानपुर	9/2000	5709	1572	1928	अनुपलब्ध	3019	258	355	अनुपलब्ध
कुल योग		301397	53497	81407	57583	78619	13063	11309	7909

परिशिष्ट–18

{प्रस्तर 2अ.5 (घ) (iii) में संदर्भित}

पूर्ववर्ती तिथियों से स्थायी विच्छेदन को दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	अवधि, जिसमें स्थायी विच्छेदन किया गया	तिथि, जिससे स्थायी विच्छेदन प्रभावी हुआ	माफ किया गया राजस्व (लाख रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वि.वि.ख. फिरोजाबाद	547	जुलाई 1997 से दिसम्बर 2000	दिसम्बर 1987 से जून 1999	221.29
वि.न.वि.ख. मेयोहाल, इलाहाबाद	258	जुलाई 1998 से अगस्त 2000	अगस्त 1982 से जुलाई 1999	190.40
वि.वि.ख. चन्दौली	79	अक्टूबर 1998 से सितम्बर 2000	जनवरी 1984 से सितम्बर 1997	65.11(लघु व मध्यम पावर के स्थायी विच्छेदन के मामलों को छोड़कर, जो लेखा परीक्षा को नहीं दिये गये।)
वि.वि.ख.–II मिर्जापुर	36	जुलाई 2000 से सितम्बर 2000	अप्रैल 1984 से मार्च 1999	14.32
वि.वि.ख. कसिया	72	दिसम्बर 1998 से अगस्त 2000	अक्टूबर 1988 से अप्रैल 1998	43.04
वि.वि.ख. भदोही	47	दिसम्बर 1997 से दिसम्बर 1999	अगस्त 1985 से सितम्बर 1997	22.72
वि.न.वि.ख.–II अलीगढ़	34	जनवरी 1996 से नवम्बर 2000	नवम्बर 1992 से जुलाई 1999	16.65
वि.वि.ख. कानपुर	11	सितम्बर 1998 से अक्टूबर 2000	जनवरी 1980 से मार्च 1998	1.59
वि.वि.ख.–Iबुलन्दशहर	37	मार्च 1997 से नवम्बर 2000	अगस्त 1986 से अक्टूबर 1998	10.91
वि.वि.ख. प्रतापगढ़	74	जनवरी 1999 से दिसम्बर 2000	अक्टूबर 1995 से सितम्बर 2000	17.61
वि.वि.ख. बान्दा	69	जुलाई 1993 से दिसम्बर 2000	मार्च 1991 से मार्च 1998	39.73
वि.वि.ख.–I अलीगढ़	65	जनवरी 1999 से दिसम्बर 2000	मार्च 1980 से दिसम्बर 1999	23.91
वि.न.वि.ख.–I मेरठ	68	दिसम्बर 1996 से दिसम्बर 2000	अप्रैल 1992 से जून 1999	24.71
वि.न.वि.ख.रामबाग, इलाहाबाद	5	अक्टूबर 1998 से नवम्बर 1999	अक्टूबर 1988 से जून 1994	12.42
कुल योग	1402			704.41

परिशिष्ट.19

{प्रस्तर 2अ.5 (च) (v) में संदर्भित}

चेक मीटरों के रूप में नये मीटर न स्थापित करने के कारण राजस्व की हानि को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	अनुबंधित भार	मीटर के बदलने की तिथि	पुराने मीटर का उपभोग		नये मीटर का उपभोग		राजस्व की हानि		
				यूनिट	अवधि	यूनिट	अवधि	अवधि	यूनिट	राशि (लाख रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड. रामबाग, इलाहाबाद										
1.	मॉडर्न पाइप इण्डस्ट्री	77 एच पी	29.08.2000	2017 प्रति माह	29.02.2000 से 29.08.2000	7760 प्रति माह	29.08.2000 से 28.11.2000	29.02.2000 से 29.08.2000	34460	1.37
2.	विवेक इण्डस्ट्री	62.88 एच पी	10/2000	1685 प्रति माह	28.03.2000 से 28.09.2000	8460 प्रति माह	28.09.2000 से 29.12.2000	28.03.2000 से 28.09.2000	40650	1.62
3.	देव प्लास्ट लिमिटेड	96.00 एच पी	31.10.2000	13920 प्रति माह	5/2000 से 10/2000	32150 प्रति माह	11/2000 से 01/2001	5/2000 से 10/2000	109380	4.36
4.	गिरधारी लाल	60.72 एच पी	31.10.2000	4193 प्रति माह	11/99 से 04/2000	31270 प्रति माह	11/2000 से 01/2001	11/99 से 04/2000	162462	6.48
5.	सतीश चन्द्र	55.50 एच पी	28.09.1999	3665 प्रति माह	20.02.99 से 24.08.99	8047 प्रति माह	28.09.99 से 12.12.99	20.02.99 से 24.08.99	26292	1.05
6.	प्रीमियर कन्डक्टर	75.723 एच पी	30.01.1999	4740 प्रति माह	26.06.98 से 27.12.98	12750 प्रति माह	30.01.99 से 28.04.99	26.06.98 से 27.12.98	48060	1.18
7.	प्रेस ट्रेस ऑफ इण्डिया	52.653 एच पी	31.07.1999	940 प्रति माह	27.12.98 से 29.06.99	2907 प्रति माह	31.07.99 से 28.10.99	27.12.98 से 29.06.99	11802	0.47
8.	गैरीसन इन्जीनियर, इलाहाबाद पोर्ट	400 के वी ए	16.05.2000	164878 प्रति माह	31.10.99 से 30.04.2000	176124 प्रति माह	31.05.2000 से 31.08.2000	31.10.99 से 30.04.2000	67475	2.69
विद्युत वितरण खण्ड. भदोही										
9.	चन्द्रा	50 एच पी	25.08.2000	9176 प्रति माह	25.09.99 से 25.02.2000	14250 प्रति माह	25.08.2000 से 25.11.2000	25.09.99 से 25.02.2000	25370	1.01
10.	चन्द्रा वूलन्स	95 एच पी	25.08.2000	4808 प्रति माह	25.11.99 से 25.05.200	17455 प्रति माह	25.08.2000 से 25.11.2000	25.11.99 से 25.05.2000	75882	3.03
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–I, बुलन्दशहर										
11.	बत्रा एण्ड बत्रा	170 के वी ए	23.04.1998	975 प्रति दिन	30.03.98 से 23.04.98	1081 प्रति दिन	23.04.98 से 04.06.98	11/97 से 04/98	17471	0.65
विद्युत वितरण खण्ड. कसिया										
12.	यू0 पी0 स्टेट शुगर कार0 लि0, सिरोही	395 के वी ए	29.06.1998	2017 प्रति दिन	06.06.98 से 29.06.98	2365 प्रति दिन	29.06.98 से 30.07.98	01/98 से 06/98	54571	2.37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13.	यू0 पी0 स्टेट शुगर कार0 लि0, खड्डा यूनिट	478 के वी ए	07.081998	285 प्रति दिन	30.06.98 से 01.08.98	2339 प्रति दिन	07.08.98 से 01.09.98	02/98 से 07/98	302680	8.93
विद्युत वितरण खण्ड, चन्दौली										
14.	इण्डियन एयर गैसेस लि0	375 के वी ए	05.11.1998	2868 प्रति दिन	24.09.98 से 05.11.98	4596 प्रति दिन	05.11.98 से 26.11.98	05.98 से 10/98	325371	13.92
15.	अनिरूद्ध फूड्स (प्रा0) लिमि0	800 के वी ए	25.09.1998	5527 प्रति दिन	31.08.98 से 25.09.98	6306 प्रति दिन	25.09.98 से 30.10.98	4/98 से 9/98	143774	5.86
16.	रमन डेयरी उद्योग	130 के वी ए	03.12.97	438 प्रति दिन	28.11.97 से 03.12.97	784 प्रति दिन	03.12.97 से 28.12.97	06/97 से 11/97	54074	2.18
17.	पशुपति सीमेन्ट (प्रा0) लिमि0	450 के वी ए	02.12.98	889 प्रति दिन	05.02.98 से 21.02.98	1824 प्रति दिन	21.02.98 से 05.03.98	10/97 से 02/98	106962	4.04
विद्युत वितरण खण्ड, प्रतापगढ़										
18.	रूमा कोल्ड स्टोरेज	100 एच पी	06.09.98	344 प्रति दिन	01.08.98 से 06.09.98	480 प्रति दिन	06.09.98 से 07.10.98	3/98 से 8/98	27919	1.17
19.	प्रतापगढ़ कोल्ड स्टोरेज	140 के वी ए	09.09.98	296614	1998-99	383100	1999-2000	1998-99	86486	4.82
विद्युत वितरण खण्ड, फिरोजाबाद										
20.	जगदीश ग्लास वर्क्स	185 के वी ए	12.01.98	516 प्रति दिन	24.06.97 से 12.01.98	1426 प्रति दिन	12.01.98 से 01.05.98	24.06.97 से 12.01.98	183784	7.21
विद्युत वितरण खण्ड–II, मिर्जापुर										
21.	मिर्जापुर आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज	101 के वी ए	17.07.98	105118	1997-98	122456	1998-99	1997-98	17338	0.51
22.	विन्धया आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज	130 के वी ए	8/98	73634	1998-99	86944	1999-2000	1998-99	13310	0.58
23.	मिर्जापुर इलेक्ट्रीकल इण्डस्ट्री	100 के वी ए	17.08.98	27158 प्रति माह	02/98 से 07/98	29144 प्रति माह	08/98 से 10/98	02/98 से 07/98	11916	0.30
विद्युत वितरण खण्ड-I, अलीगढ़										
24.	दर्शन ऑयल मिल	976 के वी ए	28.09.98	5016 प्रति दिन	27.08.98 से 28.09.98	6125 प्रति दिन	28.09.98 से 29.10.98	02.04.98 से 28.09.98	205736	8.39
25.	शंकर ताला भण्डार (प्रा0) लिमिटेड	500 के वी ए	12.08.98	1267 प्रति दिन	28.07.98 से 12.08.98	1751 प्रति दिन	12.08.98 से 30.08.98	13.01.98 से 12.08.98	91034	4.41
26.	दर्शन एग्रो ऑयल लिमि0	200 के वी ए	25.02.99	762 प्रति दिन	29.01.99 से 25.02.99	889 प्रति दिन	25.02.99 से 29.04.99	27.08.98 से 25.02.99	22543	1.16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
27.	पशुपति कास्टिंग(प्रा0) लिमि0	3300 के वी ए	(a) 09.07.98	10923 प्रति दिन	26.06.98 से 09.07.98	12301 प्रति दिन	09.07.98 से 27.07.98	26.12.97 से 09.07.98	189981	5.65
28.	अलीगढ़ रोलर फलोर मिल	440 के वी ए	(a) 15.09.98	729 प्रति दिन	27.08.98 से 15.09.98	3315 प्रति दिन	15.09.98 से 28.09.98	25.03.98 से 15.09.98	355155	14.48
			(b) 13.12.2000	1250 प्रति दिन	30.11.2000 से 13.12.2000	3489 प्रति दिन	13.12.2000 से 26.12.2000	30.06.2000 से 13.12.2000	74650	2.95
विद्युत वितरण खण्ड. बान्दा										
29.	परेरहट स्टील लिमि0	1200के वी ए	01.06.98	1587 प्रति दिन	11.05.98 से 01.06.98	4268 प्रति दिन	01.06.98 से 29.06.98	12/97 से 05/98	540422	23.46
30.	अग्रवाल स्टोन मिल	36.30 एच पी	26.07.2000	1160 प्रति माह	20.01.2000 से 26.07.2000	3878 प्रति माह	26.07.2000 से 20.10.2000	20.01.2000 से 26.07.2000	16308	0.65
31.	विजय कुमार त्रिपाठी	61.30 एच पी	10.03.2000	1724 प्रति माह	20.08.99 से 10.03.2000	9129 प्रति माह	10.03.2000 से 20.06.2000	20.08.99 से 10.03.2000	44430	1.09
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड. मेयोहाल, इलाहाबाद										
32.	श्रीमती अरूणा भार्गव	30.00 एच पी	30.08.2000	2183 प्रति माह	30.12.99 से 30.06.2000	4791 प्रति माह	30.08.2000 से 30.11.2000	30.12.99 से 30.06.2000	17831	0.71
33.	प्रताप कम्पनी	54.179 एच पी	08.01.99	2116 प्रति माह	30.07.98 से 30.01.99	4613 प्रति माह	30.01.99 से 30.04.99	30.07.98 से 30.01.99	14972	0.61
34.	गणपत राय एलचिको स्नैक बार	87.00 के डब्लयू	23.04.98	9703 प्रति माह	01.11.97 से 23.04.98	14532 प्रति माह	2304.98 से 30.07.98	01.11.97 से 23.04.98	31237	0.93
35.	भारत यन्त्र निगम	80.00 के डब्लयू	30.03.98	2128 प्रति माह	30.09.97 से 30.03.98	5320 प्रति माह	30.03.98 से 29.06.98	30.09.97 से 30.03.98	19155	0.57
36.	बाल कृष्ण अग्रवाल	75.99 के डब्लयू	01.06.99	9000 प्रति माह	06.12.98 से 31.05.99	10908 प्रति माह	01.06.99 से 29.08.99	06.12.98 से 31.05.99	12648	0.38
37.	होटल कान्हा श्याम	480 के डब्लयू	18.05.98	62160 प्रति माह	29.11.97 से 18.05.98	92200 प्रति माह	18.05.98 से 02.09.98	29.11.97 से 18.05.98	170228	5.09
38.	जीप इण्डस्ट्री सिंडिकेट लिमि0	250 के वी ए	30.05.98	31215 प्रति माह	29.11.97 से 30.05.98	49116 प्रति माह	30.05.98 से 28.08.98	29.11.97 से 30.05.98	107407	2.67
39.	फर्रूखाबाद कोल्ड स्टोरेज	250 के वी ए	02.05.97	1711 प्रति दिन	27.03.97 से 02.05.97	3761 प्रति दिन	02.05.97 से 30.05.97	31.10.96 से 02.05.97	144281	2.82
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–I, मेरठ										
40.	गणेश कोल्ड स्टोरेज	150 के वी ए	25.03.98	295 प्रति दिन	23.03.98 से 17.04.98	507 प्रति दिन	17.04.98 से 22.04.98	10/97 से 03/98	24018	0.88
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–II, अलीगढ़										
41.	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ('जी')	300 के वी ए	31.08.2000	914 प्रति दिन	25.04.2000 से 31.08.2000	2585 प्रति दिन	31.08.2000 से 02.12.2000	25.04.2000 से 31.08.2000	213880	5.75
	कुल योग								4243405	158.45

परिशिष्ट–20

{प्रस्तर 2अ.5 (छ) में संदर्भित}

उपभोक्ता परिसरों में मीटरों की बारम्बार असफलता को दर्शाती विवरणी

उपभोक्ता का नाम	भार (के वी ए)	मीटरों के बदलने की तिथि
शिवांगी स्टील लिमिटेड, झाँसी	3000/5100	सितम्बर 1997, जनवरी 1998, मार्च 1998, अप्रैल 1998, मई 1998, जून 1998, नवम्बर 1998, दिसम्बर 1998 एवं अप्रैल 1999
जय जगदम्बा मैलेबिल्स लिमि0, झाँसी	2000	मार्च 1998, मई 1998, जून 1998, एवं मार्च 1999
जूही एलॉयस लिमि0, सुमेरपुर (हमीरपुर)	1600	मई 1999, जुलाई 1999 एवं नवम्बर 1999
शिवांशी फेरस (प्रा0) लिमि0, उरई	2300	जनवरी 1999, फरवरी 1999, अप्रैल 1999 जून 1999, जुलाई 1999 (दो बार), सितम्बर 1999 एवं अक्टूबर 1999
यू0 पी0 एलॉयस लिमि0, सुमेरपुर (हमीरपुर)	2400	दिसम्बर 1998, फरवरी 1999 (दो बार), अप्रैल 1999 (दो बार) एवं फरवरी 2000
वीनस लोहा उद्योग लिमि0, सुमेरपुर (हमीरपुर)	3800	मार्च 1999 (पी टी परिवर्तन के साथ) मई 1999, दिसम्बर 1999, दिसम्बर 2000 एवं जनवरी 2001
ऐरोल रेफ्रीजिरेशन इण्डस्ट्रीज (प्रा0) लिमि0, ऐरोल, कानपुर	200	मार्च 1996, मार्च 1997, जून 1997 मार्च 1998 एवं जुलाई 2000
संगम स्ट्रकचरल्स लिमि0, नैनी इलाहाबाद (रोलिंग मिल)	1800	मई 1997, अक्टूबर 1997, अप्रैल 2000 एवं जुलाई 2000
दैनिक जागरण, इलाहाबाद	136	मई 2000, जून 2000, अगस्त 2000 एवं सितम्बर 2000
मिर्जापुर इलेक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज, मिर्जापुर	100	अगस्त 1998, सितम्बर 1999 एवं जून 2000

परिशिष्ट–21

{प्रस्तर 2अ.5 (ज)(iv) में संदर्भित}

विभिन्न क्षमताओं वाले सी टी की स्थापना को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	उपभोक्ता का नाम	अनुबन्धित भार	सी.टी. लाइन की क्षमता	सी.टी. क्षमता से अनुबन्धित भार का अनुपात	टिप्पणी
विद्युत वितरण खण्ड, कसिया					
1.	यू.पी. स्टेट शुगर कारपोरेशन, लक्ष्मीगंज	412 के वी ए	800/5ए	1.94	04.05.99 को स्थापित
2.	गेंदा सिंह, शुगरकेन रिसर्च सेन्टर, सिरोही	236के वी ए	400/5ए	1.69	4/1998 से पूर्व स्थापित
3.	यू.पी.स्टेट शुगर कारपोरेशन, खड्डा	478के वी ए	600/5ए	1.26	4/98 से पूर्व स्थापित
4.	पदम श्री प्रीजरवेशन कोल्ड स्टोरेज, पडरौना	120के वी ए	200/5ए	1.67	04/99 से पूर्व स्थापित
5.	यू.पी.स्टेट शुगर कारपोरेशन, छितौनी	76 के डब्ल्यू	300/5ए	3.33	04/98 से पूर्व स्थापित
6.	लोटस होटल, कुशीनगर	145 के डब्ल्यू	50/5ए 150/5ए	0.29 1.03	0 5.07.2000 को स्थापित 05.07.2000 को स्थापित
7.	यू.पी.स्टेट शुगर कारपोरेशन, सेवरही	395 के डब्ल्यू	800/5ए 1000/5ए	1.72 2.15	4/99 तक स्थापित 4/99 के दौरान स्थापित
8.	यू.पी.स्टेट शुगर कारपोरेशन, रामकोला	350 के वी ए	600/5ए	1.71	4/97 से पूर्व स्थापित
9.	कप्तानगंज डिस्टीलरी, कप्तानगंज	150 के वी ए	400/5ए	2.67	4/98 से पूर्व स्थापित
10.	लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, कसिया	101 के वी ए	200/5ए	1.98	4/99 से पूर्व स्थापित
विद्युत वितरण खण्ड, प्रतापगढ़					
11.	प्रताप कोल्ड स्टोरेज	100 के वी ए	200/5ए	2.00	07.04.99 को स्थापित
12.	सहाय कोल्ड स्टोरेज	125 के वी ए	30/5ए	0.24	8/99 से पूर्व स्थापित
13.	अवध कोल्ड स्टोरेज	200 के वी ए	500/5ए	2.50	17.04.96 को स्थापित

परिशिष्ट–22

{प्रस्तर 2अ.6 (क)(iv) में संदर्भित}

सितम्बर 2000 के अंत तक मरम्मत किये गये मीटरों की वर्ष–वार संख्या एवं शेष मरम्मत न किये गये मीटरों की संख्या को दर्शाती विवरणी

अवधि	मीटरों की श्रेणी	वि.प.ख. (नगरीय) अलीगढ़	वि.प.ख. बुलन्दशहर	वि.प.ख. (नगरीय) मेरठ	वि.प.ख. (नगरीय) मुरादाबाद	वि.प.ख. (नगरीय) बॉदा	वि.प.ख–I इलाहाबाद	वि.प.ख. (नगरीय) इलाहाबाद	वि.प.ख. मिर्जापुर	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		(मरम्मत किये गये मीटरों की संख्या)								
1996-97	एस पी	2706	1250	3701	62	664	322	1	अनुपलब्ध	8706
	पी पी	251	300	701	54	205	133	38	अनुपलब्ध	1682
	योग	**2957**	**1550**	**4402**	**116**	**869**	**455**	**39**	**अनुपलब्ध**	**10388**
1997-98	एस पी	3780	800	2763	189	291	264	90	99	8276
	पी पी	418	330	546	77	82	113	65	80	1711
	योग	**4198**	**1130**	**3309**	**266**	**373**	**377**	**155**	**179**	**9987**
1998-99	एस पी	3522	1160	3191	267	390	354	--	117	9001
	पी पी	340	464	806	94	34	131	5	76	1950
	योग	**3862**	**1624**	**3997**	**361**	**424**	**485**	**5**	**193**	**10951**
1999-2000	एस पी	3454	540	3244	235	110	72	--	21	7676
	पी पी	656	170	919	124	36	130	11	88	2134
	योग	**4110**	**710**	**4163**	**359**	**146**	**202**	**11**	**109**	**9810**
2000–2001 (9/2000 तक)	एस पी	1672	अनुपलब्ध	1920	117	45	111	--	--	3865
	पी पी	324	अनुपलब्ध	794	184	3	117	118	62	1602
	योग	**1996**	**अनुपलब्ध**	**2714**	**301**	**48**	**228**	**118**	**62**	**5467**
कुल योग	**एस पी**	**15134**	**3750**	**14819**	**870**	**1174**	**1123**	**91**	**237**	**37198**
	पी पी	**1989**	**1264**	**3766**	**533**	**280**	**624**	**237**	**306**	**8999**
		17123	**5014**	**18585**	**1403**	**1454**	**1747**	**328**	**543**	**46197**
		(मरम्मत न किये गये शेष मीटरों की संख्या)								
9/2000 की समाप्ति पर	एस पी	1679	7	534	257	9310	64	16218	926	28995
	पी पी	561	6	1956	78	1614	14	3246	631	8106
	योग	**2240**	**13**	**2490**	**335**	**10924**	**78**	**19464**	**1557**	**37101**

परिशिष्ट–23

{ प्रस्तर 2अ.6 (ख) में संदर्भित}

मीटरों की विभागीय मरम्मत की अधिक लागत को दर्शाती विवरणी

वर्ष	वि.प.ख. (नगरीय) अलीगढ	वि.प.ख. बुलन्दशहर	वि.प.ख. (नगरीय) मेरठ	वि.प.ख. (नगरीय) मुरादाबाद	वि.प.ख. बॉदा	वि.प.ख. इलाहाबाद	वि.प.ख. (नगरीय) इलाहाबाद	वि.प.ख. मिर्जापुर	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1996-97									
कुल (लाख रूपये में)	4.51	5.50	अनुपलब्ध	1.73	2.01	1.84	2.51	अनुपलब्ध	18.10
प्रति मीटर (रूपये)	152	355	अनुपलब्ध	1490	3.71	404	6436	अनुपलब्ध	—
1997-98									
कुल (लाख रूपये में)	5.61	8.74	3.28	2.80	2.25	1.31	2.37	3.24	29.60
प्रति मीटर (रूपये)	134	774	99	1052	1008	347	1531	1812	—
1998-99									
कुल (लाख रूपये में)	4.00	7.12	4.24	4.53	2.57	4.69	2.34	5.73	35.22
प्रति मीटर (रूपये)	104	438	106	1254	729	967	46777	2969	—
1999-2000									
कुल (लाख रूपये में)	3.56	6.35	4.73	5.46	3.08	6.74	4.49	5.84	40.25
प्रति मीटर (रूपये)	87	895	114	1521	1649	3336	40858	5358	—
2000-2001 (9/2000 तक)									
कुल (लाख रूपये में)	2.41	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	2.11	2.16	1.74	0.94	2.65	12.01
प्रति मीटर (रूपये)	121	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	701	1429	765	794	4268	—
5 वर्षो के दौरान योग									
एम एण्ड आर व्यय(रूपये लाख में)	20.09	27.71	12.25	16.63	12.07	16.32	12.65	17.46	135.18
मरम्मत किये गये मीटरों की संख्या									
एस पी	15134	3750	11118	870	1174	1123	91	237	33497
पी पी	1989	1264	3065	533	280	624	237	306	8298

परिशिष्ट–24

(प्रस्तर 2ब.5.4 में संदर्भित)

कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपभोग दर्शाती हुई विवरणी

वर्ष	डी.एम.वाटर का कुल उत्पादन (मी. टन में)	कास्टिक सोडा फ्लेक/लाई का कुल उपभोग (कि.ग्रा. में)	डी.एम. वाटर का प्रति मी टन उपभोग (कि.ग्रा. में)	कास्टिक सोडा फ्लेक/ लाई का कुल अतिरिक्त उपभोग (कि. ग्रा. में)	दर प्रति कि.ग्रा. (रूपया)	अतिरिक्त उपभोग का मूल्य (लाख रूपये में)	एच सी एल का कुल उपभोग (कि. ग्रा. में)	डी एम वाटर के प्रति मी. टन पर एच सी एल का उपभोग (कि. ग्रा. में)	एच सी एल का अतिरिक्त उपभोग (कि.ग्रा.में)	दर प्रति कि.ग्रा. (रूपया)	अतिरिक्त उपभोग का मूल्य (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पनकी टी पी एस											
1996-97	347320	123850	0.36	48625	22.00	10.70	444645	1.28	20839	3.30	0.69
1997-98	318827	86300	0.27	15941	18.00	2.87	395360	1.24	6377	2.35	0.15
1998-99	333909	73600	0.22	--	--	--	407995	1.22	--	--	--
1999-2000	348873	79100	0.23	3489	14.50	0.51	455950	1.31	31399	2.35	0.74
2000-01	226560	61200	0.27	11328	14.50	1.64	308875	1.36	31718	2.35	0.75
योग				**79383**		**15.72**			**90333**		**2.33**
ओबरा ए टी पी एस											
1996-97	382265	290060	0.76	76453	8.54	6.53	286301	0.74	110857	1.39	1.54
1997-98	357959	259500	0.72	57273	7.90	4.52	256483	0.72	96649	2.30	2.22
1998-99	421247	286490	.068	50550	7.90	3.99	267975	0.63	75824	2.47	1.87
1999-2000	658704	424200	0.64	52696	6.94	3.66	385760	0.59	92218	1.47	1.36
2000-01	679780	380895	0.56	--	--	--	306216	0.45	--	--	--
योग				**236972**		**18.70**			**375548**		**6.99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ओबरा बी टी पी एस											
1996-97	2216356	946280	0.43	243799	8.54	20.82	918390	0.41	132981	1.39	1.85
1997-98	2024641	888780	0.44	242957	7.90	19.19	857810	0.40	101232	2.30	2.33
1998-99	2038419	899975	0.44	244610	7.90	19.32	863170	0.42	142689	2.47	3.52
1999-2000	2542603	817520	0.32	--	--	--	894345	0.35	--	--	--
2000-01	1727298	602095	0.35	51819	7.10	3.68	640635	0.37	34545	1.47	0.51
योग				**783185**		**63.01**			**411447**		**8.21**
आनपारा ए टी पी एस											
1996-97	534451	181500	0.34	52445	8.55	4.11	184300	0.34	16034	3.20	0.51
1997-98	572487	177000	0.31	34349	7.90	2.71	187000	0.33	5725	3.50	0.20
1998-99	697681	198000	0.28	27907	7.90	2.20	227000	0.40	55814	2.05	1.14
1999-2000	673529	188700	0.28	26941	6.00	1.61	213600	0.32	--	--	--
2000-01	560930	154100	0.24	--	--	--	176800	0.32	--	--	--
योग				**141642**		**10.63**			**77573**		**1.85**
आनपारा बी टी पी एस											
1996-97	628930	166200	0.26	--	--	--	223800	0.34	--	--	--
1997-98	730260	190370	0.26	--	--	--	254560	0.35	7303	3.50	0.26
1998-99	806440	224720	0.28	16129	7.90	1.27	293000	0.36	16129	2.05	0.33
1999-2000	836140	266880	0.32	50168	6.00	3.02	341500	0.41	58530	2.05	1.20
2000-01	659350	193870	0.29	19781	6.23	1.23	302100	0.46	79122	2.13	1.69
योग				**86078**		**5.52**			**161084**		**3.48**

परिशिष्ट–25

(प्रस्तर 2बी.6.3)

संचालन और अनुरक्षण व्यय के विवरण दर्शाती विवरणी

टी.पी.एस/वर्ष का नाम	उत्पादन (मि.यू.)	कुल (ओ एण्ड एम व्यय परिवर्तनीय) (करोड़ रूपये में)	अन्य (ओ एण्ड एम) व्यय			उत्पादन की प्रति एम यू लागत		अन्य ओ एण्ड एम व्यय की तुलना में मरम्मत और अनुरक्षण का प्रतिशत मूल्य (5)/(6)x100
			मण्डार व फालतू पुर्जो की लागत	मरम्मत व अनुरक्षण (करोड़ रूपये में)	योग (करोड़ रूपये में)	कुल (ओ एण्ड एम) लागत परिवर्तनीय) (लाख रूपये में) (3) / (2)	भण्डार व फालतू पुर्जो की लागत (लाख रूपये में) (4) / (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ओबरा 'ए'								
1996-97	773.500	80.82	7.09	5.01	12.10	10.45	0.92	41.40
1997-98	759.300	104.54	14.20	7.15	21.35	13.77	1.87	33.49
1998-99	782.292	118.52	12.34	8.51	20.85	15.15	1.57	40.82
1999-00	885.170	134.00	9.46	11.34	20.80	15.14	1.06	54.52
*2000-01	993.769	151.79	13.05	6.60	19.65	15.27	1.31	33.59
ओबरा'बी'								
1996-97	2841.400	222.23	24.90	9.01	33.91	7.82	0.88	26.57
1997-98	3276.000	280.29	23.36	12.85	36.21	8.56	0.71	35.49
1998-99	3430.914	315.74	21.08	6.33	27.41	9.20	0.61	23.09
1999-00	3962.302	392.92	28.57	8.57	37.14	9.92	0.72	23.07
2000-01	4917.609	470.52	24.98	4.95	29.93	9.56	0.51	16.54
पनकी								
1996-97	842.529	127.68	7.23	2.22	9.45	15.15	0.86	23.49
1997-98	848.717	141.97	9.33	4.92	14.25	16.73	1.10	34.06
1998-99	775.612	143.52	11.02	6.36	17.38	18.50	1.42	36.59
1999-00	822.978	149.64	10.34	8.87	19.21	18.18	1.26	46.17
2000-01	860.655	148.19	12.59	4.48	17.07	17.22	1.46	26.24
आनपारा (ओ एण्ड एम)								
1996-97	11737.034	513.72	25.18	17.13	42.31	4.38	0.21	40.49
1997-98	11304.581	623.83	35.60	19.96	55.56	5.52	0.31	35.93
1998-99	10975.183	639.06	42.21	27.69	69.90	5.82	0.38	39.61
1999-00	11493.330	707.85	46.29	27.07	73.36	6.16	0.40	36.90
2000-01	11530.520	719.16	60.80	24.69	85.49	6.23	0.53	28.88

* 2000–2001 के आंकड़े अनान्तिम है।

परिशिष्ट–26

(प्रस्तर 2स.5.1 में संदर्भित)

कम्पनी की 31 मार्च 2001 तक के पॉच वर्षो की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करती हुई विवरणी

(लाख रूपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अनुपलब्ध)
I. देयतायें					
क.प्रदत्त पूंजी	300.00	300.0	300.00	300.00	
ख.आरक्षित निधि एवं आधिक्य	314.61	397.96	410.07	415.18	
ग.ऋण	--	--	--	--	
घ.चालू देयतायें एवं प्रावधानः					
(i) विविध लेनदार एवं अन्य देयतायें					
(ii) उ0प्र0सरकार से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त अग्रिम	127.28	165.41	168.67	218.87	
(iii) प्रावधान	11140.59	13777.81	16657.04	19906.87	
योग (घ)	18.62	22.63	17.87	59.97	
	11286.49	**13965.85**	**16843.53**	**20185.71**	
योग (क) +(ख)+(ग)+(घ)	**11901.10**	**14663.81**	**17553.65**	**20900.89**	
II. परिसम्पत्तियॉ					
ड.कुल अचल परिसम्पत्तियॉ	183.99	190.22	388.38	390.21	
च.घटायाःमूल्य ह्रास	90.13	107.04	120.79	131.15	
छ.निवल अचल परिसम्पत्तियॉ	93.86	83.18	267.59	259.06	
ज.चालू परिसम्पत्तियॉ, ऋण एवं अग्रिमः					
(i) भण्डार एवं माल					
(ii) किये गये कार्य का मूल्यः	369.59	243.72	212.62	322.00	
- पूर्ण कार्य	6625.82	7641.15	9625.05	9746.98	
- प्रगतिगत कार्य	2686.28	3918.59	3605.30	6536.91	
(iii) विविध देनदार	36.86	40.14	37.05	32.47	
(iv) नकद एवं बैंक अवशेष	1866.65	2385.06	3535.31	3931.50	
(v) सावधि जमा खातों पर एकत्र हुआ ब्याज	52.82	112.37	237.41	30.82	
(vi) ऋण एवं अग्रिम	169.22	239.60	33.32	41.15	
योग (ज)	**11807.24**	**14580.63**	**17286.06**	**20641.83**	
योग (छः)+(ज)	**11901.10**	**14663.81**	**17553.65**	**20900.89**	
III. नियोजित पूँजी[62]	614.61	697.96	710.07	715.18	
IV. शुद्ध मूल्य[63]	614.61	697.96	710.07	715.18	

62 नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूंजीगत प्रगतिगत कार्य सहित) और कार्यशील पूँजी के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

63 शुद्ध मूल्य, प्रदत्त पूँजी तथा आरक्षित निधि एवं आधिक्य के योग से अमूर्त परिसम्पत्तियों को घटाकर प्रदर्शित की गई है।

परिशिष्ट–27

(प्रस्तर 2स.5.2 में संदर्भित)

कम्पनी के 31 मार्च 2001 तक के पॉच वर्षो के कार्यचालन परिणाम प्रदर्शित करती हुई विवरणी

(लाख रूपये में)

विवरण	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (अनन्तिम)
क. आय					
किये गये कार्य का मूल्य	2148.68	2247.64	1678.47	3146.02	1312.93[64]
प्राप्त ब्याज एवं अन्य आय	24.68	39.92	41.12	44.31	25.00
योग (क)	**2173.36**	**2287.56**	**1719.59**	**3190.33**	**1337.93**
ख. व्यय					
सामग्री उपभोग एवं कार्यो से सम्बन्धित व्यय	1872.27	1966.77	1483.65	2795.09	1165.88
वेतन	121.13	141.81	157.00	218.90	274.70[65]
अन्य प्रशासनिक व्यय	38.37	40.35	50.81	50.07	--
संचालन लाभ (+)/हानि (-)	116.91	98.71	(-) 12.99	81.96	(-)127.65
मूल्य ह्रास	5.21	6.29	8.66	7.33	7.15
कार्यो की संशोधित लागत की अस्वीकृति के कारण हानि	--	--	--	110.63	--
योग (ख)	**2036.98**	**2155.22**	**1700.12**	**3182.02**	**1447.73**
कर से पूर्व शुद्ध लाभ (क-ख)	**(+) 136.38**	**(+) 132.34**	**(+) 19.47**	**(+) 8.31**	**(-) 109.80**

64 एम.पी.आर.फरवरी 2001 के अनुसार

65 बजट के अनुसार

परिशिष्ट.28

(प्रस्तर 2स.6.1 में संदर्भित)

विभिन्न कार्यो के अन्तर्गत बचत को प्रदर्शित करती हुई विवरणी

(लाख रूपये में)

कार्य का नाम	पूर्ण होने की तिथि	स्वीकृत लागत	वास्तविक व्यय	बचत
(i) दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अग्नि शमन केन्द्रों के गैर–आवासीय भवनों का निर्माणः				
कानपुर (लाटूश रोड)	सितम्बर 1999	46.25	39.50	6.75
झॉसी	अगस्त 1999	46.25	39.36	6.89
बिजनौर	मार्च 1999	46.25	36.05	10.20
रायबरेली	मार्च 2000	38.73	33.82	4.91
गाजीपुर	जून 2000	38.73	29.00	9.73
आजमगढ	मार्च 2000	38.73	34.00	4.73
कानपुर (कर्नल गंज)	नवम्बर 2000	38.12	33.69	4.43
(ii) लखनऊ में आवासीय भवनों का निर्माण	दिसम्बर 2000	601.63	553.21	48.42
(iii) रेडियो वायरलेस चौकी	फरवरी 1999	49.00	44.00	5.00
(iv) पुलिस चौकी 14/14 3/3	फरवरी 1999 मार्च 1999	58.10 13.02	55.28 10.96	2.82 2.06
(v) आर टी सी श्रेणी III, चुनार	अक्टूबर 1999	14.43	11.00	3.43
(vi) पुलिस अधीक्षक आवास, महोबा	जुलाई 1999	47.64	42.52	5.12
(vii) पुलिस लाइन, महोबा (एन आर)	दिसम्बर 2000	120.45	88.80	31.65
योग				**146.14**

परिशिष्ट–29

(प्रस्तर 2स.7.1 में संदर्भित)

तकनीकी स्वीकृति से अधिक/के बिना कार्यों पर अतिरिक्त व्यय को प्रदर्शित करती हुई विवरणी

(लाख रूपये में)

इकाई का नाम	कार्यों की संख्या	तकनीकी स्वीकृति से अधिक अतिरिक्त व्यय (नवम्बर 2000 तक)	कार्यों की संख्या	तकनीकी स्वीकृति के बिना व्यय (नवम्बर 2000 तक)	कार्यों की कुल संख्या	तकनीकी स्वीकृति से अधिक/के बिना कुल व्यय
फैजाबाद	16	75.83	8	129.37	24	205.20
आगरा	25	138.08	2	116.25	27	254.33
मुरादाबाद	4	7.87	26	706.24	30	714.11
कानपुर	13	48.94	12	407.29	25	456.23
वाराणसी	18	93.04	8	285.20	26	378.24
लखनऊ -I	7	13.20	4	47.29	11	60.49
लखनऊ -II	3	3.54	1	32.82	4	36.36
योग	**86**	**380.50**	**61**	**1724.46**	**147**	**2104.96**

परिशिष्ट-30

{प्रस्तर 2स.7.1(ग)में संदर्भित}

आंशिक रूप से निर्मित भवनों पर निधियों का अवरोधन प्रदर्शित करती हुई विवरणी

(लाख रूपये में)

इकाई का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत/प्राप्त निधि (स्वीकृति की तिथि)	पूर्ण होने की तिथि	भूमि उपलब्ध होने की तिथि	किया गया व्यय	संशोधित लागत	निर्माण (प्रतिशत)	लागत में वृद्धि
वाराणसी	सर्किल आफिसर, नौतनवां, महराजगंज हेतु आवास एवं कार्यालय	9.61 (जून 1997)	मार्च 1999	मार्च 1998	9.56 (जनवरी 2001 तक)	22.23	50	12.62
वाराणसी	ज्ञान व्यापी मन्दिर के पुलिस कर्मियों हेतु 84 श्रेणी–I एवं 42 श्रेणी–III आवास	200.00 (मार्च 1996)	मार्च 1997	अगस्त 1996 से जुलाई 1999	180.00 (मार्च 2001 तक)	271.48	88	71.48
आगरा	गाजियाबाद में पुलिस अधीक्षक भवन	43.63 (मार्च 1998)	अनुपलब्ध	मई 1999	43.61 (मार्च 2001तक)	72.02	85	28.39
मुरादाबाद	महानिरीक्षक आवास एवं कार्यालय	29.61 (मार्च 1995)	अगस्त 1996	जून 1995	29.84 (जनवर्री 2001तक)	44.81	90	15.20
	योग	**282.85**			**263.01**	**410.54**		**127.69**

परिशिष्ट–31

(प्रस्तर 2स.8.2 में संदर्भित)

पुलिस आवास निगम लिमिटेड के विभिन्न खण्डों द्वारा वर्ष 1996–97 से 2000–2001 (जनवरी 2001 तक) तक निर्माण सामग्रियों (पत्थर–बजरी, मोटी बालू, महीन बालू आदि) का क्रय तथा उस पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर के भुगतान को दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	आगरा	मुरादाबाद	फैजाबाद	कानपुर	वाराणसी	लखनऊ-I	लखनऊ-II	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
पत्थर–बजरी								
1996-97								
क्रय की गई मात्र (घन मीटर)	3322.89	1561.06	--	1523.71	1020.10	2463.15	1916.32	11807.23
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	40.05	20.00	--	30.17	31.86	33.02	30.56	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	1.33	0.31	--	0.46	0.33	0.81	0.59	3.83
1997-98								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	2461.81	2421.37	--	1599.67	1908.79	2219.44	1091.90	11702.98
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	39.56	19.25	--	33.78	32.58	26.15	37.18	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	0.97	0.47	--	0.54	0.62	0.58	0.41	3.59
1998-99								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	1842.45	937.41	711.31	1077.31	932.37	1336.88	582.09	7419.82
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	48.42	25.10	46.00	37.58	53.84	47.89	47.37	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	0.89	0.24	0.33	0.40	0.50	0.64	0.28	3.28
1999-2000								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	4001.02	3786.85	1559.31	3092.16	3497.56	3046.95	1233.31	20217.16
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	46.54	28.93	49.47	39.77	59.69	47.42	49.17	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	1.86	1.10	0.77	1.23	2.09	1.44	0.61	9.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2000-2001								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	1215.59	1767.46	--	686.12	692.29	420.01	226.28	5007.75
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	52.95	39.20	--	34.67	51.59	40.16	48.48	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	0.64	0.69	--	0.24	0.36	0.17	0.11	2.21
मोटी बालू								
1996-97								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	2862.79	2067.17	--	1979.22	1560.39	3636.51	2330.31	14436.39
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	27.02	18.59	--	16.20	24.32	23.46	20.45	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	0.77	0.38	--	0.32	0.38	0.85	0.48	3.18
1997-98								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	2375.28	2924.56	--	3385.07	2318.43	2458.54	1331.83	14793.71
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	27.20	19.10	--	16.86	26.79	22.91	28.52	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	0.65	0.56	--	0.57	0.62	0.56	0.38	3.34
1998-99								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	1533.72	1326.63	1030.11	2919.39	1230.24	1427.16	753.74	10220.99
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	50.37	28.64	38.18	18.08	33.99	31.66	32.52	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	0.77	0.38	0.39	0.53	0.42	0.45	0.25	3.19
1999-2000								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	3921.87	5498.48	1944.50	6674.78	3903.40	3168.07	1593.83	26704.93
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	49.75	30.49	41.00	20.64	38.07	30.99	29.07	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	1.95	1.68	0.80	1.38	1.49	0.98	0.46	8.74
2000-2001								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	1895.54	2847.94	--	2770.82	1239.56	918.81	126.53	9799.20
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	52.53	39.60	--	19.71	39.84	31.81	28.06	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	1.00	1.13	--	0.55	0.49	0.29	0.03	3.49
महीन बालू								
1996-97								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	3869.45	2953.63	--	1762.55	2299.65	3987.38	3183.10	18055.76
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	22.74	11.65	--	11.19	8.26	10.89	11.78	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	0.88	0.34	--	0.20	0.19	0.43	0.37	2.41
1997-98								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	3383.68	3196.58	--	1450.44	2633.24	2979.23	970.54	14613.71
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	22.75	11.74	--	10.62	8.79	11.85	10.01	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	0.77	0.38	--	0.15	0.23	0.35	0.10	1.98
1998-99								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	2268.88	938.81	--	222.36	2184.76	1368.89	910.52	7894.22
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	31.18	13.61	--	11.71	12.49	18.39	15.10	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	0.71	0.13	--	0.03	0.27	0.25	0.14	1.53
1999-2000								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	4612.95	1934.89	--	179.50	4806.12	3276.41	1686.69	16496.56
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	28.32	14.35	--	11.26	13.12	16.93	17.15	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	1.31	0.28	--	0.02	0.63	0.55	0.29	3.08
2000-2001								
क्रय की गई मात्रा (घन मीटर)	2034.26	983.45	--	110.43	1163.25	879.29	130.55	5301.23
भुगतान किया गया व्यापार कर (रूपया प्रति घन मीटर)	28.67	13.98	--	24.02	13.67	12.74	16.03	
अतिरिक्त भुगतान (लाख रूपये में)	0.58	0.14	--	0.03	0.16	0.11	0.02	1.04
कुल योग								**53.99**

परिशिष्ट–32

(प्रस्तर 3अ.5 में संदर्भित)

1999.2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम की वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

(अ) निधि का स्रोत

(लाख रूपये मे)

क्रम सं.		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)
1.	आरक्षित निधि एवं आधिक्य	24270.93	28735.08	32314.98	35245.27	38215.76
2.	ऋण	700.00	700.00	700.00	700.00	3559.75
3.	दीर्घाकालिक देयतायें	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89
4.	चालू देयतायें एवं प्रावधान					
	अ) चालू देयतायें	8517.68	6128.09	9164.95	13591.83	14349.64
	(ब) प्रावधान	1222.34	1223.61	1221.74	1162.21	1134.64
	योग	**34726.84**	**36802.67**	**43417.56**	**50715.20**	**57275.68**

(ब) निधि का उपयोग

(लाख रूपये मे)

क्रम सं.		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)
1.	निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	1136.39	1091.74	1031.07	1116.18	1086.66
2.	(अ) चालू परिसम्पत्तियाँ	32570.38	34653.55	41415.66	48133.09	51530.31
	(ब) ऋण एवं अग्रिम	745.71	810.13	729.37	1260.84	4450.47
3.	विविध व्यय/अपलिखित योग्य सामग्री हानियाँ (निवल प्रावधान)	274.36	247.25	241.46	205.09	208.24
	योग	**34726.84**	**36802.67**	**43417.56**	**50715.20**	**57275.68**
4.	**नियोजित पूँजी[66]**	**24712.46**	**29203.72**	**32789.41**	**35756.07**	**41583.16**
5.	**शुद्ध मूल्य [67]**	**23996.57**	**28487.83**	**32073.52**	**35040.18**	**38007.52**

66 नियोजित पूँजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों (प्रगतिगत पूँजी कार्य सहित) एवं कार्यशील पूंजी के योग्य को इंगित करती है।

67 शुद्ध मूल्य में से अदृश्य परिसम्पत्तियों को घटाने के बाद आरक्षित निधि एवं आधिक्य का प्रतिनिधित्व करता है।

परिशिष्ट–33

(प्रस्तर 3अ.5 में संदर्भित)

1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्यचालन परिणाम को दर्शाती विवरणी

(लाख रूपये में)

क्रम सं.		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम))
	(अ) आय					
1.	बिकी	17958.08	17836.82	12812.34	16284.43	22266.59
2.	स्टाक में वृद्धि (+)/कमी (-)	(-) 510.24	(-) 4927.42	(+) 3885.41	(+) 4090.26	(+) 2025.54
3.	विविध आय/जमा	327.11	407.31	261.56	261.31	395.57
4.	पूर्वकालिक समायोजन (आय)	--	--	--	64.86	--
	योग	**17774.95**	**13316.71**	**16959.31**	**20700.86**	**24687.70**
	(ब) व्यय					
1.	कच्चे माल का कय	7311.70	3907.08	7406.27	12425.42	13242.64
2.	कार्यचालन व्यय	4433.71	3439.17	3119.26	4128.49	4720.95
3.	उत्पादन परिव्यय	2856.46	3153.12	3646.52	3804.88	5004.61
4.	बिकी एवं वितरण व्यय	162.37	179.53	89.38	98.38	125.27
5.	प्रबन्धन व्यय	196.18	209.07	1379.54	327.29	418.38
6.	अचल परिसम्पत्तियों पर ह्रास	41.93	41.57	37.81	35.35	34.20
7.	सामग्री हानि	35.57	53.80	38.73	40.46	38.51
8.	पूर्वकालिक समायोजन (व्यय)	482.64	164.25	74.91	--	221.50
	योग	**15520.56**	**11147.59**	**15792.42**	**20860.27**	**23806.06**
	(स) कार्यचाल लाभ (अ–ब)	2254.39	2169.12	1166.89	(-) 159.41	881.64
	(य) जोड़ा–ब्याज आय	1867.55	2796.43	2649.10	3311.99	2652.48
	(द) घटाया–वन विकास पर व्यय	414.85	501.39	236.01	222.28	563.63
	(र) शुद्ध आय (स+द+य)	3707.09	4464.16	3579.98	2930.30	2970.49

परिशिष्ट–34

{प्रस्तर 3अ.6.1.1 (क) (ii) में संदर्भित}

1999–2000 तक सी.सी.एफ आयतन के सापेक्ष उत्पादन में गिरावट को दर्शाती विवरणी

प्रजाति/खण्ड का नाम	वर्ष	सी.सी.एफ आयतन (घनमीटर)	वास्तविक उत्पादन (घनमीटर)	वसूली में गिरावट (घनमीटर)	सी.सी.एफ आयतन से वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत	बिक्री की औसत दर (रूपये)	घनराशि (लाख रूपये में)
यूक्लिप्टस							
डी एल एम (पू), हल्द्वानी	1998-99	18871.6640	18638.9967	232.6673	98.8	2044.85	4.76
डी एल एम (पू), टनकपुर	1998-99	2885.8938	2139.6620	746.2318	74.1	1988.77	14.84
डी एल एम, रामनगर	1998-99	3370.7964	3158.6032	212.1932	93.7	1296.24	2.75
डी एल एम (पू), कालाढुँगी	1998-99	47818.7680	45372.0675	2446.7005	94.9	1909.83	46.73
डी एल एम (प), कालाढुँगी	1998-99	34275.9000	34113.4968	162.0320	99.5	1955.54	3.17
डी एल एम (प), हल्द्वानी	1999-2000	1763.2512	1498.5558	264.6954	85.0	2215.92	5.87
डी एल एम, टनकपुर	1999-2000	2431.1320	2304.5628	126.5700	94.8	2111.93	2.67
सागौन (टीक)							
डी एल एम (प), हल्द्वानी	1998-99	358.1150	302.7870	55.3280	84.5	7275.26	4.03
खैर							
डी एल एम (पु), हल्द्वानी	1998-99	414.7420	343.9301	70.8119	82.9	14475.00	10.25
डी एल एम (प), हल्द्वानी	1998-99	406.7320	312.0629	94.6691	76.7	14834.75	14.04
डी एल एम लीज II, हल्द्वानी	1998-99	308.7470	263.6758	45.0712	85.4	12147.35	5.47
डी एल एम, टनकपुर	1998-99	831.7720	689.5250	142.2470	82.9	16793.95	2.39
डी एल एम, रामनगर	1998-99	539.0582	426.5857	112.4725	79.1	17401.53	19.57
डी एल एम, काशीपुर	1998-99	36.7880	20.5084	16.2796	55.7	17069.76	2.78
डी एल एम (पू), कालाढुँगी	1998-99	1526.5380	1485.9054	40.6326	97.3	16745.07	6.80
डी एल एम (प), कालाढुँगी	1998-99	54.8320	51.3778	3.4542	93.7	16168.90	0.56
डी एल एम लीज , कालाढुँगी	1998-99	89.7120	87.5053	2.2067	97.5	16168.90	0.36
डी एल एम लीज I, हल्द्वानी	1999-2000	261.3160	227.2388	34.0772	86.9	19831.41	6.76
डी एल एम, रामनगर	1999-2000	382.9812	356.7912	26.1900	93.2	19638.75	5.14
डी एल एम लीज , कालाढुँगी	1999-2000	227.3390	222.4310	4.9080	97.8	16617.96	0.82

प्रजाति/खण्ड का नाम	वर्ष	सी.सी.एफ आयतन (घनमीटर)	वास्तविक उत्पादन (घनमीटर)	वसूली में गिरावट (घनमीटर)	सी.सी.एफ आयतन से वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत	बिक्री की औसत दर (रूपये)	धनराशि (लाख रूपये में)
मृदुकाष्ठ							
डी एल एम लीज II, हल्द्वानी	1998-99	86.9148	75.0109	11.9039	86.3	1576.49	0.19
डी एल एम लीज , कालाढुँगी	1998-99	219.0650	211.2087	7.8563	96.4	1917.99	0.15
डी एल एम, रामनगर	1999-2000	855.6714	754.4668	101.2046	88.2	1679.23	1.70
डी एल एम लीज , कालाढुँगी	1999-2000	563.5710	498.0442	65.5268	88.4	1715.05	1.12
कोकट							
डी एल एम (पु), हल्द्वानी	1998-99	220.0010	115.3449	104.6561	52.4	1275.45	1.33
डी एल एम (प), हल्द्वानी	1998-99	309.5150	146.2524	163.2625	47.3	1101.85	1.80
डी एल एम लीज II, हल्द्वानी	1998-99	274.0650	227.8813	46.1837	83.1	1590.78	0.73
डी एल एम (प), कालाढुँगी	1998-99	162.2420	66.0970	96.1450	40.7	1423.35	1.37
डी एल एम लीज कालाढुँगी	1998-99	76.5440	43.0947	33.4493	56.3	1423.35	0.48
डी एल एम (पु), हल्द्वानी	1999-2000	121.3410	29.1045	92.2365	24.0	1354.43	1.25
डी एल एम, टनकपुर	1999-2000	539.1130	501.3758	37.7372	93.0	1543.68	0.58
डी एल एम पिथौरागढ	1999-2000	267.7790	124.0682	143.7108	46.3	1175.15	1.69
डी एल एम रामनगर	1999-2000	385.5745	356.9309	28.6436	92.6	1227.01	0.35
डी एल एम (प), कालाढुँगी	1999-2000	280.2509	130.6815	149.5694	46.6	1380.95	2.07
डी एल एम लीज , कालाढुँगी	1999-2000	48.4490	8.9897	39.4593	18.6	1264.49	0.50
योग				**5960.9832**			**175.07**

परिशिष्ट–35

{प्रस्तर 3अ.6.1.1 (ख) में संदर्भित}

1999–2000 तक के पॉच वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम में चारकोल के उत्पादन को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	खण्ड का नाम	वर्ष	उपभोग की गई जड़ें (कुन्तल में)	चारकोल का वास्तविक उत्पादन (कुन्तल में)	उपभोग की गई जड़ों से उत्पादन का प्रतिशत	30.75 प्रतिशत उपभोग की गई जड़ों पर अनुमानित उत्पादन (कुन्तल में)	उत्पादन में गिरावट (कुन्तल में) (7–5)	उत्पादन में कमी के कारण राजस्व घाटा	
								चारकोल की औसत बिकी दर (रूपये प्रति कुन्तल)	मूल्य (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	डी एल एम (पूर्व), हल्द्वानी	1995-96	11443.00	2288.71	20.00	3518.72	1230.01	213.47	262570.23
		1996-97	9500.00	1526.15	16.06	2921.25	1395.10	212.20	296040.22
		1997-98	1551.30	258.55	16.67	477.02	218.47	156.85	34267.02
		1998-99	11500.00	2886.95	25.10	3536.25	649.30	159.41	103504.91
		1999-2000	1086.30	334.05	30.75	334.05	0.00	--	0.00
2.	डी एल एम (पश्चिम), हल्द्वानी	1995-96	22926.85	3793.34	16.55	7050.01	3256.67	211.44	688590.30
		1996-97	18063.70	5299.77	29.34	5554.59	254.82	212.77	54218.05
		1997-98	30541.15	5847.69	19.15	9391.40	3543.71	176.10	624047.33
		1998-99	43127.27	10542.52	24.45	13261.64	2719.12	203.61	553640.02
		1999-2000	11232.00	3243.48	28.88	3453.84	210.36	198.81	41821.67
	योग			**36021.21**		**49491.77**	**13477.56**		**2658699.75**

परिशिष्ट–36

{प्रस्तर 3अ.6.1.1 (ग) में संदर्भित}

1999–2000 तक के पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम में चिरान इमारती लकड़ी के उत्पादन को दर्शाती विवरणी

वर्ष 1995–96

क्रम सं.	खण्ड का नाम	हस्त चिराई हेतु निर्गत गोल इमारती लकड़ी	चिरान इमारती लकड़ी का उत्पादन		हाथ से चिरी गई इमारती लकड़ी के उत्पादन में गिरावट (87.83 प्रतिशत उपलब्धि के सन्दर्भ में)
			मात्र (घनमीटर)	प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डी एल एम, टनकपुर	6.3384	4.7538	75.00	0.8132
2.	डी एल एम, अल्मोड़ा	6571.4844	3999.7806	60.87	1771.9541
3.	डी एल एम, नैनीताल	3435.8703	2061.3324	59.99	956.3925
4.	डी एल एम, पिथौरागढ़	16721.6665	10032.7481	60.00	4653.8916
5.	डी एल एम, देहरादून	235.0000	110.9678	47.22	95.4327
6.	डी एल एम, चकराता	10245.6082	8998.8527	87.83	0.00
7.	डी एल एम, उत्तरकाशी	19917.0036	15223.1535	76.43	2269.9508
8.	डी एल एम, टेहरी	1742.5110	816.4124	46.85	714.0350
9.	डी एल एम, टोन्स	8640.3314	6388.7643	73.94	1200.0388
10.	डी एल एम, यमुना	10493.3579	7993.9634	76.18	1222.3528
11.	डी एल एम, गढ़वाल	10502.5045	5475.0339	52.13	3749.3158
12.	डी एल एम, कोटद्वार	41.9307	16.1581	38.53	20.6696

वर्ष 1996–97

1.	डी एल एम, अल्मोड़ा	2043.5021	1238.9154	60.63	555.8925
2.	डी एल एम, नैनीताल	1459.1135	890.8545	61.05	390.6849
3.	डी एल एम, पिथौरागढ़	5017.9535	3060.7708	61.00	1346.4978
4.	डी एल एम, देहरादून	163.2772	102.3867	62.71	41.0197
5.	डी एल एम, चकराता	8377.9524	7205.6124	86.00	152.7432
6.	डी एल एम, उत्तरकाशी	2296.7249	1604.1928	69.85	413.0207
7.	डी एल एम, टेहरी	365.3799	229.3365	62.77	91.5767
8.	डी एल एम, टोन्स	32362.2575	21176.5232	65.44	7247.2476
9.	डी एल एम, यमुना	5070.4850	4270.3707	84.22	183.0363
10.	डी एल एम, गढ़वाल	3369.3664	1886.6924	56.00	1072.6221

वर्ष 1997–98

1.	डी एल एम, अल्मोड़ा	4419.6928	2653.3867	60.03	1228.4295
2.	डी एल एम, नैनीताल	3537.6131	2125.4248	61.08	981.6608
3.	डी एल एम, पिथौरागढ़	3235.0489	1935.0124	59.81	906.3310
4.	डी एल एम, चकराता	1280.9252	601.1982	46.93	523.8384
5.	डी एल एम, उत्तरकाशी	768.2836	451.3186	58.74	223.4649
6.	डी एल एम, टेहरी	2099.4056	1381.5783	65.81	462.3296
7.	डी एल एम, टोन्स	1079.0269	399.4272	37.02	548.2821
8.	डी एल एम, यमुना	1005.3655	435.2260	43.86	447.7865
9.	डी एल एम, गढ़वाल	2828.9206	1367.6240	48.34	1117.0170
10.	डी एल एम, कोटद्वार	318.0999	138.1151	43.42	141.2720

वर्ष 1998–99

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डी एल एम, अल्मोड़ा	1075.8542	649.2402	60.46	295.6825
2.	डी एल एम, नैनीताल	1481.6410	888.9846	60.00	412.3407
3.	डी एल एम, पिथौरागढ़	4056.0088	2427.8052	59.85	1134.5873
4.	डी एल एम, देहरादून	315.6427	152.2650	48.24	124.9640
5.	डी एल एम, चकराता	7355.6510	2712.6786	36.88	3747.7897
6.	डी एल एम, उत्तरकाशी	9765.9481	4666.9024	47.79	3910.5298
7.	डी एल एम, टेहरी	4280.4878	2341.2477	57.40	1418.3047
8.	डी एल एम, टोन्स	9283.5867	3699.7044	39.85	4454.0698
9.	डी एल एम, पौड़ी	3659.3289	1201.2374	32.83	2012.7512
10.	डी एल एम, कोटद्वार	12.0359	6.9310	57.59	3.6401

वर्ष 1999–2000

1.	डी एल एम, टनकपुर	17.0050	13.1007	77.04	1.8348
2.	डी एल एम, अल्मोड़ा	4252.9500	2559.9337	60.19	1175.4323
3.	डी एल एम, नैनीताल	4573.5652	2743.5664	59.99	1273.3959
4.	डी एल एम, पिथौरागढ़	4850.7908	2912.1238	60.03	1348.3258
5.	डी एल एम, देहरादून	1287.2300	574.3622	44.62	556.2119
6.	डी एल एम, चकराता	5377.7045	2712.1291	50.43	2011.1088
7.	डी एल एम, उत्तरकाशी	7226.0683	4043.7195	55.96	2302.9363
8.	डी एल एम, टेहरी	3082.8985	1421.8363	46.12	1285.8735
9.	डी एल एम, टोन्स	10654.3681	4387.4356	41.18	4970.2959
10.	डी एल एम, कोटद्वार	2871.6593	1590.2678	55.38	931.9106
	योग				**68101.5859**

परिशिष्ट–37

{प्रस्तर 3अ.6.1.3 (ब) में संदर्भित}

1999 तक के पाँच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम के रेणुकूट एवं दुध्धी खण्डों में तेंदू पत्ते के संग्रहण हेतु गोदामों को किराये पर लिये जाने को दर्शाती विवरणी

कम सं.		1995	1996	1997	1998	1999
1.	उत्पादन (मानक बैगों में)					
	रेणुकूट	171827	64921	62574	72374	103306
	दुध्धी	71882	65933	56963	76024	85400
2.	किराये पर ली गई संग्रहण क्षमता (मानक बैगों में)					
	रेणुकूट	222257	112655	112370	108655	137155
	दुध्धी	121200	105000	108500	98500	111500
3.	किरायाकृत क्षमता से उत्पादन का प्रतिशत					
	रेणुकूट	129.3	173.5	179.6	150.1	132.8
	दुध्धी	168.6	159.3	190.5	129.6	130.6
4.	प्रदत्त किराया (रूपये में)					
	रेणुकूट	936546	886743	809177	904377	1028547
	दुध्धी	739127	980822	783708	791419	831300
5.	प्रदत्त किराया प्रति मानक बैग (4/2) (रूपये में)					
	रेणुकूट	4.21	7.87	7.20	8.32	7.50
	दुध्धी	6.10	9.34	7.22	8.03	7.45
6.	129.3 प्रतिशत उत्पादन की दर से क्षमता (1X129.3%) (मानक बैग में)					
	रेणुकूट	222257	83943	80908	93580	133575
	दुध्धी	92943	85251	73653	98299	110422
7.	129.3 प्रतिशत से अधिक पर किरायाकृत क्षमता (मानक बैगों में) (2–6)					
	रेणुकूट	--	28712	31462	15075	3580
	दुध्धी	28257	19749	34847	201	1078
8.	अधिक प्रदत्त किराया (रूपये में) (7X5)					
	रेणुकूट	--	225963	226526	125424	26850
	दुध्धी	172368	184456	251595	1614	8031
	कॉलम 8 का योग (रूपये में)					**1222827**

परिशिष्ट–38

{प्रस्तर 3अ.7.1 (i) में संदर्भित}

1998–99 एवं 1999–2000 के दौरान आधार मूल्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं होने के कारण हानि को दर्शाती विवरणी

1998-99							1999-2000				
कम सं.	प्रजाति	विक्रय मूल्य का वास्तविक भार औसत	प्रस्तावित बढ़ोत्तरी		बेची गई मात्रा (घनमीटर)	हानि (लाख रूपये में)	विक्रय मूल्य का वास्तविक भार औसत	प्रस्तावित बढ़ोत्तरी		बेची गई मात्रा (घनमीटर)	हानि (लाख रूपये में)
			प्रतिशत	रकम (रूपये) (1x2)				प्रतिशत	रकम (रूपये) (1x2)		
		1	2	3	4	5			3	4	5
1.	गोल शीशम	6096	5%	305	19385	59.12	5110	4	204	37413	76.32
2.	गोल देवदार एवं चिरान	11112	3%	333	5030	16.75	--	--	--	--	--
3.	गोल फर एवं चिरान	4762	10%	476	4393	20.91	5025	5	251	3940	9.89
4.	गोल कल एवं चिरान	देवदार में लिया गया	5%	--	--	--	--	-	--	--	--
5.	टीक जड़	--	5%	--	--	--	--	--	--	--	--
6.	गोल चीर एवं चिरान	--	--	--	--	--	3883	5	194	33439	64.87
7.	बॉस						60	5	3	151255	4.54
	योग					**96.78**					**155.62**
	कुल योग										**252.40**

परिशिष्ट–39

{प्रस्तर 3अ.7.1 (i) में संदर्भित}

उत्पाद वर्ष 1995–96 में आधार मूल्य को विलम्ब से स्थापित करने के कारण हानि को दर्शाती विवरणी

(लाख रूपये में)

प्रजाति का नाम	प्रस्तावित बढ़ोत्तरी (प्रतिशत)	वास्तविक बिकी की मात्र					हानि (7x2)
		01.04.1995 से 30.09.95 तक	01.04.1995 से 31.03.1996 तक	01.10.1995 से 31.03.1996 के मध्य (4-3)	01.04.1996 से 31.10.1996 तक	01.10.1995 से 31.10.1996 तक के योग (5+6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गोल साल	10	1175.59	2546.89	1371.30	2235.19	3606.49	360.64
गोल शीशम	10	293.23	719.55	426.32	532.14	958.46	95.85
गोल सागौन	5	271.75	513.79	242.04	440.59	682.63	34.13
गोल देवदार	10	21.77	84.57	62.80	58.66	121.46	12.15
गोल फर	5	29.92	97.22	67.30	77.71	145.01	7.25
कैल चिरान	15	297.30	1216.37	919.07	454.55	1373.62	206.04
देवदार चिरान	25	--	--	--	--	--	--
जलावन लकड़ी	12	149.30	312.63	163.33	176.59	339.92	40.79
						योग	**756.85**

नोटः चिरान देवदार और कैल के ऑकड़ें पृथक रूप से उपलब्ध नहीं थे। इसलिए दोनों की बिकी एक साथ दिखाई गई है जिसमें प्रतिशत बढ़ोत्तर कम था।

परिशिष्ट–40

{प्रस्तर 3अ.7.1 (ii) में संदर्भित}

26.02.1998 को विलम्ब से किये गये, आधार मूल्य का पुनर्मूल्यांकन के कारण अक्टूबर 1997 से फरवरी 1998 के मध्य बिक्री में हानि को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	प्रजाति	प्रगामी बिक्री		अक्टूबर 1997 से फरवरी 1998 के मध्य बिक्री की गई मात्रा (3–4) (घनमीटर)	फरवरी 1998 को, दर प्रति घनमीटर (रूपये)	बिक्री दर में वृद्धि प्रतिशत	नये एवं पुराने दर प्रति घनमीटर के बीच का अन्तर (रूपये)	हानि (लाख रूपये में)
		फरवरी 1998 तक (घनमीटर)	सितम्बर 1997 तक (घनमीटर)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	साल गोल	28849	19708	9141	8121.15	5	406.06	37.12
2.	शीशम गोल	9602	5609	3993	6901.58	5	345.08	13.78
3.	देवदार गोल एवं कैल गोल	598	456	142	7351.17	10	735.12	1.04
4.	फर गोल	1801	1554	247	5085.51	10	508.55	1.26
5.	साल चिरान	519	401	118	10895.95	5	544.80	0.64
6.	देवदार/कैल चिरान	3648	2330	1318	14243.75	10	1424.38	18.77
7.	फर चिरान	6215	3764	2451	8015.77	10	801.58	19.65
	योग							**92.26**

परिशिष्ट–41

{प्रस्तर 3अ.7.1 (iv) में संदर्भित}

तीन खण्डों में, 1999–2000 के दौरान, आधार मूल्य से नीचे नीलामी के कारण हानि को दर्शाती विवरणी

(राशि रूपये में)

कम सं.	खण्ड/डिपो का नाम	लाट के 50 प्रतिशत से नीचे बिकी के कारण हानि	लाट के 50 प्रतिशत पर और 75 प्रतिशत के नीचे बिकी के कारण हानि	लाट के 75 प्रतिशत पर और 100 प्रतिशत के नीचे बिकी के कारण हानि
	(अ) डी.एस.एम., रामनगर			
1.	चॉंदनी डिपो	37479	31847	27643
2.	आमडण्डा–I डिपो	6910653	5611610	1493489
3.	चूनाखान डिपो	259	28420	18294
4.	कालाढुँगी–I डिपो	1044865	2592838	627220
5.	पतराम पुर डिपो	559051	2367348	627373
6.	कालाढुँगी–II डिपो	1296385	3577180	974757
7.	आमडण्डा–II डिपो	517223	288973	80311
8.	आमडण्डा–III डिपो	--	24903	10122
9.	भवानीगंज डिपो	--	--	1040946
10.	कालाढुँगी–III डिपो	822109	3455748	332199
	योग (अ)	**11188024**	**17978867**	**5232354**
	(ब) डी.एस.एम., हल्द्वानी			
1.	हल्द्वानी–I डिपो	144642	500094	590438
2.	हल्द्वानी–II डिपो	--	28952	78342
3.	हल्द्वानी–III डिपो	72665	255078	495325
4.	लालकुँआ–I डिपो	2963614	3284218	2729517
5.	लालकुँआ–VI डिपो	72554	856017	315977
6.	लालकुँआ–II डिपो	20180	61571	152540
	योग (ब)	**3273655**	**4985930**	**4362139**
	(स) डी.एस.एम., कोटद्वार			
1.	कोटद्वार डिपो	2854104	11232278	5748550
	कुल हानि (अ)+(ब)+(स)	**17315783**	**34197075**	**15343043**
	कुल योग			**66855901**

परिशिष्ट–42

{प्रस्तर 3अ.7.1 (v) में संदर्भित}

कम दरों पर बिकी के कारण राजस्व में हुई हानि को दर्शाती विवरणी

कम सं.	खण्ड का नाम	वर्ष	प्रजाति	बिकी की गई मात्रा (घनमीटर)	बिकी दर (रूपये प्रति घनमीटर)	दर जिस पर उच्चतम प्राप्ति हुई		दर में अन्तर (8–6) (रूपये प्रति घनमीटर)	राजस्व की हानि (रूपये)
						कार्यालय	बिकी दर (रूपये प्रति घनमीटर)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	डी. एस. एम., बहराइच	1998-99	साल	3775.1422	6549.58	डी एस एम, लखनऊ	15901.74	9352.16	35305733.87
2.	डी. एस. एम., बहराइच	1998-99	सागौन	2171.4369	8764.18	डी एस एम, लखनऊ	21038.60	12274.42	26653128.51
3.	डी. एस. एम., बहराइच	1999-2000	साल	9064.3820	5913.25	डी एस एम, लखनऊ	11441.68	5528.43	50111801.38
4.	डी. एस. एम., बहराइच	1999-2000	सागौन	4941.7851	9267.45	डी एस एम, लखनऊ	16929.45	7662.00	37863957.44
5.	डी. एस. एम., हल्द्वानी	1999-2000	चीड़ (गोल)	5825.9968	3255.53	डी एस एम, गाजियाबाद	4779.94	1524.41	8881207.78
6.	डी. एस. एम., हल्द्वानी	1999-2000	चीड़ (चिरान)	1243.8746	5890.00	डी एस एम, टनकपुर	8963.80	3073.80	3823421.75
7.	डी. एल. एम., नैनीताल	1999-2000	चीड़ (चिरान)	61.3074	6057.44	डी एस एम, टनकपुर	8963.80	2906.36	178181.37
8.	डी. एस. एम., रामनगर	1999-2000	चीड़ (गोल)	965.3643	1617.77	डी एस एम, गाजियाबाद	4779.94	3162.17	3052646.03
9.	डी. एस. एम., रामनगर	1999-2000	चीड़ (चिरान)	57.8713	4567.89	डी एस एम, टनकपुर	8963.80	4395.91	254397.03
10.	डी. एस. एम., देहरादून	1999-2000	चीड़ (गोल)	17.4836	2224.94	डी एस एम, गाजियाबाद	4779.94	2555.00	44670.60
11.	डी. एस. एम., देहरादून	1999-2000	चीड़ (चिरान)	10.1170	3953.74	डी एस एम, टनकपुर	8963.80	5010.06	50686.78
12.	डी. एस. एम., टनकपुर	1999-2000	चीड़ (गोल)	250.5023	3849.46	डी एस एम, गाजियाबाद	4779.94	930.48	233087.38
	योग			**28380.2635**					**166452909.92**
									या **1664.53** लाख रूपये
						घटायें: ढुलाई लागत **28385.2635** घनमीटर			
						के लिए 500 रूपये प्रति घनमीटर			**141.93** लाख रूपये
								कुल हानि	**1522.60** लाख रूपये

परिशिष्ट–43

{प्रस्तर 3अ.9 (i) में संदर्भित}

1999–2000 तक, तीन वर्षों के दौरान मासिक उत्पादन एवं आवंटन/उठान को दर्शाती विवरणी

प्रजाति का नाम	माह/वर्ष	माह के दौरान उत्पादन (घनमीटर)	भण्डार संचयन (घनमीटर)	आवंटन एवं उठान की सूची	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
यूक्लिप्टस	अक्टूबर 1997	1745	9439		
	नवम्बर 1997	2052	9747	शासन को प्रस्ताव भेजने की तिथि	08.01.1998
	दिसम्बर 1997	20098	12415	शासन द्वारा आवंटन की तिथि	28.02.1998
	जनवरी 1998	33440	29079	उठान की सूची निर्धारित करने की तिथि	04.03.1998
	फरवरी 1998	45475	54497		
	मार्च 1998	36075	101969	उठान की सूची	30.04.1998 - 40%
	अप्रैल 1998	8530	117227		30.05.1998 - 80%
	मई 1998	6909	125625		30.06.1998 90%
	जून 1998	4450	127336		30.09.1998 100%
	जुलाई 1998	119	92483		
	अगस्त 1998	154	74909		
	सितम्बर 1998	452	22687		
	योग	**159499**			
	अक्टूबर 1998	5481	19435		
	नवम्बर 1998	26800	20273	शासन को प्रस्ताव भेजने की तिथि	31.12.1998
	दिसम्बर 1998	52203	43682	शासन द्वारा आवंटन की तिथि	06.02.1999
	जनवरी 1999	45961	74181	उठान की सूची निर्धारित करने की तिथि	01.02.1999
	फरवरी 1999	42905	107716		
	मार्च 1999	44051	174569	उठान की सूची	31.03.1999 -20%
	अप्रैल 1999	5518	185995		30.06.1999 - 70%
	मई 1999	2083	162746		30.09.1999 - 100%
	जून 1999	2957	126642		
	जुलाई 1999	5730	101103		
	अगस्त 1999	178	79962		
	सितम्बर 1999	274	55196		
	योग	**234141**			
	अक्टूबर 1999	516	37149		
	नवम्बर 1999	6542	21757	शासन को प्रस्ताव भेजने की तिथि	27.01.2000
	दिसम्बर 1999	32465	28420	शासन द्वारा आवंटन की तिथि	15.02.2000
	जनवरी 2000	39165	55879		11.04.2000
	फरवरी 2000	35225	81739	उठान की सूची निर्धारित करने की तिथि	15.04.2000
	मार्च 2000	31310	133335		
	अप्रैल 2000	3402	142250	उठान की सूची	31.05.2000 - 30%
	मई 2000	3155	137273		30.06.2000 - 50%
	जून 2000	2101	112115		31.07.2000 - 90%
	जुलाई 2000	507	89714		31.08.2000 - 100%
	अगस्त 2000	1537	65932		
	सितम्बर 2000	211	43661		
	योग	**156136**			
मृदुकाष्ठ	अक्टूबर 1997	831	3673		
	नवम्बर 1997	3087	3847	समिति द्वारा गोष्ठी करने की तिथि	19.12.1997
	दिसम्बर 1997	4777	5593	उस पत्र की तिथि जिससे पार्टी को सूचित किया गया	21.01.1998
				उठान की सूची	
				i. प्रतिभूति को जमा करने की अंतिम तिथि	05.02.1998
				ii. उठान की अंतिम तिथि	21.02.1998
	जनवरी 1998	8286	9129		
	फरवरी 1998	6933	12025		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	मार्च 1998	6362	15847		
	अप्रैल 1998	2847	14443		
	मई 1998	1212	12485		
	जून 1998	588	10343		
	जुलाई 1998	152	9390		
	अगस्त 1998	35	8188		
	सितम्बर 1998	80	5922		
	योग	**35190**			
	अक्टूबर 1998	249	5287		
	नवम्बर 1998	4681	4847	समिति द्वारा गोष्ठी करने की तिथि	16.12.1998 एवं 05.02.1999
	दिसम्बर 1998	7795	8813		
	जनवरी 1999	7038	13544	उस पत्र की तिथि जिससे पार्टी को सूचित किया गया	27.02.1999
	फरवरी 1999	7358	17029	**उठान की सूची**	
	मार्च 1999	9773	26616		
	अप्रैल 1999	2081	26210	i. प्रतिभूति को जमा करने की अंतिम तिथि	16.03.1999
	मई 1999	1546	25744	ii. उठान की अंतिम तिथि	15.04.1999
	जून 1999	625	24243		
	जुलाई 1999	171	21890		
	अगस्त 1999	101	17629		
	सितम्बर 1999	0	12179		
	योग	**41418**			
	अक्टूबर 1999	30	7523		
	नवम्बर 1999	196	5111	समिति द्वारा गोष्ठी करने की तिथि	29.12.1999
	दिसम्बर 1999	4954	4914	उस पत्र की तिथि जिससे पार्टी को सूचित किया गया	24.01.2000
	जनवरी 2000	6471	7283	**उठान की सूची**	
	फरवरी 2000	9059	9022		
	मार्च 2000	11430	11494	i. प्रतिभूति को जमा करने की अंतिम तिथि	10.02.2000
	अप्रैल 2000	10519	11939	ii. उठान की अंतिम तिथि	20.04.2000
	मई 2000	1635	15534		
	जून 2000	290	14603		
	जुलाई 2000	111	11019		
	अगस्त 2000	139	7042		
	सितम्बर 2000	5	5197		
	योग	**44839**			
खैर	अक्टूबर 1997	75	798		
	नवम्बर 1997	68	919	आवंटन के लिए भेजे गये प्रस्ताव की तिथि	05.12.1997
	दिसम्बर 1997	482	1010		
	जनवरी 1998	824	1603	आवंटन प्राप्ति की तिथि	05.02.1998
	फरवरी 1998	666	2426		
	मार्च 1998	1377	3464	आवंटन की तिथि	05.03.1998
	अप्रैल 1998	438	3773	16.81% का उठान	30.04.1998
	मई 1998	415	3967	15.34% का उठान	30.06.1998
	जून 1998	495	4138	48.59% का उठान	30.09.1998
	जुलाई 1998	43	4078	19.26% का उठान	30.09.1998

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	अगस्त 1998	5	3804		
	सितम्बर 1998	24	1686		
	योग	**4912**			
	अक्टूबर 1998	41	1698		
	नवम्बर 1998	379	897		
	दिसम्बर 1998	694	1276		
	जनवरी 1999	1270	2266		
	फरवरी 1999	1288	3303		
	मार्च 1999	1199	4767		
	अप्रैल 1999	1112	5500		
	मई 1999	559	5919		
	जून 1999	576	6845		
	जुलाई 1999	194	6499		
	अगस्त 1999	272	6588		
	सितम्बर 1999	19	6577		
	योग	**7603**			
	अक्टूबर 1999	0	6602		
	नवम्बर 1999	73	6838		
	दिसम्बर 1999	1480	7300		
	जनवरी 2000	2467	8703		
	फरवरी 2000	5052	10812		
	मार्च 2000	2912	13048		
	अप्रैल 2000	1289	16083		
	मई 2000	1212	17142		
	जून 2000	690	17627		
	जुलाई 2000	311	17628		
	अगस्त 2000	939	19581		
	सितम्बर 2000	0	20207		
	योग	16425			

परिशिष्ट–44

{प्रस्तर 3अ.9 (i) में संदर्भित}

खैर, यूक्लिप्टस एवं मृदुकाष्ठ के आवंटन/उठान में विलम्ब के कारण वहन लागत को दर्शाती विवरणी

प्रजाति का नाम	माह/वर्ष	माह के अंत तक का उत्पादन (घनमीटर)	आवंटन के लिये उपलब्ध उत्पादन यूक्लिप्टस एवं मृदुकाष्ठ (घनमीटर) के संदर्भ में कॉलम (3) का 75 प्रतिशत	दो माह के उत्पादन के बराबर सामान्य भण्डार संचयन (घनमीटर)	आवंटित मात्रा प्रति उठान सूची (घनमीटर)	वर्ष का संचित आवंटन (घनमीटर)	माह के दौरान अत्यधिक भण्डार संचयन (घनमीटर) (4–5–7)	अत्यधिक भण्डार संचयन का मासिक मूल्य (रूपये में)	
								दर (प्रति घन मीटर)	घनराशि (लाख रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
यूक्लिप्टस	फरवरी 1998	102810	77107	26583	--	--	50524	1737	877.60
	मार्च 1998	138885	104164	26583	20114	20114	57467	1770	1017.17
	अप्रैल 1998	147415	110561	26583	18713	38827	45151	1794	810.01
	फरवरी 1999	173350	130012	39024	12340	12340	78648	1911	1502.96
	मार्च 1999	217401	163051	39024	15837	28177	95850	1937	1856.61
	अप्रैल 1999	222919	167189	39024	22914	51091	77074	2010	1549.19
	फरवरी 2000	113913	85435	26023	--	--	59412	1934	1149.03
	मार्च 2000	145223	108917	26023	--	--	82894	1985	1645.45
	अप्रैल 2000	148625	111469	26023	11384	11384	74062	2055	1521.97
मृदुकाष्ठ	दिसम्बर 1997	8695	6521	5865	--	--	656	1753	11.50
	जनवरी 1998	16981	12736	5865	--	--	6871	1901	130.62
	फरवरी 1998	23914	17936	5865	17936	17936	--	2002	--
	दिसम्बर 1998	12725	9544	6903	--	--	2641	1698	44.84
	जनवरी 1999	19763	14822	6903	--	--	7919	2603	206.13
	फरवरी 1999	27121	20341	6903	--	--	13438	2619	351.94
	दिसम्बर 1999	5180	3885	7473	--	--	--	2454	--
	जनवरी 2000	11651	8738	7473	--	--	1265	2489	31.49
	फरवरी 2000	20710	15532	7473	4216	4216	3843	2435	93.57
खैर	फरवरी 1998	2115	2115	817	--	--	1298	13467	174.80
	मार्च 1998	3492	3492	817	278	278	2397	13742	329.40
	अप्रैल 1998	3930	3930	817	347	625	2488	14880	370.21
									13674.49
						10 प्रतिशत की दर से वहन लागत $\frac{(13674.49 \times 10)}{(100 \times 12)}$			= 113.95 रूपये

परिशिष्ट–45

{प्रस्तर 3अ.10.4 (iv) में संदर्भित}

शासन के मंत्री/सचिव को दिये गये वाहनों के चालन एवं रख–रखाव पर व्यय को दर्शाती विवरणी

कम सं.	पद	आवंटित वाहनों के पंजीकरण संख्या	आवंटन की तिथि	समयावधि	ईंधन व्यय	मोबिल व्यय	रख–रखाव व्यय	योग (रूपये)
1.	विशेष सचिव (वन)	यू पी 32- एच .3492 यू एम आई - 3059	19 मई 1997 26 अप्रैल 1994	जनवरी 1996 से मार्च 2001	422674.51	18186.88	363123.38	803984.77
2.	मुख्य सचिव (वन)	यू पी 32 - क्यू -0445	21 जनवरी 1997	जनवरी 1997 से फरवरी 2001	341282.64	5032.40	175733.30	522048.34
3.	मुख्य सचिव का कैम्प कार्यालय (वन)	यू पी 32 - एन 9083	25 अगस्त 2000	अगस्त 2000 से मार्च 2001	26816.02	362.00	87480.80	114658.82
4.	माननीय मंत्री, वन	यू पी 32-एन 3940	उपलब्ध नहीं	जनवरी 1999 से फरवरी 2000	78915.80	1735.00	57791.12	138441.92
5.	माननीय मंत्री, वन एवं माननीय राज्य मंत्री, वन की सुरक्षा में प्रयुक्त वाहन पर व्यय	यू पी 32-एच 4510 यू पी 07-डी 7481	वन विभाग द्वारा दिया गया वाहन -उपरोक्त-	1995-96 1995-96	-- --	-- --	-- --	-- 213363.31
	योग							**1792497.16**

परिशिष्ट–46

(प्रस्तर 3ब.6 एवं 3ब.7 में सन्दर्भित)

परिषद के कार्यचालन परिणामों एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाती विवरणी

(अ) वित्तीय स्थिति

(करोड़ रूपये में)

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
(अ) देयतायें		*(असम्परीक्षित)*			
ऋण:					
सरकार	63.42	67.73	65.81	65.81	73.31
अन्य संस्थायें	183.36	125.76	91.22	62.65	45.87
सी पी एफ खाते से ऋण	3.00	2.00	--	--	--
निक्षेप	117.09	124.76	124.76	132.90	133.52
निक्षेप कार्यों की निधि	38.90	39.38	46.82	76.59	111.83
ब्याज देय:					
ऋण पर	31.81	39.46	31.34	38.23	45.20
निक्षेपों पर	42.87	44.63	45.93	47.47	44.16
अन्य देयतायें	26.36	36.61	40.25	46.56	58.40
व्यय से अधिक अतिरिक्त आय	27.28	28.21	38.13	54.29	71.57
देयताओं से अधिक अतिरिक्त परिसम्पत्तियॉ	-	1.18	11.09	1.25	7.57
योग	**534.09**	**509.72**	**495.35**	**525.75**	**591.43**
ब. परिसम्पत्तियॉ					
अचल परिसम्पत्तियॉ	1.06	1.15	1.39	1.50	1.73
निवेश:					
सिंकिंग निधि					
सी पी एफ एवं जी आई एस	2.02	1.65	2.73	2.55	1.61
	10.85	11.23	11.54	11.17	12.16
चालू परिसम्पत्तियॉ, ऋण एवं अग्रिम					
चालू परिसम्पत्तियॉ:					
भूखण्ड एवं गृह	336.42	316.31	268.07	242.39	173.78
स्थल पर सामग्री	2.84	2.09	3.97	8.41	10.94
नकद एवं बैंक अधिशेष	81.43	65.11	88.64	134.40	248.92
मार्गस्थ धनराशि एवं अन्तर इकाई लेनदेन	10.96	18.20	15.62	16.17	7.62
ऋण एवं अग्रिम:					
जनता	6.01	5.59	5.44	5.20	4.89
ठेकेदार, आपूर्तिकर्त्ता एवं कर्मचारी	14.98	14.68	16.77	19.42	20.86
प्राप्य स्टाम्प शुल्क	11.57	14.64	13.55	16.53	16.52
अर्जित परन्तु प्राप्त नहीं किया गया ब्याज एवं दण्ड ब्याज	32.62	37.24	45.44	47.61	44.20
अन्य:					
आवंटी नियंत्रण खाते	23.20	21.82	22.17	20.40	48.18
पूर्वदत्त व्यय	--	0.03	--	--	--
उचन्त लेखे	0.14	--	--	--	0.02
योग	**534.10**	**509.72**	**495.35**	**525.75**	**591.43**

(ख) कार्यचालन परिणाम

अ. आय					
सम्पत्ति से आय:					
ब्याज	27.94	26.45	30.68	33.49	24.00
दण्ड ब्याज	7.77	8.27	10.35	9.22	11.99
कास्टिंग में प्रावधानित प्रशासनिक एवं विविध प्रभार	8.12	11.77	8.06	8.48	8.78
स्टाम्प शुल्क	3.88	4.43	2.48	0.86	1.84
ब्याज:					
एफ डी आर	1.62	3.04	8.26	12.51	18.62
लोक ऋण	1.59	1.81	0.89	1.08	--
अन्य प्राप्तियाँ	7.36	6.44	6.74	10.22	11.52
योग	**58.28**	**62.21**	**67.46**	**75.86**	**76.75**
ब. व्यय					
स्थापना व्यय:					
वेतन एवं भत्ते	16.42	19.60	22.26	25.88	30.29
अन्य उपरिव्यय	2.71	2.92	3.60	4.48	5.87
वित्तीय प्रभार:					
ऋण पर ब्याज	31.13	29.40	21.44	18.41	11.03
अन्य प्रभार	3.84	3.36	3.48	3.12	2.26
अन्य व्यय	2.37	2.89	3.25	3.63	4.56
व्यय हेतु प्रावधान	0.97	3.12	3.50	4.18	5.46
योग	**57.44**	**61.29**	**57.53**	**59.70**	**59.47**
स. व्यय से अधिक अतिरिक्त आय	0.84	0.92	9.93	16.16	17.28

परिशिष्ट–47

(प्रस्तर 3ब.8.1.5 में सन्दर्भित)

बेटरमेन्ट शुल्क की वसूली न किये जाने को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	वसूल होने योग्य बेटरमेन्ट शुल्क (करोड़ रूपये में)	जमा हुआ बेटरमेन्ट शुल्क (करोड़ रूपये में)	अवशेष (करोड़ रूपये में)
1.	क्षेत्र-I	96.115	0.47	0.01	0.46
2.	क्षेत्र-II	अनुपलब्ध	0.81	0.26	0.55
3.	क्षेत्र-III	15010.27	1.93	0.78	1.15
4	क्षेत्र-IV	1898.00	0.97	--	0.97
5.	क्षेत्र-V	268.93	0.16	0.01	0.15
6.	क्षेत्र-VI	158203.95	4.80	--	4.80
7.	क्षेत्र-VII	11544.16	20.44	14.95	5.49
	योग	**187021.425**	**29.58**	**16.01**	**13.57**

परिशिष्ट–48

(प्रस्तर 3ब.9.2.2 में सन्दर्भित)

भूमि का अधिग्रहण किये बिना क्षतिपूर्ति के भुगतान को दर्शाती विवरणी

क्रम. सं.	योजना	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अधिग्रहीत भूमि (हेक्टेयर में)	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति (करोड़ रूपये में)
1.	फैजाबाद सड़क योजना, आजमगढ़	19.80	--	1.51
2.	योजना सं0–6, इज्जतनगर, बरेली	22.26	--	1.00
3.	राजपुर सड़क योजना–2, देहरादून	17.19	--	0.43
4.	बहरोली बाजार योजना, देवरिया	22.10	--	0.06
5.	योजना–4, हल्द्वानी	9.84	--	0.19
6.	तकरोही सड़क योजना, इंदिरा नगर विस्तार, लखनऊ	--	--	0.14
7.	योजना–2, ऋषिकेश	7.49	--	0.10
8.	विस्तार योजना, रूड़की	7.63	--	0.45
9.	टनकपुर योजना, टनकपुर	6.03	--	0.09
10.	जी टी रोड योजना, वाराणसी	--	--	0.02
	योग	**112.34**	**--**	**3.99**

परिशिष्ट–49

(प्रस्तर 3ब.9.2.3 में सन्दर्भित)

अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान को दर्शाती विवरणी

(लाख रूपये में)

क्रम. सं.	योजना	देय क्षतिपूर्ति	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति	अतिरिक्त भुगतान
1.	चिरंजी लाल योजना, अलीगढ़	13.06	14.57	1.51
2.	जी. टी. रोड, अलीगढ़	35.35	36.35	1.00
3.	योजना–9, अलीगढ़	23.57	25.03	1.46
4.	जी टी बी नगर, इलाहाबाद	87.28	87.59	0.31
5.	बी एन रोड योजना, अल्मोड़ा	0.70	14.88	14.18
6.	सिविल लाइन योजना, बरेली	12.79	13.00	0.21
7.	नेहरू नगर योजना–2, देहरादून	3.82	257.00	253.18
8.	योजना–2, ऐटा	24.96	34.98	10.02
9.	योजना–2, इटावा	11.54	43.00	31.46
10.	अंगूरीबाग, फैजाबाद	38.03	40.00	1.97
11.	सूरजकुण्ड, गोरखपुर	11.91	14.85	2.94
12.	शाहपुर योजना–1, गोरखपुर	28.13	36.47	8.34
13.	योजना–2, हल्द्वानी	9.87	129.46	119.59
14.	पहेसी रोड योजना, खुर्जा	29.61	103.81	74.20
15.	किच्छा योजना, किच्छा	23.15	28.00	4.85
16.	एम. जी. मार्ग योजना, लखनऊ	9.24	44.49	35.25
17.	कुर्सी रोड योजना, लखनऊ	677.00	944.75	267.75
18.	कुर्सी रोड विस्तार योजना, लखनऊ	--	358.25	358.25
19.	यू पी आई एल, लखनऊ	--	808.93	808.93
20.	दमदमा कोठी, मुरादाबाद	49.91	91.32	41.41
21.	रिंग रोड, मुजफ्फरनगर	108.53	170.49	61.96
22.	रामपुर योजना–2, रामपुर	41.71	66.50	24.79
23.	रामपुर योजना–4, रामपुर	29.12	86.63	57.51
24.	योजना–3, शाहजहॉपुर	21.00	64.30	43.30
25.	पांडेयपुर योजना, वाराणसी	153.69	203.69	50.00
	योग	**1443.97**	**3718.34**	**2274.37**

परिशिष्ट–50

(प्रस्तर 3ब.10.1(क) में सन्दर्भित)

अनुपयोजित विकसित भूमि की स्थिति दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	योजना	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	मूल्य (लाख रूपये में)
1.	अवधपुरी योजना, फैजाबाद		
	(अ) फेज–I	2225.77	21.14
	(ब) फेज–II	1449.00	13.77
	(स) फेज–III	21533.99	204.57
2.	ओबरी योजना, बाराबंकी	7389.00	96.06
3.	भरतपुरी योजना, गोण्डा	1740.00	20.01
4.	हरपुर योजना, बलिया	1100.39	19.15
5.	योजना–3, मेरठ	4042.25	87.31
6.	योजना–6, मेरठ	1612.89	30.32
7.	योजना–10, सेक्टर–1, मेरठ	0.03450	--
8.	योजना–7, मेरठ	4486.20	96.23
9.	योजना–1, मंगल पांडेय नगर, मेरठ	3842.92	96.27
10.	नेहरू नगर योजना–1, देहरादून	11388.80	135.53
11.	राजपुर रोड योजना, देहरादून	905.52	11.59
12.	वीरभद्र मार्ग योजना, ऋषिकेश	137.44	1.40
13.	इंदिरा नगर योजना, देहरादून	1606.90	16.47
14.	मझोला योजना–4, पार्ट–1, सेक्टर–1, 3 व 4, मुरादाबाद	2742.97	64.60
15.	राजाजीपुरम, लखनऊ सेक्टर–1, 5, 6, 9 व 11,	73349.69	1276.28
16.	निर्माण खण्ड–13, लखनऊ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत	21456.48	473.12
17.	बाढपुर योजना–1, फतेहगढ़	1574.00	23.77
18.	योजना–1, छिबरामऊ	1214.40	8.99
19.	योजना–1, मैनपुरी	8554.25	79.55
20.	योजना–1, कानपुर	52531.00	1129.42
21.	योजना–2, कानपुर	28312.50	46.01
22.	योजना–3, कानपुर	16615.90	270.00
23.	सिकन्दरा योजना, आगरा	1149.43	15.34
24.	कमला नगर, आगरा	137.70	31.95
25.	तालपुरा योजना, झांसी	1048.18	11.53
	योग	**272147.604**	**4280.38**

परिशिष्ट–51

(प्रस्तर 3ब.14.2 में सन्दर्भित)

जनवरी 2001 तक विकसित एवं निर्मित सम्पत्तियों को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	सम्पत्ति की श्रेणी	विकसित/निर्मित सम्पत्ति	आवंटन हेतु प्रस्तावित सम्पत्ति	आवंटन हेतु प्रस्तावित नहीं की गई सम्पत्ति	बेची गई कुल सम्पत्ति	अवशेष	आवंटन हेतु प्रस्तावित नहीं की गई सम्पत्ति का मूल्य	अवशेष सम्पत्ति का मूल्य
		(संख्या में)					(लाख रूपये में)	
1.	ई डब्ल्यू एस	86676	83443	3233	81013	2430	2331.09	1752.10
2.	एल आई जी	31666	31666	--	29596	2070	--	2577.00
3.	एम आई जी	18389	18389	--	17871	518	--	1525.40
4.	एच आई जी	3355	3355	--	3235	120	--	922.38
5.	एस एफ एस	12803	9826	2977	9682	144	12550.74	607.09
6.	अन्य	5199	1998	3201	1781	217	66836.44	4530.93
7.	भूखण्ड[68]	38801	38801	--	35856	2945	--	8126.29
8.	एस एस पी	9430	8812	618	7653	1159	306.94	575.64
	योग	**206319**	**196290**	**10029**	**186687**	**9603**	**82025.21**	**20616.83**

68 वाणिज्यिक भूखण्डों सहित

परिशिष्ट–52

(प्रस्तर 3ब.14.2 में सन्दर्भित)

जनवरी 2001 के अन्त पर अनिस्तारित पड़ी सम्पत्तियों को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	योजना का नाम	खाली पड़ी सम्पत्ति की संख्या	मूल्य (लाख रूपये में)	अवधि, जबसे खाली पड़ी है	आवंटन के कारण
1.	कानपुर योजना–1,	326	1387.15	2 से 14 वर्ष	मॉग नही
2.	कानपुर योजना–2,	86	228.20	14 वर्ष	मॉग नही
3.	वसुन्धरा, गाजियाबाद	91	3217.39	1 माह से 1 वर्ष	मॉग नही
4.	इंदिरा नगर, लखनऊ	186	1046.83	6 माह से 15 वर्ष	मॉग नही
5.	शास्त्री नगर–3, मेरठ	98	209.30	7 वर्ष से 12 वर्ष	मॉग नही, अतिक्रमण
6.	माधवपुरम–10, मेरठ	305	499.91	10 वर्ष	मॉग नही, अतिक्रमण
7.	मंगल पांडेय नगर–1, मेरठ	23	443.84	3 वर्ष से 17 वर्ष	मॉग नही, अतिक्रमण
8.	शास्त्री नगर–7, मेरठ	101	222.37	12 वर्ष से 17 वर्ष	मॉग नही, अतिक्रमण
	योग	**1216**	**7254.99**		

शुद्धि प्रपत्र

पेज संख्या	लाइन संख्या	क्या छपा है	क्या पढ़ा जाए
ix	9	260.00	264.00
xiii	1	23.03	23.30
xiv	2	0.99	0.97